खण्ड-8, अंक-4
बुधवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1925
(02 अप्रैल, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2003)

(खण्ड 8 में 6 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति – – –	"क"
प्रश्नोत्तर – – –	1–45
जनपद हरिद्वार के प्रशिक्षित बी०टी०सी० बैच 2000–2002 के प्रशिक्षितों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना –	46
सचिवालय सेवा के अधिकारियों की उत्तर प्रदेश से प्राप्त वरीयता सूची के जारी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना –	46–47
जनपद पिथौरागढ़ की सबसे बड़ी पेयजल योजना की पूरी लाइन के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना –	47
जनपद रुद्रप्रयाग में पटवारी चौकियों के निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं पर रोक लगाने एवं निर्माण कार्य शीघ्र कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना – –	47
उत्तरांचल शासन द्वारा समूह 'घ' के लिए विनियमितीकरण नियमावली, 2003 को संशोधित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना –	47–48
जनपद चमोली में सन् 1999 में आये भूकम्प से प्रभावित भवन स्वामियों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना – – –	48
जनपद देहरादून की तेग बहादुर रोड वार्ड नं० 10 के अन्तर्गत सुलभ शौचालय का सेफ्टी टैंक भर जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना – – –	48
टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के घनसाली कोटी–अखोड़ी–दुलाणखाल–घुलगढ़ मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका– (उपस्थित की गई) – – –	48–49
टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के लम्ब गांव–कोटालगांव–पणियाला मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका– (उपस्थित की गई) –	49
जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाई स्कूल बनाली का उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका– (उपस्थित की गई) – –	49
जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में सैलंग–तैनी से सलूड़ डुंग्रा तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका– (उपस्थित की गई) – – –	49

विषय	पृष्ठ–संख्या
टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लाटा–नागेश्वर–सौड़–सरकण्डा–मोना मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) – – –	49
टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लम्बित मोटर मार्ग सेन्दुल–पट्टगांव के शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में याचिका–(उपस्थित की गई) – –	50
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003– (पुरःस्थापित) –	50
उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003– (पुरःस्थापित) – – –	50
उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003–(पुरःस्थापित)	51
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं – – –	51–62
उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003–(पारित) –	62–164
उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003–(पारित) –	165–221
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव–(स्वीकृत) – – –	222–223
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा– (चर्चा जारी) – – –	224–238
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	238
जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम रीसाल तहसील घनसाली में नरभक्षी बाघ द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा देने के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य –	238–239
जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में नागरिकों के लिए क्रीड़ा स्थल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर खेल मंत्री का केवल वक्तव्य – – –	239–240
नत्थियाँ – – –	241–244

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा देवी
6. (डा0) श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7. श्री उम्मेद सिंह माजिला
8. श्री काशी सिंह ऐरी
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. श्री कौलदास
11. श्री गगन सिंह
12. श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
13. श्री गोपाल सिंह
14. श्री गोविन्द लाल
15. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
16. श्री चन्द्रशेखर
17. श्री जोत सिंह
18. श्री तसलीम अहमद
19. श्री तिलक राज बेहड़
20. श्री तेजपाल सिंह रावत
21. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22. श्री नव प्रभात
23. श्री नारायण पाल
24. श्री नारायण राम आर्य
25. श्री नारायण सिंह जंतवाल
26. काजी निजामुद्दीन
27. श्री प्रकाश पंत
28. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29. डा0 प्रताप बिष्ट
30. श्री प्रदीप टम्टा
31. श्री प्रीतम सिंह
32. श्री प्रीतम सिंह पंवार
33. श्री प्रेमानन्द महाजन
34. श्री फूल सिंह बिष्ट
35. श्री बलबीर सिंह नेगी
36. श्री विजय पाल सिंह सजवाण
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री भगत सिंह कोश्यारी
39. श्री मदन कौशिक
40. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
41. श्री महेन्द्र भट्ट
42. श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
43. श्री मातबर सिंह कण्डारी
44. श्री माल चन्द
45. चौ0 यशवीर सिंह
46. श्री रणजीत सिंह
47. श्री रैस्मौल वैलेन्टाइन गार्डनर
48. श्री राम प्रसाद टम्टा
49. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
50. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
51. श्री शूरवीर सिंह
52. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
53. श्री शहजाद
54. श्री साधू राम
55. श्री सुबोध उनियाल
56. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58. श्री डॉ0 हरक सिंह रावत
59. श्री हरबंश कपूर
60. श्री हरभजन सिंह चीमा
61. श्री हरिदास
62. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63. श्री हीरा सिंह बिष्ट
64. श्री हेमेश खर्कवाल
65. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

सरकार द्वारा मितव्ययता तथा सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण पर विचार

**काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा मितव्ययिता हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

क्या सरकार प्रदेश के सभी विभागों के मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

वित्तीय प्रबंधन के प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

सरकारी वाहनों के निजी प्रयोग पर नियमानुसार निर्धारित धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का प्राविधान है।

नियंत्रण की व्यवस्था पहले से ही लागू है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर देने के लिए सम्बन्धित मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ी देर बाद सदन में आ गई)

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गोल-मोल उत्तर दे दिया जैसी कि मुझे उम्मीद थी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या कदम उठाये गये?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में राजाज्ञा निर्गत है और राजाज्ञा में यह स्पष्ट है कि यदि कोई राजकीय अधिकारी अपने निजी कार्य हेतु वाहन प्रयोग करेगा तो उसे राजकोष में धन जमा करना पड़ेगा अगर 200 कि0मी0 से वह अधिक जाता है तो उसे 3.00 रु0 के हिसाब से अलग से उसे देना पड़ेगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, उत्तर में जो कहा गया है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितनी धनराशि राजकोष में जमा करायी जा चुकी है इस मद में ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी इसका उत्तर देने में इतना समय लगायेंगी तो यहां सदन का समय बर्बाद करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। इससे तो सारा समय इसी में चला जायेगा। मान्यवर, वास्तव में जिस ढंग से सदन चलाया जाना चाहिए वह नहीं चलाया जा रहा है। एक तो माननीया मंत्री जी देर से सदन में आयी और दूसरा उन्हें जो उत्तर देना है उसके प्रति सीरियस नहीं है। मान्यवर, यह सदन की गरिमा का सवाल है। अगर माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रही हैं तो उस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद पर हैं और सरकार में भी रह चुके हैं। मान्यवर, प्रश्न का उत्तर पहले ही अपने आप में स्पष्ट है लेकिन अगर कोई सम्मानित सदस्य सप्लीमेण्टरी प्रश्न करता है तो उसका उत्तर दिया जायेगा। मान्यवर, उत्तर देना हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, एक तो माननीया मंत्री जी देर से आयी और फिर कागज भी देर से आ रहा है उत्तर देने के लिए। मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होगा तो उसे स्थगित कर दिया जायेगा।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब प्रश्न आया तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। अब उसके बाद सप्लीमेण्टरी प्रश्न आया तो सप्लीमेण्टरी प्रश्न का उत्तर देने के बाद यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो उसका जवाब दे दिया जायेगा। इसमें सदन का समय बर्बाद होने का तो सवाल ही नहीं उठता।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सदन की ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि कोई माननीय मंत्री देर से आयें और वैसे तो माननीय इन्दिरा जी अनुभवी हैं लेकिन उत्तर नहीं दे पा रही हैं तो प्रश्न को स्थगित कर देना चाहिए।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 में, इस मद में कितनी धनराशि जमा हुई है?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में 0.24 प्रतिशत धनराशि पेट्रोल की खरीद के मद में प्राविधानित की गई है और वित्तीय वर्ष 2002–2003 में इस मद में 0.28 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रश्न कुछ और पूछा गया है और उत्तर कुछ और दिया जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप सुनने का धैर्य तो रखें। यदि आपने तय कर लिया है कि आप सुनेंगे ही नहीं तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, सदन में पूरी गम्भीरता के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूरे सदन को संतुष्ट होना चाहिए। इस सदन पर सभी माननीय सदस्यों का बराबर अधिकार है। उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, इस पर आपका निर्देश आना चाहिए।

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस उत्तर में क्या कठिनाई है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में पेट्रोल खरीद हेतु 0.24 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में इस मद में 0.28 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया गया है। पैसा जमा करने की स्थिति निजी वाहनों में आती है। 22–06–1999 के शासनादेश के अनुसार वाहन के निजी प्रयोग पर 200 किलोमीटर तक यात्रा के लिए कार हेतु 800 रुपये प्रतिमाह तथा जीप हेतु 400 रुपये प्रति माह जमा कराये जाते हैं। 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर देय होता है। अब राजकोष में कितनी धनराशि जमा कराई गई, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो मैंने जानकारी चाही थी वह अभी उपलब्ध नहीं है, माननीय मंत्री जी द्वारा कह दिया गया है कि इसकी सूचना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को सूचना आने तक स्थगित कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और माननीया मंत्री जी ने स्वयं भी स्वीकार कर लिया है और मान्यवर, जब प्रश्न सरकार के पास पहुँच जाता

है तो सरकार को उसके अनुपूरकों की सूचनायें तथा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब सूचना ही प्राप्त नहीं है तो प्रश्न काल को चलाने का औचित्य ही क्या है? और अगर सूचना नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर कब तक दे देंगे? अतः मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाय जब तक कि स्पष्ट सूचना न प्राप्त हो जाय।

(व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक ही अनुपूरक पूछा था और जवाब माननीय मंत्री जी ने यह दिया है कि इसकी सूचना अभी नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह प्रश्न गम्भीर प्रकृति का है और नीतिगत भी है और पूरे सदन के लिए इसकी सूचना आनी चाहिए थी इस प्रश्न के कारण जो कुछ भी अभी हुआ वह कोई अच्छी बात नहीं है और यह हमारी अगम्भीरता को प्रदर्शित करती है। जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके दूसरे भाग में पूछा गया है कि क्या सरकार प्रदेश के सभी विभागों के मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने पर विचार करेगी? इसका जो उत्तर सरकार की ओर से आया है वह यह है कि सरकारी वाहनों के निजी प्रयोग पर नियमानुसार निर्धारित धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का प्राविधान है, और इस उत्तर में जो माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कितनी धनराशि इस मद में राजकोष में जमा की गई है? तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि इसकी पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और माननीया मंत्री जी हमेशा स्पष्ट जवाब देती है और उनकी इसी बात के हम कायल हैं लेकिन जो एक ही अनुपूरक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया और उस पर सरकार द्वारा उत्तर नहीं आया है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अधिक खर्च होने पर पूरे 13 जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाती है। वेतन की कटौती का विवरण तो प्रत्येक जनपद से मंगाना होगा, जिसमें समय लग जाएगा। हम सदन में कोई गलत उत्तर नहीं देना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह भी आ सकता था कि सूचना एकत्र की जा रही है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अक्सर आया करता था। हम सदन में स्पष्ट उत्तर देना चाहते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह सही बात है कि उत्तर प्रदेश में कई प्रश्नों का उत्तर यह आता था कि सूचना एकत्र की जा रही है, लेकिन माननीया मंत्री जी ने इससे इतर यह कहा कि

हमारे पास सूचना नहीं है। यह एक अच्छी परम्परा है। मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि चूंकि यह सूचना ही इस प्रश्न की जान है। सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने की सरकार की मंशा है या नहीं और यदि मंशा है तो उसके अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं यह स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि अभी माननीया मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्र करने में समय लगेगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि यह सूचना आवश्यक है किन्तु इसके लिए प्रश्न स्थगित करना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में लिखित वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, प्रश्नों का जवाब अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है। इस उत्तर से पता चल रहा है कि वे इस सम्बन्ध में कितने सीरियस हैं, उनके द्वारा दो लफ्जों का उत्तर नहीं बनाया जा सका, जिसको माननीया मंत्री जी यहां पर पढ़ सकतीं।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शासन से यही उत्तर आया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि सूचना नहीं है, तो इस पर दो ही विकल्प बचते हैं। पहला, यह कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और दूसरा यह कि इस पर इसी सत्र में किसी और दिन विस्तृत चर्चा कर ली जाए। मान्यवर, उत्तर के तीसरे खण्ड में लिखा है–"नियंत्रण की व्यवस्था पहले से ही लागू है।" जब यह स्वीकार कर लिया गया है, तो सूचना एकत्र करने में क्या समय लगेगा। सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी है और हमारा 13 जनपदों का छोटा सा प्रदेश है। अब जब कि हमारा नया वित्तीय वर्ष प्रारम्भ हो गया है तब भी पिछले वित्तीय वर्ष की सूचना नहीं है। ऐसे में हम इस सरकार से क्या आशा कर सकते हैं। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि या तो इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय या किसी और दिन चर्चा करा ली जाए।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है इसे स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को मैं स्थगित कर रहा हूँ।

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में जमीनों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबन्ध की मांग

*1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल में धनाढ्य लोग बड़ी तादाद में जमीनें खरीद रहे हैं?

क्या सरकार जमीनों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबन्ध लगायेगी?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल में धनाढ्य लोग बड़ी तादाद में जमीनें खरीद रहे हैं, उत्तर आया जी नहीं। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस प्रदेश में बाहर के लोग जमीनें खरीद रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देव पीठ द्वारा जो जमीनें खरीदी जा रही हैं उसकी जानकारी है या नहीं? चार धामों में बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी जा रही हैं क्या सरकार इस पर रोक लगाने जा रही है या नहीं?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संबंधित सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य बनने से पूर्व उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं कि 9 नवम्बर, 1999 से 8 नवम्बर, 2000 तक देहरादून जनपद में जो विलेख प्रस्तुत किये उसमें 8348 हैं जिसमें उत्तरांचल प्रदेश के बाहर के लोगों द्वारा क्रय की गई भूमि के कुल 768 हैं जो 9.19 प्रतिशत बैठता है। 9 नवम्बर, 2000 से 8 नवम्बर, 2001 तक देहरादून जनपद में विक्रय अभिलेखों के अनुसार 15360 संख्या है, इसमें बाहरी व्यक्तियों की कुल संख्या 1251 है, यह 8.17 प्रतिशत बैठता है। इस तरह लगातार जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीद का प्रतिशत है वह वर्ष 2002 में 8.16 रह गया और इस वित्तीय वर्ष में 8.13 है इसलिए मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह की आशंका माननीय विधायक जी ने यहाँ व्यक्त की है वह बिल्कुल निर्मूल है। मैं उत्तरकाशी का उदाहरण देना चाहता हूं भटवाड़ी, डुण्डा ब्लाक में जमीनें खरीदी जा रही हैं, लेकिन धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा खरीदी जा रही है यह आंकलन करना सरकार के स्तर पर सम्भव नहीं है क्योंकि जो भी

भूमि खरीदी है वह सरकार के अधिनियम में, कानून में यह व्यवस्था नहीं है कि भूमि खरीदने वाले से तहसील कार्यालय में यह पूछा जाय कि वह धनाढ्य है या गरीब है।

मान्यवर, किसी भी विदेशी नागरिक द्वारा, शासन को बिना लिखित सूचना दिए, किसी भी भूमि को क्रय करने या बिक्री करने का अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिक को भूमि खरीदने या क्रय करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मेरा प्रश्न इसलिए भी गम्भीर है क्योंकि जनपद उत्तरकाशी सामरिक दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाहरी संस्थाओं द्वारा वहाँ बड़ी संख्या में जमीन खरीदी जा रही है। पिछले दिनों इस जनपद में माओवादियों और बंगलादेशियों द्वारा घुसपैठ की गई।

डॉ० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य को अवगत कराया जमी०वि० अधिनियम, 1950 की धारा 154(क) के तहत कोई भी विदेशी नागरिक सरकार की जानकारी के बिना न तो जमीन क्रय कर सकता है और न ही बेच सकता है। मान्यवर, उत्तरकाशी जनपद में इस तरह की कोई घटना हो रही हो इस तरह की जानकारी हमारे पास है नहीं। हाँ, पिथौरागढ़ जनपद के बारे में एक सम्मानित पत्रकार ने मुझे दूरभाष पर अवगत कराया था कि कुछ नेपाली परिवारों द्वारा पिथौरागढ़ में कुछ भूमि खरीदी गई है। इस सम्बन्ध में मैंने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से कहा कि इसकी जाँच करें। जाँच के माध्यम से जानकारी मिली कि दो व्यक्तियों ने इस तरह की भूमि का क्रय किया, लेकिन ये परिवार पिछले लगभग 35–40 सालों से वहीं पर मजदूरी कर रहे थे और वहीं उन्होंने रहना भी शुरू कर दिया था। भूमि उन्होंने जरूर खरीदी है लेकिन उस भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और रजिस्ट्री हो भी नहीं सकती। लेकिन आम जनता को यह भ्रम हो गया था। वह भ्रम जाँच के बाद दूर हो गया। माननीय विधायक जी का यह सवाल कि माओवादी या विदेशी लोग हमारे प्रदेश में भूमि को क्रय कर रहे हैं ऐसी बात सरकार के संज्ञान में नहीं है और न ही किसी विदेशी नागरिक ने इस तरह का कोई प्रार्थना–पत्र दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना यदि कहीं भी हो रही हो अवश्य बतायें सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जब हिमाचल अलग राज्य बना था तो उसके भाग्यविधाताओं ने अपना टेनेन्सी एवं लैण्ड कानून, 1972 बनाया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तरांचल में भी ऐसा कोई कानून बन रहा है? जिससे बाहरी व्यक्तियों की जमीन खरीद–फरोख्त पर प्रतिबन्ध लग सके।

डॉ० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में टेनेन्सी एक्ट, 1972 में बना था, परन्तु संविधान की धारा 371 के तहत भूमि के क्रय एवं विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां तक हिमाचल की तरह अपने प्रदेश में अलग कानून बनाने की

गया है, इस तरह का प्राविधान या नियमावली बनाने का प्रश्न है तो सरकार के स्तर पर अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी आतंकवादी अलार्म बजाकर नहीं आता है। जिस तरह से पिछले दिनों ऊधमसिंह नगर तथा रामनगर में आई0एस0आई0 के अड्डे पकड़े गये और बाहर वालों द्वारा जमीन खरीदी जा रही है, इससे प्रदेश को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मान्यवर, जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, क्या वह वहां रह भी रहे हैं? क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना है?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपका सवाल मूल प्रश्न से हटकर है। जहां तक भूमि क्रय–विक्रय का सवाल है। मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है। जब तक प्रदेश में कोई कानून न बना हो, तब तक आप देश के नागरिकों को भूमि खरीदने से नहीं रोक सकते हैं। देश में जो नियमावली बनी है, उसी के मुताबिक जमीन खरीदी जा रही है। इसके लिए डी0एम0, एस0डी0एम0, तहसीलदार का अपना कोर्ट होता है। प्रदेश के जनपदों में भी यही प्रक्रिया अपनायी जा रही है। मान्यवर, आप व्यक्तिगत रूप से इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते चिन्तित हैं, हम भी चिन्तित हैं कि स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन नियमों के तहत प्रदेश और देश की एकता अखण्डता को नजर में रखकर ही कायदे कानून बनाये जा सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा करना चाहिए।

उत्तरांचल की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने पर विचार

*2–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार उत्तरांचल की नदियों को एक दूसरे से जोड़कर किन्हीं दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक किन–किन योजनाओं पर विचार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि इस विषय पर विचार कर रही है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता था कि "क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार उत्तरांचल की नदियों को एक दूसरे से जोड़कर किन्हीं दीर्घकालिक

योजनाओं पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक किन–किन योजनाओं पर विचार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?" तो इसके जवाब में आया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि इस विषय पर विचार कर रही है? मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है कि क्या उत्तरांचल सरकार नदियों को जोड़ने पर विचार कर रही है? मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है कि भारत सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। मेरा यह पूछना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश दिये हैं कि पूरे प्रदेश में नदियों को जोड़कर सूखे की स्थिति को कम से कम किया जाये। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में कौन–कौन सी नदियों को जोड़ा जा सकता है? और उन्हें जोड़कर सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल, विद्युत, सिंचाई आदि की व्यवस्था ठीक की जाये। सरकार ने इसके लिए क्या किया है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नदियों को जोड़ने का प्रश्न उठाया, मैं इसी के संदर्भ में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत सरकार की ओर से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी और इस टास्क फोर्स कमेटी का गठन निम्न प्रकार से हुआ है। इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश प्रभु जी हैं जो कि लोक सभा सदस्य भी हैं। श्री सी०सी० पटेल इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में से एक सदस्य उस राज्य का होता है जिसमें जल की कमी है और एक सदस्य उस राज्य का होता है जिसमें जल की अधिकता है।

एक अर्थशास्त्री, एक समाजशास्त्री और एक विधिक वन निधि विशेषज्ञ इनको जोड़कर कमेटी का गठन होगा। मान्यवर, अभी तो इस पर विचार किया गया है और मैं समझता हूँ कि उत्तरांचल जो नदियों का उद्गम स्थल है, जो पूरे देश को जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम इसको ऊर्जा प्रदेश बनायेंगे। हमने इस पर कार्य करना प्रारम्भ किया है और आज जो माननीय सदस्य की चिन्ता है उस पर वहाँ जो टास्क फोर्स कार्य कर रही है इसके उद्देश्य इस प्रकार है :–

(1) आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों और पुनर्वास योजनाओं को तैयार करने के सम्बन्ध में प्रत्येक परियोजनाओं के मूल्यांकन मानकों पर दिशा–निर्देश मुहैया कराना।

(2) राज्यों के बीच त्वरित गति से सहमति बनाने के लिए उपयुक्त तरीके अपनाना।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अनुपूरक ले लीजिए।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष उत्तर से संतुष्ट हैं।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। मान्यवर, टास्क फोर्स बनाने की बात अभी माननीय मंत्री जी ने कही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 1972 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के०एल० राव ने सबसे पहले नदियों को जोड़ने का प्रयास किया था तथा 2640 किलो मीटर गंगा कावेरी लिंक नहर जोड़ने की योजना रखी थी। मान्यवर, आज 32 वर्ष हो गए हैं इन 32 वर्षों में यदि सरकार आश्वासन ही देगी तो कार्य नहीं चलेगा। मान्यवर, मेरा तो मूल प्रश्न है जो 2 प्रकार से नदियों को जोड़ने के लिए नेशनल वाटर डेवलपमेन्ट एजेन्सी द्वारा तैयार प्रोजेक्ट के दो भाग हैं। (1) हिमालयी नदियों को जोड़ना; (2) प्रायद्वीपीय या मैदानी नदियों को जोड़ना, और इसकी पूरी विवरणिका भी है, और इसमें सारी चीजें हैं। मेरा कहना है कि उत्तरांचल सरकार ने इस पर अभी तक क्या कार्य किया है? हमारी प्रदेश सरकार जिनके माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि यह ऊर्जा प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश है, तो इस ऊर्जा प्रदेश के क्षेत्र में क्या प्रगति हुयी है? मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 6 माह पहले पूरा प्रोजेक्ट बनाकर और एक इंजीनियर नियुक्त कराकर पूरे उत्तरांचल में एक नदी पिण्डर से ग्वालदम व नारायण–बगड़ के बीच से टनल बनाकर गाजियाबाद, खनसर जनपद चमोली में पावर हाउस बनाकर बिजली पैदा की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

त्रिपाठी जी कृपया प्रश्न करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बारे में अब तक क्या किया गया है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की भौगोलिक स्थिति क्या है, आज उत्तरांचल की परिस्थिति से माननीय सदस्य भी अवगत हैं। मान्यवर, 1972 से अब तक इस बीच विचार–विमर्श हुआ होगा, इस पर अध्ययन भी हुआ होगा और मैं मानता हूँ कि बीच में अध्ययन जरूर रुका है, और जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, मान्यवर, सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा, उसको सिंचाई उपलब्ध करायी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विद्युत की सुविधा दी जायेगी। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद पिछले एक वर्ष से हमने ऊर्जा के उत्पादन में उन्नति की है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसका सीधा–सीधा अर्थ यह है कि इस बारे में जो करेगी वह केन्द्र सरकार करेगी। हमें कुछ नहीं करना है। माननीय मंत्री जी ने बता भी दिया है कि जो टास्क फोर्स गठित होगी वह केन्द्र सरकार कर रही है। मान्यवर, टास्क फोर्स में एक तो आपको सदस्य नामित करना है और दूसरा टास्क फोर्स में जो काम होगा वह भारत सरकार की तरफ से होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? मान्यवर, अभी आने वाले समय

में जिस तरह से पानी बँटवारे को लेकर एक्ट में विवाद है उससे हम संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट में विवाद है। ऐसे ही टास्क फोर्स में होगा कि सारा पानी अन्य प्रदेशों के हित में ले लिया जायेगा और हम देखते रह जायेंगे। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि अपने यहाँ भी टास्क फोर्स गठित की जाय? जिससे हम केन्द्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं राष्ट्रीय जल संसाधन समिति का सदस्य हूँ और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में, इसकी हमने दो बैठकें की है जिसमें पूरे राष्ट्र में जल संवर्धन और उसकी उपयोगिता पर विचार हुआ है। आज कई राज्य ऐसे है जिनको आवश्यकता है उत्तरांचल से पेयजल की उनके बीच में विचार–विमर्श चल रहा है और जहाँ तक इस प्रदेश की पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता का प्रश्न है उस पर माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है निश्चित रूप से सरकार इसमें अहम भूमिका निभायेगी और प्रदेश में भी एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।

श्री विपिन त्रिपाठी–

मान्यवर, क्या सरकार पिण्डर नदी पर टनल बनाकर उससे गाजियाबाद खसार जनपद चमोली में पॉवर हाउस बनाकर बिजली उत्पादन करने पर विचार कर रही है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, टास्क फोर्स पूरे प्रदेश में जहाँ–जहाँ जो समिति विचार करेगी। सरकार की तरफ से कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो नदियों का मामला है। नदियों के आपस के जोड़–मेल केवल सिंचाई के उद्देश्य के लिए ही नहीं जहाँ ये नदियाँ मिलती है लाभकारी हो सकती है यहीं ये नदियाँ दूसरी ओर पहाड़ों, मान्यवर, ऊपर पहाड़ों पर जब नदियाँ मिलेंगी तो पानी भी भारी मात्रा में एकत्र होगा। इस पानी को एकत्रित करने के लिए बाँध बनाने होंगे। इस स्थिति में यदि बादल फटने की घटना हुई तो काफी सम्भावना होगी कि पानी का दबाव बढ़ने से कहीं वे बाँध ही न टूट जायें। ऐसे में ये नदियाँ हमारे प्रदेश को बहा ले जाएगी। क्या सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के समक्ष अपना विचार रखने जा रही है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि 1972 के बाद जिन समस्याओं पर विचार किया गया होगा, आज की टास्क फोर्स उन पर भी विचार करेगी।

राज्य निर्माण के पश्चात् राजधानी में जमीन की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण

*3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के पश्चात् राजधानी में जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गयी है?

यदि हाँ, तो सरकार जमीन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई कारगर कदम उठाने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया कि कीमतें नहीं बढ़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य बनने के बाद उत्तरांचल की राजधानी में जमीनों की कीमतों में कितनी गिरावट आई? माननीय मंत्री जी के कथनानुसार अगर कीमतें नहीं बढ़ी हैं तो गिरावट आई होगी तो कितनी गिरावट आई है? और यदि कीमतें स्थिर रही हैं तो कितने प्रतिशत स्थिर रही हैं?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिला स्तर पर निबंधक द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन करके उसका शुल्क निर्धारित किया जाता है। जहाँ तक सम्मानित सदस्य का प्रश्न है मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 01 नवम्बर, 2001 को राज्य निर्माण के पश्चात् नगरीय क्षेत्रों में 20 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत दरों में वृद्धि की गई है। इसके बाद कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार के स्तर पर जो रजिस्ट्रियाँ होती है, वह सर्किल रेट के हिसाब से होती हैं।

मान्यवर, जिला स्तर पर जो निबन्धक होते हैं वे सर्किल रेट को देखकर स्टाम्प ड्यूटी लगाकर जमीन को क्रय या विक्रय करते हैं तथा सरकार के स्तर पर इस उत्तर की कोई जानकारी नहीं है कि कीमतें बढ़ गई हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया कि 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रश्न के उत्तर में जो लिखित रूप में उसमें लिखा है "जी नहीं"। तो मान्यवर, इनमें तो विरोधाभास है।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने जो स्वीकारा है, वृद्धि के सम्बन्ध में, उसका सम्बन्ध माननीय सदस्य के प्रश्न से या उत्तरांचल राज्य निर्माण के बाद राजधानी बनने को लेकर नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि हर 2–3 वर्ष में सर्किल रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर "जी नहीं" था।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह प्रश्न हंसी मजाक का नहीं है बल्कि अत्यन्त गम्भीर है तथा महत्वपूर्ण है और प्रदेश के हित में है। जो रजिस्ट्री वैल्यूवेशन है वह कुछ और होती है और रेट कुछ

और होता है इनमें जो गैप है इनके अन्तर को कम करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान करेगी?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अब माननीय सदस्य ने प्रश्न को पूर्ण स्पष्ट किया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि यह प्रदेश के हित में है और गम्भीर तथा महत्वपूर्ण है मैं उससे सहमत हूँ। यह सरकार के लिए और पूरे सदन के लिए एक गंभीर प्रश्न है। जैसा माननीय सदस्य ने अवगत कराया है कि स्टाम्प रेट कुछ और दिखाया जाता है और उसे खरीदा या बेचा किसी और रेट पर जाता है इस तरह से जो स्टाम्पों की चोरी की जा रही है, यह निश्चित रूप से एक गम्भीर विषय है। मैंने अभी हाल ही में स्वयं देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर के रजिस्ट्रार कार्यालयों में निरीक्षण किया है और जो लोग जमीन को खरीद रहे थे या बेच रहे थे उनसे बात भी की। लेकिन मैं इन सबको देखने के बाद माननीय सदस्य को और माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई माननीय सदस्य या प्रदेश की जनता का कोई भी व्यक्ति सरकार के संज्ञान में इस तरह की चोरी को लायेगा तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्यवाही ऐसे दोषी व्यक्ति के खिलाफ की जायेगी जो कि स्टाम्प चोरी कर सरकार को तथा उसके राजस्व को घाटा पहुँचा रहा है, मेरे अनुसार यह एक गम्भीर अपराध है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि हर दो साल में सर्किल रेट के हिसाब से सरकार जमीनों के रेट में वृद्धि करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूँ, पहली यह कि सरकार अपने सर्किल रेटों में वृद्धि किस आधार पर करती है? और दूसरी यह कि स्टाम्प ड्यूटी की चोरी को रोकने के लिए क्या सरकार कोई परमानेन्ट व्यवस्था करेगी? आप कम से कम जिला मुख्यालयों पर तो इसको लागू कर ही सकते है, इस विषय में क्या सरकार विचार करेगी?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार के पास ऐसा कोई मानक नहीं है, जिसके आधार पर यह आकलन किया जा सके कि कौन सी जमीन कितने रुपये में बेची या खरीदी गयी। पिछले दो वर्षों में जो सबसे अधिक मूल्य की रजिस्ट्री हुई होती है, उसको आधार बना कर ही सर्किल रेट निर्धारित किया जाता है। माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रार राजस्व विभाग का हिस्सा नहीं है, यह फाइनेंस से जुड़ा है। चूंकि सवाल राजस्व विभाग से पूछा गया है इसलिए मैं आपको अपने स्तर पर अवगत कराना चाहता हूँ।

मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है वह वित्त मंत्री भी हैं हम सरकार के स्तर पर मुख्य सचिव के स्तर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कर चोरी रोकी जाय। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो प्रदेश हित में, जनहित में हो और व्यवहारिक हो।

जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में जल स्तर गिरने के कारण व नये नलकूपों की व्यवस्था

*4–डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर गिर जाने के कारण सिंचाई सम्बन्धी समस्या के निस्तारण हेतु क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये नलकूप लगवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में गत वर्षों तक इस प्रकार की समस्या नहीं थी। वर्ष 2002–2003 में अत्यधिक सूखे की स्थिति में भू–जल स्तर गिरने के कारण कुछ राजकीय नलकूपों में अतिरिक्त कालम, पाईप बढ़ाने की भविष्य में यदि आवश्यकता अनुभव की जाती है तो नये नलकूपों के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने खुद यह माना है कि भू–जल स्तर वर्ष 2002–2003 में गिरा है, उसके बाद उनका कहना है कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है यह सोचनीय प्रश्न है। मान्यवर, सूखे के कारण हमारे क्षेत्र में 100 फिट बोरिंग तक पानी नहीं आ पा रहा है जिससे किसान फसल नहीं बो पाया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितने सालों के सूखे के बाद यह योजना बनती है? दूसरा उत्तर प्रदेश शासन ने एक शासनादेश 1998 में जारी किया जिसके तहत मैदानी क्षेत्र में नये नलकूप निर्माण में रोक लग गई। क्या सरकार उत्तर प्रदेश के वर्ष 98 के शासनादेश को मान रही है? मान रही है तो क्या उसे निरस्त करने की कोई प्रक्रिया कर रही है? तीसरा यह कि एक नलकूप के लिए 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, क्या सरकार इसे 100 हेक्टेयर से 75 हेक्टेयर करने पर विचार कर रही है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह स्वयं माना है कि उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग ने एक आपत्ति यह दर्ज की है कि तराई क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण पर बैन लगाया है। माननीय सदस्य ने कहा कि इस वर्ष सूखे की स्थिति रही है। सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे अधिकारी आने वाले वर्ष में यह तय करेंगे कि कितने नलकूपों में अतिरिक्त कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, इस पर सरकार विचार कर रही है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे अधिकारी सूखे की स्थिति का जायजा लेने जायेंगे, जबकि वहाँ पर वाटर लेवल गिरा है। सूखा पड़ा था जुलाई, अगस्त में उस समय वाटर लेवल गिरा उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? कितने नलकूपों में कॉलम बढ़ाने की कार्यवाही की गई है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, उसका अध्ययन हुआ है कि कितने नलकूपों में कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता है। पानी कम बरसने के कारण वहाँ पर जल स्तर घटा है।

मान्यवर, वर्षा कम होने के कारण जल स्तर घटा है। वर्षा हो जाने पर जल स्तर बढ़ जायेगा। जल स्तर घटने बढ़ने का सम्बन्ध वर्षा से है।

श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, मैं तो यह जानना चाह रहा हूँ कि जो सन् 1998 का शासनादेश जो उत्तर प्रदेश का है और अभी तक उत्तरांचल में उसी शासनादेश को थोपा गया क्योंकि अगर यह शासनादेश वहाँ पर रहेगा तो कोई भी योजना नहीं बन पायेगी।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, अगर इस शासनादेश को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे निरस्त किया जायेगा।

श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इस शासनादेश की क्या बाध्यता है? इसे क्यों यहाँ पर भी लागू रखा गया है? मंत्री जी कहते हैं सूखा नहीं पड़ेगा।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, यह तो प्रकृति के हाथ की बात है इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जल स्तर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह प्रश्न सीधे–सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। कोई नगर विकास या नगरपालिका से सम्बन्धित बात तो है नहीं कि कमेटी बनाई जायेगी। यह प्रश्न ऐसा है जिसमें किसानों को नुकसान हो रहा है। इसमें तो 10–12 दिन के अन्दर कोई योजना बनाकर उस पर कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। इस तरह के कामों के लिए भी कमेटियाँ बनने लगी, तो हो गया काम।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, वास्तव में यह गम्भीर मामला है जल स्तर घटा है, नलकूपों में पानी नहीं है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्थिति के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की ताकि किसानों के खेत में पानी पहुँच सके उनको कोई नुकसान न हो?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, जो शासनादेश है उस पर विचार होना है कि इसे निरस्त किया जाए या नहीं।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत खानपुर एवं लक्सर के खादर दोआब क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण योजना

*5–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर एवं वि0ख0 लक्सर के खादर दोआब क्षेत्र में व्याप्त बाढ़ की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

कार्य प्रारम्भ की सम्भावना वित्तीय वर्ष 2003–04 में है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर एवं विकासखण्ड लक्सर के खादर दोआब क्षेत्र में बाढ़ की विषम समस्या है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कार्य योजना बनाई जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कार्य योजना बनाते समय उसके नियोजन तथा उसके दायित्वों को ध्यान में रखा गया है? साथ में मैं माननीय मंत्री जी से आलमपुर, हरजौली में ठोकरों के निर्माण तथा बाण गंगा पर तटबंध का निर्माण जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया है और सोनाली नदी पर 9 कि0मी0 लम्बे तटबंध का निर्माण हो जाने पर जो उत्तर प्रदेश से मिला है जन धन की हानि कम हो जाएगी और जो करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हो रहा है वह रुक जायेगा। तो क्या माननीय मंत्री जी ने इन सब बातों को संज्ञान में लिया है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर एवं लक्सर में बाढ़ समस्या के निदान के लिए 38.72 लाख रु0 की एक योजना बनायी है। मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, आप उस योजना की बात कर रहे हैं, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करवायी थी। इसके अलावा मैं नियोजन की बात कर रहा था। मान्यवर, मैं बी0ओ0–91 गन्ना प्रजाति के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि यह प्रजाति प्रतिबन्धित कर दी गयी है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न तीन मंत्रियों से सम्बन्धित है। बाढ़ की विभीषिका प्राकृतिक आपदा है, इस मद में केन्द्र सरकार जो धन स्वीकृत करती है, वह आपदा प्रबन्धन मंत्रालय से सम्बन्धित है।

जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि के कारण क्षति एव संवेदनशील गावों में भूस्खलन का सर्वेक्षण

*6–प्रकाश पन्त–

क्या आपदा एवं पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण जनपद पिथौरागढ़ के कितने गांवों में क्षति हुई है?

क्या सरकार अति संवेदनशील गावों को जिनमें भूस्खलन का खतरा बना हुआ है का सर्वेक्षण करा कर ग्रामवासियों को पुनर्वासित करने की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? तथा उक्त योजना कब तक लागू हो जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

62 ग्रामों में।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। उक्त दिशा निर्देशानुसार आपदा राहत कोष से दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों का अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है। अतः दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास आपदा राहत कोष से किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के दूसरे खण्ड के उत्तर में कहा है कि दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास आपदा राहत कोष से किया जाना सम्भव नहीं है। क्या सरकार ऐसे संवेदनशील और क्षतिग्रस्त गावों का सर्वेक्षण कराकर उनमें रहने वाले लोगों के पुनर्वास की सरकार कोई योजना बना रही है?

डॉ० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से 62 गांव प्रभावित हुए थे, जिनमें से 25 गांवों के 927 परिवारों का पुनर्वास किया जाना था, परन्तु जैसे माननीय सदस्य ने भी कहा है और मैं भी कहना चाहता हूँ कि इस मद में धन की कोई व्यवस्था नहीं है। आपदा प्रबन्धन पर भारत सरकार की गाईड लाईन्स लागू होती हैं, उसी के तहत हमें कार्य करना होता है। भारत सरकार की कोई पुनर्वास नीति इस सम्बन्ध में नहीं है। मान्यवर, हम भारत सरकार से इस सम्बन्ध में लगातार प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट भेजी है?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, रिपोर्ट भेजी है तथा इन 25 गांवों की रिपोर्ट भी भारत सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं।

मान्यवर, जैसे ही केन्द्र सरकार से सहयोग मिलेगा हम पीड़ितों का पुनर्वास करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में हज कमेटी एवं वक्फ बोर्ड की रूपरेखा की जानकारी

*7–श्री तसलीम अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में हज कमेटी एवं वक्फ बोर्ड के गठन का लगभग 1 वर्ष पूर्व आश्वासन दिया गया था?

यदि हाँ, तो गठित की गई हज कमेटी एवं वक्फ बोर्ड की रूपरेखा क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2003 के द्वारा हज एक्ट 2002 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप हज कमेटी में 13 सदस्य नामित किये गये हैं जो की अध्यक्ष का चुनाव करेंगे; अधिसूचना संख्या 1810/स0क0–02–36(कल्याण)/2002, दिनांक 31 अगस्त, 2002 के द्वारा उत्तरांचल वक्फ बोर्ड का गठन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में स्थित वक्फ सम्पत्तियों के बंटवारे के सम्बन्ध में दोनों राज्यों की सैद्धान्तिक सहमति हो गई है। इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों की ओर से भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्ताव भेज कर उनकी सहमति के उपरान्त दोनों राज्यों में पृथक बोर्डों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन सेन्ट्रल वक्फ एक्ट के तहत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने की योजना

*8–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने की कोई योजना है?

प्रदेश में अब तक कुल कितने परिवारों के दैवी आपदा से प्रभावित होने की सूचना है?

क्या सरकार इन परिवारों को पुनर्वासित करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 06 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

डॉ० हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रदेश में कुल 83 ग्रामों के परिवार दैवी आपदा से प्रभावित हैं।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आपदा राहत कोष की धनराशि व्यय की जाती है। उक्त दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों की अस्थाई आवासीय व्यवस्था आपदा राहत कोष से अनुमन्य है। अतः आपदा राहत कोष से दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में नये जिले तथा तहसीलों के गठन की योजना व प्रारूप

*9–श्री मदन कौशिक–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये जिले तथा तहसीलों के गठन की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो सरकार की कितने नये जिले तथा तहसील बनाने की योजना है?

उस योजना का प्रारूप क्या है?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली में भूमि कटाव के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव रोकने की योजना

*10–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में भूमि कटाव के दृष्टिकोण से कौन–कौन से क्षेत्र संवेदनशील हैं?

क्या सरकार इन संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद चमोली के भूमि कटाव के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों की सूची संलग्न "क" पर है।

सिंचाई विभाग द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए कुछ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और कुछ प्रस्तावित की गई हैं उनकी सूची संलग्न "ख" पर है।

[देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 241–242 पर]

स्थगित अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटे को पूरा करने की योजना

1–श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनायी जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में रिक्त पदों के सम्बन्ध में सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/जिलाधिकारियों से रिक्त पदों के सम्बन्ध में सूचनायें संकलित की जा रही हैं। कई विभागों द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचनायें उपलब्ध करायी गई हैं, तथा कई विभागों द्वारा सूचनायें अभी भी प्रतीक्षित हैं। सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु पुनः अनुस्मारक प्रेषित किया गया है।

विभागों से सूचनायें संकलित होने पर आरक्षण कोटे को पूरा करने हेतु योजना तैयार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

प्रथम गुरूवार के अतारांकित 77 में स्थानान्तरित।

पेट्रोल पम्पों में मिलावट एवं कम माप को रोकने की माँग

2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पेट्रोल पम्पों में मिट्टी तेल की मिलावट की शिकायतें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही हैं?

क्या यह भी सत्य है कि पेट्रोल एवं डीजल में कम माप की भी शिकायतें मिली हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मिलावट एवं कम मापतोल को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तरांचल के 13 जनपदों में से 02 जनपदों हरिद्वार, रूद्रप्रयाग में पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनपद हरिद्वार में कुल 9 डीजल एवं पेट्रोल पम्पों के नमूने प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा को परीक्षण हेतु भेजे गये हैं। रूद्रप्रयाग जनपद में शिकायत पर मै0 अलकनन्दा ऑटोमोबाइल्स रूद्रप्रयाग के डीजल एवं पेट्रोल के नमूने परीक्षण हेतु भेजे गये हैं। पेट्रोल एवं डीजल में कम माप की शिकायतों के विरुद्ध विधिक एवं माप विज्ञान द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है एवं कुल 61 मामले पकड़े गये। मिलावट एवं कम मापतोल को रोकने के लिए समय–समय पर पेट्रोल पम्पों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवार के सदस्यों को परियोजना में रोजगार

3–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे विगत दिनों में टिहरी बांध परियोजना में बांध विस्थापितों व प्रभावित (आंशिक व पूर्ण) परिवारों के कुल कितने सदस्यों को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन में रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

टिहरी बांध विस्थापित/प्रभावित (आंशिक व पूर्ण) परिवारों के 662 बेरोजगार व्यक्तियों को सेवा में लिया गया है।

जनपद अल्मोड़ा के सिंचाई विभाग में रिक्त सहायक एवं अवर अभियन्ताओं के पदों पर तैनाती

4–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर अभियन्ताओं की तैनाती करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वर्तमान समय में जनपद अल्मोड़ा में सहायक अभियन्ता के 04 पद एवं अवर अभियन्ता के 31 पद रिक्त हैं।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य कार्मिकों के विभाजन के पश्चात् इस पर विचार किया जायेगा।

आपदा प्रबन्धन मद से आवंटित धनराशि का ब्योरा एवं अवशेष राशि

5–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा प्रबन्धन मद से अब तक उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में कुल कितनी धनराशि किन–किन मदों में आवंटित की गई है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अवशेष धनराशि का उपयोग कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

आपदा प्रबन्धन मद से अब तक उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में कुल रू0 26.19 करोड़ की धनराशि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, पेयजल मदों में तथा शीतलहरी, कृषि फसल क्षति तथा विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु आवंटित की गई हैं।

जी हॉं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1978–79 में ग्राम खनुली (अल्मोड़ा) में बनाई पम्पिंग योजना

8–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1978–79 में ग्राम सभा खनुली विकास खण्ड चौखुटिया, जनपद अल्मोड़ा सिंचाई हेतु विभाग द्वारा कोई पम्पिंग योजना बनायी गयी थी?

यदि हॉं, तो क्या उक्त योजना चालू हालत में है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे चालू करने पर विचार कर रही है? यदि हॉं, तो कब तक?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हॉं।

योजना चालू हालत में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा क्षेत्र चौखुटिया में रामगंगा बांयी नहर पर लिफ्ट सिंचाई योजना

7–श्री बिपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत चौखुटिया विकास खण्ड में रामगंगा बांयी नहर से ग्राम सभा खुनली हेतु बाजर नामक स्थान पर एक लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक योजना स्वीकृत हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

इस स्थान पर कोई लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रथम, योजना का अनुमोदन जिला योजना व अनुश्रवण समिति से होना होगा।

घनसाली (टिहरी) में भूकम्प से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत तथा निर्माण का प्रस्ताव

8–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड घनसाली में कितने प्राथमिक विद्यालय, जू0 हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इण्टरमीडिएट कॉलेज भवन 28 मार्च, 1999 को आये विनाशकारी भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए हैं?

क्या इनके मरम्मत/निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक मरम्मत/निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 28 मार्च, 1999 को आये विनाशकारी भूकम्प से विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत 40 प्राथमिक विद्यालय आंशिक रूप से 15 विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं। उक्त के अतिरिक्त 5 जूनियर हाई स्कूल तथा 6 इण्टरमीडिएट कालेज भी क्षतिग्रस्त हुए।

जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यों हेतु रु0 8.94 करोड़ की धनराशि वर्ष 2002–03 में आवंटित कर दी गई।

जनपद टिहरी के थाति बूढ़ाकेदार, कोटी, अगुण्डा में धर्मगंगा व बालगंगा नदी से हो रहे भूमि कटाव रोकने हेतु योजना

9–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के त[illegible]ील घनसाली के ग्राम थाति बूढ़ाकेदार, कोटी, अगुण्डा में धर्मगंगा व बालगंगा नदी से [illegible] रहे भूमि कटाव को रोकने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ, वर्तमान में ग्राम थाति बूढ़ाकेदार हेतु योजना विचाराधीन है।

इस योजना के अन्तर्गत 2.75 मी0 ऊँची दीवार बनाकर उसके सामने सीमेन्ट कन्करीट ब्लाक डाले जाने की योजना है।

टिहरी में घनसाली के थमियाला/पिलखी क्षेत्र में 1996 से अब तक गवर्नमेन्ट ग्राण्ट के अन्तर्गत आवंटित भूमि

10–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के पटवारी क्षेत्र थमियाला व पटवारी क्षेत्र पिलखी में 1996 से अब तक कितनी भूमि गवर्नमेन्ट ग्राण्ट के अन्तर्गत आवंटित की गयी है तथा इन आवंटनों की संख्या पटवारी क्षेत्र थमियाला व पिलखी में कितनी–कितनी है?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

तहसील घनसाली के पटवारी क्षेत्र थमियाला में वर्ष 1996 से अब तक कुल 0.039 है0 भूमि गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट के अन्तर्गत आवंटित की गयी है। पटवारी क्षेत्र थमियाला में आवंटनों की संख्या 3 है एवं पटवारी क्षेत्र पिलखी में शून्य है।

अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में रामगंगा दाँयी नहर पर लिफ्ट सिंचाई योजना

11–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया विकास खण्ड में रामगंगा दाँयी नहर के कनार नामक स्थान से आदिग्राम कन्होणियां में सिंचाई हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक योजना स्वीकृत हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्व संग्रह अमीन/संग्रह चपरासियों के पदों की संख्या तथा नियमितीकरण

12–श्री प्रकाश पन्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में राजस्व संग्रह अमीन तथा संग्रह चपरासियों के पदनाम से विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं?

यदि हाँ, तो इनकी संख्या कितनी है तथा कितने वर्षों से कार्यरत हैं?

इनकी सेवा शर्तें क्या हैं?

क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

राजस्व सीजनल संग्रह अमीन तथा सीजनल संग्रह चपरासियों के पदनाम से विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं।

इनकी कुल संख्या 594 है। वर्ष 1989 के बाद से कार्यरत हैं।

समय-समय पर विविध देयों की माँग की वसूली के लिए छः-छः माह की अवधि के लिए आयुक्तों द्वारा पद सृजित करने पर इनकी तैनाती जनपदों में की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पद सृजित न होने के कारण नियमित किया जाना सम्भव नहीं है।

तहसील घनसाली क्षेत्र के ग्रामों में भूस्खलन से उत्पन्न खतरे की रोकथाम

13–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के अन्तर्गत ग्राम कोटी, अगुण्डा, तितरूणा, पिन्सवाड़ मेड़, निवालगांव, गटवाड़ी, आगर, रगस्या, कोट थाति बिशन, उखाणा, बौंला, मैन्डगॉव पट्टी थाति कठूड़ तथा अन्य ग्रामों को भूस्खलन से खतरा है। यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के अन्तर्गत ग्राम कोटी, अगुण्डा, तितरूणा, पिन्सवाड़, मेड़, निवालगाँव, गटवाड़ी, आगर रगस्या एवं कोटि थाति आदि ग्रामों में भूस्खलन से खतरे से बचाव हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं।

टिहरी के बूढ़ाकेदार में दैवीय आपदा से हुई पशु क्षति का मुआवजा

14–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री की जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में विगत 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से दबे मृत पशुओं के राहत राशि का वितरण हो चुका है?

यदि हाँ, तो कितने प्रभावित परिवारों को भुगतान कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

44 प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के रूप में रु0 1,48,950/– की धनराशि का वितरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी में बूढ़ाकेदार क्षेत्र के बालगंगा क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की मरम्मत की कार्ययोजना

15–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से सम्पूर्ण बालगंगा क्षेत्र में कितनी कृषि योग्य भूमि नष्ट व क्षतिग्रस्त हुई है?

क्या क्षतिग्रस्त खेतों के सुधार व मरम्मत हेतु सरकार कोई कार्ययोजना बना रही है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक लागू हो जावेगी,

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को हुई दैवी आपदा से सम्पूर्ण बाल गंगा क्षेत्र में 153.142 हे0 कृषि योग्य भूमि क्षतिग्रस्त हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। उक्त दिशा निर्देशानुसार क्षतिग्रस्त खेतों के सुधार व मरम्मत कार्य हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य न होने के फलस्वरूप कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है।

राज्य में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि एवं लाभान्वित परिवारों की जानकारी

16–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में अभी तक कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं तथा प्रदेश में किस–किस जनपद में कितने–कितने परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक भाग है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, अन्नपूर्णा योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाएं सम्मिलित हैं, में रु0 405.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें से रु0 74.50 लाख पारिवारिक लाभ योजना के तहत जनपदों को आवंटित की गई है। जनपदवार लाभार्थियों की सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कालाढूंगी (नैनीताल) को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने पर विचार

17–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल की पुरानी सब–तहसील कालाढूंगी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिसीमन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्देश दिये गये है कि परिसीमन के दौरान प्रशासनिक इकाईयों में परिवर्तन न किया जाये।

जनपद टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में ग्राम थांजी की सिंचाई योजना

18–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़व. के विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम थांजी के लिए सिंचाई की कोई योजना (थांजी नहर) स्वीकृत हुई थी?

यदि हाँ, तो क्या यह योजना इस समय कार्य कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

यह योजना इस समय कार्य नहीं कर रही है।

इस नहर का कार्य 1983–1984 से प्रारम्भ हुआ था और वर्ष 1997–98 तक 5 कि०मी० नहर व एक कि०मी० गूल का निर्माण किया गया। योजना में निर्माण कार्य त्रुटि पूर्ण हुआ था, जिसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है। वर्तमान में नहर क्षतिग्रस्त है।

टिहरी गढ़वाल के ग्राम क्रोन्ती–किरेथ में सिंचाई हेतु स्वीकृत सिंचाई नहर के निर्माण कार्य की प्रगति

19–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम क्रोन्ती–किरेथ में सिंचाई हेतु कोई सिंचाई नहर स्वीकृत हुई थी?

यदि हाँ, तो क्या क्रोन्ती किरेथ सिंचाई नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

जी नहीं, पूर्ण नहीं किया गया।

1.5 कि०मी० पानी चलने की स्थिति के बावजूद भी काश्तकारों द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकी। वर्तमान में शीर्ष पर पानी अत्यन्त कम हो गया है एवं नहर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। अतः नहर को निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद टिहरी में वर्ष 2002 से अब तक लाभान्वित विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या

20–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2002 से अब तक कितने आवेदकों को विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई है?

गत वर्ष 2001 में कितने लोग इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं?

क्या उक्त पेंशन नियमित रूप से प्रतिमाह वितरित की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद टिहरी गढ़वाल में लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2002–03 में फरवरी, 2003 तक 3906 विधवाओं एवं 5504 वृद्धों को पेंशन वितरित की गई।

गत वर्ष 2001 में 5200 विधवायें एवं 8910 वृद्ध लाभान्वित हुये हैं।

जी नहीं।

क्योंकि विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान त्रैमासिक किया जाता है।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में डीह से दोणी–अखोड़ी सिंचाई नहर का निर्माण

21–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में ग्यारह गांव हिन्दाव व नैलचामी के काश्तकारों के खेतों की सिंचाई हेतु डीह से दोणी–अखोड़ी सिंचाई नहर निर्माण की कोई योजना स्वीकृत हुई थी?

यदि हाँ, तो उक्त सिंचाई नहर का निर्माण लम्बित होने का क्या कारण है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

योजना स्वीकृत नहीं है।

टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में स्वीकृत हाईड्रम सिंचाई योजना

22–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम थाति (बूढ़ाकेदार) में धर्मगंगा नदी से धोरदी हाईड्रम सिंचाई योजना, बालगंगा नदी पर ग्राम चानी में चुरेला हाईड्रम सिंचाई योजना एवं विकास खण्ड जाखनी धार के ग्राम पिपोला में भिलंगना नदी पर पिपोला हाईड्रम सिंचाई योजना स्वीकृत हुई थी?

यदि हाँ, तो क्या उक्त योजनाएं वर्तमान में कार्य कर रही हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वर्ष 1977–78 में धोरदी की थाति योजना के नाम से स्वीकृत है, जिसमें तीनों योजनाएं सम्मिलित हैं।

जी नहीं।

योजनाएं सड़क निर्माण व बाढ़ से पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण नहीं चल रही हैं।

पिथौरागढ़ में दैवीय आपदा एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों हेतु आवंटित धनराशि

23–श्री नारायण राम आर्य–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में हुए दैवीय आपदा एवं अतिवृष्टि के कारण जो सड़कें टूटी हैं उनके लिए धन की मांग के लिए

आगमन जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है?

यदि हाँ, तो कितना?

यदि नहीं तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

रु0 36.36 लाख।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के आरक्षित क्षेत्र गंगोलीहाट में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की मांग

24–श्री नारायण राम आर्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत है कि आरक्षित क्षेत्र गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ़ में आश्रम पद्धति विद्यालय की मांग जनता बहुत समय से करती आ रही है?

क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय खोले जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ में आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने हेतु शासन में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि जनपद पिथौरागढ़ में तीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग द्वारा पूर्व से ही संचालित किए जा रहे हैं।

टिहरी गढ़वाल में राजस्व विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति

25–श्री श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में राजस्व विभाग के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं?

क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल में राजस्व विभाग के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के 18 पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 46 पद रिक्त हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा नियुक्ति में रोक लगाई गई है।

प्रदेश एवं टिहरी में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न स्रोतों से आवंटित धनराशि

26–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में कितने गैर सरकारी संगठन पंजीकृत हैं?

इनमें से कितनी स्वयं सेवी संस्थाएं आज तक कार्यरत हैं?

क्या सरकार बतायेगी जनपद टिहरी में अभी तक कितने गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं तथा अब तक उन्हें कितनी धनराशि विभिन्न स्रोतों से किन–किन कार्यों हेतु आवंटित की जा चुकी है?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उत्तरांचल प्रदेश में 44 गैर सरकारी संगठन पंजीकृत हैं।

विभाग में पंजीकृत सभी स्वयं सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

जनपद टिहरी में समाज कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत 3 गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं तथा अब तक उन्हें विभाग द्वारा या किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि आवंटित न होने की सूचना जनपद से प्राप्त हुई है।

जनपद रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों, स्कूलों एवं सरकारी भवनों के लिए अलग से बजट व्यवस्था

27–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में सन् 1998 एवं 2001 में आये विनाशकारी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों, स्कूलों एवं सरकारी भवनों के निर्माण कार्य के लिए सरकार द्वारा अलग से बजट की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

समय–समय पर दैवीय आपदा राहत निधि से धनराशि आवंटित की गई थी। वर्षवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

1–वर्ष 1999–2000 में रु0 1242.88 लाख

2–वर्ष 2000–2001 में रु0 20.00 लाख

3–वर्ष 2001–2002 में रु0 50.00 लाख

4–वर्ष 2002–2003 में रु0 30.00 लाख

उपरोक्त आवंटित धनराशि से यथा आवश्यकतानुसार धनराशि जिलाधिकारी द्वारा लो0नि0वि0 तथा शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है।

पिथौरागढ़ के सौगांव नहर के हैड में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत

28–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सौगांव नहर के हैड में दीवार टूट जाने से सिंचाई नहीं हो पा रही है? क्या सरकार दीवार हेतु धन स्वीकृत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

धन अवमुक्त कर दिया गया है और कार्य सम्पन्न हो गया है, तथा नहर टेल तक चला दी गयी है।

जनपद पिथौरागढ़ के गिनी गांव के अन्य स्रोतों से नहर निकालने की योजना

29–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की गिनी नहर वर्ष 1995 में भूस्खलन से पूरी टूट गयी है?

क्या सरकार की गिनी गांव के अन्य स्रोत से नहर निकालने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक इस योजना पर कार्य आरम्भ हो जायेगा?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

नैनीताल के ग्राम कालाढूंगी खाम में भूमि कब्जेदारों को मालिकाना हक दिलवाना

30–डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम कालाढूंगी खाम, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल में 1947 से पूर्व के भूमि कब्जेदार जिनकी संख्या लगभग 175 है तथा 1947 के पश्चात कब्जेदारों की संख्या लगभग 49 है को भूमि का मालिकाना हक देने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हॉं, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

ग्राम कालाढूंगी खाम, उप तहसील कालाढूंगी में वर्ष 1947 से पूर्व के 175 कब्जेदारों को उत्तर प्रदेश विलेज आबादी एक्ट संख्या 3, वर्ष 1948 की धारा 3 के अन्तर्गत आबादी से सम्बन्धित भूमि पर स्वतः ही स्वामित्व प्राप्त हो गया है। वर्ष 1947 के बाद के 49 कब्जेदारों में से ऐसे कब्जेदार जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा निर्बल वर्ग के हों उनके आवासीय प्रयोजन के अवैध कब्जों को रु0 250/– प्रति वर्ग गज की दर का 50% के अनुसार नजराना लेकर मालिकाना हक प्रदान किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली को पूर्ण जिले का दर्जा

31–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील को जिला बनाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है?

यदि हॉं, तो कब तक घनसाली तहसील को पूर्ण जिला का दर्जा दे दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिसीमन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्देश दिये गये है कि परिसीमन के दौरान प्रशासनिक इकाईयों में परिवर्तन न किया जाये।

टिहरी के घनसाली क्षेत्र में 1999 के भूकम्प प्रभावित परिवारों को आवंटित राहत धनराशि

32–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1999 में आये भूकम्प के दौरान घनसाली विधान सभा क्षेत्र के श्रेणी 1, 2, 3 में प्रभावित

कितने परिवारों को राहत राशि आवंटित की गई है? क्या श्रेणी 1, 2, 3 के समस्त परिवारों को राहत राशि आवंटित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी राहत राशि उक्त श्रेणी से प्रभावित परिवारों को आवंटित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

वर्ष 1999 में जनपद टिहरी गढ़वाल में भूकम्प से प्रभावितों में गृह अनुदान वितरण हेतु रु० 1.00 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को आवंटित की गई है। जिसमें से घनसाली विधान सभा क्षेत्र के भूकम्प प्रभावितों में रु० 50.00 लाख की धनराशि का वितरण गतिमान है।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दैवीय आपदा से प्रभावित गांवों के पुनर्वास की योजना

33–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में दैवीय आपदा से क्षेत्र के कौन–कौन से गांव प्रभावित होने की सूचना है तथा इनमें पुनर्वास की योजना कब तक पूरी हो जायेगी?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में दैवी आपदा से कतिपय ग्राम प्रभावित हुये हैं।

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। आपदा राहत कोष से अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है। अतः आपदा राहत कोष से स्थायी पुनर्वास हेतु धनराशि अनुमन्य न होने के फलस्वरूप कोई योजना नहीं बनाई गई है।

घनसाली विधान सभा क्षेत्र में भूकम्प प्रभावित गृह स्वामियों को गृह अनुदान वितरण की जानकारी

34–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1999 में आये भूकम्प के दौरान घनसाली विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने भवनों को गृह अनुदान राशि की भिन्न–भिन्न श्रेणियों में रखा गया था?

यदि हाँ, तो क्या वर्णित भवन स्वामियों को गृह अनुदान वितरण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1999 में आये भूकम्प के दौरान विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत कुल 19,879 भवनों को गृह अनुदान हेतु जी–1 से जी–5 तक की श्रेणियों में रखा गया था।

विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत क्षति की श्रेणी जी–4 के 1146 तथा जी–5 के 253 क्षतिग्रस्त भवनों के भवन स्वामियों को गृह अनुदान मद में रु० 1,77,73,500/– की धनराशि का वितरण किया जा चुका है। अवशेष प्रभावितों में गृह अनुदान वितरण की कार्यवाही गतिमान है।

टिहरी के घनसाली क्षेत्र में दैवीय आपदा से प्रभावित गांवों के पुनर्वास की योजना

35–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवीय आपदा से प्रभावित घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने गांवों को पुनर्वास हेतु चुना गया है? उक्त गांवों के पुनर्वास हेतु सरकार क्या योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा राहत कोष से अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है। अतः दैवी आपदा से प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के अन्तर्गत बासर नहर को अविलम्ब ठीक कराने की मांग

36–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बासर नहर से कितना भूभाग सिंचित हो रहा है?

विगत वर्षों में दैवीय आपदा से नहर को कितनी क्षति हुई है?

क्या सरकार उक्त नहर को अविलम्ब ठीक करवाने व समय पर सिंचाई हेतु पानी देने के लिये प्रयास करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

बासर नहर की सिंचित क्षमता निम्नानुसार है।

खरीफ – 90.13 हेक्टेयर

रबी – 12.628 हेक्टेयर

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत में रु० 24.70 लाख व्यय होंगे।

नहर की मरम्मत हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद टिहरी में विगत/वर्तमान वर्ष में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का विवरण

37—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विगत वर्ष कुल कितने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा वर्तमान समय में कितने छात्रों को उक्त जनपद में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है?

श्री राम प्रसाद टम्टा—

जनपद टिहरी गढ़वाल में विगत वर्ष 24018 अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा इस वित्तीय वर्ष में माह फरवरी, 2003 तक 18790 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है।

विकासखण्ड कीर्तिनगर में रानीघर नहर से रानीहाट गांवों के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था

38—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रानीघर नहर से रानीहाट गांवों के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कृषकों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुये अविलम्ब सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

वर्तमान में रानीहाट गांव के कृषकों को सिंचाई हेतु इस नहर से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

यह नहर 6.00 कि०मी० लम्बी है, एवं रानीहाट गांव नहर के टेल पर स्थित है, दुंदसिर गाड में पानी की उपलब्धता कम हो जाने के कारण नहर के टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता है। देवली गांव जो कि कि०मी० 0.5 पर स्थित है, तक ही पानी जा पाता है।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दैवीय आपदा से प्रभावित गांवों के पुनर्वास की योजना

39—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत 10 अगस्त, 2002 को दैवीय आपदा से ग्राम पंचायत तिनगढ़ के गांव अगुन्डा, कोटी, कोट व गेंवली, भरवाड़ी में भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा जन और पशुधन की हानि भी हुई है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त गांवों के पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक सरकार उक्त गांवों का पुनर्वास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दिनांक 10/11 अगस्त, 2002 को बादल फटने के कारण ग्राम पंचायत तिनगढ़ के गांव अगुण्डा, कोटी, कोट व गेंद, भटवाड़ी में 151 भवन पूर्ण व 38 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा 72 पशुओं की मृत्यु हुई है।

प्रभावित ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया गया तथा भूवैज्ञानिक द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुझाये गये सुझावों के अनुसार सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया है।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दैवीय आपदा एवं भू–स्खलन की दृष्टि से संवेदनशील ग्रामों की सुरक्षा की योजना

40–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड भिलंगना के ग्राम अगुण्डा, कोटी, कोट, गेंद, भटवाड़ी, निवालगांव, बूढ़ाकेदार में वर्ष 2002 में, दैवीय आपदा से प्रभावित तथा वर्तमान में भू–स्खलन की दृष्टि से संवेदनशील हैं?

यदि हाँ, तो उक्त गाँवों में सुरक्षा एवं बचाव के लिए क्या कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के ग्राम अगुण्डा, कोटी, कोट, गेंद, भटवाड़ी, निवालगांव एवं बूढ़ाकेदार वर्ष 2002 में दैवीय आपदा से प्रभावित हुये थे।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आपदा राहत कोष की धनराशि व्यय की जाती है। उक्त दिशानिर्देशानुसार आपदा राहत कोष से सुरक्षात्मक कार्य सम्भव न होने के कारण कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के ग्राम धार गाँव (नैलचामी) के सम्भावित भू–स्खलन की रोकथाम

41–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम धार गाँव (नैलचामी) में भू–स्खलन होने का खतरा है?

यदि हाँ, तो सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आपदा राहत कोष की धनराशि व्यय की जाती है। आपदा राहत कोष से भू–स्खलन की रोकथाम हेतु धनराशि व्यय किया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी में 1999 के भूकम्प से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवनों के नव निर्माण की योजना

42–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1999 के विनाशकारी भूकम्प से जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल में कितने राजकीय इन्टर कालेज, रा0उ0मा0वि0 तथा कितने जू0हा0 स्कूल एवं बेसिक पाठशाला भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं?

क्या सरकार द्वारा इन क्षतिग्रस्त भवनों के नवनिर्माण हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य हेतु जनपद रुद्रप्रयाग को रु0 3.00 करोड़, जनपद चमोली को रु0 4.11 करोड़ एवं जनपद टिहरी गढ़वाल को रु0 6.94 करोड़ की धनराशि वर्ष 2002–03 में आपदा राहत कोष से आवंटित कर दी गई है।

जी नहीं।

हरिद्वार के "नारसन कलाँ" में चकबन्दी प्रक्रिया

43–काजी निजामुद्दीन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ब्लाक नारसन स्थित ग्राम "नारसन कलाँ" में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है?

यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद टिहरी में 2002 में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई राहत

44–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 में जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवीय आपदा, बाढ़, भू–स्खलन से कितने कृषकों के मकानों एवं भूमि का नुकसान हुआ है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त आपदाओं से जनपद का कौन सा विकास खण्ड अधिक प्रभावित हुआ, सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को अब तक क्या–क्या राहत प्रदान की गई है?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

वर्ष 2002 में जनपद टिहरी गढ़वाल में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से 146 आवासीय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये व 151 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं, तथा 153.142 हेक्टेयर

भूमि क्षतिग्रस्त हुई है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जिसमें 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 38 मकान पूर्णरूप से ध्वस्त हुये। प्रभावित परिवारों को निम्नानुसार राहत सहायता वितरित की गई है :–

1–अनुग्रह अनुदान – 29.00 लाख

2–मा० प्रधानमंत्री राहत कोष – 14.40 लाख

3–गृह निर्माण अनुदान – 17.68 लाख

4–अहेतुक सहायता – 2.28 लाख

5–फसल क्षति – 3.07 लाख

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत की जानकारी

45–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में वर्ष 2002 को दैवीय आपदा से सार्वजनिक सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ?

क्या उक्त विकास खण्ड की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत हेतु सरकार ने अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की है तथा मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में वर्ष 2002 में दैवीय आपदा से सार्वजनिक सम्पत्तियों को रू० 674.75 लाख की क्षति हुई है।

उक्त विकास खण्ड में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के मरम्मत कार्य हेतु कुल रू० 270.46 लाख की धनराशि आवंटित कर दी गई है।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में बाल गंगा व धर्म गंगा नदियों से हो रहे भूमि कटाव को रोकने हेतु तटबंध बनाने की मांग

46–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा व धर्म नदियों के कारण प्रतिवर्ष कितनी भूमि का कटाव हो रहा है?

क्या सरकार जनहित में उक्त नदी पर तटबंध बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो उक्त नदी पर तटबंध बनाये जाने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

टिहरी के बूढ़ाकेदार के गाँव थाति में धर्मगंगा/बालगंगा नदी से हो रहे कटाव एवं भूस्खलन को रोकने की योजना

47–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री बूढ़ाकेदारनाथ मन्दिर के गांव थाति में दोनों ओर धर्मगंगा व बाल गंगा नदी से हो रहे कटाव एवं भूस्खलन को रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस योजना का स्वरूप क्या है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

भू–कटाव को रोकने के लिये एक योजना जिसकी लागत रू0 77.00 लाख है तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित है।

योजना में धर्मगंगा नदी पर 450 मी0 लम्बाई में दीवार एवं उसके आगे दो कतारों में 1.5x1.5x1.00 मी0 साईज के ब्लाक डाले जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार का प्राविधान बाल गंगा नदी पर 250 मी0 लम्बाई में किया गया है।

जिला चमोली के जोशीमठ महाविद्यालय हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही

48–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला चमोली के जोशीमठ महाविद्यालय हेतु सिंचाई विभाग की जोशीमठ स्थित भूमि महाविद्यालय जोशीमठ के नाम हस्तान्तरित कर दी गई है,

यदि नहीं, तो हस्तान्तरण की कार्यवाही किस स्तर से लम्बित है? और कब तक हस्तान्तरित कर दी जायेगी?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ। जिला चमोली के जोशीमठ महाविद्यालय के नाम सिंचाई विभाग की जोशीमठ स्थित भूमि हस्तान्तरित करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र की नहरों के रख रखाव हेतु आवंटित धनराशि एवं मरम्मत की जानकारी

49–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना की नहरों के रख रखाव व मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग द्वितीय खंड, नरेन्द्रनगर द्वारा किन–किन नहरों कितनी–कितनी धनराशि इस वर्ष आवंटित की गई तथा अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

क्या भिलंगना क्षेत्र की सभी नहरों की मरम्मत की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

सूचना संलग्नक–1 में है।

जी नहीं।

दिनांक 10–8–2002 को बादल फटने से भिलंगना विकास खण्ड की सिंचाई नहरों की व्यापक क्षति हुई है। जिसकी मरम्मत हेतु रु० 179.17 लाख का आंकलन किया गया है। उक्त नहरों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 243–244 पर)

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में उखन्द्रा नहर योजना पर चल रहे मरम्मत कार्य की जानकारी

50–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में उखन्द्रा नहर योजना पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मरम्मत का कार्य चल रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत विभागीय सीमित वित्तीय संसाधनों से ही की जाती है। धन की उपलब्धता के दृष्टिगत नहर मरम्मत हेतु यथा सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

टिहरी के भिलंगना क्षेत्र की बासर नहर की मरम्मत की मांग

51–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना बासर नहर सिंचाई योजना कब बनाई गई थी? तथा इस नहर सिंचाई नहर से कुल कितने कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलती है?

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उक्त नहर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नहर की मरम्मत की आवश्यकता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस नहर पर मरम्मत कार्य करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

बासर नहर का निर्माण वर्ष 1962–63 में किया गया था। इस नहर से सिंचित कृषि क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

खरीफ – 99.133 हेक्टेयर

रबी – 12.628 हेक्टेयर

जी हाँ।

क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत विभागीय सीमित वित्तीय संसाधनों से ही की जाती है। नहर मरम्मत हेतु यथासम्भव प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में धनाभाव के कारण अपूर्ण क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों/हाईड्रम के कार्यों की मरम्मत हेतु योजना

52–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अधिकांश क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरें एवं हाईड्रम योजनाएं धनाभाव के कारण अपूर्ण हैं?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश सरकार इन क्षतिग्रस्त नहरों एवं हाईड्रम योजनाओं की मरम्मत के लिये कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नहरों के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। क्षतिग्रस्त नहरों व हाईड्रमों की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 2003–2004 में यथासम्भव बजट का प्राविधान प्रस्तावित है।

टिहरी के भिलंगना में कुण्डारा नहर सिंचाई योजना

53–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कुण्डारा नहर सिंचाई योजना पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार अविलम्ब मरम्मत का कार्य करा कर काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य को वित्तीय वर्ष 2003–04 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत यथासम्भव सम्पादित कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के ग्राम खैनुरी में हो रहे भूमि कटाव/भू–स्खलन की रोकथाम हेतु योजना

54–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में विकास खण्ड दशोली के ग्राम खैनुरी में हो रहे भूमि कटाव/भू–स्खलन की रोकथाम हेतु शासन स्तर पर उपलब्ध प्राथमिक आगणन 4–075 लाख रुपये इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

हरिद्वार जनपद के मुख्यालय रोशनाबाद में गढ़वाल आयुक्त का न्यायालय कैम्प आयोजित करने की मांग

56–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि मण्डलायुक्त गढ़वाल का कैम्प न्यायालय सप्ताह में 2 दिन देहरादून में लगता है?

क्या यह सत्य है कि जनपद हरिद्वार के वादकारियों को देहरादून आने जाने में कठिनाई होती है?

क्या सरकार जनहित में मण्डलायुक्त गढ़वाल का कैम्प न्यायालय, हरिद्वार के जनपद मुख्यालय रोशनाबाद में सप्ताह में दो दिन आयोजित कराने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मण्डलायुक्त, गढ़वाल का कैम्प न्यायालय, देहरादून में सप्ताह में 2 दिन नहीं, अपितु माह के अन्तिम 10 दिवसों में 7–8 दिन के लिए लगता है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के वादों की सुनवाई कैम्प न्यायालय देहरादून में कर ली जाती है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत श्री अजय भट्ट, डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्रीमती विजया बड़थ्वाल, श्री प्रेमानन्द महाजन, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री बिशन सिंह चुफाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री नारायण पाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री प्रकाश पंत, श्री अनिल नौटियाल, श्री मदन कौशिक, काजी निजामुद्दीन कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट एवं श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कुल 7 सूचनाओं को स्वीकार करता हूं।

जनपद हरिद्वार के प्रशिक्षित बी०टी०सी० बैच 2000–2002 के प्रशिक्षितों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी सूचना को स्वीकार किया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, जनपद हरिद्वार के प्रशिक्षित बी०टी०सी० बैच 2000–2002 के सदस्यों द्वारा मुझे मांग पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया जिनका उल्लेख जनहित में उचित प्रतीत होता है। उक्त तीन सूत्रीय मांगें निम्नलिखित हैं :–

(1) हरिद्वार जनपद में बी०टी०सी० प्रशिक्षितों की कुल संख्या 90 है जिसके सापेक्ष स्वीकृत पदों की संख्या कम है। अतः शासन से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के नए पद सृजित हों, एवं तदनुसार नियुक्तियाँ की जाएं।

(2) 15 सितम्बर, 2002 को बी०टी०सी० बैच 2000–02 का परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त, छः माह पश्चात् भी नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं।

(3) जब तक जनपद हरिद्वार के सभी 90 बी०टी०सी० प्रशिक्षितों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक शिक्षा सत्र के आरम्भ में अथवा मध्य में प्राथमिक शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पर पूर्णतः रोक लगा दी जाये।

बी०टी०सी० प्रशिक्षित बैच 2000–02 के प्रशिक्षितों की उपरोक्त समस्यायें गम्भीर हैं। अतः लोकहित में इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

सचिवालय सेवा के अधिकारियों की उत्तर प्रदेश से प्राप्त वरीयता सूची के जारी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, सचिवालय सेवा के अधिकारियों की उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई सीनियरिटी लिस्ट (टेन्टेटिव) जिस पर तत्काल आपत्तियां मांगी गयी हैं, को अभी तक जारी/परिचालित नहीं किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ की सबसे बड़ी पेयजल योजना की पूरी लाइन के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, पिथौरागढ जनपद की सबसे बड़ी पेयजल योजना (लगभग 65 कि0मी0) कालापूली–गोकुलपुरा, बाघी हरिजन बस्ती भौरीपाटा, कापा, बाराखोली, नयागांव, बोरागांव के लोग लाभान्वित होते थे परन्तु विभागीय लापरवाही व देखरेख का अभाव होने के कारण पूरी लाइन क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता में व्यापक असंतोष व्याप्त है, तथा क्षेत्रीय जनता आन्दोलन को तैयार है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

जनपद रुद्रप्रयाग में पटवारी चौकियों के निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं पर रोक लगाने एवं निर्माण कार्य शीघ्र कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में लगभग दो वर्ष पूर्व शासन ने 54 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु एक करोड़ नब्बे लाख की धनराशि अवमुक्त की थी। उक्त चौकियों के निर्माण का कार्य समाज कल्याण निर्माण निगम एवं जल निगम की निर्माण इकाई को सौंपा गया था, परन्तु दो वर्ष बीत जाने के पश्चात अभी तक उक्त चौकियों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। उक्त निर्माण कार्यों में तमाम अनियमितताएं बरती गयी हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जाँच के आदेश दिये जा चुके हैं। परन्तु मामला लम्बित है।

अतः मैं आपके माध्यम से माँग करती हूँ कि निर्माण कार्यों में तमाम अनियमितताओं पर रोक लगाई जाय, तथा इन पटवारी चौकियों का निर्माण यथाशीघ्र किया जाय।

उत्तरांचल शासन द्वारा समूह 'घ' के लिए विनियमितीकरण नियमावली, 2003 को संशोधित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल शासन द्वारा 19–2–2003 को समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2003 जारी की गयी है। जिसमें वन विभाग के अन्तर्गत 29 जून, 1991 से पूर्व समूह घ के पद पर दैनिक वेतन पर सीधे नियुक्त किया गया हो के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में एक राज्य स्तरीय चयन समिति गठित करने का शासनादेश जारी किया गया है और राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची बनाकर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा दि0 1–5–2001 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ–पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें सरकार द्वारा पैरा सं0 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दैनिक कर्मचारियों का विनियमितीकरण वृत्त/प्रभाग स्तर पर किया जायेगा। किन्तु उपरोक्त जारी नियमावली 2003 के अनुसार राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर विनियमितीकरण किया जायेगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियमावली सन् 1980 के आधार पर ही उक्त नियमावली जारी

की गयी। उत्तर प्रदेश नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि समूह ग एवं घ के पदों पर विनियमितीकरण वृत्त/प्रभाग स्तर पर किया जाएगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त नियमावली में संशोधन कराये जाने की प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद चमोली में सन् 1999 में आये भूकम्प से प्रभावित भवन स्वामियों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में 1999 में आए विनाशकारी भूकम्प की ओर दिलाना चाहता हूँ। भूकम्प से प्रभावित श्रेणी 3 व 4 के अन्तर्गत शामिल किये गये भवन स्वामियों को अभी तक भी स्वीकृत धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा कभी भी यह आक्रोश आंदोलन का रूप ले सकता है।

महोदय, चार वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात भी उक्त धनराशि के वितरण न होने के कारण ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जिससे कभी भी किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

जनपद देहरादून की तेग बहादुर रोड वार्ड नं0 10 के अन्तर्गत सुलभ शौचालय का सेपटी टैंक भर जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, देहरादून महानगर के नई बस्ती, तेगबहादुर रोड वार्ड 10 के अन्तर्गत जरेडा द्वारा एक सुलभ शौचालय का पूर्व में निर्माण किया गया था, जिसका सेपटी टैंक पूरी तरह भर गया है, जिससे टैंक से गन्दगी ओवरफ्लो कर नाली में आ जाता है, भारी गन्दगी के कारण वायु–मण्डल दुर्गन्धपूर्ण हो गया है। इस क्षेत्र में गरीब व अल्प आय वर्ग के लोग ही निवास करते हैं जो कि एक अत्यन्त घनी बस्ती है। शौचालय की गन्दगी नाली में बहने से पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, अब ज्यों–ज्यों गर्मी बढती जा रही है, दुर्गन्ध बढने से संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा हो सकता है। अतः उक्त शौचालय की सफाई की अति आवश्यकता है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही की माँग करता हूँ।

टिहरी गढवाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के घनसाली–कोटी–अखोड़ी–हुलाणखाल–मूलगढ मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के घनसाली–कोटी–अखोड़ी–हुलाणखाल–मूलगद मोटर

मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री प्रेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के लम्बगांव-कोटालगांव-पनियाला मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के लम्बगांव-कोटालगांव-पनियाला मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री जगत सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाई स्कूल बमाली का उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ के जूनियर हाई स्कूल बमाली का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री श्याम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में शैलंग-पैनी से सलूड़ डुंग्रा तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में शैलंग-पैनी से सलूड़ डुंग्रा तक मोटर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री महावीर भण्डारी एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लाटा-नागेश्वर-सौड़-सरकण्डा-गोना मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लाटा-नागेश्वर-सौड़-सरकण्डा-गोना मोटर मार्ग के डामरीकरण व सुधार के सम्बन्ध में" श्री शेर सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लम्बित मोटर मार्ग सेन्दुल–पट्टुडगाव के शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अधीन लम्बित मोटर मार्ग सेन्दुल–पट्टुडगाव के शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में श्री गैणा सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003

*समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं– सर्वश्री 1–मातवर सिंह कण्डारी, 2–बलवीर सिंह नेगी, 3–अजय भट्ट, 4–प्रेमानन्द महाजन, 5–नारायण पाल, 6–काजी निजामुद्दीन एवं शहजाद, 7–किशन सिंह चुफाल, 8–विपिन त्रिपाठी, काशी सिंह ऐरी एवं डा० नारायण सिंह जन्तवाल, 9–श्रीमती आशा नौटियाल, 10–प्रकाश पंत, 11–हरभजन सिंह, 12–अनिल नौटियाल और 13–श्री मदन कौशिक की हैं।

इनमें से मैं श्री काजी निजामुद्दीन, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री बलवीर सिंह नेगी व श्री अजय भट्ट जी की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

*काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को रखते हुए मुझे अत्यन्त खेद हो रहा है। दिनांक 13–08–2002 को विधायक शहजाद को अवगत कराया गया कि पुलिस ने कुछ बदमाशों को पकड़ा है जो उनके परिवार वालों के अपहरण की योजना बना रहे थे। श्री शहजाद थाने पहुँचे और उनको थाने में बदमाशों से मिलवाया गया। पुलिस के सामने, प्रेस के सामने बदमाशों ने यह माना कि वे उनके अपहरण के लिए आये थे। उन्होंने 2 लोगों के अलावा कई अन्य लोगों के भी नाम बताये। पुलिस ने पता नहीं किस दफा में उनका चालान किया। जिन लोगों के नाम उन्होंने बताये थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री शहजाद को जब लगा कि उनको व उनके परिवार को जान माल का खतरा है तो श्री शहजाद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जिसके क्रम में श्री ओ०पी० तिवारी, अनुसचिव, गृह, उत्तरांचल शासन के पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल के पत्र सं० 180/गृह अनु०–1/सुरक्षा/पुलिस/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 के द्वारा लिखा कि उपरोक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल के पत्र दिनांक 19–9–2002 तथा उसके साथ संलग्न मा० विधायक के प्रार्थना–पत्र दिनांक शून्य की छाया प्रति संलग्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० विधायक तथा उनके परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा उनके प्रार्थना-पत्र में अंकित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें। मान्यवर, चाहें तो आप इसकी छायाप्रति ले लें। माननीय विधायक के साथ ऐसा व्यवहार यदि शासन करेगा तो आम जनता के बारे में कल्पना की जा सकती है कि कैसा व्यवहार होगा। मान्यवर, मुख्यमंत्री का आदेश, विधायक का मामला और कोई कार्यवाई न होना शासन और सरकार की उदासीनता को ही दर्शाता है। मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय, तात्कालिक और लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ क्यों कि आठ महीने से अधिक समय माननीय विधायक को असुरक्षा की भावना में जीना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में होने के बावजूद सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। अतः मैं इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करता हूँ।

*चौ० यशवीर सिंह–

मान्यवर, निश्चित रूप से यह बहुत ही गम्भीर विषय है। माननीय सदस्य जो उत्तरांचल के प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों में आते हैं, उनके साथ घटना होती है और उस पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। गृहमंत्री का पत्र डी०जी०पी० को चला जाता है, डी०जी०पी० का पत्र एस०एस०पी० को चला जाता है, एस०एस०पी० का पत्र एस०पी० को चला जाता है और सी०ओ० का पत्र थानेदार को चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाई नहीं होती है। मान्यवर, आपका संरक्षण हमको मिलना चाहिए। अगर विधायक के मामले में ऐसा होगा तो इस सरकार से क्या फायदा, क्या सरकार अपने दायित्वों को निभा रही है। मैं इस मामले में कार्यवाई की अपेक्षा करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री [डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, दिनांक 13, 14 अगस्त, 2002 को जब पुलिस रात में गश्त कर रही थी तो उसे चार लोग संदिग्ध हालत में घूमते हुए दिखे। 1–श्री इम्तियाज, 2–श्री अरशद, 3–श्री अमजद, 4–श्री नौबहार। पुलिस द्वारा रोकने पर दो व्यक्ति मौके से फरार हो गये और थाना मंगलौर पुलिस द्वारा दो अभियुक्त इम्तियाज पुत्र खुर्शीद एवं अरशद पुत्र सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना मंगलौर पर मुकदमा अपराध संख्या 302/2002 धारा 307 भा०द०वि० व अ०सं० 303/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं मुकदमा अपराध संख्या 304/2002 25 आर्म्स एक्ट वादी उप निरीक्षक श्री चंदन सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा ढंढेरा फाटक के पास से किसी दूध बेचने वाले का अपहरण करने की योजना बनायी गयी, जिसे पुलिस ने नाकामयाब कर दिया। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि काफी दिनों पहले वह माननीय विधायक मोहम्मद शहजाद के भतीजे, जिसकी मंगलौर में डेयरी है, के अपहरण की सोच रहे थे। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा माननीय विधायक शहजाद को सतर्क रहने हेतु सूचना दी गयी थी।

इस अभियोग के दो अन्य अभियुक्त अमजद पुत्र मीरहसन एवं नौबहार पुत्र रफीक द्वारा भी माननीय न्यायालय में दिनांक 24-09-2002 को आत्मसमर्पण कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्देशित कर दिया गया था कि माननीय विधायक शहजाद तथा उनके परिवार की सुरक्षा हेतु उचित कार्यवाही करें और इस सम्बन्ध में पुलिस को यह भी निर्देशित किया गया कि दिन तथा रात में लगातार गश्त की व्यवस्था की जाये और पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं विभाग से जानकारी की और प्रशासन से भी जानकारी की माननीय विधायक जी को एक गनर पूर्व से मिला हुआ है और आज एक अतिरिक्त गनर की व्यवस्था कर दी गई है जो शाम तक माननीय विधायक के घर पर पहुंच जायेगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी कहा कि वे मा0 विधायक जी के भतीजे के अपहरण की बात सोच रहे थे परन्तु यह थाना कोतवाली रुड़की की बात है वहां पर मा0 विधायक तथा कई पत्रकारों की उपस्थिति में तथा एस0एस0पी0 की उपस्थिति में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वे मा0 विधायक जी के अपहरण की योजना बना रहे थे। मंत्री जी ने कई धारायें गिना दी हैं लेकिन कांसपिरेन्सी में उन बदमाशों पर 120 बी लगनी चाहिए थी क्योंकि यह एक विधायक का मामला है। इस सम्बन्ध में आप माननीय विधायक जी को सुन लें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, 13 और 14 अगस्त की बात है शाम को 8.00 बजे श्री अजय रौतेला एस0पी0 देहात का मेरे लिए फोन आया कि कुछ लोग आपके परिवार के किसी व्यक्ति का अपहरण करने की योजना बनाते हुए पकड़े गये हैं। मान्यवर, यह एक सीरियस मैटर था मैं और मेरे परिवारीजन सन्न रह गये। एक विधायक होने के नाते भी मेरा परिवार अच्छा है। मैं वहां पर गया तो देखा कि उन्होंने बड़े ही हल्के–हल्के बदमाश पकड़ रखे थे। वहां पर कई पत्रकार भी मौजूद थे दिनांक 13 और 14 अगस्त के अखबारों को आप मंगाकर देखें तो कई दिनों तक इस प्रकरण की कवरेज आपको मिल जायेगी।

इस सम्बन्ध में एक डाक्टर का नाम भी सामने आया था जिसने उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन और दवा बताई थी और उन बदमाशों के पास से कुछ कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए थे, और वे शायद दूध के कंटेनरों में यह सामान छिपाये थे और जिस मोटर साईकिल से वे जा रहे थे उसे भी पुलिस ने बरामद किया था। इस सम्बन्ध में शौकीन का भी नाम आया था जो मुजफ्फरनगर का इनामी बदमाश है। और आज तक न तो उस डाक्टर का पता चला है और न उस दुकान का, जिसमें बैठकर वे योजना तैयार कर रहे थे। मैंने कई बार स्वयं एस0एस0पी0 के पास जाकर पूछा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

मान्यवर, गश्त के विषय में कहा गया, लेकिन गश्त का कुछ पता नहीं है कि वह कहां पर की जा रही है। मान्यवर, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पुलिस ने झूठा केस गढ़ा था? यदि केस झूठा नहीं था तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी? अभियुक्तों पर अपहरण की योजना की कोई धारा नहीं लगायी गयी है। जो बदमाश अपहरण करने आये थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, डाक्टर को किस आधार पर छोड़ दिया गया तथा जिसकी दुकान में अपहरण की योजना बनी उसको क्यों छोड़ दिया गया? इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं आया है। यदि यह केस झूठा है, तो यह भी गंभीर बात है क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में भय

का वातावरण बन गया है कि यदि एक विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा? जिस व्यक्ति ने यह झूठा केस बनाया है, उसके खिलाफ कार्यवाई की जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दे कि इस विषय की असलियत क्या है?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अभी माननीया मंत्री जी जब वक्तव्य दे रही थी, तो उन्होंने अन्त में कहा कि विधायक जी को थाने में बुलाकर अवगत कराया गया।

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने स्वयं इस बात की सूचना दी कि उनको थाने में बुलाकर अवगत कराया गया। मैंने वही कहा जो माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा। मान्यवर, हम इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। यह घटना 13–14 अगस्त, 2002 की है, इस प्रकार इस घटना को 7–8 महीने बीत गए हैं। मैं इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाई से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए हमने इस घटना की जांच के आदेश कमिश्नर को दे दिए हैं, जो 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। माननिय विधायक जी के घर में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दी जाएगी तथा माननीय विधायक जी को एक गनर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

काज़ी निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, इस प्रकरण में जो भी दोषी व्यक्ति है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाई की जाएगी?

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस मामले की जांच के आदेश कमिश्नर को दे दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाई की जाएगी।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी भाई शहजाद अहमद जी के मामले में जो चर्चा हुई, उसमें यह बहुत अच्छी बात है कि माननीया मंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया और सुरक्षा व्यवस्था भी करने की बात कही। मान्यवर, सदन में तो इस घटना का जिक्र आज हुआ है लेकिन यह घटना आज से 7–8 महीने पहले की है। पिछले आठ महीने के दौरान इस मामले में उत्तरांचल शासन का रवैया क्या रहा, इसको आप महसूस कर सकते हैं।

मान्यवर, इस विषय पर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तीन महीने पहले द्वाराहाट क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, मैं आपकी बात को अलग से सुन लूँगा। आप मुझे अलग से नोटिस दे दीजिए।

काजी निजामुद्दीन, चौधरी यशवीर सिंह, श्री शहजाद, श्री काशी सिंह ऐरी जी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्रीमती आशा नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 में सूचना स्वीकार की उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लगता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में पेयजल की समस्या गहराती जा रही है। मुझे लगता है कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक यह समस्या गहराती जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ तल्ला नागपुर में 65 ग्राम पंचायतों में पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है। पेयजल के संकट के कारण कई संख्या में मवेशी मर जाते हैं। ये गाँव पेयजल संकट से त्रस्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि जनपद रुद्रप्रयाग तीर्थ यात्रियों का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर हम लोगों को सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना होगा क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में तीर्थ यात्री यात्रा करते हैं। सरकार इस मामले में कतई गम्भीर नहीं है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन से चर्चा की माँग करती हूँ कि कैसे इसका निदान किया जाय, और इस पर पूरी चर्चा हो।

ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, पहले तो मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जो 65 गाँवों की बात कही गई है वह 65 नहीं 62 गाँव हैं। हमने गाँवों में पानी लगभग पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया है, कुछ जगहों (तीन गांवों) पर आंशिक रूप से पानी चल रहा है क्यों कि यह योजना काफी पुरानी है, पुरानी होने के कारण उन्हें ठीक कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। मैंने पिछली बार वहाँ का भ्रमण किया था इसके लिए 17 गांवों की अलग से योजना बनानी चाहिए। हमने कुछ और गांवों को भी पानी उपलब्ध कराने हेतु धन स्वीकृत किया है। बूढ़ा केदार के बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस योजना के लिए हमने रु० 40.50 लाख स्वीकृत कर दिया है। इससे यह योजना जल्दी पूर्ण कर दी जायेगी, क्योंकि यह क्षेत्र यात्रा मार्ग भी है, यही कारण है कि इसका दौरा किया था।

मान्यवर, इन क्षेत्रों में हमने हैण्डपम्प की भी व्यवस्था कराई है क्योंकि इन क्षेत्रों में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं उन लोगों को पानी की कोई असुविधा न हो। अन्य स्थानों पर भी हैण्ड पम्प लगाने की योजना है ताकि जिन स्थानों पर पानी की समस्या है वहाँ पानी पहुँचाया जा सके।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, रुद्रप्रयाग में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ जल निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाई गई है लेकिन उन पाइप लाईनों में 3–4 साल बाद भी, अभी तक पानी नहीं पहुँचा है फिर किसी दूसरी स्कीम पर धन स्वीकृत कराया जाता है फिर भी वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। इसी प्रकार सन् 2001 में आए फाटा में विनाशकारी भूस्खलन के बाद वहाँ पर अभी तक भी रबर की पाइप लाईनों के द्वारा पानी दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर आज भी पेयजल संकट बना हुआ है। पाइप लाईनों का ठीक ढंग से रख–रखाव न होने के कारण कई बार सरकारी धन खर्च करने के बाद भी जल निगम एवं जल संस्थान द्वारा आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा नहीं दी गई और यह संकट बना हुआ है। इसी तरह बूढ़ाकेदार

क्षेत्र में ग्राम डडोली, ग्राम बड़ेथ, ग्राम पाट्यूं, कण्डारा दैला कन्यांस, शहीद गाँव तैवड़ी, इशाला, थपलगाँव विजराकोट एव मुख्य यात्रा मार्गों के अगस्त्यमुनि, चन्द्रापुरी भीरी, गुप्तकाशी में भी गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है। इन क्षेत्रों में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी आप पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि यात्रा सीजन में यात्रियों को दिक्कत न हों और गाँवों के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हों।

सिंचाई एवं लघु सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)-

मान्यवर, वर्ष 2001 में 1100 योजनाओं को एक रात में जल संस्थान को ट्रांसफर कर दिया गया मात्र एक शासनादेश के तहत। जिन लोगों ने यह शासनादेश किया वे अब हमारे सामने बैठे हैं। ऐसे में कठिनाइयाँ तो आयेंगी ही। 1100 योजनाओं पर एक साथ काम नहीं हो सकता। जब हमने इसका आंकलन किया तो इसमें लगभग 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, हमारी सरकार पानी की व्यवस्था को सुदृढ करने की दिशा में गम्भीर है, यही वजह है कि वर्षों पुरानी इस योजना पर पुनर्गठन के लिए धन स्वीकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त भी हमारी मंशा साफ है। मान्यवर, पानी को प्राथमिकता दी जायेगी। माननीय सदस्या के क्षेत्र की योजनाओं को ठीक कराने के लिये दो करोड़ 60 की धनराशि दी है, जिनका माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्या को यह भरोसा दिलाता हूँ कि ग्रीष्म काल में यात्रियों को पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती आशा नौटियाल तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर मुझे सुनने का मौका दिया। मान्यवर, टिहरी बांध निर्माण से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पूर्ण एवं आंशिक डूब क्षेत्र के गांव असेना, देवल, पढ़ागली, खोन्टी, पिपोला, पिलखी एवं नौलियाणा में मुआवजा, पुनर्वास एवं रोजगार के अभाव में जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। हजारों परिवारों का गुजर बसर का कोई साधन नहीं रह गया है।

मान्यवर, बांध की पुनर्वास नीति महज सिक्कों और आंकड़ों का खेल है। प्रभावित गांवों को आंशिक और पूर्ण रूप से प्रभावित के रूप में बांटा गया है। पूर्ण रूप से प्रभावित गांव वे होते हैं, जिनके 75 प्रतिशत से ज्यादा परिवारों की अधिकांश जमीन व मकान डूब रहे हैं। यानि 75 प्रतिशत से ज्यादा परिवारों की अधिकांश जमीन व मकान डूब रहे हैं तो पूरे गांव को बसाने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में गांव के कुछ परिवार अन्यत्र बसाये जायेंगे और शेष को यहीं जलाशय के किनारे अपने हाल पर छोड़ दिया जायेगा। मान्यवर, जिस गांव के 75 प्रतिशत से कम परिवार पूर्ण रूप से प्रभावित माने गये हैं तथा जिनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा जमीन व मकान डूब रहे हैं, उनके सारे जंगल लकड़ी

व घास चारे के खेत डूब रहे हैं। गांव की मुख्य सड़क व बाजार से जुड़ने वाला रास्ता पुल या निकटवर्ती बाजार क्यों न डूब रहा हो, सारी आवश्यक सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, कालेज, मुर्दाघर आदि भी क्यों न डूब रहे हों तो वह गांव भी पूर्णतः प्रभावित नहीं माना जायेगा।

मान्यवर, जिन गांवों की जमीन और मकान डूब नहीं रहे हैं पर जो अपनी निकटवर्ती नागरिक सुविधायें डूबने के कारण बांध से प्रभावित होंगे, उन्हें इस पुनर्वास नीति के मुताबिक प्रभावित माना ही नहीं गया है। मान्यवर, इन्हीं कारणों से 125 गांवों को प्रभावित जिनमें लगभग 85 गावों को प्रभावित और लगभग 40 गांवों को पूर्ण प्रभावित मानने वाली यहां की पुनर्वास नीति बेहद अन्यायपूर्ण है।

मान्यवर, 125 गाँव प्रभावित हुये हैं जिनमें से 85 गाँवों को प्रभावित और 40 गाँवों को पूर्ण प्रभावित माना गया है। मान्यवर, यहाँ की पुनर्वास नीति बहुत खराब है। मान्यवर, पुनर्वास के लिए जमीन के बदले जमीन और रोजगार देने से वह सरकार पीछे हट रही है। मान्यवर, टिहरी बाँध एशिया में दूसरे नम्बर पर है और भारत में पहले नम्बर पर है और टिहरी गढ़वाल की पूरी घाटी की सिंचित जमीन डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आ गई है जो सिंचाई की जमीन थी वह डूब क्षेत्र में आ गई। मान्यवर, पढ़ागली, देवल, पिपोला, पिलखी गाँव पूरा का पूरा डूब रहा है। मान्यवर, टिहरी बाँध निर्माण से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पूर्ण एवं आंशिक डूब क्षेत्र के गांव असेना, देवल, पढ़ागली, धौण्टी, पिपोला, पिलखी एवं गोजियाणा में मुआवजा, पुनर्वास एवं रोजगार के अभाव में जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, पढ़ागली गाँव में असेना के ऊपर लामुयार पर्वत से जय प्रकाश कम्पनी द्वारा 28 लाख टन पत्थर ब्लास्टिंग द्वारा निकालने का काम किया जा रहा है और जो वहाँ पर मकान हैं वे जर्जर स्थिति में हो गये हैं। मान्यवर, उनको देखने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, पूरे क्षेत्र में तबाही का काम हो रहा है। मान्यवर, पढ़ागली गाँव में जो पेयजल के स्रोत थे वे तमाम स्रोत सूख गये हैं। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मसला है अतः मैं चाहता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाये।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूँ।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, टिहरी बाँध का निर्माण राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जा रहा है और जो परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं उसे बड़ी संवेदनशीलता से देखा जा रहा है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की उन्होंने असेना, देवल, पढ़ागली, धौण्टी, पिपोला, पिलखी एवं गोजियाणा गाँव के नाम दिये हैं।

मान्यवर, इन गाँवों में जो विस्थापन का कार्य देखा जा रहा है, पात्र विस्थापितों की संख्या 465 है। इन परिवारों में मान्यवर, जिनकी भूमि अधिग्रहण की गयी है, बाँध के प्रयोजन से उनको ऋषिकेश और हरिद्वार, देहरादून जनपद में देवल गाँव के विस्थापित परिवारों को जो 161 परिवार हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाना है, उनमें से 145 को भू–खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं, असेना में 124 को भू–खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं, पिपोलाखास में 23 में से 21 को भू–खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं, गोजियाणा को 11

में से 11 को भू-खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं, मान्यवर, बाकी आंशिक डूब क्षेत्र में पड़ते हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है और मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि जो सिंचित भूमि है किसान की, जब वह डूब जाएगी तो दी गयी जमीन पर वह क्या उगाकर खाएगा तो मान्यवर, मानक यह बनाया गया है कि यदि किसी की 10 नाली सिंचित भूमि डूबती है तो उसको दुगना मानकर असिंचित के बराबर यानी 20 नाली माना जाएगा और 50 प्रतिशत से अधिक डूब भूमि को पूर्ण डूब का दर्जा दिया जाता है, बाकी को आंशिक डूब माना जाता है। आज माननीय सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है पढागली गाँव की तो मान्यवर, क्योंकि इसका पूरा दारोमदार केन्द्र सरकार पर है और केन्द्र सरकार की एजेन्सी इसको बना रही है।

मान्यवर, प्रदेश की सरकार को विस्थापितों के विस्थापन के लिए जो राशि केन्द्र सरकार द्वारा मिलती है उसको प्रदेश सरकार विस्थापितों में आवंटित करती है। हमने पिछले दिनों 180 करोड़ रु० की माँग केन्द्र सरकार से की है। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने पढागली गाँव का जिक्र किया है, आपने निरीक्षण भी किया, गए भी, क्योंकि यह आपका क्षेत्र है, वहाँ की जनता ने आपसे अनुरोध भी किया है। मान्यवर, हमने पिछले दिनों भी यह निवेदन किया था कि पढागली गाँव का सर्वेक्षण किया जा रहा है, रुड़की से हमने टीम भिजवायी, जब वहाँ विरोधाभास होने लगा, गाँव की जनता ने कहा कि दरारें तो आयी हैं, जो पहाड़ तोड़ा जा रहा है बाँध बनाने के लिए उसी के कारण ऐसा हुआ है और वहाँ के कुछ लोगों का यह कहना था कि जब भूकम्प आया था तो दरारें पड़ गयी थीं तो हमने कहा कि इसको माप लें और इसे एक-दो माह बाद देखें और उसकी रिपोर्ट दें। मान्यवर, असेना गाँव को पूर्ण डूब का दर्जा दिया गया है, मैं आश्वासन देता हूँ कि पढागली गाँव के साथ भी यदि रिपोर्ट इस तरह से आती है कि उनको खतरा है तो उनको भी पूर्ण डूब का दर्जा दिया जाएगा।

श्री बलवीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(माननीय बलवीर सिंह नेगी सदन का बहिष्कार कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, सरकार के दो मंत्री आपस में लड़ रहे हैं और कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री काशी सिंह ऐरी अपने दल के साथ सदन से उठकर चले गये)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बागेश्वर एक ऐसा धर्मस्थान है, जहाँ पर साक्षात शिव स्वरूप

शिव जी रहते हैं, यह माना जाता है। मान्यवर, यह बताते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि पद्मश्री प्राप्त भारत के एक डाक्टर जिन्होंने कैंसर रोग पर विशेष महारथ हासिल कर लिया है, उनको बागेश्वर धाम से ही प्रेरणा मिली है। वे यहीं देहरादून के रहने वाले हैं जिनका नाम है वैद्य बालेन्दु। मान्यवर, यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर ऐसा पवित्र स्थान है, और कोटि–कोटि श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केन्द्र है। जिसको अभी 5 दिसम्बर, 2002 को शासन के आदेशानुसार विनियमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जिलाधिकारी, बागेश्वर, अध्यक्ष–जिला पंचायत, बागेश्वर संयुक्त नियोजक, कुमाऊँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल, हल्द्वानी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता, जल निगम, प्रभागीय वनाधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अल्मोड़ा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर इसके नियंत्रक प्राधिकारी होंगे। उनको यह कार्य दिया गया है कि विनियमित क्षेत्र में कौन–कौन गांव लिए जाए यानि गांव का सेलेक्शन करेंगे। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का गठन इसलिए हुआ है कि यहाँ के लोगों को सुख–सुविधाएँ मिलें, लोगों का विकास हो, उनको नये अधिकार मिले और उनकी जीवन शैली में बदलाव आए। लेकिन मान्यवर, 5 दिसम्बर, 2002 का जो शासनादेश है उसमें कमेटी ने जो रिकमण्डेशन दिया है, इसी संस्तुति के अनुसार "राज्य सरकार की राय है कि जिला बागेश्वर क्षेत्र की भूमि के अव्यवस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए और समुचित योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1958) के अधीन विनियमित करना अपेक्षित है। अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा–(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बागेश्वर के निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं।" मान्यवर, इसके विनियमित क्षेत्र घोषित करने से क्या होगा कि मकान बनाने के लिए एक निश्चित जमीन उसके आगे और पीछे छोड़नी पड़ेगी। मान्यवर, बागेश्वर क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत हैं। मान्यवर, एक तो भवन बनाने के लिए परमिशन मिलेगी ही नहीं तो वहाँ विकास कहाँ होगा, उसका तो विनाश हो जायेगा। अभी कारगिल से एक फौजी आया दो साल पहले उसने वहाँ पर जमीन खरीदी होगी, बयाने के रूप में पैसा दिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवायी। आज सारी रजिस्ट्री वहाँ पर होनी बंद हो गयी। जिससे कितना रेवन्यू का राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है।

तो मान्यवर, इसमें जो गाँव आ गये है मैं उनके नाम बता देता हूँ, कठायतबाड़ा, उड़ोली, अलखूना, मजिया खेत, स्यूनरा, बहैरा, गाड़ गाँव, फल्टनिया, मेहनर दुँगा, भदरौला, पिनवाल सिवाड़ी, छिकरा, सीज, कफल खेत, खाती, मण्डल सेरा, घुटमल, पकियारबाड़ा। टोटल बागेश्वर के इर्द–गिर्द जितने गाव है सब इसमें ले लिये गये हैं। जिस तरह से राजस्व की हानि हो रही है और कोई कार्यवाई वहाँ नहीं हो रही है। यह अपने आप में बहुत अजीब बात है। यह तो अभी शुरूआत है जब यह पूरी तरह लागू हो जायेगा उस दिन इन 18 गाँवों के लोगों का जीवन कष्टमय हो जायेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे तत्काल वापस ले लिया जाये और इस पर आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये। इस विषय पर पीठ से निर्देश आना चाहिए। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मुझे 1981 में पहली बार बागेश्वर जाने का अवसर मिला। जिस मंदिर का जिक्र माननीय सदस्य ने किया, उसके दर्शन का मौका भी 1981 में ही पहली बार मिला। मैं, इसे स्वीकार करता हूँ कि बागेश्वर को जिला बनाने में थोड़ी सी भूमिका मेरी भी रही। अगर 1981 से जिला बनने तक और जिला बनने के बाद से आज तक की स्थिति को माननीय सदस्य स्वयं देखें तो शायद आप महसूस करेंगे कि भारत के संविधान में और हमारे नियमों में जो व्यवस्था है, उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता जरूर है, जिसकी वजह से विनियमित क्षेत्र घोषित करना पड़ा। 5 दिसम्बर के तीनों शासनादेश सत्य हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 18 नवम्बर, 1998 को जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब सचिव, आवास के स्तर पर जो बैठकें हुईं, उसमें यह निर्णय हुआ था कि उत्तरांचल में नव निर्मित जिला मुख्यालयों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया जावे। 1998 के इस आदेश का पालन राज्य बनने के बाद भी होता रहा। इस सम्बन्ध में बहुत सारे रिमाइंडर आते रहे :– 9 जुलाई, 2001, 21 सितम्बर, 2001, 5 जनवरी, 2002, 18 फरवरी, 2002, 14 मई, 2002, 19 जुलाई, 2002 व 16 अक्टूबर, 2002। मान्यवर, दिनांक 18 फरवरी, 2002 को जिलाधिकारी, बागेश्वर की जो रिपोर्ट है उसे मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

जनपद बागेश्वर के मुख्यालय सहित कतिपय ग्रामों को विनियमित क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रस्ताव आपको भेजा गया है जिसके सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि जनपद सृजन के पश्चात् यहां पर दिनों-दिन निर्माण कार्य मुख्यालय से लगे ग्रामों में अव्यवस्थित एवं बिना मानक के चल रहा है जिससे निकट भविष्य में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र कहा जाता है और संक्रमणशील क्षेत्र का तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य में किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के नियोजन के लिए विनियमित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए मास्टर प्लान का भी उल्लेख आता है और मास्टर प्लान के लिए कई चीजें आवश्यक होती हैं जैसे पक्की सड़कें, परिवहन की व्यवस्था, उद्योग धन्धे, आवासीय कालोनियां, व्यापारिक क्षेत्र आदि होने आवश्यक हैं और जनपद बागेश्वर के मुख्यालय को मास्टर प्लान के तहत लाने की कार्यवाही हमारी सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। जो हमारे अच्छे शहर हैं उन्हें और अच्छा बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, नगरों के बेहतर विकास के लिए भारत सरकार की एक योजना आई0डी0एस0एम0टी0 है और इसके लिए आवश्यक है कि नगरीय क्षेत्र का एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए। अगर मास्टर प्लान तैयार नहीं होगा तो भारत सरकार की इस योजना का लाभ हम नहीं उठा सकेंगे। बागेश्वर जनपद मुख्यालय को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए हम वहां का मास्टर प्लान तैयार करेंगे। यह जो उत्तर प्रदेश के नियम हैं वे उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। इन नियमों को उत्तरांचल के लिए नये सिरे से यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन के लिए हमने एक समिति का गठन किया है जिसमें कई माननीय सदस्यों को जो इसके ज्ञाता हैं तथा पूर्व शहरी विकास मंत्री जी को भी इस समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया है। हम चाहते हैं कि उत्तरांचल राज्य में ऐसे कानून बनें जिससे जनता को फायदा पहुँचे तथा उनका शोषण न हो सके इसका प्रयास किया जा रहा है। नक्शे पास करने के लिए जो व्यवस्था है उसको भी हम नहीं कर पाये थे क्योंकि जनवरी, फरवरी एवं मार्च के माह में अधिसूचना लगी हुई थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसी कारण से वहां पर रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं यही चीज स्पष्ट कर रहा हूँ। हम वहां पर मास्टर प्लान लागू करने की योजना चलाने जा रहे हैं। लेकिन जो जिलाधिकारी बागेश्वर का दिनांक 18 फरवरी, 2002 का पत्र है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अव्यवस्थित एवं बिना मानक के निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर थोड़े समय के लिए यह व्यवस्था रोकी नहीं जाएगी तो जिस समय मास्टर प्लान बनाये जाएंगे उस समय तक ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएगी कि हम वास्तविक रूप में मास्टर प्लान नहीं बना पाएंगे। इसलिए थोड़े समय के लिए यह असुविधा अवश्य होगी, इसके लिए मुझे खेद है। अगर उत्तरांचल राज्य में किसी भी तरह का नियोजन शुरू नहीं किया गया तो यह इस राज्य के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। मास्टर प्लान बनाने में आने वाली परेशानियों का अध्ययन करने के लिए ही हमने समिति का गठन किया है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह विषय लोक महत्व का है लेकिन कार्य स्थगन का विषय यह नहीं बनता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में केन्द्र सरकार को अवगत करा दिया गया है? तथा क्या वहां पर नियोजन के लिए आई0डी0एस0एम0टी0 के मानकों को शिथिल करने के लिए सरकार ने कोई पत्र भेजा है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सीढ़ीनुमा खेतों में मास्टर प्लान किस तरह लागू करेंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, विनियमित क्षेत्र में बागेश्वर नगर परिषद और 18 अन्य ग्राम सम्मिलित हैं। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि नयी टिहरी शहर पूर्ण रूप से भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बना है। सीढ़ीनुमा क्षेत्रों में नियोजित विकास नहीं कर सकते, ऐसा सोचना उचित प्रतीत नहीं होता है। हमें निश्चित रूप से नियोजित विकास की परिकल्पना करनी होगी। मान्यवर, इन क्षेत्रों में जो पलायन से नुकसान हुआ है वह ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 10–12 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन हो रहा था, यदि उसको रोक दिया जाता, तो आज हमारे गाँवों की जो स्थिति है, वह न होती।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003

*सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, सहकारी अधिनियम के संदर्भ में सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से समाज का कोई भी वर्ग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपनी समितियों के माध्यम से विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। मान्यवर, वर्तमान में जो हमारा नवोदित राज्य है इसमें अभी तक उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत तमाम कार्यवाहियाँ की जाती थी और अब हमारा राज्य बन गया है तो सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप अपने राज्य की भावनाओं के अनुरूप हम अपने प्रदेश का एक्ट बनायें, इसके तहत आज सहकारिता अधिनियम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज तक हम उत्तर प्रदेश के एक्ट के अन्तर्गत गवर्न होते थे, उससे वह गति नहीं मिल पा रही थी जो कि मिलनी चाहिए थी। अगर राज्य निर्माण के बाद हमारा एक्ट नहीं बनता है, तो जिन लाखों लोगों को इसके तहत लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पायेगा। इस एक्ट के तहत मान्यवर, हम सहकारिता के क्षेत्र में नहीं जुड़ पा रहे थे, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया जिसके तहत विभागीय अधिकारियों और हमारे बीच में काफी विचार–विमर्श हुआ कि सहकारिता के क्षेत्र में लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके तहत जिन कारणों से उत्तर प्रदेश में कॉपरेटिव एक्ट के तहत कोपरेटिव आन्दोलन फेल हुआ वह हमारे यहाँ न चले वह परिपाटी यहाँ पर न चले। उन तमाम बाधाओं को तथा उन तमाम नियमों को हमने परिवर्तित कर दिया है। एक्ट के निर्माण में जो बातें आई, हमें अनुभवी लोगों से बहुत सी अच्छी जानकारी मिली। उन्होंने हमें बताया कि सहकारी समितियों में राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम किया जाए इस एक्ट में इसका समावेश किया गया है। मान्यवर, इन तमाम दिक्कतों को दूर किया गया है जिसमें निर्वाचित प्रबन्ध समिति के मामले में 3 साल का प्राविधान था। सहकारिता आन्दोलन से जुड़े लोगों ने विचार व्यक्त किया कि कार्यकाल तीन वर्ष का न कर पाँच वर्ष कर दिया जाए तो हमने अब इसको पाँच वर्ष का कर दिया है।

दूसरी मान्यवर, बात यह थी कि जो कॉपरेटिव आन्दोलन को दिशा देने के लिए समय सीमा निर्धारित थी कि जो एक बार कोपरेटिव के चुनाव में चुना जाता है वह कॉपरेटिव के चुनाव में दूसरी बार भाग नहीं ले सकता हमने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है अब कोई भी व्यक्ति जब तक सहकारिता के आन्दोलन में जुड़ा है वह चुनाव में भाग ले सकता है।

मान्यवर, बैंकिंग के क्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धा का युग है। कॉपरेटिव बैंक किसानों को लाभ देने का बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बड़ी–बड़ी योजनाओं का पैसा एस0बी0आई0, पंजाब नेशनल बैंक या फिर अन्य बैंकों में जाता है लेकिन कॉपरेटिव बैंक में नहीं जाता है। इसके लिए हम एक प्राविधान यह कर रहे हैं कि जो बैंकिंग के क्षेत्र में बड़े अधिकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होंगे उनकी नियुक्ति की जायेगी ताकि बैंकिंग क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। आज कम्प्यूटर का युग है। कम्प्यूटर युग में हमारा प्रयास यह है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो कम्प्यूटर लगेंगे उनमें रेलवे रिजर्वेशन से लेकर, एडमीशन तथा बाजार भाव तथा अन्य बिजनेस से सम्बन्धित जानकारियाँ होंगी ताकि कॉपरेटिव बैंकों का बिजनेस बढ़े।

मान्यवर, जो हमारा पुराना एक्ट था, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता था। इस एक्ट के मुताबिक यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें संशोधन हो सकता है। मान्यवर, नये एक्ट का प्रारूप हमने महाराष्ट्र और गुजरात के नियमों की तुलना करने के बाद बनाया है। मान्यवर, पहले एक्ट के अनुसार यदि किसी काश्तकार को ऋण लेना है तो उसे दो–दो बैंकों में जाना पड़ता था। इस एक्ट के अनुसार काश्तकार को एक ही बैंक से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। कोई भी काश्तकार चाहे उसे अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण लेना हो, उसे अब यह ऋण एक ही बैंक से उपलब्ध हो सकता है। मान्यवर, पहले एक्ट के अनुसार निबंधक तथा रजिस्ट्रार के आदेशों पर ही ऋण प्राप्त हो जाता था, इसमें कुछ अनियमितताओं की सम्भावना थी।

मान्यवर, नये एक्ट के अनुसार निबन्धक तथा रजिस्ट्रार के आदेशों में संशोधन भी हो सकता है, जिससे कि किसी गलत व्यक्ति को ऋण प्राप्त न हो सके। मान्यवर, प्रदेश में बेरोजगारों की स्थिति विस्फोट रूप ले रही है, इस नीति में हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का प्राविधान भी किया है। इस एक्ट के मुताबिक जिला स्तर पर वर्ग–3 और 4 के पदों को भरा जा सकता है, जबकि पुराने एक्ट के अनुसार केवल वर्ग–4 को ही भरा जा सकता था। मान्यवर, इस एक्ट के अनुसार जो वर्ग–2 श्रेणी–1 तथा 2 के पदों का चयन कमेटी द्वारा होगा। कमेटी का चेयरमैन सभापति होगा तथा इसके सदस्य सभी जिलों का सदस्य होगा, ताकि किसी भी जनपद के साथ कोई भेदभाव न हो और चयन में पारदर्शिता बनी रहे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो कार्पोरेट एक्ट था उसमें सरकारी नियंत्रण इतना ज्यादा था जिससे कि हमारी समितियों का काम हर स्तर पर प्रभावित होता था। इसके लिए हमने एक्ट में संशोधन किया है। मान्यवर, इसमें यह होता था कि अगर टर्न ओवर अच्छा है, वह समिति काम करना चाहती है तो जब तक ए०आर०सी०आर० स्वीकृति न दे तब तक उनको काम करने का मौका नहीं मिलता था और उसके तहत दिक्कतें आती थीं। मान्यवर, कुछ समितियों का रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ तो उस पर हमने चेक रखने का प्राविधान किया है। मान्यवर, सहकारिता आंदोलन फेल तब होता है जब कार्पोरेटर के मन में बेमानी आती है। मान्यवर, वे पहले अपने हिसाब से आडिट करते थे, हमने लेखा परीक्षण के लिए चार्टर एकाउन्टेंट रख दिया है वह आडिट की जाँच भी कर सकता है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में लगभग 250 प्रारम्भिक समितियाँ हैं और उनमें से कई समितियाँ ऐसी हैं जो इन्बैलेंस हो गई हैं। मान्यवर, उन इन्बैलेंस समितियों के उद्धार के लिए हमने व्यवस्था की है। उसके उद्धार के लिए एक प्लान बनाया जाए और उसका प्रस्ताव आये, उस प्रस्ताव के माध्यम से समिति की क्या मदद की जाए। उस परिषद् के गठन के माध्यम से उस समिति को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत निबन्धक के अधिकारियों के अन्तर्गत निर्णय देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की।

मान्यवर, इसके लिए टाइम बाण्ड रखा गया है, एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत, ऐसा नहीं कि 4 साल हो गए और निबन्धक महोदय ने उसका निर्णय ही नहीं दिया, क्योंकि वे इस समिति को नहीं चाहते, या उस समिति से लाभ नहीं मिला, इसलिए उसे इधर-उधर लटका कर रखे। मान्यवर, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए इस एक्ट के अन्दर प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, सतत् आन्दोलन जिसकी हमारे प्रदेश में अपार सम्भावनाएँ हैं और हमारे प्रदेश में जो बेरोजगारी की समस्या है, जिस आन्दोलन के लिए हम लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह सतत् समस्या है, इसके लिए केवल एक ही सेक्टर कारगर है और वह है कारपोरेट सेक्टर, जिससे कि आने वाले नौजवान और किसान उसका लाभ उठाकर सहकारिता आन्दोलन से जुड़ेंगे। मान्यवर, इस एक्ट के अन्तर्गत हमने, जो स्टूडेन्ट हैं, क्योंकि हर जगह उनकी बात भी आती है, तो मान्यवर, छात्रों को सहकारिता आन्दोलन से कैसे जोड़ा जाए, यह हमारी सरकार ने इस एक्ट में प्रावधान किया है, और मान्यवर, यह देश की पहली सरकार होगी जिसने इस एक्ट के अन्दर इसका प्रावधान किया। मान्यवर, कन्ज्यूमर स्टोर का हमने प्रावधान किया है। मान्यवर, जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि जो इफको है, कृभको है, वह भी एक सहकारी संस्था है और इन्होंने इतना विकास किया कि आज वह पूरे देश की ही नहीं, अपितु दुनिया की एक मानी हुई संस्था है।

मान्यवर, जिस समय गेहूँ हो जाए हमारे धनानन्तिक नगर में, हरिद्वार में उसको टेक-अप करने का जो सिस्टम है, वहीं तक सीमित था, किन्तु हमारी सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से ऐसे नियम बनाए कि कॉपरेटिव सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इको टूरिज्म का क्षेत्र हो, जाएगा। मान्यवर, ये प्रयास हमारे एक्ट में किए गए हैं ताकि हमारे देश का किसान, छात्र अपने पैर पर खड़ा हो सके और अपने प्रदेश की साख देश में बना सके। इसी के मद्देनजर इस एक्ट का अनुमोदन हमारी सरकार चाहती है, मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि "उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी सहकारिता आन्दोलन की बात कर रहे थे और आन्दोलन से जुड़ करके उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम है, जो विधि है उसके अनुरूप सहकारिता आन्दोलन को उचित गति नहीं मिल पा रही थी।

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ कारणों से यहाँ सहकारिता की अपेक्षित गति नहीं मिल पायी है। मान्यवर, इस विधेयक के अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह विधेयक कुछ उपबन्धों को छोड़कर केवल यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधेयक की सत्य प्रतिलिपि है। मान्यवर, यह सत्य है कि अभी तक सहकारिता

आन्दोलन को उचित बल नहीं मिल पाया। सहकारिता आन्दोलन जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर वास्तव में नहीं पहुँच पाया लेकिन जब से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है और यहाँ पर नव निर्वाचित सरकार को एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है तो मान्यवर, जिस तरह इस पर विचार करना चाहिए था वह नहीं हुआ। आखिर वे कौन से कारण थे जिनके कारण यह सहकारिता आन्दोलन अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुँच पाया। इस विधेयक के अध्ययन करने के बाद जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि यह विधेयक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की कापी है। मान्यवर, जो छोटी संस्था होती है बाद में वे बड़ी संस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उस छोटी संस्था में जो प्रारम्भिक ऋण समितियाँ होती हैं उनकी निश्चित रूप से उपेक्षा होती है इस एक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, संस्था में सदस्य नामित किए जाते हैं और जो व्यक्ति उसमें नामित होता है उसके लिए कोई न कोई प्राविधान होना चाहिए जो वास्तव में एक सक्रिय काश्तकार हो। जो उनकी तकलीफों को समझ सके, इसका प्राविधान होना चाहिए था।

मान्यवर, यह दुःखद स्थिति है कि कुछ लोग जो राजनीति करते हैं जिनको सहकारिता से कोई लेना–देना नहीं होता है वे इसमें दखलनदाजी करके समितियों में अपने सदस्य बनाते हैं, इसके लिए भी इसमें कोई न कोई प्राविधान होना चाहिए कि अन्य राजनैतिक क्षेत्र से आये हुए व्यक्ति सहकारी संस्थाओं में हस्तक्षेप न कर सकें। यह अनुभव की बात है। मान्यवर, पाँच वर्ष का कार्यकाल एक ही संस्था में किसी निदेशक को दोबारा मिलेगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी समितियों में पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद उसे दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें छोटे काश्तकारों का हित होगा और उन लोगों को लाभ मिलेगा तो सहकारिता से जुड़े हुए छोटे किसान या काश्तकार होंगे। इस एक्ट में प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों के आडिट एवं निरीक्षण की समुचित व्यवस्था इस एक्ट में विधिवत नहीं है। नाबार्ड के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत चीनी मिलों को वित्त पोषण में व्यवधान है। उत्तरांचल में जिला सहकारी बैंक के पास पर्याप्त संसाधन है जिसके लाभप्रद विनियोजन की समस्या है। वर्तमान में उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत संचालित 9 चीनी मिलों में से 4 को जिला सहकारी बैंक व 3 को उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है।

मान्यवर, जिसमें सहकारी क्षेत्र का लगभग 350.00 करोड़ रुपया विनियोजित है, नाबार्ड द्वारा वर्तमान में निर्गत ऋण अनुप्रवर्तन योजना सम्बन्धी निर्देशों के तहत जिला सहकारी बैंकों द्वारा किसी एक सहकारी चीनी मिल को अपनी निजी पूँजी के 50 प्रतिशत तक तथा गैर सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल को अपनी निजी पूँजी का 25 प्रतिशत तक ही वित्त पोषित किया जा सकता है। इन निर्देशों के 30 जून, 2001 से लागू हो जाने से जिला सहकारी बैंकों द्वारा चीनी मिलों को वित्तपोषण किया जाना सम्भव नहीं होगा फलस्वरूप एक लाभप्रद ऋण व्यवसाय तकनीकी कारणों से सहकारी क्षेत्र से बाहर चला जायेगा जो कि सहकारी संस्थाओं के हित में नहीं होगा।

मान्यवर, इस विधेयक द्वारा निक्षेप संचय एवं ग्राहक सेवा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पायेगा। सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सहकारिता मूवमेन्ट फेल हो गया है। हमें उन कारणों पर विचार करना चाहिए जिन कारणों के कारण यह मूवमेन्ट फेल हुआ। हम केवल एक्ट इसलिए ले आए कि लोग यह न कहने लगें कि एक वर्ष हो गया और सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण कैसे उपलब्ध हो

पायेगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। काश्तकार की अपनी–अपनी समस्याएं होती हैं। किसी काश्तकार को किसी चीज के लिए ऋण चाहिए और दूसरे काश्तकार को दूसरे काम के लिए। कैसे हम काश्तकार का हित कर पायेंगे, इसका जिक्र नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी इसका भी संज्ञान लें। समिति के सदस्यों को जो ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें अन्य बैंकों की तुलना में उनसे अधिक ब्याज लिया जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। गांवों में सहकारी बैंकों की आवश्यकता है। हम किस तरह गांवों में अधिक सहकारी बैंक खोल सकते हैं, इस पर विचार किया जाये। मान्यवर, भूमि विकास बैंक जो घर–घर जाकर ऋण बाँटता है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको बंद करने का प्रस्ताव यहाँ पर कर दिया। माननीय मंत्री जी सहकारिता मूवमेन्ट फेल होने की बात कहकर विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है, माननीय मंत्री जी से कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और यदि वापस नहीं लेते तो इसे सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके अगले सत्र में या फिर यह सत्र आगे बढ़ता है तो फिर इसी सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाये।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा रखे गये संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पर अपने विचार रखे गये। उसमें उन्होंने जो समितियां निष्क्रिय एवं डिफाल्टर हैं उस पर भी अपने विचार रखे। सहकारी समितियों का कार्य उसमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा उनका विकास करना है। इसलिए सहकारी समितियों के चुनाव हर तीन साल में कराये जाते हैं। लेकिन सहकारी समितियों का कार्यकाल मार्च, 2003 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार ने वहां पर चुनाव न कराकर अपने आदमियों को वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया और उनका कार्यकाल भी 6 महीना रख दिया। जब तक सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराये जायेंगे तब तक उसमें जनता की भागीदारी नहीं हो सकेगी और न ही उसका विकास हो पायेगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सहकारी समितियों के चुनाव तत्काल कराये जायें लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में पीछे हट रही है।

मान्यवर, दूर–दराज के क्षेत्रों में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि सहकारी समिति होती क्या है? आज जो निष्क्रिय और डिफाल्टर समितियां हैं उनमें होता यह है कि जिनको ऋण मिलना चाहिए उनको ऋण नहीं मिल रहा है और समितियों के सचिव महज खानापूर्ति के लिए तथा अपनी नौकरी बचाने के लिए उन लोगों को भी ऋण दे देते हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं है। समिति जो 3 प्रतिशत अतिरिक्त पैसा लेती है, मैं तो चाहता हूँ कि उसको 2 प्रतिशत कर दिया जाय। जो यह अतिरिक्त पैसा है क्या उसे काश्तकारों के ऋण में जोड़ा जायेगा? इसकी जानकारी भी मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ।

अपने भाषण में माननीय मंत्री जी ने जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां की बात की है, उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इसके लिए कोई चयन बोर्ड आदि बनाया जायेगा या ऐसे ही वे नियुक्तियां कर दी जायेंगी? क्या नियुक्ति देने के लिए सरकार कोई मानक तैयार कर रही है?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ और आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो एक महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सहकारिता को रजिस्ट्रार के चंगुल से मुक्त कर दिया। मगर विचित्र बात यह है कि आपने उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए और चुनाव नहीं कराए। इस प्रकार सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। मान्यवर, दूसरी बात माननीय मंत्री जी यह बतायी कि हमने 3 वर्ष के बजाय 5 वर्ष में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इससे क्या लाभ होगा? यदि 3 साल से बढ़ाकर 5 करने पर कोई फायदा हो रहा है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको बढ़ाकर 10 साल कर देना चाहिए था। मान्यवर, अच्छा तो यह होता कि आप सहकारी समितियों को अंशदान देने की बात करते। आपने यह स्वीकार किया कि सहकारी समितियां बहुत कमजोर हैं, तो क्या सरकार सहकारी समितियों को अंशदान देने पर विचार करेगी?

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आपने उत्तर प्रदेश के एक्ट को नकल कर यहां सदन में रख दिया। मगर उसके अन्दर जो खामियां थी, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि साधन सहकारी समितियों में जो फर्जी ऋण और उसका भुगतान दिखाया जाता है, वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, सिर्फ इंट्री कर दी जाती है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की अनियमितता को रोकने के लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे दूर–दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था चरमराई हुई है, तो क्या आपने दूर–दराज के क्षेत्रों में मिनी बैंक स्थापित करने की कोई व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से की है? इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक या जिला को–ऑपरेटिव बैंक हैं, उनकी जो ब्याज दर है, क्या उनकी अपेक्षा इन सहकारी बैंकों की ब्याज दर अधिक है? यदि ब्याज दर अधिक है तो आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? मान्यवर, अभी आपने कहा कि सहकारी समितियों की आय के साधन नहीं हैं तो क्या आप इन सहकारी समितियों की आय के साधन बढ़ाने के लिए वन, खनन में इन समितियों को काम देंगे?

मान्यवर, आपने कहा कि हम रोजगार बढ़ायेंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपकी कार्ययोजना क्या है? क्या–क्या योजनायें आप लागू करने जा रहे हैं? ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आप यहाँ पर दो विधेयक लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दो विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ गयी? आप दो विधेयक ला रहे हैं तो आप दोनों में से किस विधेयक को महत्व देंगे इसको या बाद वाले को। मेरे विचार से एक ही विधेयक होना चाहिए, उसमें सारगर्भित बातें होनी चाहिए, सहकारिता को बल देने के लिए उसमें ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। जो उत्तर प्रदेश का सहकारिता समिति विधेयक था यहाँ पर उसी को तोड़–मरोड़ करके पेश किया गया, इससे उत्तरांचल की जनता को फायदा होने वाला नहीं है। इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूँ "उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का पहला सहकारी समिति अधिनियम बनने जा रहा है, यह विधेयक आया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सहकारी समिति अधिनियम में कुछ खामियों की वजह से उत्तरांचल में सहकारिता का विकास नहीं हो पाया। मैंने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की जो नकल है उसमें उत्तरांचल के विकास के लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाये गये हैं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का विकास सहकारिता के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता था, यदि हम अपने इस विधेयक में यहाँ के बेरोजगारों के लिए विशेष प्राविधान करते, मसलन श्रम संविदा सहकारी समितियों को विशेष अधिकार देकर, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को, औद्योगिक और औद्यानिक सहकारी समितियों को विशेष अधिकार प्रदान करते तो उत्तरांचल का विकास सहकारिता के माध्यम से होता। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उत्तरांचल में सहकारी समितियों को सरकारी नियंत्रण से दूर रखा गया है। मान्यवर, सहकारिता में एक कहावत प्रचलित है कि जब तक इसके ऊपर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नियंत्रण रहेगा तब तक सहकारिता का विकास नहीं हो सकता है।

ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मेरा तात्पर्य है कि निबन्धक, उपनिबन्धक और सहायक निबन्धक से है इसके नियंत्रण से सहकारी समितियों को मुक्त रखा जाना चाहिए। मान्यवर, विधेयक में धारा–ब(2) में केन्द्रीय सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय सहकारी समिति जिसमें जिला सहकारी बैंक भी आते हैं। अच्छा होता बैंकिंग के क्षेत्र में दो स्तरीय सहकारिता की व्यवस्था होती।

श्री अध्यक्ष–

पंवार जी समय बहुत कम है। कृपया संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही अपनी बात को रख रहा हूँ समय बहुत कम है वरना मैं इसके फायदे भी गिनाता। मान्यवर, इस विधेयक में धारा 29 में उल्लेख किया गया है कि जहाँ किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी। निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र अधिनियम, नियमों और समिति

की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धक कमेटी का पुनर्गठन होने तक समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में कमेटी कहा गया है) नियुक्त करेगा और निबन्धक को समय-समय पर यथास्थिति प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी। मान्यवर, यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश सहकारिता समिति अधिनियम में भी थी। मान्यवर, धारा 34 का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें लिखा गया है कि नाम निर्दिष्ट करने की जो व्यवस्था है उसके अनुसार राज्य सरकार दो लोगों को निर्दिष्ट करेगी। मेरा सुझाव है कि इसमें जो सहकारिता से जुड़े लोग हों उनके विशेषज्ञों के नाम निर्दिष्ट किए जाएं। इसमें यह संशोधन होना चाहिए । मान्यवर, 95 के अन्तर्गत इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि वसूली कौन करेगा। पूर्व के अनुभवों के अनुसार जो वसूलियाँ सहकारिता विभाग के पास थी उनमें वसूलियाँ कम हुई और जो वसूलियाँ राजस्व विभाग के पास थी उनमें बहुत लाभ हुआ।

मान्यवर, पैक्स के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इस पर किसका नियंत्रण होगा। पुराने एक्ट के मुताबिक सम्बन्धित सहकारी समिति विभाग और जिला सहकारी बैंक का इस पर नियंत्रण होता था। इस विधेयक में स्पष्ट होना चाहिए कि किसी एक का इस पर नियंत्रण होना चाहिए। मान्यवर, शीर्ष सहकारी समितियों का मुख्यालय राजधानी में होना चाहिए इसमें यह प्राविधान भी नहीं है। मान्यवर, इन समितियों के सदस्य निर्वाचित होते हैं, वे अपने में से प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि अपने में से संचालक चुनता है तथा संचालक, अध्यक्ष को चुनते हैं। मान्यवर, यह व्यवस्था पूर्व में थी, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। मान्यवर, इस एक्ट में व्यवस्था होनी चाहिए थी कि सीधे-सीधे जो हमारे सदस्य हैं, उनके द्वारा ही संचालकों का चुनाव किया जाना चाहिए। मान्यवर, जब तक हमारे ये संशोधन इसमें सम्मिलित नहीं किये जाते तब तक मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत से बिन्दुओं की ओर माननीय प्रकाश पंत ने इंगित कराया मैं भी श्री पंत के विचारों से सहमत हूँ। मान्यवर, यह विधेयक स्वयं ही अपने में चर्चा का विषय बन गया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान धारा 98(ड) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, इसमें उल्लेख किया गया है कि धारा 125 के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन या विभाजन का निदेश दिया गया है। मान्यवर, जबकि सत्यता यह है कि (व्यवधान)

मान्यवर, इस विधेयक के खण्ड 125 में वसूल न की जाने वाली परिसम्पत्तियों का बट्टे खाते में डाल सकती है। मान्यवर, यह अपने आप में इस विधेयक की विसंगति को दर्शाता है। मान्यवर, इसी तरह से खण्ड 98-ट में धारा 128 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिए दिया गया आदेश। जबकि धारा 128 में नियम बनाने का निबन्ध है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की नकल को भी ठीक तरीके से नहीं किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर एक्ट इसी रूप में प्रकाशित हो गया तो एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वह बेकार हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे प्रवर

समिति को भेजना अति आवश्यक हो गया है। मान्यवर, अध्याय 3 की धारा 24-1 में लिखा है कि सहकारी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति, मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगी जो नियत रीति से नाम निर्दिष्ट किये गये हों, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को करेगी जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो। प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा संक्रमण तब तक नहीं किया जायेगा जबकि यथास्थिति, ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति का सदस्य न बना लिया जाय। मान्यवर, इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सदस्य है और उसके यहाँ के बाकी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो ऐसी स्थिति में समिति के सदस्य को आप कैसे बनायेंगे। क्या सरकारी नौकर को समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। मान्यवर, इस बात का स्पष्टीकरण इसमें आना चाहिए था क्योंकि यह टेक्निकल चीजें हैं। इसी के साथ मैं माननीय श्री प्रकाश पंत जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ और मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसको प्रवर समिति को भेज दें और वह अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर दें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय पंत जी, माननीय धुकाल जी, माननीय कण्डारी जी, माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी, माननीय महेन्द्र भट्ट जी तथा वरिष्ठ माननीय अजय भट्ट जी आप सबके विचारों के अनुरूप, जो आपने चिन्ता जाहिर की, उसको जो आपने प्रश्न उठाए उसके तहत एक बात मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो चुनाव के बारे में हुआ है कि चुनाव कब करायेंगे, तो मान्यवर, चूँकि एक्ट अब सदन में प्रस्तुत हो रहा है, पास होने के बाद यथाशीघ्र चुनाव कराए जायेंगे। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कोई तब्दीली की बात नहीं है। दूसरी जो समय–सीमा की बात आयी है कि 3 साल की जगह 5 साल क्यों किया गया। मान्यवर, 3 साल की जगह 5 साल का और जो यह सवाल उठा कि कुछ लोग इसमें मिस–यूज कर सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मान्यवर, जब एम0एल0ए0 5 साल के लिए चुना जाता है, ग्राम प्रधान 5 साल के लिए चुना जाता है और अन्य स्टेटों में भी इसके लिए 5 साल का प्रावधान है, मान्यवर, हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी जो सहकारिता आन्दोलन से पूर्ण रूप से जुड़े रहे, और आज भी जुड़े हैं उनके ही दिशा–निर्देशन में यह तैयार हुआ है। मान्यवर, मेरा मानना है कि 5 साल के अन्तराल में कोई भी व्यक्ति जो सहकारिता आन्दोलन से जुड़ा हुआ है, वह कहीं–न–कहीं इसी गन्तव्य स्थान तक पहुँचाएगा।

मान्यवर, इसमें जो शंका जाहिर की गयी है कि मिस–यूज होगा तो जो को–ऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या जो हमारी प्रारम्भिक समितियाँ हैं उनका जो मुख्य व्यक्ति है यदि वह गड़बड़ करता है तो 5 साल में क्या वह तो 5 मिनट में भी कर देगा। मान्यवर, जो व्यक्ति इसमें गड़बड़ी करेगा उसके लिए सजा का प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया है। दूसरी बात, मान्यवर, जो हमारे पंत जी ने सवाल किया, पंत जी सहकारिता के क्षेत्र में बहुत ही रुचि रखते हैं, मेरी कई बार आपसे बातचीत भी हुई। इसमें आपने कहा कि जो नाबार्ड का प्रकरण है तो मान्यवर, इसमें नाबार्ड एक तो केन्द्र सरकार की संस्था है और हमारे राज्य

का जो अधिनियम है, नाबार्ड के एक्ट के अन्तर्गत, शर्तों के अन्तर्गत हमारे राज्य में हम अपने प्रदेश के हिसाब से व उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यह प्रावधान है। जो आपने मध्यकालिक, अल्पकालिक ऋण की बात की जो माननीय सुफाल जी ने और सम्मानित सदस्यों ने कहा कि भूमि विकास बैंक की बात की इसे एक साथ रखने की। मान्यवर, काश्तकारों को वह लाभ नहीं दिए गए जिसके मकसद से यह बनाये गये थे।

मान्यवर, एक ही रेंज में जो भूमि से सम्बन्धित ऋण होगा वह को-ऑपरेटिव बैंक से दिया जायेगा। दूसरा मान्यवर, जो प्रीतम सिंह पंवार जी ने सवाल उठाया उसमें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था टू टियर, थ्री टियर की बात है तो यह एक नीतिगत प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री पंवार जी ने चार माह पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की बात है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है जब वहाँ का टाईम आयेगा तो रजिस्ट्रार की पूरी ड्यूटी है कि वह टाइमली चुनाव करवाए। सरकार की यह कतई मंशा नहीं है कि टाइमली चुनाव न कराये जायें। मान्यवर, इसमें थोड़ी देरी इसलिए हो गयी क्योंकि आचार संहिता चल रही थी। और दूसरा एक्ट नहीं बना था हमारे प्रदेश का। अब चूँकि नया एक्ट बन गया है और जैसे ही यह एक्ट पास होता है तभी से चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी। मान्यवर, दूसरा जो माननीय सुफाल जी ने बात कही ऋण की। तो उसमें जो ऋण सीमा 3,500 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से उसको 10,000 रु० प्रति एकड़ तक अन्य फसलों को दे सकते हैं, ऐसा प्राविधान है। तीसरा माननीय श्री अजय भट्ट जी द्वारा जो धारा 98 का जिक्र किया गया है वह भी टैक्निकल है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इसे पारित करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1–धारा 1–संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दिनांक निश्चित करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है, कि घोषणा में निर्दिष्ट किये जाने वाले कोई उपबन्ध इस प्रकार निश्चित दिनांक से प्रचलित न होंगे और उस दशा में ऐसे उपबन्ध उस दिनांक या उन दिनांकों से प्रचलित होंगे, जो राज्य सरकार उसी प्रकार तदर्थ निश्चित करे।

2–परिभाषायें–

जब तक किसी प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(अ) "सहकारी समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी समिति से है ;

(ब) "प्रारम्भिक समिति" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि :–

(i) किसी सहकारी क्रय–विक्रय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से अधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, चाहे उसका साधारण सदस्य कोई अन्य समिति हो या नहीं,

(ii) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अध्याय 6 के अधीन क्रय किया है, ऐसा अंश क्रय किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक समिति ही रहेगी,

(iii) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रसायनिक खाद, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह और अपने साधारण सदस्यों में वितरित करना हो और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य अन्य सहकारी समिति हों।

(ब–1) "ऋण समिति" का तात्पर्य उस समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो।

(ब-2) "केन्द्रीय समिति" या "केन्द्रीय सहकारी समिति" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसका साधारण सदस्य कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो प्रारम्भिक सहकारी समिति न हो ;

(भ) "शीर्ष समिति" "शीर्ष स्तर समिति" या "राज्य स्तर सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी समिति से है –

(1) जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में फैला हुआ है ;

(2) जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने से सम्बद्ध सदस्य समितियों के मुख्य उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में सहायता देना तथा सुविधायें एवं सेवायें प्रदान करना है तथा,

(3) जिसे निबन्धक द्वारा शीर्ष समिति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

(म) "कृषि समिति" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि करता हो, जिसके अन्तर्गत कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या क्रय-विक्रय, उद्यानीकरण, चाय की खेती, रेशम के कीड़े पालना एवं पशुपालन, जिसके अन्तर्गत शूकर-पालन, मत्स्य सम्बर्द्धन, कुक्कुट पालन और दुग्ध व्यवसाय भी है ;

(य) "मध्यस्थ" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो निबन्धक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो ;

(य-1) "मध्यस्थ मण्डल" का तात्पर्य उस निकाय से है, जो निबन्धक द्वारा उसको अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो ;

(र) "उप-विधि" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित उप-विधि से है ;

(ल) "सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके समापित होने की दशा में, उसके ऋणों के लिए उसके प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस समिति की उपविधियों द्वारा सीमित हो ;

(व) "असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसके सदस्य, उसके समापित होने की दशा में, उसके समस्त आभारों के लिए तथा समिति की परिसम्पत्तियों में न्यूनता पाये जाने पर उनमें अंशदान देने के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक उत्तरदायी हों तथा परिसम्पत्तियों की न्यूनता (डेफीसिट) में योगदान करें ;

(श) "प्रबन्ध कमेटी" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की ऐसी कमेटी से है चाहे, वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जिसे समिति के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो ;

(ष) "सहकारी वर्ष" का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से प्रारम्भ होकर अगले मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त होने वाले वर्ष से है ;

(ङ) "लाभांश" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की अंश–पूंजी में सदस्यों द्वारा धारित अंशों पर, लाभ से दिये जाने वाली उस राशि से है, जिसे अंश–पूंजी के अनुपात में सदस्य को वितरित किया जायेगा ;

(ह) "वित्त पोषक बैंक" का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य, सदस्य अथवा अन्य सहकारी समितियों को रूपया उधार देना है, जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में परिभाषित शेड्यूल्ड बैंक एवं अन्य निगमित निकाय (Corporate Body) व वित्तीय संस्थायें सम्मिलित होंगी, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है तथा जो सहकारी समिति को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करती है ।

(ह–1) "कोआपरेटिव बैंक" का तात्पर्य उस समिति से है जो बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1964 की धारा 5 की उपधारा एक (ख) में परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय करती हो ;

(ह–2) "अरबन कोआपरेटिव बैंक" का तात्पर्य प्राथमिक कृषि ऋण समिति से भिन्न प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक से है ;

(1) जिसका प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय करना हो ;

(2) जिसकी अंश पूंजी एवं संचित निधि तत्समय प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्डों के अनुरूप हो ;

(3) जिसकी उप विधियों में किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य बनाना अनुमन्य न हो।

(ह–3) श्रम संविदा सहकारी समिति, वेतनभोगी सहकारी समिति, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समितियां –

क्रमांक–1(क) परिसमापक का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सहकारी समिति के कार्यों को समापित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है,

(ख) "अधिकतम दायित्व" का तात्पर्य उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी सहकारी समिति द्वारा उधार ली जा सकती हो, इसके अन्तर्गत अंश पूंजी नहीं है ;

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी समिति के निबन्धन के लिए दिये गये प्रार्थना–पत्र में सम्मिलित हुआ हो, अथवा ऐसे व्यक्ति से है जिसे तत्समय प्रचलित अधिनियम नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे निबन्धन के पश्चात सदस्य बनाया गया हो, किन्तु इस अधिनियम में कहीं पर भी किसी अधिकार के रखने या उसका प्रयोग करने अथवा किसी दायित्व या कर्तव्य के विद्यमान होने का निर्देश करने के सम्बन्ध में "सदस्य" के निर्देश के अन्तर्गत सदस्यों के किसी वर्ग का निर्देश न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण ऐसा अधिकार नहीं रखता या जिसका कोई दायित्व या कर्तव्य न हो ;

(घ) "सहकारी समिति का अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, चीफ एक्जीक्यूटिव–मैनेजिंग प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, कोषाध्यक्ष,

परिसमापक, प्रशासक अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से है, जो पारिश्रमिक पर अथवा बिना पारिश्रमिक के समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा निर्देशन करने के लिए चुना गया हो, सहकारी समिति द्वारा नामित किया गया हो अथवा नियोजित किया गया हो ;

(व.) साधारण सदस्य का तात्पर्य सहकारी समिति के ऐसे सदस्य से है, जिसको इस अधिनियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति के कार्यों में मत देने का अधिकार हो ;

(श) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;

(ष) "निबन्धक" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसे अधिकारियों से भी है जो निबन्धक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करे ;

(स) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(ह) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है ;

(क्ष) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संगठित सहकारी न्यायाधिकरण से है ;

(त्र) "उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद" (उत्तरांचल स्टेट कोआपरेटिव काउन्सिल) का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के लिए अध्याय 13 "क" में अंकित प्राविधानों के अनुसार गठित परिषद् (काउन्सिल) से है।

अध्याय–2

निबन्धक एवं निबन्धन

3–निबन्धक अन्य अधिकारी तथा उनके अधिकार–

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का निबन्धक नियुक्त कर सकती है।

(2) निबन्धन को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य सम्पादन में सहायता देने के लिए राज्य सरकार ऐसी संख्या में अपर निबन्धक, संयुक्त निबन्धक, उप निबन्धक, सहायक निबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों को ऐसे पदनामों से जैसा वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकती है।

(3) (अ) राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनकी नियुक्ति उप धारा 2 के अन्तर्गत हुई है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक के सभी अथवा कोई अधिकार प्रदान कर सकती है ;

(ब) सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति उप धारा (2) के अन्तर्गत हुई है, निबन्धक के सामान्य निर्देशों, अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगें ;

(स) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उप धारा (2) के अधीन कोई

आदेश दिया गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उक्त उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझे जायेंगे।

4–सहकारी समितियां जो निबन्धित की जा सकती हैं–

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना हो अथवा कोई समिति जो उक्त समिति के कार्य संचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो इस अधिनियम के अधीन निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन नहीं किया जायेगा, जो निबन्धक की राय में आर्थिक रूप से सुरक्षित (Economically sound) नहीं है, अथवा उसके निबन्धन से किसी अन्य समिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा वह समिति तथा उसके कार्य लोक नीति के विरुद्ध हैं।

सहकारिता सिद्धान्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे –

(1) स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता।

(2) लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण।

(3) सदस्य की आर्थिक सहभागिता।

(4) स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता।

(5) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना।

(6) सहकारी समितियों के बीच सहयोग।

(7) समुदाय के लिए चिंता।

5–सीमित अथवा असीमित दायित्वपूर्ण निबन्धन–

(1) कोई समिति, सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन जिसका कोई साधारण सदस्य दूसरी सहकारी समिति हो सीमित दायित्व वाली समिति के रूप में होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सीमित दायित्व वाली समिति के नाम का अन्तिम शब्द "सीमित" अथवा उसका अंग्रेजी पर्याय (Limited) होगा।

6–निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र–

(1) समिति के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र निबन्धक को नियत रीति से ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा, जो निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करे, तथा प्रार्थी समिति के सम्बन्ध में उसे ऐसी समस्त सूचना देंगे, जिसकी वह अपेक्षा करे ।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायेगी, अर्थात–

(क) इसके साथ समिति की प्रस्तावित उपविधियों की तीन प्रतियां होंगी ;

(ख) प्रार्थी धारा 17 के अधीन सदस्यता का पात्र होगा ,

(ग) प्रार्थना-पत्र पर प्रत्येक ऐसे प्रार्थी के यदि वह व्यक्ति विशेष हो और किसी यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के, यदि प्रार्थी धारा 17 के खण्ड (ख) से (घ) तक के किन्हीं भी खण्डों में उल्लिखित कोई व्यक्ति हो, यथाविधि हस्ताक्षर होंगे;

(घ) ऐसे प्रार्थियों की संख्या, जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि समस्त प्रार्थी व्यक्ति विशेष हो, तो दस से कम न होगी और अन्य दशाओं में पांच से कम न होगी ;

(ङ) यदि समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को ऋण देने के लिए निधियों का सृजन करना भी हो तो समस्त प्रार्थी जिन्हें समिति का साधारण सदस्य होना हो, यदि वे व्यक्ति विशेष हों तो एक ही गांव अथवा नगर में अथवा आसन्नवर्ती गांव के समूह में रहते हों अथवा एक ही वर्ग के हों ;

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही वर्ग का माना जायेगा, यदि वे एक ही व्यवसाय करते हों अथवा एक ही सेवायोजक के अधीन हों।

7-निबन्धन-

(1) यदि निबन्धक का समाधान हो जाय कि -

(क) प्रार्थना-पत्र अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार है ;

(ख) प्रस्तावित सहकारी समिति के उद्देश्य धारा 4 के अनुसार हैं ;

(ग) प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं है; तथा

(घ) प्रस्तावित समिति सामान्यतया अथवा समितियों के उस वर्ग के जिस वर्ग की वह विशेष समिति हो, किन्हीं शर्तों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में नियमों की अपेक्षाओं की तथा सुरक्षित कारोबार (Sound Business) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है, और उसकी सफलता प्राप्त करने की समुचित सम्भावनायें हैं, तो निबन्धक समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक यदि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो महीने के भीतर समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इन्कार करने का अन्तिम आदेश नहीं देता तो प्रार्थी उस प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दे सकता है, जो किसी समिति को निबद्ध करने से इन्कार करने के निबन्धक के आदेशों के विरुद्ध धारा 98 के अधीन अपील सुनने के लिए सक्षम हो और यदि ऐसा प्राधिकारी निबन्धक से रिपोर्ट मांगने के पश्चात समिति का निबन्धन करने के लिए आदेश दे तो समिति निबन्धक को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से यथाविधि निबद्ध की गई समझी जायेगी ।

(2) यदि निबन्धक किसी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना-पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से एक को संसूचित करेगा।

8–निबन्धन प्रमाण–पत्र–

(1) यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित हो अथवा धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबन्धित समझी जाय, तो निबन्धक अपने हस्ताक्षरयुक्त निबन्धन प्रमाण–पत्र जारी करेगा। जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि निबन्धन रद्द कर दिया गया है, तब तक उक्त प्रमाण–पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होगा कि उसमें उल्लिखित समिति इस अधिनियम के अधीन यथाविधि निबन्धित सहकारी समिति है।

(2) कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुए तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक समिति के लिए उपधारा (1) के अधीन निबन्धन प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य जो इस उपधारा का उल्लंघन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप में भागी होगा।

9–सहकारी समितियां निगमित निकाय होंगी–

निबन्धन हो जाने से समिति उसी नाम से जिससे वह निबन्धित हुई हो, निगमित निकाय हो जायेगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा सामान्य मुद्रा होगी। उनको सम्पत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विधिन्न कार्यवाहियां संस्थित करने तथा उनका प्रतिवाद करने और जिस प्रयोजन के लिए वह संगठित हो, उसके लिए आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

10–सहकारी समिति का नाम परिवर्तन–

(1) सहकारी समिति अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपना नाम परिवर्तित कर सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति अपना नाम परिवर्तित करती है, तो निबन्धक सहकारी समितियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा तथा निबन्धन प्रमाण–पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।

(3) सहकारी समिति के नाम परिवर्तन से न तो समिति या उसके किन्हीं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों अथवा यदि उनमें से कोई मृत हो तो उसके दायादों के अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और न सहकारी समिति द्वारा या उसके विरुद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जायेगी, तथा कोई विधिक कार्यवाही जो समिति द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पहले के नाम से जारी रखी गयी हो या आरम्भ की गयी हो, उसके नये नाम से जारी रखी या आरम्भ की जा सकती है।

11–दायित्व में परिवर्तन–

(1) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहकारी समिति, अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी मात्रा में परिवर्तन कर सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति ने अपने दायित्वों के स्वरूप या उनकी आयति में परिवर्तन करने के लिए संकल्प पारित किया हो तो वह उसकी लिखित नोटिस अपने सभी सदस्यों और ऋणदाताओं को देगी तथा किसी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, किसी सदस्य या ऋणदाता को उस पर नोटिस तामील होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति अपने अंशों, जमा की गयी धनराशि या ऋणों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा।

(3) किसी ऐसे सदस्य या ऋणदाता के सम्बन्ध में, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग न करे, यह समझा जायेगा कि उसने परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है।

(4) किसी सहकारी समिति की उपविधियों का ऐसा संशोधन जिसके द्वारा उसके दायित्व के स्वरूप या उसकी आयति में परिवर्तन किया गया हो, उस समय तक निबन्धित नहीं किया जायेगा जब तक कि –

(क) उसके लिए समस्त सदस्यों तथा ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त न हो जाय या प्राप्त हुई न समझी जाय अथवा

(ख) ऐसे सदस्यों तथा ऋणदाताओं के समस्त दावों की पूर्ति जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर करे, पूरी तौर से न कर दी गई हो।

12–सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन–

(1) सहकारी समिति इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत रीति से अपनी उपविधियों का संशोधन कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संशोधन तब तक वैध तथा प्रवर्ती न होगा जब तक कि वह (संशोधन) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाय।

(2) उपविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव निबन्धक के पास भेजा जायेगा और यदि निबन्धक का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन–

(1) अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है, तथा

(2) अधिनियम या नियमों के अन्य उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है,तो वह संशोधन को निबन्धित कर सकता है।

(3) यदि निबन्धक किसी सहकारी समिति की उपविधियों के संशोधन को निबन्धित करने से इन्कार करे तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित समिति को संसूचित करेगा।

13–उपविधियों के संशोधन कब प्रचलित होंगे–

यदि यह अभिव्यक्त हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का कोई संशोधन निबन्धन के पश्चात् किसी विशेष दिनांक से प्रवर्ती होगा तो वह उसी दिनांक से प्रचलित होगा, किन्तु अन्य सब दशाओं में उस दिनांक से प्रचलित होगा जब वह निबन्धित हुआ हो।

14–उपविधियों में संशोधन करने का निर्देश देने का अधिकार–

(1) यदि सहकारी समिति के किसी सदस्य के अभ्यावेदन पर या अन्यथा निबन्धक की राय यह हो कि सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन उक्त समिति के हित में अथवा सार्वजनिक हित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह उन परिस्थितियों के अधीन जो नियत की जायें, रजिस्ट्री डाक द्वारा समिति को लिखित आदेश जारी करके, समिति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त संशोधन ऐसे समय के भीतर करे, जिसे वह आदेश में निर्दिष्ट करे।

(2) यदि समिति निर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन न करे तो निबन्धक समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे संशोधन को निबन्धित कर सकता है तथा समिति को रजिस्ट्री डाक द्वारा संशोधन की एक प्रति जो उसके द्वारा एक प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो, भेज सकता है तथा उक्त प्रति इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगी कि संशोधन यथाविधि किया गया है और निबन्धित कर दिया गया है तथा इसके विरुद्ध अपील यदि कोई की गयी है, के अधीन समिति एवं उसके सदस्यों पर लागू होगा।

15–सहकारी समितियों का समामेलन और विलयन–

(1) निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात कोई दो या अधिक सहकारी समितियां इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई अपनी–अपनी साधारण सामान्य बैठक में, जिसके लिए उनके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा,उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से एक समिति में समामेलित (Amalgamate) होने का या उनमें से किसी एक में विलीन होने का संकल्प कर सकती हैं। ऐसे संकल्प (जिसे आगे प्रारम्भिक संकल्प कहा गया है) में यथास्थिति समामेलन या विलयन के समस्त ब्यौरे होंगे जिनके अन्तर्गत समामेलन की दशा में नयी समिति को और विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति को उसकी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का संक्रमण और ऐसी समिति की उपविधियां भी हैं।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या किसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दिया जायेगा, और प्रारम्भिक संकल्प की प्रतियां ऐसी समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी, अर्थात् :–

(क) लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा या

(ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के अधीन लिखित रूप में प्राप्ति अभिस्वीकृत की हो उसका अपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के अभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण–पत्र के अधीन डाक द्वारा, और किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसका समिति के कार्यक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी।

(3) (i) ऐसी समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल कोई उपविधि होने पर भी, उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या,

यथास्थिति उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर नोटिस द्वारा उस समिति को जिसका वह सदस्य हो, समामेलन की दशा में नयी समिति का सदस्य न बनने अथवा विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति का सदस्य न होने या न रहने के अपने विचार की सूचना दे सकता है ;

(ii) ऐसी किसी समिति का कोई ऋणदाता इसके प्रतिकूल कोई अनुबन्ध होते हुए भी उस समिति को, जिसका वह ऋणदाता हो, उक्त अवधि के भीतर नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत होने के पश्चात उन समितियों के सदस्यों की संयुक्त बैठक, जिसके लिए उन्हें कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए बुलाई जायेगी। यदि उस बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ जो निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगी) महत्वपूर्ण न हों, उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कर दी जाये तो वह –

(1) समामेलन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नयी समिति और उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा तथा

(2) विलयन की दशा में उपधारा (5) तथा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पर अपनी स्वीकृति देगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "सदस्यों" के अन्तर्गत सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधि (Delegates) भी होंगे जो तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए चुने गये हों।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय अन्य संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी :

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (1) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (2) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर, जिसे निबन्धक उचित समझे, उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान, अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो निबन्धक नई समिति को यथास्थिति, निबन्धित करने या विलीन करने की स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है।

(7) उपधारा (4) के अधीन नई समिति के निबन्धन अथवा विलयन की स्वीकृति, यथास्थिति, समामेलित समितियों अथवा विलीन समिति या समितियों की समस्त परिसम्पत्तियों अथवा दायित्वों के समामेलन की दशा में नई समिति में तथा

विलयन की दशा में चालू रहने वाली समिति में निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कोई बात हो और यथास्थिति, नई समिति के इस प्रकार निबन्धित किये जाने या विलीन करने की स्वीकृति दी जाने पर, समामेलित समितियों या उस समिति अथवा उन समितियों का जिसे या जिन्हें अन्य समिति में विलीन कर दिया गया हो, निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा।

16–सहकारी समितियों का विभाजन–

(1) कोई सहकारी समिति, निबन्धक को यथाविधि सूचित करने के पश्चात किसी ऐसी सामान्य बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई हो और जिसके लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस उसके सदस्यों को दिया जायेगा, अपने को दो या अधिक समितियों में विभाजित करने का संकल्प कर सकती है । इस संकल्प में (जिसे आगे इस धारा में प्रारम्भिक "संकल्प" कहा गया है) समिति की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के उन नयी समितियों में विभाजित करने के प्रस्ताव समाविष्ट होंगे जिनमें उसे विभाजित करने का प्रस्ताव हो और उसमें प्रत्येक नई समिति का कार्यक्षेत्र नियत किया जा सकता है और उसे समगठित करने वाले सदस्यों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या ऐसी समिति की किसी उपविधि के होते हुए भी, इस धारा में निर्दिष्ट किसी बैठक का नोटिस समिति के सदस्यों को दिया जायगा और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों और ऋणदाताओं पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायेगी।

(3) (i) समिति का कोई सदस्य इसके प्रतिकूल किसी उपविधि के होते हुए भी (धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जैसा कि वह इस धारा को उपधारा (2) के आधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, यथास्थिति उसके खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार–पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से, 30 दिन की अवधि के भीतर) समिति को नोटिस द्वारा किसी भी नई समिति के द्वारा समिति का सदस्य न बनने के लिए अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(ii) समिति का कोई ऋणदाता, इसके प्रतिकूल किसी अनुबन्ध के होते हुए भी, उक्त अवधि के भीतर समिति को नोटिस देकर अपनी शेष धनराशि वापस मांगने के अपने विचार की सूचना दे सकता है।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के, व्यतीत होने के पश्चात प्रारम्भिक संकल्प पर विचार करने के लिए एक सामान्य बैठक बुलायी जायगी जिसके लिए उसके सदस्यों को कम से कम पूरे 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा। यदि उक्त बैठक में प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि परिवर्तनों के बिना अथवा ऐसे परिवर्तनों के साथ निबन्धक की राय में (जो अन्तिम होगा), महत्वपूर्ण न हों उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा

कर दी जाय, तो वह उपधारा (5) तथा (6) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नयी समितियों और उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा । इस निबन्धन के पश्चात् पुरानी समिति का निबन्धन रद्द कर दिया गया समझा जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की पुष्टि करते समय दूसरे संकल्प द्वारा निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जायेगी :

(1) धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन समस्त सदस्यों की अंश–पूंजी का प्रतिदान जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (1) के अधीन नोटिस दिया हो, और

(2) उन सभी ऋणदाताओं के दावों की पूर्ति जिन्होंने उपधारा (3) के खण्ड (II) के अधीन नोटिस दिया हो।

(6) यदि ऐसे समय के भीतर जो निबन्धक उचित समझे उपधारा (5) में अभिदिष्ट सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान अथवा उस उपधारा में अभिदिष्ट ऋणदाताओं के दावे की पूर्ति नहीं की जाती है तो निबन्धक नयी समितियों को निबन्धित करने से इन्कार कर सकता है।

(7) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, नयी समितियों का निबन्धन मूल समिति की समस्त परिसम्पत्तियों और दायित्वों का नयी समितियों में उपधारा (4) के अधीन पुष्टीकृत प्रारम्भिक संकल्प में निर्दिष्ट रीति से निहित होने के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा।

16–(क) सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन का निर्देश देने का निबन्धक का प्राधिकारी–

(1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि दो या अधिक सहकारी समितियों का समामेलन या विलयन उनकी शक्ति या उपयोगिता बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय है तो वह, इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उस वित्त पोषक बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समितियां ऋणी हैं, ऐसी समितियों को एक ही समिति में ऐसे समय के भीतर जिसे वह निर्दिष्ट करे, समामेलित या विलीन होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त समितियां ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेंगी जो धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समितियों के समामेलन या विलीन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समितियों को एक समिति में समामेलित या विलीन होने का निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निर्देश धारा 15 की उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध समितियों का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो इस धारा के द्वारा अपेक्षित हों।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समितियों की निधियों से, धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 15 की उपधारा (3) के क्रमशः खण्ड (1) और (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त समितियों के यथास्थिति समामेलन या विलयन की घोषणा करेगा तथा समामेलन की दशा में इस प्रकार की बनी नयी समिति तथा उसकी उपविधियों को निबन्धित करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन विलयन या नयी समिति के निबन्धन की घोषणा से धारा 15 के अधीन विलयन या निबन्धन समझा जायेगा और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

16-(ख) किसी सहकारी समिति को दो या अधिक सहकारी समितियों के विभाजित करने का निर्देश देने का निबन्धक का अधिकार-

(1) यदि निबन्धक की यह राय हो कि लोकहित में या सहकारिता आन्दोलन के हित में यह आवश्यक है या सहकारी समिति के अच्छे प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय है कि दो या अधिक समितियां बनाई जाने के लिए किसी सहकारी समिति का विभाजन किया जाना चाहिये या वह इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उस वित्तपोषण बैंक से, यदि कोई हो, परामर्श करने के पश्चात् जिसकी उक्त समिति ऋणी है,ऐसी समिति का दो या अधिक समितियों में ऐसे संघटनों, परिसम्पत्तियों, दायित्वों, अधिकारों कर्तव्यों और आभारों के साथ जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें विभाजित होने का लिखित आदेश दे सकता है और तदुपरान्त उक्त समिति ऐसी समस्त कार्यवाहियां करेगी जो धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार समिति का विभाजन न होने पर निबन्धक लिखित आदेश द्वारा समिति को दो या अधिक समितियों में विभाजित होने का निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन निबन्धक का निदेश धारा 16 के लिए सम्बद्ध समिति का प्रारम्भिक संकल्प समझा जायेगा, और निबन्धक ऐसी अतिरिक्त कार्यवाहियां करेगा जो उक्त धारा द्वारा अपेक्षित हों।

(4) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् निबन्धक सम्बद्ध समिति की निधियों से धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समस्त सदस्यों की अंशपूंजी का प्रतिदान करेगा और ऐसे समस्त ऋणदाताओं के दावों को चुकता करेगा, जिन्होंने धारा 16 की उपधारा (3)

के क्रमशः (1) या (2) के अधीन नोटिस दिया हो और तदुपरान्त नयी समितियों तथा उनकी उपविधियों को निबन्धित करेगा । इस प्रकार निबन्धन हो जाने पर पुरानी समिति का निबन्धन रद्द किया समझा जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन नयी समितियों का निबन्धन, धारा 16 के अधीन निबन्धन समझा जायेगा, और उस धारा की उपधारा (7) के उपबन्ध उन पर प्रवृत्त होंगे।

अध्याय–3

सहकारी समितियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व

17–सहकारी समिति के कौन सदस्य हो सकते हैं–

(1) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्–

(क) धारा 18 की उपधारा (3) धारा 80 तथा धारा 81 की उपधारा (2) तथा स्कूल, कालेज तथा यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के तदार्थ बनाई समिति में सदस्यता के लिए की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार संविदा करने के लिए अर्ह हो;

(ख) राज्य सरकार;

(ग) केन्द्रीय सरकार;

(घ) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 (ऐक्ट सं0 58, 1963) के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला राज्य गोदाम (वेयर हाउसिंग कारपोरेशन);

(ङ) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म;

(च) कोई निगमित निकाय, जो किसी अन्य खण्ड के अन्तर्गत न आता हो अथवा निबन्धक ने सामान्य रूप से सहकारी समितियों की या किसी विशेष समिति अथवा समितियों के वर्ग की नाममात्र या साधारण सदस्यता के लिए इस आधार पर अनुमोदित किया गया हो कि वह ऐसी समितियों के अथवा ऐसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के विकास के लिए उपयोगी है;

(छ) स्वयं सहायता समूह जो नाबार्ड (नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डवलपमेन्ट) द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करते हों;

(ज) विद्यार्थियों के हितार्थ गठित की गई सहकारी समितियों में सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई संयुक्त स्कन्ध समवाय (Joint Stock Company) या व्यक्ति ऐसी सहकारी समिति या समितियों अथवा समितियों के वर्ग में जो नियत किया जाये, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

18–सदस्यों के वर्ग–

(1) सहकारी समिति में साधारण सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के सदस्य हो सकते हैं:

(क) नाम मात्र सदस्य

(ख) सम्बद्ध सदस्य

(2) (क) वह व्यक्ति जिसके साथ सहकारी समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो, नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है;

(ख) नाममात्र सदस्य को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा, और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता का पात्र होगा।

(3) (क) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी है जो समिति के कारोबार में नौकरी या अस्थाई कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है;

(ख) सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा।

(4) इस धारा में या इस अधिनियम में अन्यत्र की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे और वह सदस्य के ऐसे दायित्वों का भागी होगा जो समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किये जायें।

19– सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि देय का भुगतान न कर दिया जाय–

सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो समिति के नियमों अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

20– सदस्यों के मत–

सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) नाममात्र तथा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा,

(क–क) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा यदि–

(1) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है या

(2) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा कि उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण–

(1) इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द 'बाकीदार' का तात्पर्य–

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो।

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

(2) समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शब्द 'देय दिनांक' का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से 6 माह की समाप्ति का दिनांक होगा।

(3) किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा यदि वह उस धनराशि का जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो –

(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरुद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिए नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व ;

(दो) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे।

(ख) यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति की सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो (नियत रीति से) ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा;

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा; और

(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के कार्यों में प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।

21– मतदान की रीति–

प्रत्येक व्यक्ति, विशेष सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

22– अंश धारण करने पर निर्बन्धन–व्यक्ति विशेष सदस्य–

(क) न तो समिति की कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से, जो उसके 1/5 से अधिक न हो और जो नियत किया जाये, अधिक धारित करेगा और

(ख) न (ऐसी धनराशि जो नियत की जाय) अधिक अंकित (Nominal) मूल्य के अंशों में कोई हित रखेगा और न उसमें किसी हित का दावा करेगा।

23– अंश या हित के संक्रमण पर निर्बन्धन–

(1) किसी सहकारी समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण धारा 22 में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा सम्बन्धी शर्तों और निर्बन्धन के अधीन होगा ;

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सहकारी समिति की अंश पूंजी में अपने अंश या हित का संक्रमण वैध न होगा ; यदि –

(क) सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारित न किया हो;

(ख) संक्रमण, समिति या समिति के किसी सदस्य के पक्ष में न किया गया हो या

(ग) संक्रमण का अनुमोदन समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा न किया गया हो।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति, ऐसी शर्तों के रहते हुए जो नियत की जाय, समिति की पूंजी में किसी सदस्य के अंश या हित का संक्रमण, अर्जन अथवा उसे वापस करने की अनुज्ञा दे सकती है।

24– किसी सदस्य की मृत्यु होने पर हित का संक्रमण–

(1) सहकारी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति, मृत सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को करेगी जो नियत रीति से नाम निर्दिष्ट किये गये हों, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को करेगी जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा संक्रमण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, यथास्थिति, ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति का सदस्य न बना लिया जाये।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति कोई ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि, समिति से इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसे मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का, जो नियत रूप से निर्धारित किया गया हो, भुगतान करे और समिति दायित्व के बने रहने के लिए धारा 25 में व्यवस्थित अवधि के व्यतीत हो जाने के 3 माह के भीतर देय राशि का भुगतान कर देगी।

(3) सहकारी समिति ऐसी अन्य समस्त धनराशियों का भुगतान, जो समिति द्वारा मृत सदस्य को देय पायी जाय, यथास्थिति, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि को करेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति के द्वारा किये गये सम्पूर्ण संक्रमण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति से की गई किसी मांग के विरुद्ध भी वैध और प्रभावशाली होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां की हुई किसी बात का अधिकार सम्पन्न दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे इस धारा के अधीन कोई संक्रमण या भुगतान किया गया हो।

(5) उपधारा (2) और (3) की किसी बात का इस अधिनियम के अधीन समिति के मृत सदस्यों के विरुद्ध अपने अवशिष्ट दावों की मृत सदस्य को देय अंश अथवा हित के मूल्य या अन्य धनराशियों से वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25- भूतपूर्व सदस्य की और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व-

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति के ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी मृत सदस्य की सम्पदा का, समिति के ऐसे ऋणों के लिए दायित्व जो -

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस दिनांक को, जब वह सदस्य ही न रह गया हो, और

(ख) किसी मृत सदस्य की दशा में, उसकी मृत्यु के दिनांक को विद्यमान थे, उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए बना रहेगा।

(2) यदि धारा 72 के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया जाये, तो ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या ऐसे मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व जो समापन आदेश के दिनांक के पूर्व दो वर्ष के भीतर, यथास्थिति, सदस्य न रह गया हो या मर गया हो, उस समय तक बना रहेगा जब तक कि समापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी न हो जाये, किन्तु ऐसा दायित्व समिति के केवल उन ऋणों के सम्बन्ध में होगा जो यथास्थिति, उसके सदस्य न रह जाने या मृत्यु हो जाने के दिनांक को विद्यमान थे।

26- सदस्य बनाना अथवा सदस्यता छोड़ना-

(1) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

(2) यदि किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनाना अस्वीकार कर दिया जाए तो अस्वीकार करने के निर्णय की संसूचना समिति द्वारा उस व्यक्ति को निर्णय के दिनांक से सात दिन के भीतर दे दी जायेगी।

(3) सहकारी समिति का कोई सदस्य, यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभू न हो, समिति को कम से कम एक माह का नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कम से कम इतनी न्यूनतम अवधि तक, यदि कोई हो, सदस्य रहा हो, जो समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाय और जिनमें छः महीने तक की अवधि के नोटिस की भी व्यवस्था की जा सकती है। सदस्यता छोड़ देने के नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में, जो नियत रीति से सुनिश्चित किये गये हों, समिति द्वारा उसे देय धनराशियों की वापसी का हकदार होगा।

26 (क) प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के लिए सर्वव्यापी सदस्यता–

(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन सदस्य बनाये जाने के लिये अर्ह है और किसी प्रारम्भिक ऋण समिति की सदस्यता के लिए नियत रीति से प्रार्थना–पत्र देता है तो वह समझा जायेगा कि वह समिति के कार्यालय में ऐसे प्रार्थना–पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से ऐसी समिति का सदस्य बनाया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन उक्त व्यक्ति के सदस्य बनाये जाने के दिनांक के पश्चात् किसी समय यह पता लगे कि संबद्ध व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन ऐसी समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है, तो निबन्धक इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी, ऐसा पता लगने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या तो स्वतः या सम्बद्ध समिति के प्रार्थना–पत्र पर ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का नोटिस दे सकता है कि उसे समिति की सदस्यता से क्यों न हटा दिया जाये, और ऐसा व्यक्ति निबन्धक के इस निमित्त दिये गये आदेश पर आदेश के दिनांक से, ऐसी समिति का सदस्य न रह जायेगा।

27– सदस्य का समिति का निबन्धक द्वारा हटाना या निकाला जाना–

(1) सहकारी समिति, संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को, अपनी सदस्यता से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे कारणों से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, हटा या निकाल सकती है।

(2) निबन्धक भी किसी व्यक्ति को सहकारी समिति की सदस्यता से हटा या निकाल सकता है:–

(क) यदि वह व्यक्ति सदस्यता के लिए अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या वह इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के अधीन सदस्य होने के लिए अनर्हित हो जाय, और सहकारी समिति उस दशा में भी जब निबन्धक द्वारा लिखित आदेश देकर अपेक्षा की जाय, उसे उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार निबन्धक के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर न हटाये या निकाले, या

(ख) यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प और उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को उन कारणों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर उसे हटाने या निकालने का प्रस्ताव हो, सुनवाई के लिए समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प या उपधारा (2) के अधीन आदेश का, यथास्थिति, संकल्प या आदेश के विरुद्ध अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए, उक्त संकल्प या आदेश की प्राप्ति के दिनांक से यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार हटाये गये या निकाले गये सदस्य की सदस्यता समाप्त हो

जायेगी, किन्तु इसका इस अधिनियम, तदन्तर्गत बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन भूतपूर्व सदस्य के रूप में उसके अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निकाला गया सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उक्त समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिए अर्ह होने का भी पात्र नहीं होगा।

अध्याय–4

समितियों का प्रबन्ध

28– सहकारी समिति में अन्तिम अधिकार–

इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी समिति का अन्तिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जाय (अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत प्रतिनिधियों में निहित होगा) और उस दशा में इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे।

29– प्रबन्ध कमेटी–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार संगठित प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें।

(2) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह–विस्तारी होगा।

(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन, निर्वाचन करने के लिये निबन्धक के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 4 माह पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा 2 के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे, यदि किसी कारणवश प्रबन्ध समिति कार्यकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व से निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करती है तो निबन्धक का दायित्व होगा कि वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन करा दें।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव या प्रबन्ध निदेशक जिस नाम से भी ज्ञात हों का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिए अभियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाय ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजे।

(5) (क) जहां किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, ऐसी कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायेगी।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में 'कमेटी' कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाये वहां उसमें एक सभापति और पाँच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनमें कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवक होगा।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उनका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाये।

(ङ) जब तक खण्ड (ख) के अधीन, यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय, तब तक, यथास्थिति, समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव या प्रबन्ध निदेशक कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण--जहां बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों, या घोषित न किये जा सके हों, वहां यह समझा जायेगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अन्तर्गत नहीं हुआ है।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये, जिसे निबन्धक समय-समय पर दें, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अधीन समस्त प्रयोजनों

के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायेगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र, किन्तु नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी से समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाये, जैसा कि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी।

30– सभापति–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का एक सभापति और उपसभापति होगा जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) सभापति उपस्थित रहने पर :

(अ) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ब) किसी मामले में प्रबंध कमेटी एवं सामान्य निकाय में निर्णय के समय बराबर मत होने की दशा में एक और मत देने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं प्रबंध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) उप सभापति, नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए, सभापति द्वारा लिखित रूप में प्रतिनिहित किये जायें।

(4) सभापति की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में उप सभापति उस दिनांक तक सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि नया सभापति यथाविधि निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट न हो जाये।

30 (क)–सभापति या उप सभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव–

(1) सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नियत व्यवस्था के अनुसार लाया और चलाया जा सकेगा।

(2) जब सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से वह अपना पद छोड़ देगा और उसका स्थान नियत व्यवस्था के अनुसार उसी बैठक में उसके स्थान पर चुने गये प्रतिस्थानी द्वारा ले लिया जायेगा।

31- मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं उसकी उपलब्धियां और कृत्य-

(1) प्रत्येक सहकारी समिति में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) होगा, जिसका पदनाम प्राइमरी कृषि ऋण समिति में सचिव तथा जनपद स्तर के नीचे स्थित केन्द्रीय समितियों एवं गैर कृषि ऋण प्राइमरी समितियों में सचिव, प्रबंधक या सामान्य प्रबन्धक तथा जनपद स्तरीय केन्द्रीय सहकारी समितियों में सामान्य प्रबन्धक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) एवं शीर्ष सहकारी समितियों में प्रबन्ध निदेशक होगा। शीर्ष समिति के प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) चाहे जिस पद नाम से हों (सचिव प्रबंधक, सामान्य प्रबन्धक या चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर) नियमों एवं धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और हटाया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों और विनियमों में नियत की जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहकारी समितियों के किसी वर्ग के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव-सचिव आदि) के पद के लिए सर्व सामान्य सेवा का सृजन धारा 122 (क) के अधीन किया गया हो, वहां पर ऐसे पदों पर भर्ती, नियुक्ति और उन पर नियुक्त व्यक्तियों, जिसमें ऐसी सेवा के सृजन के पूर्व ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को हटाने और उनकी सेवा की अन्य शर्तें उक्त धारा के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगी।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के अधिकार एवं कर्तव्य (शीर्ष समिति को छोड़कर)-

समितियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) (शीर्ष समिति को छोड़कर) निम्नांकित अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेंगे :

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा ;

(ख) समिति की उप-विधियों के एवं प्रबंध-कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा ;

(ग) समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा ;

(घ) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा ;

(च) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियाँ या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा ;

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उद्देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा ;

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा ;

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा ;

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप-विधियों एवं प्रबंध कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उन पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें।

(3) कोई सहकारी समिति, नियमों,उपविधियों और धारा 121, 122 या धारा 122(क) के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की सहायता के लिए यदि आवश्यक हो, एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है और उसे या उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के ऐसे अधिकार तथा कर्तव्य सौंप सकती है जो वह (समिति) उचित समझे।

(4) किसी सहकारी समिति के निबद्ध हो जाने के पश्चात् और ऐसे समय तक जब तक कि उपधारा (1) के अधीन उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) की नियुक्ति न हो जाये अथवा 6 महीने तक, जो भी पहले हो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन समिति के ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसकी व्यवस्था नियमों तथा समिति की उपविधियों में की जाये।

31(क)-शीर्ष समितियों के लिए प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति-

(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के लिए एक प्रबन्ध-निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रथम श्रेणी सहकारी सेवा का अधिकारी अथवा सम्बन्धित विभाग का श्रेणी एक से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, उसकी सेवाएं समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझी जायेंगी। शीर्ष सहकारी बैंक में अनुभवी बैंक अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक हो सकेगा।

(2) प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा।

(3) प्रबन्ध निदेशक शीर्ष समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसका निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा अर्थात :

(क) समिति के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम, नियमावली, उपविधियों तथा प्रबंध समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य करेगा ;

(ख) समिति की उप-विधियों एवं प्रबन्ध-कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों का परिचालन करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबंध करेगा ;

(ग) समिति की ओर से उसके लिये सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा ;

(घ) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा ;

(ङ) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी, कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध-कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों या उप-समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों का ठीक अभिलेख रखेगा ;

(छ) प्रबंध कमेटी को योजनाओं, उद्देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा,

(ज) नियमों एवं विनियमों के अधीन समिति के पदों पर नियुक्ति करेगा ;

(झ) प्रबंध कमेटी को नियतकालिक सूचनायें समिति के परिचालन एवं कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा ;

(प) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाकी और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना ;

(फ) बन्धन-पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परक्राम्य संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर तथा परक्रमण करना ;

(ब) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध-पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना ;

(भ) समिति के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुये तीन मास की अवधि के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्त प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है;

(म) समिति के कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना;

(य) समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या अन्यथा समिति के मामलों के सम्बंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना;

(१) ऐसे विनियमों से, यदि कोई हो जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, के अधीन रहते हुए, बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान 10 लाख रू0 तक की प्रत्येक और उसके पश्चात 5 लाख रू0 तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना;

(ल) अपना अन्तिम नियन्त्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार या विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना;

(व) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा समिति की उप–विधियों एवं प्रबन्ध–कमेटी के प्रस्तावों द्वारा उस पर आरोपित या प्रदत्त किये जायें।

32– वार्षिक सामान्य बैठक–

(1) सहकारी समिति के सामान्य निकाय की एक बैठक (जिसे आगे वार्षिक सामान्य बैठक कहा गया है) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहकारी वर्ष में ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाये, एक बार होगी :–

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के तैयार किये गये समिति के कार्यकलाप का अनुमोदन;

(ख) नियमों और समिति की उपविधियों के (उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो);

(ग) गत सहकारी वर्ष के रोकड़–पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा–परीक्षा पूरी न हुई हो;

(घ) गत सहकारी वर्ष के लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर नियत रीति से विचार, सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा–परीक्षा पूरी न हुई हो;

(ङ) आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना;

(च) शुद्ध लाभ का निस्तारण;

(छ) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार, और

(ज) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जावे।

(2) धारा 31 में किसी बात के होते हुये भी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध कमेटी के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

33– अन्य सामान्य बैठक–

(1) प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब–जब आवश्यक हो, समिति की सामान्य बैठक (जिसे साधारण बैठक कहा जाये) बुला सकती है।

(2) प्रबन्ध कमेटी निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय में कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक (जिसे असाधारण बैठक कहा जायेगा) बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थान अथवा समय पर जिसका वह निदेश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

34– प्रबन्ध कमेटी में सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति–

(1) यदि राज्य सरकार ने–

(क) अध्याय 6 के अधीन किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान किया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसा कि अध्याय 6 में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया गया हो या किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो या किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो,

तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा, जिसमें पेशेवर (Professional) भी सम्मिलित हो सकता है यदि राज्य सरकार उसे नामित करे, किन्तु सरकारी सेवक या पेशेवर समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत नहीं देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई समिति चीनी उत्पादन में लगी हो, और–

एक–राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूंजी एक करोड़ रुपये से कम न हो, या

दो– समिति की अंशपूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक हो, या

तीन- राज्य सरकार से समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जिसकी कुल धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग के पचास प्रतिशत से अधिक हो, वहां राज्य सरकार को ऐसी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सभापति, जो कि एक सरकारी सेवक होगा नाम निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित नाम-निर्देशन का अधिकार उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्याभूति राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति समझी जायेगी।

35– प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण व निलम्बन–

(1) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्त्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है तो निबन्धक कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और नियत रीति से उक्त प्रयोजन के लिए बुलाई गई सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात लिखित आदेश देकर प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता है ;

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय, निबन्धक की यह राय हो कि कार्यवाही की अवधि में प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित करना समिति के हित में आवश्यक है तो, वह प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित कर सकता है जो तदुपरान्त कार्य करना बन्द कर देगी, और कार्यवाही पूरी होने तक समिति के कार्यों के लिये निबन्धक ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार निलम्बित प्रबन्ध कमेटी अवक्रान्त न की जाये उसे पुनः स्थापित किया जायेगा और वह अवधि जिसमें वह निलम्बित रही हो उसके कार्यकाल की गणना करने में सम्मिलित नहीं की जायेगी .

(3) यदि निबन्धक ने उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया हो तो वह उसके स्थान पर 6 माह से अनधिक अवधि के लिए, जो अवक्रमण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा निम्नलिखित नियुक्त कर सकता है :–

(क) एक नई कमेटी जिसमें समिति के एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख) कोई प्रशासक या प्रशासकगण जिसका या जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ;

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवक्रान्त की अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु एक बार में बढ़ाई गयी अवधि 6 महीने से अधिक न होगी और बढ़ाई गई कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया

समझा जायेगा और यथास्थिति उसके या उनके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायेगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या अवक्रमण की अवधि या उसके या उनके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से नहीं बढ़ाया गया था, आपत्ति नहीं की जायेगी ;

(4) निबन्धक को उपधारा (3) के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन नियुक्त अथवा उसके किन्हीं सदस्यों या प्रशासक अथवा प्रशासकों को स्वमति से उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि में बदलने का अधिकार होगा ;

(5) उपधारा (3) और (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को, किसी निदेश के अधीन रहते हुये जो निबन्धक, समय समय पर दे, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या कोई कृत्य करने का अधिकार होगा और वे इस अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए प्रबन्ध कमेटी समझे जायेंगे ;

(6) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व, उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण उक्त अवधि के व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेंगे;

(7) धारा 29 के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

35 (क)- कतिपय समितियों की प्रबन्ध कमेटी व उनके सभापति का कतिपय बकाया की हालत में पद रिक्त होना-

(1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार वर्षों के लिए (जिसके अन्तर्गत इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अवधि भी है)

(क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में अपने सदस्यों के विरुद्ध कुल देयों का साठ प्रतिशत से अधिक ऐसे वर्ष के अन्त में अदत्त रह जाये, या

(ख) किसी ऐसे वर्ष के अन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्योंकी कुल संख्या के साठ प्रतिशत से अधिक हो जाये,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापति और सभी सदस्य उपधारा (3) के अधीन आदेश प्रभावी होने पर इस रूप में अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे।

(2) उपधारा 1 के उपबन्ध जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं वित्तपोषक बैंक पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो "सत्तर प्रतिशत" के निर्देश को "साठ प्रतिशत" के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में जैसा उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, निबन्धक ऐसी समिति या बैंक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यों के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे, और धारा 35 की उपधारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

36–अभिलेख आदि कब्जे में लेना–

(1) यदि धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित अथवा अवक्रान्त किया जावे अथवा यदि धारा 72 के अधीन समिति के समापन का आदेश दिया जावे और प्रबन्ध कमेटी के बहिर्गामी सदस्य, समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति का प्रभार, यथास्थिति निबन्धक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा धारा 35 की उपधारा (2), (3), और (4) के अधीन कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को अथवा परिसमापक को न दे तो निबन्धक का उक्त नाम निर्दिष्ट व्यक्ति प्रशासक या प्रशासकगण अथवा परिसमापक समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त समिति कार्य करती हो, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जो समिति के अभिलेख और सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए आवश्यक हो और किसी पुलिस अधिकारी को अधिपत्र द्वारा ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति प्रार्थी को दे दी जायेगी।

37–अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में निबन्धक के आपातिक अधिकार–

(1) यदि निबन्धक का समाधान हो जावे कि सहकारी समिति की बहियों तथा अभिलेखों में हस्तक्षेप किये जाने की सम्भावना है या समिति की निधि और सम्पत्ति का दुर्विनियोग अथवा दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है तो निबन्धक किसी व्यक्ति को, जो उसके द्वारा लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत किया गया हो, आदेश दे सकता है कि वह समिति की ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करे तथा उन्हें अपने कब्जे में ले ले और समिति का वह या वे अधिकारी जो ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द कर देंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उक्त आदेश का निष्पादन करने के लिए, निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी से आवश्यक पुलिस सहायता देने का अनुरोध कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता देगा।

38–सहकारी समिति के अधिकारी को हटाया जाना–

(1) यदि निबन्धक की राय में सहकारी समिति के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या

उसका पालन नहीं किया है, या पद धारण करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो निबन्धक किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जाय या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति से ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसके पद से हटाये जाने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उसे उक्त समिति के अधीन तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कोई पद धारण करने के लिए अनर्हित भी करने के लिए कह सकता है, जिसके उपरान्त समिति, सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा कार्यवाही न करने पर, निबन्धक उक्त अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे तथा जिनकी संसूचना सम्बद्ध अधिकारी तथा समिति को दी जायेगी, हटा सकता है, या हटाने के साथ-साथ उसे तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने से अनर्हित कर सकता है।

(3) उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई अधिकारी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से उस पद पर न रहेगा और यदि उसे अनर्हित कर दिया गया हो तो वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने का पात्र न होगा।

अध्याय-5

सहकारी समितियों के विशेषाधिकार

39-सहकारी समिति का कतिपय परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार-

प्राविंशियल एन्साल्वेंसी ऐक्ट, 1920 अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 अथवा तत्समय प्रचलित सौविक अधिकार विषयक किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऋण या अदत्त मांग का, जो किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य द्वारा सहकारी समिति को देय हो अथवा जो किसी मृत सदस्य की सम्पदा के विरुद्ध शेष हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे दावे के अधीन रहते हुए जो समिति द्वारा ऋण दिये जाने के पूर्व , न कि उसके पश्चात् उसके (सरकार के) द्वारा दिये गये ऋण से उत्पन्न हो या मालगुजारी के सम्बन्ध में हो, अथवा मालगुजारी की बकाया की रूप में वसूल करने योग्य कोई धनराशि हो, निम्नलिखित पर प्रथम प्रभार होगा-

(क) यदि उक्त ऋण या मांग बीज, खाद, श्रमिक निर्वाह, पशुओं के लिए चारा या अन्य किसी ऐसी वस्तु के, जो कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के लिए प्रासंगिक हो, सम्भरण के सम्बन्ध में अथवा उनके साधनों की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के सम्बन्ध में देय हो, तो ऐसे सदस्य की फसलों तथा कृषि उपज पर ;

(ख) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का लगान या मालगुजारी के भुगतान के साधनों की अथवा सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किन्हीं ऋणों के

सम्बन्ध में देय हो तो यथास्थिति उस भूमि पर जिसके लगान या मालगुजारी का उक्त रूप से भुगतान किया गया हो, अथवा व्यवस्थित सिंचाई की सुविधाओं पर;

(ग) यदि उक्त ऋण या मांग पशु या पशुधन से सम्भरण या उसके क्रय के साधनों की व्यवस्था करने या कृषि उपकरणों, परिवहन या दुग्धशाला अथवा पशुपालन से सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए सज्जा का क्रय, मरम्मत अथवा संधारण करने या फार्म हाउस या पशु अथवा कृषि उपज के संग्रहार्थ गोदाम बनाने, मरम्मत या क्रय करने के सम्बन्ध में देय हो तो किसी ऐसे ऋण से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सदस्यों की कृषि उपज पर और इस प्रकार क्रय किये गये अथवा संधारित या बनाये गये सज्जा, गोदाम, फार्म हाउस या औसारा पर, और यदि ऋण गृहीता क्षेत्रपति हो तो उसकी भूमि पर भी ऋण की अन्तिम किश्त प्रतिदेय होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय ;

(घ) यदि उक्त ऋण या मांग कच्चा सामान, औद्योगिक उपकरणों, संयंत्र और मशीनों कर्मशालाओं, गोदामों अथवा कारोबार के भू-गृहादिक सम्भरण के सम्बन्ध में या उनके क्रय के निमित्त ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो कच्चा माल या अन्य वस्तुओं पर जिनका इस प्रकार सम्भरण या उस सदस्य द्वारा क्रय किया हो और कच्चे माल के सम्भरण के सम्बन्ध में या उसके क्रय के लिए ऋण या मांग की दशा में, उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर ;

(ङ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि के क्रय या विमोचन के प्रयोजनार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर जो इस प्रकार क्रय या विमोचन की गई हो ;

(च) यदि उक्त ऋण या मांग किसी मकान या भवन अथवा उसके किसी भाग के निर्माणार्थ लिये गये किसी ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस मकान या भवन या सामग्री पर जो इस प्रकार क्रय, निर्मित या सम्भारित किया गया हो, और

(छ) यदि उक्त ऋण या मांग भूमि का उद्धार या संरक्षण करने के लिए अथवा भूमि पर सुधार करने के लिए अथवा भूमि तैयार करने या फलोद्यान अथवा वृक्षारोपण के लिए या पशु, कृषि उपकरणों अथवा मशीनों के क्रय के लिये, लिये गये 500 रुपये या उससे अधिक के ऋण के सम्बन्ध में देय हो तो उस भूमि पर जिसका उद्धार, संरक्षण करना हो या जिसे तैयार करना हो और उस भूमि पर जिसके प्रयोग के लिए उपकरणों या मशीनों का क्रय करना हो और पशु क्रय करने की दशा में ऋण गृहीता की किसी भूमि पर,

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन सृजित प्रभार के साथ-साथ ऋणी सदस्य की सभी अन्य सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत समिति, जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा उसकी देय कोई भी धनराशि है, समिति के पक्ष में किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकेगी और बेची जा सकेगी, चाहे ऋण का उद्देश्य कुछ भी रहा हो।

40--कतिपय दशाओं में समिति के दावे को पूरा करने के लिए वेतन से कटौती--

(1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु ऐसी शर्तों के

अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायें, सहकारी समिति का कोई सदस्य समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है जिसमें यह व्यवस्थित हो कि उसका सेवायोजक उसके वेतन या मजदूरी में से, जो सेवायोजक द्वारा उसे देय हो, उक्त अनुबन्ध में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती करने और समिति के सदस्य द्वारा देय ऋण अथवा अन्य मांग की पूर्ति के लिए समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि देने के लिए सक्षम होगा।

(2) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सहकारी समिति के लिखित रूप में ऐसी अपेक्षा करने पर सेवायोजक, उस समय तक जब तक कि उक्त ऋण या मांग अथवा उसका कोई भाग शेष रहे,उपधारा (1) के अधीन निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार उक्त कटौती करेगा और इस प्रकार की गई कटौती की धनराशियों का भुगतान कटौती के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को करेगा।

(3) यदि सेवायोजक, बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (2) के अनुसार उक्त कटौती न करे अथवा ऐसी कटौती कर लेने के पश्चात् के दिनांक से चौदह दिन के भीतर समिति को इस प्रकार की गई कटौती की धनराशि का भुगतान न करे तो वह समिति के प्रति उतनी धनराशि का, जितना कि उसने यथास्थिति कटौती न की हो अथवा भुगतान न किया हो, देनदार होगा।

41– सहकारी समिति की पूंजी में सदस्यों के अंशों या हितों के सम्बन्ध में प्रभार और मुजराई–

सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग के सम्बन्ध में सहकारी समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी उस सदस्य या उसके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्हीं धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि मुजरा कर सकती है .

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्तपोषक बैंक का, जिससे समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्तपोषक बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि के रूप में कुल जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशियों में बैंक का अंश 75 प्रतिशत से कम हो और न उसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसे धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्य कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा।

42– अंश या हित की कुर्की न हो सकेगी–

धारा 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति की पूंजी में किसी सदस्य का अंश या हित, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन न तो कुर्क हो सकेगा

और न बेचा जा सकेगा और ऋण-शोध क्षमता (इन्सालवेन्सी) से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन कोई सरकारी अभ्यर्पित या आदाता (रिसीवर) ऐसे अंश या हित में किसी दावे का हकदार न होगा और न उस पर कोई दावा होगा।

43- संलेखों के अनिवार्य निबन्धन से मुक्ति-

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (ऐक्ट संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) और (सी) में दी हुई कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी -

(क) किसी सहकारी समिति में अंशों से सम्बद्ध कोई संलेख भले ही समिति की परिसम्पत्तियां पूर्णतः अथवा अंशतः अचल सम्पत्ति के रूप में हो , या

(ख) ऐसी किसी समिति द्वारा जारी किया गया ऋण-पत्र जो सिवाय उस मात्रा तक जहां तक कि वह धारी को ऐसे निबन्धित संलेख से प्राप्य सुरक्षा का हकदार बनाता हो जिसके द्वारा समिति ने अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें कोई हित पूर्णतः या अंशतः न्यासधारियों को ऐसे ऋण-पत्र धारियों के हितार्थ न्यास के रूप में बन्धक या हस्तान्तरित कर दिया गया हो, या अन्यथा संक्रमित कर दिया हो अचल सम्पत्ति में अधिकार, आगम या हित उत्पन्न, घोषित, अभ्यर्पित, सीमित या समाप्त न करता हो ; या

(ग) किसी ऐसी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र पर कोई पृष्ठांकन या उसका संक्रमण।

43 (क) सदस्यों का रजिस्टर-

सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर या सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाये, उसमें प्रविष्ट निम्नलिखित विषयों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी-

(क) दिनांक जब उस रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया हो ;

(ख) दिनांक जब ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया हो।

43 (ख) बंधक एवं प्रभार के रजिस्टर-

कोई रजिस्टर या बंधक एवं प्रभार की सूची, जो किसी सहकारी समिति द्वारा रखी जाय, उसमें अंकित निम्नलिखित विवरणों की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी -

(क) दिनांक जब सदस्य द्वारा बंधक या प्रभार, समिति के पक्ष में सृजित किया गया हो,

(ख) भूमि या अन्य अचल संपत्ति जिसका बंधक या प्रभार रखा गया हो का विवरण, एवं

(ग) दिनांक जब निष्पादित किये गये बंधक या प्रभार उपरजिस्ट्रार या माल विभाग के प्राधिकारी को जैसा भी हो , भेजा गया है ।

43 (ग) सहकारी समितियों की बहियों में प्रविष्टियों की रीति-

(1) किसी सहकारी समिति की बही, जो उसके कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में नियमित रूप से रखी जाती हो, किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह उस

रीति से प्रमाणित की गयी हो, जो नियत की जाये, किसी वाद या विधिक कार्यवाही में उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक ग्रहण की जायेगी जिस प्रकार और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती।

(2) कोई सहकारी समिति किसी ऐसे लेखा की किन्हीं प्रतिलिपियों जो उसने अपने कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त किया और रखा हो, या उस लेखा की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां दे सकती है और दी गई कोई प्रतिलिपि, जो ऐसी रीति से प्रमाणित की गई हो, जो नियत की जाये, किसी भी प्रयोजन के लिए उसी प्रकार और उसी सीमा तक साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(3) सहकारी समिति के किसी अधिकारी को और ऐसे अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् किसी सहकारी समिति की बहियां जमा हों, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें उक्त सहकारी समिति या परिसमापक एक पक्ष न हो समिति की बहियां या लेख्य, जिनकी अन्तर्वस्तु को इस धारा के अनुसार सिद्ध किया जा सके, प्रस्तुत करने या उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब किसी विशेष कारण से न्यायालय, न्यायाधिकरण, निबन्धक या मध्यस्थ ने तदर्थ आदेश दिया हो।

43 (घ) सदस्यों की पास बुक–

(1) कोई सहकारी समिति, जो अपने सदस्यों को ऋण देती या कोई सहकारी समिति या सहकारी समितियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास बुक उपलब्ध करायेगी, जिसमें सदस्य के साथ हुये संव्यवहारों का ब्यौरा जैसे कि संव्यवहार का दिनांक, दिये गये ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा दी गई अदायगियां, शोध्य मूलधन और ब्याज की धनराशि और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी कि नियत की जायं, अन्तर्विष्ट होंगी। पास बुक की प्रविष्टियां समय–समय पर अद्यावधिक की जायेंगी और सहकारी समिति के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेंगी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, और इस प्रयोजन के लिये ऐसा सदस्य ऐसे अधिकारी को पास–बुक प्रस्तुत करेगा, यदि पास बुक को प्रविष्टियां करने के लिये रोकना अपेक्षित हो तो उसकी एक रसीद निर्गत करेगा।

(2) पास बुक में सम्यक रूप से की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाय, सदस्य के साथ सहकारी समिति के संव्यवहार की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी।

43 (ङ) करों, फीस एवं शुल्कों से छूट–

(1) सरकार, किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती है:

(अ) स्टाम्प शुल्क से जो किसी प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी

(अ) स्टाम्प शुल्क से जो किसी प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समिति या उसकी ओर से अथवा उसके अधिकारी या सदस्य द्वारा समिति के व्यवसाय के लिये दस्तावेज या दस्तावेजों , अधिनिर्णय या आदेश के लिये देय होगा, या

(ब) किसी शुल्क या कोर्ट फीस जो किसी प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए देय होगा,

(2) सरकार किसी वर्ग की सहकारी समितियों को अधिसूचना जारी कर छूट दे सकती है:

(अ) मालगुजारी से एवं

(ब) सामानों की बिक्री एवं खरीद पर लिये जाने वाले करों से।

अध्याय–6

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता

44– राज्य सरकार की समितियों में सीधे सहभागिता–

(1) राज्य सरकार सीमित दायित्व वाली समिति की अंश पूंजी में से ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिसमें सहमति हो सीधे अभिदान कर सकती है।

राज्य सरकार की समितियों में परोक्ष सहभागिता–

(2) राज्य सरकार किसी शीर्ष सहकारी समिति को सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों को सीधे या परोक्ष रूप से क्रय के लिए धन दे सकती है।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसी सहकारी समिति में अपने अंशों पर लाभांश उसी दिन से पाने की हकदार होगी जो समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

45– प्रमुख राज्य भागिता निधि–

(1) कोई भी शीर्ष समिति जिसे धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाये, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे "प्रमुख राज्य भागिता–निधि" कहा जायेगा।

(2) शीर्ष समिति "प्रमुख राज्य भागिता–निधि" का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं–

(क) सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशों का सीधा क्रय;

(ख) किसी सहकारी समिति को जिसके अन्तर्गत उसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी हैं धन देना जिससे कि वह समिति सीमित दायित्व वाली अन्य सम्बद्ध सहकारी समितियों के (जिन्हें आगे इस अध्याय में "प्रारम्भिक समितियां" कहा गया है) अंश क्रय कर सके;

(ग) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को भुगतान करना;

(घ) ऐसे अन्य भुगतान करना जिन्हें राज्य सरकार उपखंड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पूर्णतः पूरा होने के पश्चात् अनुज्ञात करे।

46– सहायक राज्य भागिता निधि–

(1) कोई केन्द्रीय समिति जिसे शीर्ष समिति प्रमुख राज्य भागिता–निधि से धन दे, ऐसे धन से एक निधि की स्थापना करेगी जिसे "सहायक राज्य भागिता–निधि" कहा जायेगा।

(2) केन्द्रीय समिति, सहायक राज्य भागिता–निधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिये ही प्रयुक्त करेगी, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं–

(क) प्रारम्भिक समितियों में अंशों का क्रय,

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार शीर्ष समिति को भुगतान करना।

47– अंशों के क्रय के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन–

प्रमुख राज्य भागिता–निधि या सहायक राज्य भागिता–निधि के धन से, किसी सहकारी समिति में कोई अंश राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना क्रय नहीं किया जायेगा।

48– कतिपय अंशों के सम्बन्ध में दायित्व का सीमित होना–

यदि किसी सहकारी समिति में–

(क) राज्य सरकार द्वारा, या

(ख) प्रमुख राज्य भागिता–निधि से शीर्ष समिति द्वारा ;

(ग) सहायक राज्य भागिता–निधि से केन्द्रीय शीर्ष समिति द्वारा अंश क्रय किये जायें, तो सहकारी समिति के समापित हो जाने की दशा में, ऐसे अंशों के सम्बन्ध में दायित्व अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहेगा।

49– लाभांश की धनराशि पर निर्बन्धन–

शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता–निधि के धन से अन्य सहकारी समितियों में अंश क्रय किये हों तथा केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता–निधि के धन से प्रारम्भिक समितियों में अंश क्रय किये हों, उक्त अंश पर केवल ऐसे लाभांश की हकदार होगी जो सम्बद्ध समिति द्वारा घोषित किया जाय और जो उस समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।

50– शीर्ष तथा केन्द्रीय समितियों की क्षतिपूर्ति–

(1) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश प्रमुख राज्य भागिता–निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जाय, तो राज्य सरकार का उस शीर्ष समिति पर जिसने अंश क्रय किये हों, ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य नहीं होगा, परन्तु राज्य सरकार, यथास्थिति समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर शीर्ष समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धन की हकदार होगी।

(2) यदि कोई सहकारी समिति, जिसमें अंश सहायक राज्य भागिता–निधि से क्रय किये जायें, समापित या विघटित हो जायें तो, न राज्य सरकार का और न शीर्ष समिति का, उस केन्द्रीय समिति के विरुद्ध जिसने अंश क्रय किये हों , ऐसे क्रय से होने वाली हानि के सम्बन्ध में कोई दावा ग्राह्य होगा, किन्तु शीर्ष समिति, यथास्थिति, समापन की कार्यवाही में अथवा विघटन पर केन्द्रीय समिति द्वारा ऐसे अंशों के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी धनराशि की हकदार होगी, और ऐसा धन प्रमुख राज्य भागिता–निधि में जमा कर दिया जायेगा।

51– अंश पूंजी और लाभांश आदि का निस्तारण–

(1) किसी शीर्ष समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों के प्रमुख राज्य भागिता–निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशों के विमोचन पर अथवा लाभांश पर या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन उक्त निधि में जमा कर दिया जायेगा;

(2) किसी केन्द्रीय समिति द्वारा प्रारम्भिक समिति के सहायक राज्य भागिता–निधि से क्रय किये गये अंशों के सम्बन्ध में, ऐसे अंशो के विमोचन पर अथवा लाभांश या अन्य किसी रूप में प्राप्त समस्त धन प्रथमतः उक्त निधि में जमा किया जायेगा और तत्पश्चात् उस शीर्ष समिति को संक्रमित कर दिया जायेगा, जो उसे प्रमुख राज्य भागिता–निधि में जमा कर देगी ;

(3) उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट समस्त धन और लाभांशों का भुगतान इस बात के होते हुए भी कि अंश यथास्थिति, शीर्ष समिति या केन्द्रीय समिति के नाम में है, राज्य सरकार को दिया जायेगा ;

(4) उपधारा (3) में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, राज्य सरकार धारा 44 के अधीन शीर्ष समिति को दिये गये धन पर किसी अन्य लाभ की हकदार न होगी।

52– शीर्ष या केन्द्रीय समिति के समापन पर प्रमुख राज्य भागिता–निधि तथा सहायक राज्य भागिता–निधि का निस्तारण–

(1) यदि कोई शीर्ष समिति जिसने प्रमुख राज्य भागिता–निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा।

(2) यदि कोई केन्द्रीय समिति जिसने सहायक राज्य भागिता–निधि स्थापित की हो, समापित या विघटित हो जाय, तो उक्त निधि के नाम में जमा या उक्त निधि को देय समस्त धन का भुगतान उस प्रमुख राज्य भागिता–निधि को किया जायेगा तथा उसके नाम में जमा किया जायेगा जिससे कि उसने धारा 45 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन धन प्राप्त किया हो।

53– प्रमुख राज्य भागिता–निधि परिसम्पत्तियों तथा सहायक राज्य भागिता–निधि के भाग न होंगे–

प्रमुख राज्य भागिता–निधि या सहायक राज्य भागिता–निधि के नाम में जमा कोई धनराशि, यथास्थिति, शीर्ष समिति की परिसम्पत्तियों की भागी न होगी।

54– धन की व्यवस्था करने के लिए निर्बन्धन और शर्तें–

इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(क) राज्य सरकार शीर्ष समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर धारा 45 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए शीर्ष समिति को धन देगी।

(ख) कोई भी शीर्ष समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर वह प्रमुख राज्य भागिता–निधि से धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त समिति को धन देगी।

55– सहकारी समितियों को राज्य की सहायता देने की अन्य रीतियां–

तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार–

(क) सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम (एडवान्स) दे सकती है,

(ख) सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रों के मूलधन के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारन्टी) दे सकती है,

(ग) किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है, और

(घ) किसी सहकारी समिति को किसी भी अन्य रीति से, जिसमें ब्याज रहित रिवाल्विंग फण्ड एवं अनुदान भी सम्मिलित है, वित्तीय सहायता दे सकती है।

56– इस अध्याय के उपबन्ध अन्य विधियों को अभिभूत करेंगे–

तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अध्याय–7

सहकारी समितियों की सम्पत्ति और निधियां

57– निधियों का विभाजन नहीं होगा–

इस अधिनियम में विशेष रूप से की गई अन्य व्यवस्था के अधीन रहते हुए शुद्ध लाभ के अतिरिक्त सहकारी समिति की निधियों के किसी भाग का, सदस्यों में बोनस या लाभांश के रूप में या अन्यथा वितरण नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को उसकी ऐसी सेवाओं के लिए जो उसने सहकारी समिति के लिए की हों उपविधियों में दिये गये मानक के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

58– शुद्ध लाभ का निस्तारण–

(1) किसी सहकारी वर्ष में किसी सहकारी समिति का शुद्ध लाभ, उस वर्ष में उसके सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात् संगणित किया जायेगा–

(क) ब्याज जो अतिशोध्य है;

(ख) प्रबन्धकीय व्यय;

(ग) कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिए अंशदान;

(घ) ऋण और जमा पर ब्याज;

(ङ) लेखा परीक्षा फीस;

(च) चालू व्यय जिसमें मरम्मत, किराया, कर और सम्पत्ति का ह्रास सम्मिलित है;

(छ) असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सृजित निधि के लिए अंशदान,

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज, जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है, वर्ष के शुद्ध लाभ से जोड़ सकती है।

(1-क) सहकारी समिति उपधारा (1) के अधीन यथा संगणित किसी वर्ष के शुद्ध लाभ को , जिसमें पूर्व वर्षों का अग्रनीत शुद्ध लाभ सम्मिलित है, निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी–

(क) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित की जायेगी, जिसे रक्षित निधि कहा जायगा।

(ख) विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाय, जमा की जायेगी और यह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो :

(ग) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो जैसी विहित की जाय, एक निधि में एकत्रित की जायेगी जिसे Equity Redemption Fund कहते हैं व इस सहकारी समिति द्वारा उपयोग में जैसा विहित की जाय, लाई जायेगी जिसमें सरकार की अंश पूंजी लगी है।

प्रतिबन्ध यह है कि वह कुल राशि जो सहकारी समिति ऐसी निधि में लगाये, उस राशि से अधिक नहीं होगी जितनी अंशपूंजी सरकार द्वारा उस समिति में लगाई गई हो।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, शुद्ध लाभ का शेष निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अर्थात्–

(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंशपूंजी पर 20 प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान,

(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो,राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हो, बोनस का भुगतान ,

(ग) ग्राम सुधार निधि या अन्य किसी निधि का, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट की जाये संघटन या उसमें अंशदान,

(घ) चैरीटेबुल एण्डाउमेण्ट एक्ट 1890 की धारा 2-क में तथा परिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिए 5 प्रतिशत से अनधिक धनराशियों का दान :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई धनराशि ऐसे खैराती संघटन को दान में नहीं दी जायेगी जिसका उद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या धार्मिक संघटन को बढ़ावा देना हो।

(3) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निबन्धक, किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर, किसी निधि में अंशदान करने से छूट दे सकता है या ऐसी निधि में अंशदान के प्रतिशत को कम कर सकता है, जैसा कि उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित है या उपधारा (2) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित लाभांश के प्रतिशत को बढ़ा सकता है।

59- निधियों का विनियोजन-

नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित में विनियोजित या जमा कर सकती है-

(क) इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 (एक्ट संख्या 2, वर्ष 1882) की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में, या

(ख) किसी अन्य सहकारी समिति के अंश या प्रतिभूति में, या

(ग) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में, या

(घ) किसी अन्य प्रकार से नियमों द्वारा अनुज्ञात अथवा राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश से हो, जो नियमों की भांति प्रभावी होगी।

60- उधार लेने पर निर्बन्धन-

सहकारी समिति निक्षेपों और ऋणों को केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के अधीन लेगी जो नियत की जायें या जो उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें।

61- ऋणों का निर्बन्धन-

(1) सहकारी समिति सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगी,

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक की सामान्य या विशेष स्वीकृति से सहकारी समिति किसी अन्य सहकारी समिति को ऋण दे सकती है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति किसी निक्षेपक को उसके निक्षेप, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास-पत्र, सोने और चांदी के जेवरात एवं अन्य बंधक की गयी अचल सम्पत्ति तथा अन्य प्रतिभूति पर जो नाबार्ड(नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट)/रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत हो, की प्रतिभूति पर ऋण दे सकती है।

62- सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ अन्य व्यवहारों पर निर्बन्धन-

धारा 60 और 61 में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी सहकारी समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार, जिनमें उसकी निधियों को जमा करना

भी सम्मिलित है, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहेंगे जो नियत किये जायें।

63- भविष्य निधि-

(1) जिस सहकारी समिति के पास ऐसी संख्या में या ऐसे वर्ग के कर्मचारी हों, जो नियत किये जायें, वह ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिए सामान्य भविष्य निधि अथवा एक अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करेगी । अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारियों और समिति द्वारा किये गये अंशदान को जमा किया जायेगा जबकि सामान्य भविष्य निधि में केवल कर्मचारियों का अंशदान जमा होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति द्वारा स्थापित भविष्य निधि-

(क) समिति के कारोबार के लिये प्रयोग में नहीं लायी जायेगी,

(ख) समिति की परिसम्पत्तियों का भाग नहीं होगी,

(ग) न कुर्क की जा सकेगी और न किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अधीन होगी, और

(घ) धारा 41 के अधीन सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त भुगतान करने के लिए प्रभार या मुजराई के अधीन न होगी।

अध्याय-8

लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण और निर्धारण

64- लेखा परीक्षा-

(1) निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति प्रत्येक सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा करायेगा जिसे उसने तदर्थ लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सहित ऐसी अर्हताएं रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षा में मीयादी ऋणों का, यदि कोई हो, परीक्षण, रोकड़ बाकी और प्रतिभूतियों का सत्यापन और समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर, समिति की या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी, सभी बहियों, लेखा, लेखों, पत्रादि, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, लेखा, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्तियां हों या जो इनके लिये उत्तरदायी हों, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में प्रस्तुत करने के निमित्त आहूत कर सकता है।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का अधिकारी या कर्मचारी हो या किसी समय रहा हो और समिति का प्रत्येक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य समिति के व्यवहारों और कार्य

संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा यथास्थिति, उसके या निबन्धक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षा करे।

(5) इस धारा के अंतर्गत समिति के लेखा परीक्षा हेतु प्रत्येक समिति निबंधक अथवा अंकेक्षक को जैसी भी स्थिति हो, अंकेक्षण शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगी :

(i) ऐसी अवधि के लिये जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से खंड दो के अंतर्गत सामान्य या विशेष आदेश की तिथि से तत्काल पहले की तिथि तक की होगी, वर्तमान दरों पर,

(ii) अन्य किसी अवधि के लिये ऐसी दरों या परिमाण के अनुसार जो राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें।

(6) राज्य सरकार यदि ऐसा करना जनहित में समझे, तो कारणों का विशेष उल्लेख करते हुये किसी समिति या किसी वर्ग की समितियों को पूर्ण तौर से या आंशिक तौर पर सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर अंकेक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दे सकती है।

(7) किसी समिति द्वारा देय अंकेक्षण शुल्क की धनराशि चाहे वह इस अधिनियम लागू होने के पूर्व या पश्चात् की किसी अवधि की हो, राज्य सरकार को देय धनराशि मानी जायेगी।

(8) धारा 64 के अंतर्गत हुये अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप समिति की कारगुजारी में यदि कोई दोष प्रकाश में आते हैं, समिति अंकेक्षण रिपोर्ट की तिथि के तीन माह के भीतर निबंधक को अंकेक्षण द्वारा इंगित किये गये दोष या अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण भेजेगी तथा दोषों एवं अनियमितताओं को दूर करने/समाधान हेतु कदम उठायेगी और निबन्धक को उस पर कृत कार्यवाही से अवगत करायेगी।

65– निबन्धक द्वारा जांच–

(1) निबन्धक स्वतः या उसके लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी सहकारी समिति के संघटन, कार्य संचालन और वित्तीय दशा की जांच कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार की जांच निबन्धक द्वारा अथवा उसके द्वारा तदर्थ लिखित रूप से उक्त व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के प्रार्थना-पत्र पर की जायेगी–

(क) सहकारी समिति जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो ;

(ख) समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य;

(ग) समिति की प्रबन्ध कमेटी के अधिकांश सदस्य।

(3) निबन्धक या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के लिये निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे ; अर्थात्–

(क) वह सभी समयों पर समिति की, या समिति की अभिरक्षा में रखी गयी सभी बहियों, लेखों, लेख्यों, पत्रादि, नकदी और अन्य सम्पत्ति को देख सकेगा

और ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार में ऐसी कोई बहियां, लेखे, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी या अन्य सम्पत्ति हो या जो उनके लिए उत्तरदायी हो, उन्हें प्रस्तुत करने के लिये समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर आहूत कर सकता है ;

(ख) वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे समिति के किसी मामले का ज्ञान है, समिति के मुख्यालयों में या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर उपस्थित होने के लिए आहूत कर सकता है और शपथ पर उसका बयान ले सकता है ;

(ग) वह ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुये भी जिसमें समिति की सामान्य बैठक के लिये नोटिस की अवधि निर्दिष्ट की गई हो, समिति के अधिकारियों से, समिति के मुख्यालय में या उसकी किसी शाखा में ऐसे समय और स्थान पर और ऐसे विषयों का निर्णय करने के लिये, जिनका वह निदेश दे, सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इन्कार करें या न बुलायें, तो उसे स्वयं ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा; और

(घ) वह उक्त रीति से और खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकता है या स्वयं उसे बुला सकता है।

(4) खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन बुलायी गई किसी बैठक को, समिति की उपविधियों के अधीन यथास्थिति, सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक के अधिकार होंगे और उसकी कार्यवाही उपविधियों द्वारा विनियमित होगी।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की गई तो निबन्धक जाँच कर परिणाम समिति को संसूचित करेगा और ऐसी दशा में जब उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने पर जांच हुयी तो प्रार्थना-पत्र देने वाली समिति को भी जांच का परिणाम संसूचित करेगा।

66– सहकारी समिति की बहियों और सम्पत्ति का निरीक्षण–

(1) निबन्धक स्वतः या किसी सहकारी समिति के ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर, समिति की बहियों, नकदी, तथा अन्य सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को उनके निरीक्षण करने का निदेश दे सकता है जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया हो,

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई निरीक्षण किसी ऋण-दाता के प्रार्थना-पत्र पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी निबन्धक को यह समाधान न कर दे कि ऋण उसे तत्समय प्रतिदेय है, और यह कि उसने भुगतान की मांग की है और उचित समय के भीतर वह अदा नहीं की गई है।

(2) निबन्धक किसी ऐसे निरीक्षण का परिणाम निम्नलिखित को संसूचित करेगा–

(क) जब वह स्वतः निरीक्षण करे तो समिति को, और

(ख) जब किसी ऋण-दाता के प्रार्थना-पत्र पर निरीक्षण करे, तो ऋण-दाता और समिति को।

67– जाँच का व्यय–

यदि धारा 65 के अधीन जांच की जाय, अथवा ऋणदाता के प्रार्थना-पत्र पर धारा 66 के अधीन निरीक्षण किया जाय तो निबन्धक व्यय की अथवा व्यय के उतने भाग का, जो वह उचित समझे सहकारी समिति, जिससे सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो, समिति, सदस्य अथवा ऋणदाता जो जांच अथवा निरीक्षण की मांग करे और समिति के अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों के बीच विभाजन कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) ऐसे विभाजन के लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समिति अथवा उस व्यक्ति को, जिसे उस आदेश का देनदार ठहराया जा रहा हो, सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो ;

(ख) निबन्धक उन कारणों को लिखित रूप में व्यक्त करेगा जिनके आधार पर व्यय का विभाजन किया जायेगा।

68– अधिभार–

(1) यदि किसी सहकारी समिति की लेखा-परीक्षा, जाँच, निरीक्षण अथवा समापन करते समय यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इन समितियों के संघटन या प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है अथवा सौंपा गया था अथवा जो समिति के किसी समय अधिकारी या कर्मचारी रहे हों कोई भुगतान इस अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल किया है या कराया है या विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचायी है या उक्त समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या उसे कपटपूर्वक रोक रखा है तो निबन्धक स्वतः, अथवा कमेटी, परिसमापक या किसी ऋण दाता के प्रार्थना करने पर, उक्त व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने लिखित आदेश द्वारा तदर्थ रूप से अधिकृत किया हो, उसकी जांच करने का आदेश दे सकता है,

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी भी कार्य अथवा कार्य-लोप के दिनांक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसी कोई जांच आरम्भ न की जायेगी।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जांच की जाये तो निबन्धक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अधिभार का आदेश दे सकता है जिसमें वह उससे सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने अथवा उक्त धन अथवा उसके किसी भाग का या प्रतिदान उस दर से ब्याज सहित करने अथवा उस मात्रा तक अंशदान और व्यय या प्रतिकर का भुगतान करने, जिसे निबन्धक न्यायपूर्ण और सामयिक समझे, की अपेक्षा कर सकता है ;

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वासघात करके अथवा जानबूझ कर उपेक्षा करके समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचाने या उक्त

समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग या उसे कपटपूर्ण ढंग से रोके रखने के लिए अधिभार का आदेश दिया गया हो तो, ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये अधिभार के आदेश के दिनांक से पांच वर्ष के लिये किसी सहकारी समिति में किसी पद पर बने रहने या निर्वाचित अथवा नियुक्त किये जाने के लिये अनर्ह होगा।

69— त्रुटि सुधार के आदेश का निबन्धक का अधिकार—

यदि धारा 64 के अधीन की गयी लेखा परीक्षा अथवा धारा 65 के अधीन की गई जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये निरीक्षण के परिणामस्वरूप निबन्धक की यह राय हो कि समिति सुव्यवस्थित रूप में कार्य कर रही है अथवा उसका प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण है तथा अंकेक्षण में इंगित त्रुटियों का समाधान धारा 64 (8)में अनुबंधित समय में नहीं हुआ है, तो वह, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह समिति अथवा उसके अधिकारियों के आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों से असंगत न हो और जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय।

अध्याय—9

विवादों का निपटारा

70— विवाद जो मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जा सकते हैं—

(1) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतनभोगी कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद,

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच; अथवा,

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति और समिति, उसकी प्रबन्ध कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी अभिर्दिष्ट किया गया है अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच; अथवा

(ग) समिति अथवा उसकी कमेटी और समिति किसी भूतपूर्व कमेटी, या किसी अधिकारी, अभिकर्ता कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच; अथवा

(घ) किसी सहकारी समिति और किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समिति के बीच उत्पन्न हो;

तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निबन्धक को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित न कर दिया जाये।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवादों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जायेंगे, अर्थात्–

(क) देय धनराशि के लिये दावे, जब भुगतान की मांग की जाय और वह या तो अस्वीकृत कर दी जाय अथवा उसका अनुपालन न किया जाय चाहे ऐसे दावे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार किये गये हों अथवा न किये गये हों;

(ख) प्रतिभू द्वारा ऋणी के विरुद्ध दावा, जब समिति ने ऐसे ऋण या मांग के सम्बन्ध में जो मुख्य ऋणी द्वारा देय हो, कोई धनराशि मुख्य ऋणी की चूक के फलस्वरूप प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो अथवा नहीं;

(ग) समिति द्वारा किसी ऐसी हानि के लिये दावा जो उसे किसी सदस्य, अधिकारी, अभिकर्ता अथवा कर्मचारी से पहुंची हो, जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व या मृत सदस्य, अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी है, चाहे वह हानि व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई गयी हो या सामूहिक रूप से और चाहे ऐसी हानि स्वीकार की गयी हो या नहीं; तथा

(घ) उपविधियों में उल्लिखित समिति के उद्देश्यों से सम्बद्ध सभी विषय और पदाधिकारी (Office bearers) के निर्वाचन से सम्बद्ध विषय भी।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि इस धारा के अधीन निबन्धक को अभिदिष्ट कोई विवाद, सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवाद है या नहीं तो उस पर निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

71– मध्यस्थ को विवाद का अभिदेश–

(1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर निबन्धक नियमों, यदि कोई हों, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए–

(क) विवाद का स्वयं निर्णय कर सकता है; अथवा

(ख) उसे निर्णय के लिए अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है; अथवा

(ग) यदि पक्ष लिखित रूप में अनुरोध करें तो उसे निर्णय के लिए ऐसे मध्यस्थ मण्डल को अभिदेश कर सकता है जिसमें तीन सदस्य होंगे जो नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे :

(2) निबन्धक, उपधारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन किये गये अभिदेश को उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, वापस ले सकता है और उसे दूसरे मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल को अभिदिष्ट कर सकता है अथवा उस पर स्वयं निर्णय दे सकता है।

(3) निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया गया हो, विवाद के निर्णय होने तक न्यायहित में ऐसे विवादकालीन आदेश (interlocutory order) जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की भी है, दे सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

(4) इस धारा के अधीन निबन्धक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिया गया निर्णय आगे अभिनिर्णय कहा जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी विवाद का निर्णय करने और अभिनिर्णय देने में निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

(6) निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल इस धारा के अधीन विवाद के निस्तारण में गवाहों तथा इच्छुक पक्षकारों या उनमें से किसी को बुलाने, हाजिरी सुनिश्चित करने एवं शपथ, अभिपुष्टि या हलफनामे पर साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को पेश करने हेतु उन्हीं माध्यमों एवं यथा सम्भव उसी प्रकार बाध्य किया जा सकता है जैसा दीवानी न्यायालय के मामले में सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 में प्राविधानित है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अधिकारी को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा जो समिति से किसी प्रकार से सम्बद्ध रहा हो।

71– क–ऋणदाता समिति का ऋण समिति और उसके सदस्यों के विरुद्ध अधिकार–

(1) यदि कोई सहकारी समिति (जिसे आगे इस धारा में ऋणी समिति कहा गया है) अपने ऋण का भुगतान किसी अन्य सहकारी समिति को (जिसे आगे इस धारा में ऋणदाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक की है और ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी ने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणदाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरुद्ध (धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95–क) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं कर सकती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरुद्ध ऋणदाता समिति स्वयं (यथास्थिति धारा 70, धारा 91, धारा 92 या धारा 95–क) के

उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है मानो वह ऋणदाता समिति के सदस्य हों और उस दशा में अधिनियम और इसके अधीन बने नियम और ऋणी समिति की उपविधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति और उसकी प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश ऋणदाता समिति और उसके प्रबन्ध कमेटी और अधिकारियों के प्रति निर्देश हों।

(3) जहां ऋणदाता समिति ने ऋण समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरुद्ध धारा 92 में निर्दिष्ट अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणदाता समिति इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनके प्राप्य ऋण की मांग तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकती है।

71. ख– इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 से छूट–

इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 (एक्ट संख्या 35, वर्ष 1963) में किसी उपबन्ध के होते हुए भी, सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति को देय किसी धनराशि को जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज भी है, वसूली के लिए वादों को संस्थित करने के निश्चित अवधि की गणना उस दिनांक से की जायेगी जिस दिनांक को समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह सदस्य न रह जाय।

अध्याय–10

सहकारी समितियों का समापन और विघटन

72– सहकारी समितियों का समापन–

(1) यदि धारा 65 के अधीन जांच हो जाने अथवा धारा 66 के अधीन निरीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् अथवा सहकारी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर, निबन्धक की यह राय हो कि समिति का समापन हो जाना चाहिये, तो वह उसके समापित कर दिये जाने के आदेश दे सकता है।

(2) निबन्धक स्वतः तथा ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो नियत किया जाय, निम्नलिखित दशाओं में सहकारी समिति को समापित कर देने का आदेश दे सकता है :

(क) यदि सहकारी समिति का निबन्धन कपट या भूल से प्राप्त किया गया हो, अथवा

(ख) यदि साधारण सदस्यों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से भी कम हो गयी हो, जो धारा 6 द्वारा ऐसी समिति के निबन्धन के लिए व्यवस्थित है, अथवा

(ग) यदि सहकारी समिति ने समुचित समय के भीतर कार्य करना आरम्भ न किया हो अथवा कार्य करना बन्द कर दिया हो; अथवा

(घ) यदि सहकारी समिति अपना उद्देश्य पूरा न कर रही हो या धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षाओं की पूर्ति न कर रही हो।

73– परिसमापक–

(1) यदि निबन्धक ने धारा 72 के अधीन सहकारी समिति के समापन का आदेश दिया हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए सहकारिता विभाग के किसी सरकारी सेवक को परिसमापक नियुक्त कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो उसका पारिश्रमिक निश्चित कर सकता है।

(2) नियुक्त होने पर परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों (Actionable claims) को जिनकी समिति हकदार हो या प्रतीत हो, अपनी अभिरक्षा में अथवा अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, सामान और दावा की हानि या ह्रास और क्षति रोकने के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे। परिसमापक ऐसी सभी सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावों का पूरा लेखा रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा :

(3) यदि धारा 72 के अधीन सहकारी समिति का परिसमापन करने के आदेश के विरुद्ध धारा 98 के अधीन अपील की गई हो तो परिसमापन सम्बन्धी आगे की कार्यवाही तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि उक्त आदेश की अपील में पुष्टि न हो जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि परिसमापक उपधारा (2) में उल्लिखित सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावा को अपनी अभिरक्षा अथवा नियन्त्रण में रखे रहेगा और उसका उक्त उपधारा में अभिनिर्दिष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार बना रहेगा।

(4) यदि सहकारी समिति के समापन का आदेश अपील में रद्द कर दिया जाय तो समिति, समिति की सम्पत्ति, सामान और अभियोज्य दावे समिति में पुनर्निहित हो जायेंगे।

74– परिसमापक के अधिकार–

(1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सहकारी समिति की, जिनके सम्बन्ध में समापन का आदेश दिया गया हो, सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां धारा 73 के अधीन नियुक्त परिसमापक में उस दिनांक से निहित हो जायेंगी जिस दिनांक को उक्त आदेश प्रभावी हो और परिसमापक को ऐसी परिसम्पत्तियों को बेचकर या अन्य प्रकार से, वसूल करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे परिसमापक को निबन्धक के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये यह भी अधिकार होगा कि वह :

(क) अपने पद के नाम से सहकारी समिति की ओर से वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करे और उनका प्रतिवाद करे,

(ख) सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दावे का उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात् समय-समय पर अंशदान की, जिनके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय भी हैं, अवधारित करे जो सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों द्वारा अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों या उनके दायादों अथवा विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अथवा अधिकारियों अथवा भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा समिति की परिसम्पत्तियों में दिया जाना हो अथवा दिया जाना शेष हो;

(ग) वह समय को निश्चित करे, जो किसी भी दशा में तीन दिन से कम न होगा, जिसके भीतर ऋणदाता अपने ऋणों और दावों को प्रमाणित करेंगे अथवा इन ऋणों या दावों के प्रमाणित होने के पूर्व किये गये किसी वितरण के लाभ में सम्मिलित किये जायेंगे और ऐसे समय का नोटिस नियत रीति से दे;

(घ) सहकारी समिति के विरूद्ध सभी दावों की जांच करे और दावेदारों के बीच उठने वाले पूर्वता के प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्णय करे ;

(ङ.) सहकारी समिति के विरूद्ध दावों का भुगतान, उनकी पारस्परिक पूर्वता यदि कोई हो, के कमानुसार समापन के दिनांक तक के ब्याज सहित पूरा-पूरा अथवा अनुपाततः जैसा कि समिति की परिसम्पत्तियों के अनुसार सम्भव हो, करे और यदि दावों के भुगतान के पश्चात् कोई अतिरिक्त धनराशि बचे तो उसे उक्त आदेश के दिनांक से तथा उसके (परिसमापक के) द्वारा नियत दर से, जो किसी भी दशा में संविदा की दर से अधिक न होगी, ब्याज के भुगतान में लगाया जायेगा;

(च) यह अवधारित करे कि किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में परिसमापन के व्यय वहन किये जायेंगे;

(छ) समिति की परिसम्पत्तियों के संग्रह और वितरण के सम्बन्ध में ऐसे निदेश दें जो उसे समिति के कार्यों के समापन के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

(ज) अध्याय 9 के अन्तर्गत आने वाले विवादों को मध्यस्थ निर्णय के अभिदिष्ट करायें तथा मध्यस्थ निर्णय की किसी भी कार्यवाही में, जिसमें समिति एक पक्ष हो, समिति का प्रतिनिधित्व करे;

(झ) समिति के लाभप्रद समापन के लिए जहां तक आवश्यक हो, समिति के कार्य का संचालन करे;

(ञ) ऋणदाताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऋणदाता होने का दावा करें अथवा जिसका कोई दावा हो अथवा जो अभिकथन करें कि उनका दावा है, चाहे वह वर्तमान हो अथवा भावी, जिसके द्वारा समिति देनदार ठहराई जा सके, कोई समझौता अथवा प्रबन्ध करें, और

(ट) सभी आहूतियों (Calls) अथवा आहूति और ऋणों के दायित्वों तथा ऐसे दायित्वों के सम्बन्ध में जो परिणामतः ऋण में परिवर्तित हो सकते हों तथा

वर्तमान अथवा भावी निश्चित या घटनाक्षेप वाली दावों के सम्बन्ध में, जो समिति तथा अंशदायी तथा अभिकथित अंशदायी या अन्य ऋणी के अथवा ऐसे व्यक्ति के जो अपने ऊपर सहकारी समिति का दायित्व आने की आशंका करता हो, मध्य विद्यमान हों या विद्यमान माने जाते हों, तथा ऐसे सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में जो किसी भी रूप में परिसम्पत्तियों से समिति के समापन से सम्बन्धित हों अथवा उन पर प्रभाव डालते हों ऐसी शर्तों पर तय हो जायें, समझौता करे और उक्त आहूति, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति लें और उसके सम्बन्ध में पूर्ण उन्मुक्ति दे।

(3) जब किसी सहकारी समिति के कार्य समापित कर दिये गये हों, तो परिसमापक इसका प्रतिवेदन निबन्धक को देगा और समिति के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जहां निबन्धक निदेश दे जमा करेगा।

(4) ऐसी धनराशि जिसके उपधारा (2) के अधीन समिति की परिसम्पत्तियों के लिए अंशदान (जिसके अन्तर्गत ऋण तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं) वह समापन के व्यय के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिया गया हो, वसूली के लिए परिसमापक की प्रार्थना पर निबन्धक द्वारा कलेक्टर से तदर्थ अभियाचन किये जाने पर, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।

(5) कोई ऋण या दावा जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियत समय के भीतर प्रमाणित न किया गया हो, परिसमापक के इस अधिकार को वापस न करते हुये कि वह पर्याप्त कारण बताये जाने पर उपयुक्त समय के बाद भी उसे प्रमाणित करने की अनुज्ञा दे दें, उन्मोचित समझा जायेगा।

74– क–परिसमापक के लेखों का अंकेक्षण–

(1) परिसमापक अपने कार्यकाल की अवधि में प्रत्येक वर्ष दो बार नियत प्रारूप पर प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करेगा, निबन्धक द्वारा लेखों का अंकेक्षण जैसा वह उचित समझे कराया जायेगा।

(2) परिसमापक द्वारा अंकेक्षित लेखों का सारांश तैयार कराया जायेगा और इस सारांश की प्रति प्रत्येक अंशदायी (Contributory) को भेजी जायेगी।

(3) परिसमापक द्वारा नियत रीति से लेखों और लेखे सम्बन्धी पुस्तकों के अंकेक्षण हेतु निबंधक द्वारा निर्देशित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(4) परिसमापक समिति के परिसमापन सम्बन्धी कार्य सम्भालने के पश्चात् अंकेक्षण के दौरान या उसके परिणाम स्वरूप पायी गयी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक अनियमितताओं के कारण तथा कर्तव्यों एवं कार्यों के निर्वहन में उपेक्षा और घोर चूक के फलस्वरूप समिति को घाटा हुआ हो या होने की सम्भावना हो।

74– ख–शेष सम्पत्तियों का निस्तारण–

ऐसी समिति जिसका परिसमापन हो चुका है की परिसमापक द्वारा अपनी फाइनल रिपोर्ट में दर्शायी गयी शेष सम्पत्तियों का निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से उसके सदस्यों में नियत रीति से वितरण किया जा सकता है या समिति की उपविधियों में हुये प्राविधान के अनुसार यदि उनमें विशिष्ट रूप से दिया हुआ है किसी या किन्हीं उद्देश्यों में प्रयोग किया जा सकता है अथवा दोनों उद्देश्यों के निमित्त प्रयोग में लाया जा सकता है। जहां शेष को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता और समिति की उपविधियों में कोई व्यवस्था नहीं है। शेष सम्पत्तियां निबन्धक के अधिकार क्षेत्र में निहित हो जायेंगी जो उन्हें धरोहर (ट्रस्ट) के रूप में रखेगा तथा इसे ऐसी सहकारी समितियों के विकास के लिए अपने विवेकानुसार प्रयोग में लायेगा।

75– समापन और विघटन के मामलों में वाद पर रोक–

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, कोई दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारी समिति के समापन या विघटन से सम्बन्धित किसी मामले का संज्ञान नहीं करेगा और यदि समापन का कोई आदेश पारित हो गया हो तो समिति के विरूद्ध निबन्धक की अनुमति के बिना अथवा उसके द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसार अन्यथा कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

76– सहकारी समिति के निबन्धन का रद्द किया जाना–

यदि किसी ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में जिसे धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश दिया गया हो, निबन्धक की राय हो कि कोई परिसमापक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी सहकारी समिति को जिसके लिए कोई परिसमापक धारा 73 के अधीन नियुक्त किया गया हो, कार्य समापित कर दिये हों, तो निबन्धक समिति के निबन्धन को रद्द करने का आदेश देगा और उस आदेश के दिनांक से समिति विघटित की गयी समझी जायगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान न रहेगी।

अध्याय–11

सहकारी कृषि समितियां

77– सहकारी कृषि समितियों का निबन्धन–

(1) यदि पाँच अथवा अधिक व्यक्ति जो–

(क) किसी मण्डल (सर्किल) की भूमि में भूमिधरी अथवा सीरदारी के अधिकार धारण करते हों और भूमि को समुच्चय करना चाहते हों, अथवा

(ख) मिलकर समिति के नाम से किसी मण्डल के क्रय द्वारा, पट्टे या अन्य प्रकार से भूमि प्राप्त करने के अभिलाषी हों :

कृषि प्रधानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से सम्बन्धित किसी

प्रयोजन के लिये अथवा ऐसे प्रयोजन के साथ साथ उक्त प्रयोजन में किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिये ऐसी भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से समिति बनाते हैं, तो ऐसी समिति (जिसे आगे सहकारी कृषि समिति कहा गया है) यदि वह धारा 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और यदि उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि पर अधिकांश क्रियायें समिति के सदस्यों द्वारा की जाती हों तो इस अधिनियम के अधीन एक सहकारी कृषि समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, भूमि के ही मण्डल में होने की अपेक्षा से मुक्त कर सकता है और ऐसी मुक्ति की दशा में यहां आगे मण्डल का अभिदेश उन मण्डलों का अभिदेश समझा जायेगा जिनमें सदस्यों द्वारा धृत या प्राप्त किये जाने के लिए वांछित भूमि स्थित हो।

(2) निबन्धक, निबन्धन प्रमाण–पत्र की एक प्रतिलिपि और ऐसे अन्य लेख्य जो नियत किये जाय, कलेक्टर को ऐसी कार्यवाही के लिये, यदि कोई हो, जो नियत की जाये, भिजवायेगा।

78–निबन्धन की कतिपय अपेक्षायें–

कृषि समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे :–

(क) अधिकार–अभिलेख के उद्धरण जिनमें उन सभी खेतों की, जो समिति को अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, अभिलिखित संख्यायें तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो,

(ख) धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली समिति की दशा केवल उस भूमि का वर्णन जिसे प्राप्त करना अभिप्रेत हो तथा उसे प्राप्त करने की रीति और उसके उपयोग तथा विकास करने की योजनाएं;

(ग) ऐसे अन्य लेख्य तथा विवरण, जो नियत किये जायें।

79–निबन्धन के परिणाम–

(1) जब कोई सहकारी कृषि समिति धारा 77 के अधीन निबन्धित हो तो मण्डल की उस समस्त भूमि जिसे कोई सदस्य धारण किये हो, यह समझा जायेगा कि वह सहकारी कृषि समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चली गयी है और तदुपरान्त वह समिति उस भूमि को धारा 77 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि पर लागू न होगी जिस पर प्रक्षेत्र–गृह (Farm house) बनाया गया हो और न प्रक्षेत्र–गृह से संलग्न ऐसी भूमि पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल आधे एकड़ से अधिक न हो और जिसे सदस्य समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र देते समय, अपनी निजी जोत के लिए सुरक्षित रखने की इच्छा प्रकट करे:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि सहकारी कृषि समिति के सदस्य का संयुक्त जोत में केवल अंश हो तो उस जोत में उसके अंश के सम्बन्ध में जब तक कि उसका

जोत के समस्त सहांशी (Co-sharer) ऐसी समिति के सदस्य न हों, यह नहीं समझा जायेगा कि वह समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्ध में चला गया है, जब तक कि वह अपने अंश का बंटवारा न करा ले अथवा जब तक कि उक्त जोत के भाग पर उसका पृथक कब्जा न हो जाय।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा में दी गई किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी भूमिधर या सीरदार का उस भूमि में जो उसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में दी हो, किसी धारा 2 में की गई व्यवस्था को छोड़कर निहित नहीं रह गया है।

स्पष्टीकरण–

इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि के अन्तर्गत बाग–भूमि अथवा वह भूमि न होगी जो किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा धारित हो तथा जिसका उपयोग उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालने अथवा पशुपालन, जिनके अन्तर्गत सुअर पालन, मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से सम्बन्धित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे प्रयोजनों में सहायक किसी कुटीर उद्योग के विकास के लिए किया जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि होगी जिसे भूमिधर अथवा सीरदार पूर्वोक्त प्रयोजनों में किसी के लिए धारण किये हो, यदि वह प्रयोजन समिति के प्रयोजनों में से भी एक हो।

(2) सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (1) में की गयी है, अपने द्वारा समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि का कोई निस्तारण (Disposition) करने का हकदार न होगा।

(3) सहकारी कृषि समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसे अधिकारों या विशेषाधिकारों का हकदार होगा, ऐसे भारों तथा दायित्वों के अधीन रहेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दिये जायें या उस पर आरोपित किये जायें।

(4) सहकारी कृषि समिति के निबन्धित हो जाने के दिनांक से उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में, समिति के किसी सदस्य द्वारा देय समस्त अबवाब, स्थानीय कर, लगान या मालगुजारी, उससे (समिति से) वसूल किये जा सकते हैं। समिति द्वारा सदस्य की ओर इस प्रकार भुगतान की गई किसी धनराशि की वसूली वह उक्त सदस्य से करेगी।

80–सदस्य का पागल हो जाना–

यदि सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य पागल हो जाय, तो अपने अभिभावक (Curator) के माध्यम से सदस्य बना रह सकता है, जो उसकी ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है मानो वह स्वयं सदस्य हो।

81–नये सदस्यों का प्रवेश–

(1) कोई व्यक्ति, जो उस मण्डल का जिसमें सहकारी कृषि समिति बनाई गयी हो, निवासी हो या उसमें बसने का विचार करता हो या उसमें खेती करता हो, ऐसी

शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन उस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हों।

(2) कोई अवयस्क अथवा पागल जो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में भूमि धारण करता हो, यथास्थिति, अपने विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक (Curator) के माध्यम से उस मण्डल में किसी सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है और ऐसी दशा में संरक्षक या अभिभावक, अवयस्क या पागल की ओर से इस प्रकार कार्य कर सकता है, मानो स्वयं सदस्य हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कि वह अंशदान के रूप में समिति को भूमि दे देगा, तो भूमिधर या सीरदार के रूप में मण्डल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति के कब्जे, नियंत्रण और प्रबन्ध में संक्रमित हो जायेगी और धारा 79 के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।

82–सदस्यता समाप्त होने का प्रभाव–

(1) इस अधिनियम तथा नियमों और उपविधियों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यदि कोई सदस्य जिसने सहकारी कृषि समिति को अंशदान के रूप में भूमि दी हो, सदस्य न रह जाय, तो उसके द्वारा अंशदान के रूप में दी गयी भूमि उसे लौटा दी जायेगी अथवा समिति के पास शेष रहने वाली अथवा सदस्य को लौटाई जाने वाली भूमि की सघनता (Compactness) बनाये रखने की दृष्टि से उसे समान मूल्य की अन्य भूमि दे दी जायेगी जो समिति की या किसी अन्य सदस्य की हो जिसकी लिखित सम्मति ऐसे विनियोग के लिए प्राप्त कर ली गई हो:

प्रतिबन्ध यह है कि समिति ऐसे सदस्य से भूमि अपने द्वारा किये उन सुधार या क्रियाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति कराने की हकदार होगी जिनसे उत्पादन में लाभ या वृद्धि हो, अथवा जो उत्पादन में सहायक हों:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि लौटायी जाने वाली भूमि धारा 88 के उपबन्धों के अधीन समिति द्वारा रखे गये बन्धक के अधीन हो तो समिति बहिर्गामी सदस्य को भूमि लौटाने के पूर्व ऐसे बन्धक से भूमि का मोचन प्राप्त कर लेगी और बन्धककर्ता समिति द्वारा बन्धक धन की अनुपातिक धनराशि का भुगतान करने पर भूमि को छोड़ देगा, भले ही सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1982) में कोई प्रतिकूल बात दी हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि समिति और बहिर्गामी सदस्य की पारस्परिक सम्मति से, समिति ऐसे सदस्य को भूमि के बदले, नियत रीति से अवधारित किया गया नकद प्रतिकर देगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को वापस मिली भूमि को वह उसी अधिकार से धारित करेगा जिससे वह समिति को अंशदान के रूप में दी गई भूमि समिति की सदस्यता समाप्त होने के ठीक पूर्व धारित करता था, और यथास्थिति, समिति या किसी अन्य सदस्य को, उपधारा (1) के अधीन बहिर्गामी सदस्य को दी गई भूमि के विनिमय में रखी गयी भूमि में वही अधिकार, यदि कोई हो, प्राप्त होंगे जो इस प्रकार दी गई भूमि में समिति या सदस्य के थे।

(3) कोई सदस्य, अपनी सदस्यता समाप्त होने पर, सहकारी कृषि समिति द्वारा किसी भी रीति से अर्जित भूमि पर या अन्य सम्पत्ति के किसी भाग के लिये दावा करने का हकदार न होगा, किन्तु इसमें दी गयी किसी बात से किसी ऐसे अंश का मूल्य पाने के उसके अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा जिसे पाने का हकदार वह इस अधिनियम के अधीन हो।

83– दायाद सहकारी कृषि समिति के सदस्य होने के हकदार होंगे–

यदि किसी सदस्य की, जिसकी भूमि सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित हो, मृत्यु हो जाय, तो उसके दायाद ऐसी भूमि के सम्बन्ध में समिति के सदस्य हो जायेंगे और यदि कोई दायाद अवयस्क या पागल हो, तो यथास्थिति उसका विधिक संरक्षक अथवा अभिभावक उसकी ओर से इस प्रकार कार्य करेगा मानों वह स्वयं सदस्य हो।

84– सहकारी कृषि समिति द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी–

प्रत्येक सहकारी कृषि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी (Consolidation) के लिए कार्यवाही करे।

85– लाभ का वितरण–

(1) धारा 58 के उपबन्ध, जहां तक वे उपधारा (2) और (3) से असंगत न हों, सहकारी कृषि समिति शुद्ध लाभों के उपयोग पर भी लागू होंगे।

(2) सहकारी कृषि समिति अपने शुद्ध लाभों का कम से कम 1/20 भाग एक निधि में जमा करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी।

(3) सहकारी कृषि समिति, अपने शुद्ध लाभों में से, अपने सदस्यों को, उनके द्वारा समिति को अंशदत्त भूमि तथा श्रम के सम्बन्ध में ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से बोनस दे सकती है, जो नियत की जाय।

86– सहकारी कृषि समिति का अपने द्वारा धारित भूमि बन्धक पर ऋण देने का अधिकार–

ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, सहकारी कृषि समिति राज्य सरकार या किसी सहकारी समिति से ऋण लेने के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा अपने नाम से धारित किसी भूमि को कब्जा दिये हुये और सम्बद्ध सदस्यों से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् धारा 79 की उपधारा के अधीन अपने सदस्यों द्वारा अंशदान के रूप में दी गई भूमि को बन्धक रख सकती है, भले ही ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट 1882 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

87– सहकारी कृषि समिति के लिये रियायतें और सुविधायें–

इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को सामान्य रूप से मिलने वाली अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सहकारी कृषि समितियां ऐसी अन्य रियायतें, सुविधायें तथा पूर्वतायें पाने की हकदार होंगी, जो नियत की जायें और उसके अन्तर्गत अन्य रियायतों, सुविधाओं और पूर्वताओं के साथ-साथ निम्नलिखित हो सकती हैं –

(क) मालगुजारी में कमी ;

(ख) सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल आयल, पेट्रोल तथा मोबिल आयल के क्रय पर बिक्रीकर में कमी ;

(ग) तकावी देने में पूर्वता ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्वता ;

(ङ) सिंचाई के लिए जल सम्भरण और बीज, उर्वरक तथा कृषि उत्पादन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण करने में पूर्वता ;

(च) कृषि उपज के क्रय–विक्रय (मार्केटिंग) में पूर्वता।

88–नियम बनाने का अधिकार–

(1) धारा 128 के अधीन बनाये गये नियमों के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है;

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) ऐसे आधार, जिस पर सहकारी कृषि समिति किसी भूमिधर सदस्य को धारा 79 के अधीन उसकी भूमि का निस्तारण (Disposition) करने की अनुज्ञा दे सकती है;

(ख) वे सिद्धान्त जिन पर तथा वह रीति जिसके अनुसार धारा 2 के अधीन व्यय तथा प्रतिकर का अवधारण किया जायेगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी अथवा उसका भुगतान किया जायेगा ;

(ग) वे प्रपत्र जिनमें धारा 84 के अधीन प्रार्थना–पत्र तथा अपीलें प्रस्तुत की जायेंगी और प्रार्थना–पत्र तथा अपील के ज्ञापन–पत्र पर दिये जाने वाले न्यायालय शुल्क, यदि कोई हों, की धनराशि ;

(घ) वे सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जिनका अनुसरण धारा 84 के अधीन जोतों की चकबन्दी करने, भूमि के विनिमय (Exchange) के निर्देश देने और प्रतिकर का भुगतान करने में किया जायेगा ;

(ङ) बहिर्गामी अथवा भूतपूर्व सदस्य की भूमि, निधियों, कृषि के काम आने वाले पशुओं और उपकरणों (Implements) के विषयों में दावों को चुकता करना, जिनका अंशदान उसने सहकारी कृषि समिति को किया है ;

(च) सदस्यों द्वारा भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अंशदान तथा उसका मूल्यांकन और समायोजन (Adjustment);

(छ) सहकारी कृषि समिति के फार्म पर काम करने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने के सिद्धान्त ;

(ज) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने हों तथा नियत किये जा सकें।

89– इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अध्याय–11-क

बीमाकृत सहकारी बैंक

90– निर्वचन–

इस अध्याय में 'बीमाकृत सहकारी बैंक' का तात्पर्य डिपॉजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन एक्ट, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन किसी बीमाकृत सहकारी बैंक से है।

90– क–बीमाकृत सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले विशेष उपबन्ध–

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित उपबन्ध प्रत्येक बीमाकृत सहकारी बैंक पर लागू होंगे, अर्थात्–

(1) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प को स्वीकृति करने वाला कोई आदेश निबन्धक द्वारा रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति मात्र से ही दिया जा सकता है।

(2) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समापन का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 13–डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर इस नियम के उपबन्धों के अधीन दिया जायेगा।

(3) यदि रिजर्व बैंक की राय हो कि लोकहित में या किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के कार्य–कलाप को ऐसी रीति से जो निक्षेपकों के हित के विरुद्ध हो, संचालन रोकने के लिए या ऐसे सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निबन्धक से कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए जितनी रिजर्व बैंक के द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय के (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) अवक्रमण का और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति का आदेश देने की अपेक्षा कर सकता है और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा और धारा 35 तथा 36 के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश धारा 35 के अधीन दिये गये हों, किन्तु प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का अवसर देने और समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने की उस धारा की अपेक्षायें लागू नहीं होंगी।

(4) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के प्रबन्ध कमेटी के सभापति या सदस्यों द्वारा धारा 35 (क) की उपधारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन अपना-अपना पद रिक्त करने की दशा में रिजर्व बैंक निबन्धक से ऐसे बैंक के कार्य–कलाप का प्रबन्ध करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है जैसी वह उचित समझे और निबन्धक तदनुसार आदेश देगा, और धारा 35 (क) के शेष उपबन्ध ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो आदेश उक्त धारा के अधीन दिया गया हो।

(5) किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के समामेलन या विलयन या विभाजन या समापन की योजना या संकल्प स्वीकृत करने वाले या रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या अपेक्षा पर बैंक के प्रबन्ध कमेटी या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाय) के अवक्रमण तथा उसके प्रशासक की नियुक्ति के आदेश पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(6) यथास्थिति, परिसमापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या अन्तरणीति बैंक उक्त अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित धनराशि डिपाजिट इंश्योरेन्स कारपोरेशन को उक्त धारा में निर्दिष्ट परिस्थितियों में और सीमा तक और रीति से प्रति संदाय करने के लिए बाध्य होगा।

अध्याय–12

अभिनिर्णय तथा आदेशों का निष्पादन

91–प्रभार का प्रवर्तन–

अध्याय–9 में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी परन्तु इस अधिनियम में व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई राजपत्रित अधिकारी, सहकारी समिति के प्रार्थना–पत्र पर और ऋण अथवा शेष भाग के अस्तित्व के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर, आदेश दे सकता है कि किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य द्वारा समिति को देय किसी भी ऋण अथवा शेष भाग का भुगतान ऐसी सम्पत्ति को अथवा उसमें किसी ऐसे हित को जो धारा 39 के अन्तर्गत प्रभार के अधीन हो बेच कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि पर प्रार्थना–पत्र का नोटिस तामील न कर दिया गया हो और उसने नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर ऋण अथवा शेष भाग का भुगतान न कर दिया हो।

92–कतिपय आदेशों तथा अभिनिर्णयों का निष्पादन–

धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय जो नीचे दी गयी रीति से निष्पादन योग्य हो और धारा 67 या 68 की उपधारा (2) अथवा 91 के अधीन निबन्धक द्वारा या धारा 74 के अधीन परिसमापक द्वारा अथवा धारा 97 या 98 के अधीन अपील पर अथवा धारा 99 के अधीन पुनर्विलोकन पर या धारा 100 के अधीन विवादकालीन (Interlocutory) आदेश स्वरूप अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किये गये इस प्रकार के निष्पादन योग्य प्रत्येक आदेश [या धारा 95 (क) के अधीन जारी की गई किसी वसूली के लिए प्रमाण–पत्र] का निष्पादन, यदि उसका पालन न किया गया हो–

(क) मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र कलेक्टर को दिया जायेगा और उसके साथ निबन्धक द्वारा और उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कृत एक प्रमाण-पत्र भी रहेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र आदेश या अभिनिर्णय में भुगतान के लिए निश्चित दिनांक से और यदि ऐसा कोई दिनांक निश्चित न हो तो यथास्थिति आदेश या अभिनिर्णय के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर दिया जायेगा :

अथवा

(ख) निबन्धक या उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उसने तदर्थ अधिकृत किया गया हो उस व्यक्ति या सहकारी समिति की जिसके विरूद्ध आदेश या अभिनिर्णय दिया गया हो किसी सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किया जायेगा, अथवा

(ग) उस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले दीवानी न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिया जायेगा, मानो ऐसा आदेश या अभिनिर्णय उसी न्यायालय की डिक्री हो।

93- कतिपय प्रयोजनों के लिए निबन्धक या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति दीवानी न्यायालय होना-

निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा किसी धनराशि की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते समय अथवा ऐसी वसूली के लिए या ऐसी वसूली करने के सहायक उपाय अपनाने के लिए उसको दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश देते समय इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1963 (एक्ट संख्या 36, वर्ष 1963) की अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए दीवानी न्यायालय समझा जायेगा।

94- अभिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की-

यदि निबन्धक को किसी प्रार्थना-पत्र, प्रतिवेदन या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके विरूद्ध दिया जाये प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा डालने के विचार से यथास्थिति, निबन्धक मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल अथवा परिसमापक के क्षेत्राधिकार से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग हटाने वाला है तो वह जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाय उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकता है और ऐसी कुर्की का वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की गयी हो।

95- सरकार की देय धनराशियों की वसूली-

(1) सहकारी समिति से अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को देय समस्त धनराशियां,

जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी ऐसी सरकार को दिलाये गये व्यय भी हैं, निबन्धक द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण–पत्र पर मालगुजारी के बकाया की भांति वसूली की जा सकती है।

(2) किसी समिति द्वारा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय तथा उपधारा (1) के अधीन वसूल की जाने योग्य धनराशियां प्रथमतः समिति की सम्पत्ति से द्वितीयतः ऐसी समिति की दशा में जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए, और तृतीयतः अन्य सदस्यों की दशा में, सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं से वसूल की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व तथा मृत सदस्यों की सम्पदायें सभी दशाओं में धारा 25 के उपबन्धों के अधीन रहेंगी।

95–क–कृषि समिति के देयों की वसूली के लिए विशेष उपबन्ध–

(1) निबन्धक, धारा 34 में निर्दिष्ट समिति या कृषि ऋण समिति द्वारा किसी सदस्य को दिये गये किसी ऋण या उसकी किसी किश्त की बकाया की वसूली के लिए प्रार्थना–पत्र देने पर और ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर और ऐसी जांच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिए प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र अन्तिम और देयों का निश्चायक सबूत होगा जिसे धारा 92 के अधीन निष्पादित किया जा सकेगा।

अध्याय–13

अपील तथा पुनर्विलोकन

96–सहकारी न्यायाधिकरण–

(1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन न्यायाधिकरण को प्रदान किये गये कृत्यों के सम्पादन के लिए न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है जिनमें से प्रत्येक सहकारी न्यायाधिकरण कहलायेगा, और यदि एक से अधिक न्यायाधिकरण गठित किये जायें तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर अथवा ऐसे मामलों का वर्ग जिसके ऊपर प्रत्येक न्यायाधिकरण, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, निश्चित कर सकती है।

(2) न्यायाधिकरण में ऐसी अर्हतायें रखने वाले जो नियत किये जायें तीन व्यक्ति होंगे।

(3) यदि न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हों तो, उसके कार्य निष्पादन के लिए किन्हीं दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनमें मतभेद होने की दशा में उस मामले को जिस पर मतभेद हो तीसरे सदस्य के समक्ष रखा जायेगा और उस मामले पर जिस मत से वह सहमत होगा वही न्यायाधिकरण का मत समझा जायेगा। यदि

किसी मामले की न्यायाधिकरण के सभी तीन सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाय और मतभेद हो तो बहुमत अभिभावी होगा :

(4) न्यायाधिकरण के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति राज्य सरकार करेगी।

(5) न्यायाधिकरण द्वारा बैठक बुलाने तथा कार्य निस्तारण करने की प्रक्रिया वही होगी, जो नियत की जाय।

97–निबन्धक के अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील–

(1) निबन्धक द्वारा धारा 71 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक से जब वह अभिनिर्णय उस व्यक्ति को संसूचित किया गया हो, पैंतालीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात् न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है, जो न्यायपूर्ण समझे।

98–अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरुद्ध अपील–

(1) निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर, क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से की जा सकती है :

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार किया गया हो ;

(ख) किसी सहकारी समिति का निर्णय, जिसमें धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने से इन्कार किया गया हो, अथवा धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन समिति के किसी सदस्य को निकाला गया हो : या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए या कोई पद धारण करने से अनर्हित करने के लिए किया गया कोई आदेश ;

(ग) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य को निकालने या हटाने अथवा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समिति के किसी अधिकारी को हटाने या अनर्हित करने का निबन्धक का कोई आदेश ;

(घ) धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त करने का निबन्धक का आदेश ;

(ङ) धारा 65 के अधीन की गई किसी जांच अथवा धारा 66 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के व्ययों को विभाजित करने का धारा 67 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश ;

(च) धारा 68 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया गया अधिभार का कोई आदेश ;

(छ) धारा 71 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा किया गया कोई अभिनिर्णय ;

(ज) धारा 72 के अधीन निबन्धक द्वारा किया गया कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति के समापन (Binding up) का निर्देश दिया गया हो ;

(झ) धारा 74 के खण्ड (ख) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया कोई आदेश ;

(ञ) धारा 92 के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे प्रश्न पर जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (एक्ट संख्या 5, 1908) की धारा 47 में निर्दिष्ट प्रकार का हो, निबन्धक द्वारा दिया गया कोई आदेश ;

(ट) धारा 94 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी सम्पत्ति की कुर्की के लिए दिया गया आदेश ;

(ठ) निबन्धक की धारा 125 के अधीन कोई आदेश जिसमें समामेलन या विलयन का निर्देश दिया गया हो या धारा 16 (ख) के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निर्देश दिया गया हो ;

(ड) धारा 128 के अधीन निबन्धक द्वारा किसी संकल्प को रद्द करने या किसी आदेश को निरस्त करने के लिए दिया गया आदेश या धारा 126 के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निर्देश दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) (ट), और (ठ) के अधीन अपील न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी, और उक्त उपधारा के खण्ड (क), (ख), (ज), (झ), (ञ), (ड) और (ढ) के अधीन, अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जायेगी –

(क) यदि निर्णय या आदेश निबन्धक द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार को, अथवा

(ख) यदि निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो निबन्धक को;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा (1) के खण्ड (ज) में उल्लिखित अभिनिर्णय के विरूद्ध अपील ऐसे मामलों अथवा, मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में, जो उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जायें, न्यायाधिकरण को की जायेगी और तदोपरांत ऐसे अभिनिर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) अपीलीय प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपील सुनने के पश्चात्, ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

99- क–न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षण (Revision)-

न्यायाधिकरण किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिसके विरूद्ध उसके यहां अपील की जा सकती हो, मंगा सकता है और उसका परीक्षण पारित

किसी निर्णय अथवा आदेश की वैधानिकता या औचित्य के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करने हेतु कर सकता है और यदि न्यायाधिकरण को ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसे निर्णय अथवा आदेश को संशोधित किया जाना है, निरस्त किया जाना चाहिए, न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में जैसा उचित समझे, वैसा आदेश पारित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी –

(अ) यदि निर्णय या आदेश के विरुद्ध की जाने वाली अपील का समय समाप्त नहीं हुआ है अथवा

(ब) निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन उस समय तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

99–ख–अपीलीय अधिकारों के आदेश का पुनर्विलोकन–

(1) यथास्थिति धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन, प्राधिकारी किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र पर, किसी भी मामले में आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अपीलीय प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि किसी ऐसे नवीन महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का पता लगा है, जो उचित अध्यवसाय के पश्चात् भी प्रार्थी की जानकारी में नहीं थी, अथवा वह उसे उस समय प्रस्तुत नहीं कर सकता था जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था अथवा यह समाधान न हो जाये कि ऐसी कोई गलती या त्रुटि हुई है जो अभिलेख में प्रत्यक्ष है अथवा यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन उस समय तक कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त हितबद्ध पक्षों को नोटिस न दे दिया गया हो और उन्हें सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) किसी पक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश के, जिसका पुनर्विलोकन अपेक्षित हो, संसूचित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर दिया जायेगा।

99–ग– निबन्धक एवं सरकार के पुनरीक्षण (रिवीजन) सम्बन्धी अधिकार–

(1) निबन्धक स्वतः अथवा किसी प्रार्थना–पत्र पर अपने अधीनस्थ किसी भी ऐसे अधिकारी के जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करता है, के विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख मांग सकता है और उनका परीक्षण कर

सकता है, सरकार स्वतः अथवा किसी प्रार्थना–पत्र पर निबन्धक तथा ऐसे अधिकारी जो निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, के ऐसे विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अभिलेख जिनके विरूद्ध धारा 98 में न्यायाधिकरण को अपील का प्राविधान नहीं है मांग सकती है और उनका परीक्षण अपने को यह सन्तुष्ट करने के लिए किया जा सकता है कि लिया गया निर्णय या पारित आदेश नियमित है, ठीक है, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण है, यदि निबन्धक अथवा सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी निर्णय या आदेश को संशोधित करना, आलोपित करना, परिवर्तित करना, पुनर्विचार हेतु वापिस करना आवश्यक है, तो निबन्धक अथवा सरकार तदनुसार आदेश पारित कर सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक या सरकार को इस धारा के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा विधिक कार्यवाही, निर्णय या आदेश की प्राप्ति के 3 माह के भीतर प्रेषित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपना प्रतिवेदन देने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(3) निबन्धक या सरकार जैसा भी हो उपधारा (1) के अन्तर्गत अपने अधिकारों के प्रयोग के लम्बित दशा में किसी निर्णय या आदेश के क्रियान्वयन को रोक सकता है।

(4) निबन्धक या सरकार जैसा उचित समझे समिति की धनराशियों से या ऐसे पक्षकार जिसके द्वारा पुनरीक्षण (रिवीजन) हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया हो से इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही का व्यय भुगतान करने हेतु निर्णय दे सकते हैं।

100– अन्तरिम आदेश–

यदि अपील धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन की गयी हो , तो अपीलीय प्राधिकारी, न्याय की रक्षा के लिए अपील का निर्णय होने तक के लिए ऐसे विवादकालीन आदेश दे सकता है, जो वह उचित समझे ।

101– अपीलों का संक्रमण–

(1) राज्य सरकार, किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् धारा 97 के अधीन प्रस्तुत अपील को एक न्यायाधिकरण से किसी अन्य न्यायाधिकरण को संक्रमित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों के निबन्धक के समक्ष विचाराधीन धारा (98)के अधीन कोई अपील करने को संक्रमित कर सकती है और उसे निस्तारित कर सकती है।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक कोई अपील धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक के अधिकारों का

प्रयोग करने वाले एक अधिकारी से तत्सदृश अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी को संक्रमित कर सकता है अथवा ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील स्वयं अपने को संक्रमित कर सकता है, और उसे निस्तारित कर सकता है।

102–आदेशों और निर्णय/अभिनिर्णयों का अन्तिम होना–

धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय और धारा 98 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रकार का आदेश, जब यथास्थिति धारा 97 या धारा 98 के अधीन ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील न की गई हो तथा धारा 99 के अधीन रहते हुए उक्त धारा के अधीन होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

अध्याय–13 क

उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद्

102–(क)–उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद् का गठन एवं उसके कार्य–

(1) उत्तरांचल राज्य सहकारी परिषद् के नाम से एक काउन्सिल (परिषद्) होगी जिसमें सभापति एवं उप सभापति को सम्मिलित करते हुए उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उप एवं नामित किये जायें।

(2) राज्य सरकार द्वारा काउन्सिल (परिषद) में एक सचिव की नियुक्ति की जायेगी।

(3) उपधारा (1)में गठित काउन्सिल (परिषद) के निम्नांकित कार्य होंगे –

(क) राज्य सरकार को सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सभी मामलों में सलाह देना;

(ख) सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करना एवं राज्य की सहकारी समितियों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने हेतु उपाय सुझाना;

(ग) सहकारी समितियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ मार्गदर्शन देना, एवं अन्य उपायों का संकेत करना,

(घ) ऐसे मामलों में राज्य सरकार को संस्तुति करना जो इसे संदर्भित किये जायें;

(ङ.) राज्य में सहकारी आन्दोलन के विकास हेतु योजनाओं तथा नीतियों के सम्बन्ध में अनुशंसा करना;

(च) वर्तमान योजनाओं का मूल्यांकन एवं सहकारी विकास की नई योजनाओं को सुझाना जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों का विकास हो सके;

(छ) राज्य सरकार को सहकारी ढंग से आर्थिक विकास की विशेष योजना के कार्यान्वयन में सुझाव देना, एवं

(ज) उपरोक्त किन्हीं उद्देश्यों हेतु विभाग अथवा विशिष्ट संघटनों के माध्यम से अध्ययन करना।

(4) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्न के सम्बन्ध में प्राविधान करेगी–

(अ) काउन्सिल (परिषद्) की बैठकें बुलाने एवं ऐसी बैठकों की कार्य पद्धति,

(ब) काउन्सिल (परिषद्) सचिव के कर्तव्य,

(स) काउन्सिल (परिषद्) की उप समितियां, एवं

(द) काउन्सिल (परिषद्) कार्यालय के सदस्यों की अवधि, यात्रा एवं दैनिक भत्ता जो अनुमन्य होगा

I– परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

II– परिषद् में अधिकतम 11 सदस्य होंगे।

III– परिषद् का एक सचिव होगा जो अपर निबन्धक सहकारी समितियां के पद से निम्न न होगा।

अध्याय–14

अपराध और शास्तियां

103– अधिनियम के अधीन अपराध–

(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि–

(अ) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसका कोई सदस्य या अधिकारी, निबन्धक या निबन्धक द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उचित कारण के बिना अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत न करे या जानबूझ कर मिथ्या विवरणी तैयार करे या मिथ्या सूचना दे या समुचित लेखे न रखे, या

(ब) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य सहकारी समिति की बहियों, पत्रादि या प्रतिभूतियों को कपटपूर्ण ढंग से नष्ट करे, विकृत करे, परिवर्तन करे या कूटकरण करे या उनके नाश, विकृति परिवर्तन, कूटकरण के लिए अभिप्रेरित करे या किसी समिति के रजिस्टर, लेखा–बही या लेख्य में कोई मिथ्या प्रविष्टि करे या करने के लिए अभिप्रेरित करे, या

(स) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई अधिकारी जिसके कब्जे में समिति की बहियां, अभिलेख या सम्पत्ति हो, समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों और सम्पत्ति की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति को सौंपने से इन्कार करे या उचित कारण के बिना न सौंपे जो इस अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन उन्हें लेने के लिए विधितः हकदार हो, या

(द) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या कोई अधिकारी उचित कारण के बिना अपने कर्मचारियों के लिए धारा 63 के अधीन अपेक्षित भविष्य निधि की स्थापना न करे,

(प) सहकारी समिति का कोई अधिकारी ऐसे लेखे और रजिस्टर न रखे जो नियत किये जायें, या

(र) सहकारी समिति का कोई ऐसा अधिकारी या सदस्य, जिसके कब्जे में सूचना, बहियां और अभिलेख हों, लेखा परीक्षा के लिए धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अथवा निबन्धक या धारा 64, 65,66, 73, या 123 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्तियों को उचित कारण के बिना उक्त सूचना न दे या बहियां और पत्रादि प्रस्तुत न करे या सहायता न दे; या

(ल) कोई सेवायोजक पर्याप्त कारण के बिना किसी सहकारी समिति को, धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन अपने द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस दिनांक से, जब वह कटौती की गई हो, 14 दिन की अवधि के भीतर भुगतान न करे, या

(व) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य या कार्यलोप करे जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो।

(2) (क) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड 1, 4, 5, 7 या 8 के अधीन अपराध करे उसे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जो नियमों के अधीन अपराध हो, व नियमों में यथा उपबन्धित दो वर्ष से अनधिक कारावास से या दस हजार रुपये से अनधिक के अर्थदण्ड से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) से खण्ड (2), खण्ड (3) या खण्ड (6) के अधीन अपराध करता है, दोष सिद्ध पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

104– अर्थदण्ड–

कोई भी व्यक्ति जो धारा (8) की उपधारा (2) या धारा 106 (धारा 8 अथवा धारा 106 के उल्लंघन के लिए शास्ति) के उपबन्धों का उल्लंघन करे, अर्थदण्ड से दण्डनीय हो जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें दोषसिद्ध के पश्चात् अपराध जारी रखा जाय, एक सौ रुपया होगा।

104–क– अपराधों का शमन–

(1) निबन्धक, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, शमन, अभियोग संस्थित किये जाने से पूर्व एवं पश्चात् प्रशमन शुल्क की ऐसी

धनराशि वसूल करने के पश्चात् कर सकता है जैसा वह उचित समझे और यह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो प्रशमन शुल्क अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माने की धनराशि से अधिक नहीं होगा ।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन–

(क) अपराध संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाय, वहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय वहां ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त को दोषमुक्ति होगा।

105– अपराध संज्ञान–

(1) न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न श्रेणी का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा ।

(2) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन (Prosecution) संस्थित नहीं किया जायेगा और ऐसी स्वीकृति उस व्यक्ति को जिसे अभियोजित करना हो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायेगी।

अध्याय–15

विविध उपबन्ध

106– शब्द "सहकारी" या "को–ऑपरेटिव" का प्रयोग करने की प्रतिषेध–

सहकारी समिति से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम से जिसमें शब्द "सहकारी" या उसका अंग्रेजी पर्याय "को–आपरेटिव" हो व्यापार या कारोबार में नहीं करेगा।

107– सहकारी समिति का पता–

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का नियत रीति से निबन्धित एक पता होगा और सभी नोटिस और पत्र समिति को इस पते पर भेजे जा सकेंगे । समिति अपने पते में किसी परिवर्तन का नोटिस ऐसा परिवर्तन के 30 दिन के भीतर निबन्धक को भेजेगी।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां कोई कारोबार करती हो, अपना नाम और अपने निबन्धित कार्यालय का पता इस अधिनियम के अधीन निबन्धित शब्द के साथ सुपाठ्य अक्षरों में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगी और उसका उल्लेख निम्नलिखित में भी करेगी:–

(क) समस्त सूचनाओं और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रकाशनों में;

(ख) समस्त कारोबार संविदाओं, कारोबार सम्बन्धी पत्रों, माल के लिए आदेशों, बीजकों, लेखा विवरणों, प्राप्तियों और साख में, और

(ग) समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों और धन लिये आदेशों में जिन्हें वह हस्ताक्षरित करे, या जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित किये जांय।

108– अधिनियम आदि की प्रतियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाना–

प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों, अपनी उपविधियों, अन्तिम संपरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र, लाभ और हानि का लेखा और साधारण अधिवेशनों की कार्यवाही की एक प्रति सभी उचित समयों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए समिति के निबन्धित पते पर उपलब्ध रखेगी।

109– कतिपय मामलों में न्यायाधिकरणों आदि को दीवानी न्यायालय के अधिकार–

(1) किसी विवाद का निर्णय, किसी जांच या निरीक्षण अपील की सुनवाई या किसी दावे की छानबीन करते समय निबन्धक, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण अथवा परिसमापक को निम्नलिखित विषयों में वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (एक्ट संख्या 5, वर्ष 1908) के अधीन किसी विवाद पर विचार करते समय दीवानी न्यायालय को प्राप्त होते हैं, अर्थात् –

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) किसी लेख्य को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्रों द्वारा तथ्यों की सिद्धि; और

(घ) साक्षियों के बयान देने के लिए कमीशन निकालना।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र पर शपथ यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या परिसमापक के समक्ष, अथवा निबन्धक या न्यायाधिकरण द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष ली जा सकती है।

110– न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक–

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी दीवानी या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा :–

(क) किसी सहकारी समिति का या उसकी उपविधियों या उपविधि के किसी संशोधन का निबन्धन;

(ख) किसी प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण अथवा निलम्बन;

(ग) धारा 70 के अधीन निबन्धक को अभिनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित विवाद;

(घ) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश या अभिनिर्णय।

111– निबन्धन की शर्तों से समितियों को छूट देने का अधिकार–

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें वह आरोपित

करे, किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम की निबन्धन विषयक किसी भी अपेक्षा से छूट दे सकती है।

112– अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील–

सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या दिया गया प्रत्येक आदेश किसी व्यक्ति पर उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान का ठीक से पता लिखकर और रजिस्ट्री डाक द्वारा ऐसा पत्र भेजकर जिसमें नोटिस या आदेश हो, तामील किया जा सकता है और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये वह तामील उस समय की हुई समझी जायेगी जब पत्र सामान्य क्रम में उसके पास पहुँच जाता।

113– वादों के लिए नोटिस का होना आवश्यक–

समिति के संघटन, प्रबन्ध या कारोबार से सम्बन्धित किसी कार्य के सम्बन्ध में सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि निबन्धक को ऐसा लिखित नोटिस जिसमें वादकरण, वाद का कारण, वादी का नाम, वर्णन और निवास–स्थान और उसके द्वारा अभिवांछित अनुतोष दिया हो, दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात दो मास व्यतीत न हो गये हों और वाद–पत्र में इस बात का प्राक्कथन भी होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है एवं निबन्धक द्वारा उस पर आदेश पारित कर दिये गये हों।

113–क–कतिपय मामलों में मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियन्त्रण–

धारा 29, धारा 34, धारा 35, या धारा 35(क) के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के आदेश द्वारा जो आदेश दिया जावे या दिया जाना संभावित हो उसके विरूद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गई या संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय, राज्य सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

114– कतिपय त्रुटियों के कारण सहकारी समितियों के कार्य अमान्य नहीं किये जायेंगे–

किसी सहकारी समिति या किसी प्रबन्ध कमेटी या किसी सहकारी समिति के अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अमान्य नहीं समझा जायेगा कि समिति या कमेटी के संघटन में, या किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गयी है, या इस आधार पर कि उक्त अधिकारी ऐसी नियुक्ति या निर्वाचन के लिए अनर्हित था।

115– प्रमुक्ति–

कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक, कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यासी, निबन्धक या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी

व्यक्ति, परिसमापक, मध्यस्थ , मध्यस्थ मण्डल, न्यायाधिकरण या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती जो सद्भावना से इस अधिनियम के अधीन किया गया हो या किया गया तात्पर्यित हो।

116– सहभागिता एवं संयुक्त उद्यम–

(1) समितियों की सहभागिता–

निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से कोई दो या दो से अधिक समितियां, जिनके प्रत्येक की सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों ने तीन चौथाई बहुमत से संकल्प पारित किया हो कोई विशिष्ट व्यवसाय अथवा व्यवसायों को करने हेतु सहभागिता में प्रविष्ट कर सकती हैं। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सदस्य को पूरे दस दिन का लिखित नोटिस बैठक की तिथि एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिया गया हो।

इस प्रकार की सहभागिता पर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का कुछ भी प्राविधान लागू नहीं होगा।

(2) समितियों द्वारा संयुक्त उद्यम–

(1) कोई समिति या समितियां राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों के साथ किसी विशिष्ट व्यवसाय या व्यवसायों जिसमें औद्योगिक विनियोग, वित्तीय सहायता या विपणन एवं प्रबन्धकीय दक्षता सम्मिलित हो संयुक्त उद्यम में प्रविष्ट हो सकती है।

(2) राज्य सरकार किसी समिति या समितियों को उपधारा (1) के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व निम्न विषयों पर यथोचित ध्यान देगी, जैसे :–

क– योजना आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी है;

ख– इसका कार्यान्वयन संबन्धित समिति या समितियों के सहकारी चरित्र के बिना क्षरण के किया जा सकता है, एवं

ग– योजना, समिति के सदस्यों एवं सम्बन्धित समितियों के हितों को आगे बढ़ाने में या जनहित में और सामान्य रूप से सहकारी आन्दोलन के हित में है।

117– सहायक संगठनों का प्रवर्तन–

(1) कोई सहकारी समिति अपने स्थित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु सामान्य निकाय बैठक में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर सहायक संगठन या सहायक संगठनों को प्रवर्तित कर सकती है और इस प्रकार के संगठन सामान्य निकाय की सहमति के आधार पर वर्तमान में प्रभावी किसी कानून में पंजीकृत हो सकते हैं।

(2) ऐसे किसी सहायक संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अभिलेख, प्रवर्तन करने वाली सहकारी समिति की वार्षिक बैठक में प्रति वर्ष रखा जायेगा।

118– पुनर्निर्माण परिषद्–

जब कोई शीर्ष/केन्द्रीय सहकारी समितियां निरन्तर घाटे पर हों और घाटे जहां इतने हों कि उनके द्वारा समस्त अंशपूंजी खाई जा चुकी हो और परिसम्पत्तियों में इतनी कमी आ चुकी हो कि दायित्वों का भुगतान करने में वह समर्थ न हो, तब, ऐसी समितियों का विघटन करने के पूर्व उनके मामलों को निबन्धक द्वारा पुनर्निर्माण परिषद् को यह परीक्षण करने हेतु संदर्भित किया जा सकता है कि क्या इस प्रकार की समितियां पूंजी विनिवेश एवं तकनीकी सहायता अथवा किसी अन्य तरीके से पुनर्जीवित की जा सकती हैं। पुनर्निर्माण परिषद् में निम्न सदस्य होंगे –

1– उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक का प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
2– संस्थागत वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप–निदेशक के पद से नीचे का न हो	सदस्य
3– अंकेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी से नीचे न होगा	सदस्य
4– शीर्ष बैंक का एक प्रतिनिधि जो सहायक प्रबन्धक पद से नीचे का न हो	सदस्य
5– राज्य सरकार के सहकारिता विभाग का एक प्रतिनिधि जो प्रथम श्रेणी वर्ग–1 से नीचे का न हो	सदस्य
6– राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उप–सचिव पद से नीचे का न हो	सदस्य
7– निबन्धक सहकारी समितियों के मुख्यालय का उप–निबन्धक या सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां जिसे निबन्धक द्वारा नामित किया जाय–	सदस्य–सचिव

पुनर्निर्माण परिषद अपने को संदर्भित किये मामलों में विचार करेगी और सुविचारित अपनी अनुशंसायें विस्तार में निबन्धक के माध्यम से राज्य सरकार को यह स्पष्ट करते हुए कि समिति का विघटन होना चाहिये अथवा इसका पुनर्गठन या पुनर्निर्माण किया जा सकता है, भेजेगी । यदि पुनर्गठन या पुनर्निर्माण की अनुशंसा होती है तो पूरा पैकेज–पूंजी विनिवेश, तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं अन्य सरकारी एवं संस्थाओं की सहायताओं के विषय में परिषद द्वारा प्रस्ताव सरकार को निर्णय हेतु भेजा जायेगा। सरकारी निर्णय के पश्चात निबन्धक के स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रारम्भिक समितियां जो निरन्तर हानि में चल रही हों, के पुनर्निर्माण के लिए निबन्धक एक जिला पुनर्निर्माण समिति बनायेगा तथा उक्त समिति में लिये गये निर्णयों के अनुरूप जिले की इस प्रकार की समितियों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।

119– शीर्ष समितियों के कृत्य–

कोई शीर्ष समिति, अपने संघटकों/सदस्यों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :–

(क) सहकारी सिद्धान्तों के पालन के लिए उपाय करना;

(ख) सहकारी समितियों को समाश्रित और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए आदर्श उपविधियां बनाना, विनियम बनाने के लिए, मार्ग-दर्शक सिद्धान्त और विचारण के लिए नीतियां बनाना;

(ग) सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिक्षण और सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना;

(घ) अनुसन्धान और मूल्यांकन करना और सदस्य सहकारी समितियों की भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना;

(ङ) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना;

(च) सदस्य सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सहकारी समितियों के अनुकूल नीतियों और विधायन के लिए प्रयास करना;

(छ) अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवाएं प्रदान करना;

(ज) प्रबन्ध कमेटी की बैठकों में जिनमें सदस्य सहकारी समितियां आमंत्रित की जाती हैं, भाग लेने के साथ ही सदस्य सहकारी समितियों को सहयोग और प्रबन्धकीय विकास सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना;

(झ) सदस्य सहकारी समितियों के साधारण अधिवेशनों के नियमित संचालन में सहायता करना;

(ट) अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता विकसित करना;

(ठ) अपने सदस्यों के लिए सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना;

(ड) अपने सदस्यों को विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध करना;

(ढ) अपने सदस्यों के हित में कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराना।

120– सहकारी समितियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) सचिव, प्रबन्धक आदि के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं–

(1) कोई सहकारी समिति किसी व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव), सचिव, प्रबन्धक, लेखाकार या किसी ऐसे अन्य अधिकारी के रूप में, जिसे समिति द्वारा वेतन या पारिश्रमिक दिया जाना हो तब तक नियुक्त न करेगी जब तक कि उसमें ऐसी अर्हताएं न हों, और ऐसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, न दे दे जो निबन्धक किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में समय-समय पर विर्दिष्ट करे।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया हो, निबन्धक द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकेगा।

121– निबन्धक का समितियों में सेवायोजन की शर्तें अवधारित करने का अधिकार–

(1) निबन्धक किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों को, जिनके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों

पर अनुशासनिक नियंत्रण भी है, विनियमित करने के लिए समय–समय पर विनियम बना सकता है और कोई समिति, जिस पर ये शर्तें प्रयुक्त होती हों, उन विनियमों का तथा निबन्धक के ऐसे आदेशों का जो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिये जायें, पालन करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

122– सहकारी समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने वाला प्राधिकारी–

(1) राज्य सरकार ऐसी रीति से जो नियत की जाये, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण के लिए प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संगठन कर सकती है और ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से इस बात की अपेक्षा कर सकती है कि वह या ऐसे कर्मचारियों की भर्ती उपलब्धियों और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, और धारा 70 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सहकारी समिति के कर्मचारी तथा समिति के विवादों के निपटाने के सम्बन्ध में विनियम बनायें।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन होंगे और ऐसे अनुमोदन के पश्चात् गजट में प्रकाशित किये जायेंगे तथा प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे और धारा 121 के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों का अतिक्रमण नहीं करेंगे।

(3) वर्ग 3, 4, मे सीधी भर्ती हेतु चयन जिला स्तर पर निबन्धक द्वारा गठित कमेटी तथा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(4) वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के सीधी भर्ती के पदों पद नियुक्ति हेतु गठित चयन कमेटी में सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी समिति का सभापति भी एक सदस्य होगा।

122– क– कतिपय सेवाओं का केन्द्रीयकरण–

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे ऐसी सहकारी समितियों के लिए सर्वमान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में भर्ती, नियुक्ति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की प्रणाली और उसकी सेवा की अन्य शर्तों को नियत कर सकती है;

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय, तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक को ऐसी समितियों के सभी कर्मचारियों को ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक से सेवा में अस्थायी रूप से आमेलित समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने

को अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और उस दशा में समिति में उसकी सेवायें ऐसे नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो –

क– किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, उसके तीन मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा;

ख– किसी अस्थाई कर्मचारी की दशा में, उसके एक मास के या सेवा की शेष अवधि के जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अस्थाई रूप से आमेलित कर्मचारी सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, यदि वह निबन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अन्वीक्षण के पश्चात् उपयुक्त पाया जाये और किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएं जिसे सेवा में आमेलिता के लिये उपयुक्त न पाया जाये, विहित प्राधिकारी द्वारा और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाये निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश जारी करने के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी, और वह उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) में निर्धारित प्रतिकर का स्थायी या अस्थायी कर्मचारी होने के अनुसार हकदार होगा।

123–सहकारी समितियों के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए सहकारी संघ प्राधिकारी का संघटन या उसे मान्यता देना–

(1) राज्य सरकार, सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के पर्यवेक्षण के लिये एक या अधिक सहकारी संघ प्राधिकारियों को ऐसी रीति से जो नियत की जाये और शर्तों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार आरोपित करे, संगठित कर सकती है, अथवा उसे या उन्हें मान्यता दे सकती है तथा ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नियत रीति से ऋण अथवा सहायता दे सकती है।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उपधारा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में किये जाने वाले सम्भाव्य व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति (Recoupment) करने के लिए प्रत्येक वर्ष ऐसी धनराशि का अंशदान करे जो निबन्धक द्वारा निश्चित की जाय।

(3) सहकारी समिति, जिस पर उपधारा (2) प्रवृत्त हो, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाय, ऐसे अंशदान का भुगतान करेगी जो उक्त उपधारा के अधीन निश्चित किया जाय, और यदि उक्त समय के भीतर उक्त भुगतान न करे तो वह धनराशि प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा निबन्धक के माध्यम से उस जिले के, जिसमें बाकीदार सहकारी समिति का निबद्ध कार्यालय स्थित हो तो, कलेक्टर को अधियाचन करने पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों का कोई अधिकारी या अधिकारीगण निबन्धक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा ऐसी सहकारी समिति या सहकारी समिति वर्ग का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है या किये जा सकते हैं जिसका या जिनका पर्यवेक्षण उपधारा (1) के अधीन संघ प्राधिकारी या प्राधिकारियों को सौंपा गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकार अथवा ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने में निबन्धक के सामान्य पथ प्रदर्शन अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन काम करेंगे और निरीक्षण के परिणाम की सूचना निबन्धक को देंगे।

124- निबन्धक तथा अधिकारी लोक सेवक होंगे-

निबन्धक अथवा कोई व्यक्ति जो धारा 64 के अधीन लेखा-परीक्षण करने के लिए या धारा 65 के अधीन जांच करने के लिए या धारा 66 के अधीन निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हो या जो निरीक्षण करने के लिए धारा 123 के अधीन प्राधिकृत हो, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य जिसे धारा 71 के अधीन कोई विवाद अभिनिर्दिष्ट किये जायें, अथवा न्यायाधिकरण का कोई सदस्य या परिसमापक या कोई व्यक्ति जो कुर्की और विक्रय के लिए धारा 93 के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत हो इण्डियन पैनल कोड (एक्ट संख्या 45, वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझे जायेंगे।

125- वसूल न की जाने वाली परिसम्पत्तियों का बट्टे खाते में डाला जाना-

सहकारी समिति निबन्धक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी सम्पत्तियों को बट्टे खाते में डाल सकती है, जो अशोध्य हों, और वसूल न की जा सकती हों, प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के अन्दर इसकी स्वीकृति निबन्धक द्वारा दी जायगी अथवा अस्वीकृति की दशा में कारण सम्बन्धित समिति को संसूचित किया जायेगा।

126-कतिपय मामलों में सहकारी समिति के संकल्पों को निष्प्रभाव करने या सहकारी समिति के किसी अधिकारी के आदेश को रद्द करने का निबन्धक का अधिकार-

निबन्धक-

(1) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या उसके सामान्य निकाय द्वारा पारित किसी संकल्प को निष्प्रभाव (Annul) कर सकता है; या

(2) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को रद्द कर सकता है,

यदि उसकी यह राय हो कि यथास्थिति, संकल्प या आदेश समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं है या अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल है तदुपरान्त प्रत्येक संकल्प या आदेश शून्य (Void) तथा अप्रवर्ती (Inoperative) हो जायेगा और समिति के अभिलेखों से निकाल दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, कोई आदेश करने के पूर्व सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी सामान्य निकाय या अधिकारी से, ऐसी अवधि जो वह निश्चित करे

किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम न होगी, के भीतर यथास्थिति, प्रस्ताव पर या आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा करेगा, और यदि वह ठीक समझे तो ऐसी अवधि के दौरान उस प्रस्ताव या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है।

127– किसी सहकारी समिति को कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने का निबन्धक का अधिकार–

निबन्धक, बैंकिंग का कार्य करने वाली किसी सहकारी समिति या समितियों को कृषि एवं ग्राम्य विकास एवं सम्बद्ध क्रियाओं हेतु (जैसा अध्याय 16 में दिया हुआ है) ऋण वितरण का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देने के निमित्त सक्षम होगा।

128– नियम बनाने का अधिकार–

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और उपधारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियमों से निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है :–

1– पक्षों जिसको, और रीति जिसके अनुसार, सहकारी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करने का आदेश निबन्धक द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सूचित किया जाये;

2– विषय जिनके सम्बन्ध में सहकारी समिति उपविधियां बनायेगी या बना सकती है;

3– सहकारी समिति के दायित्व के स्वरूप तथा मात्रा में परिवर्तन की प्रक्रिया तथा शर्तें;

4– सहकारी समिति द्वारा उपविधियों के संशोधन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

5– प्रबन्ध कमेटियों का संगठन;

6– सहकारी समिति द्वारा ऐसी दूसरी सहकारी समिति की बैठक में, जिसकी वह सदस्य हो, उसका प्रतिनिधित्व करने तथा उसकी ओर से मत देने के लिए एक या अधिक सदस्यों की नियुक्ति;

7– साधारण सदस्यों के अधिकार और दायित्व तथा किसी ऐसी सहकारी समिति के जिसमें अन्य सहकारी समितियां भी उसकी सदस्य हों, सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी के संगठन में ऐसे सदस्यों का, जो व्यक्ति विशेष हों और अन्य सदस्यों का अनुपात;

8– यदि अंश एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो मतदान करने का अधिकार;

9– किसी सदस्य द्वारा उस व्यक्ति को नाम–निर्देशन की प्रक्रिया जिसे ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंश या हित संक्रमित किया जा सके या उसके मूल्य का भुगतान किया जा सके;

10– रीति जिसके अनुसार मृत या भूतपूर्व सदस्य के अंश का मूल्य निश्चित किया जायेगा और उसका भुगतान;

11– किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों और सभापति और उपसभापति का निर्वाचन, जिसमें क्षेत्रों का परिसीमन, महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण, निर्वाचन, विवादों का निपटारा और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शुल्क का उद्ग्रहण भी सम्मिलित है;

12– सहकारी समिति की सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाना और ऐसी बैठकों की गणपूर्ति तथा प्रक्रिया;

13– कमेटी को या निबन्धक द्वारा अवक्रान्त निलम्बित प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर नियुक्त प्रशासक अथवा प्रशासकों को देय पारिश्रमिक;

14– सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अर्हताएं या अनर्हताएं;

15– सहकारी समिति के अधिकारियों का समिति के साथ संविदा में हितबद्ध होने पर निर्बन्धन;

16– सहकारी समितियों में राज्य सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागिता से सम्बद्ध विषय;

17– लाभांश और बोनस के भुगतान प्रयोजनार्थ शुद्ध लाभ में से बांटने से योग्य लाभ का अवधारण तथा समिति की निधियों का प्रदर्शन;

18– सहकारी विकास निधि की स्थापना तथा नियन्त्रण सहकारी समिति द्वारा अपने शुद्ध लाभ (Net Profit) से निधि में किया जाने वाला भुगतान और निधि के विनियोजन तथा उनके निस्तारण की रीति;

19– सहकारी समिति की निधियों के विनियोजन की और अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना तथा उसके विनियोजन की रीति तथा शर्तें;

20– सहकारी समिति की रक्षित तथा अन्य निधियों का उद्देश्य उनका उपयोग और उनके विनियोजन की रीति;

21– सहकारी समिति के समापन होने पर उसकी रक्षित निधि तथा अतिरिक्त निधि (Surplus Fund) के निस्तारण की रीति;

22– सीमा तथा शर्तें जिसके अधीन रहते हुए सहकारी समिति निक्षेप (Deposit) और ऋण प्राप्त कर सकती है;

23– सहकारी समिति द्वारा असदस्यों (Non members) के साथ व्यवहार करने पर निर्बन्धन;

24– सहकारी समिति द्वारा ऋण देने पर निर्बन्धन;

25– निक्षेप प्राप्त करने तथा नकद उधार देने वाली सहकारी समितियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले अस्थिर साधनों (Fluid resources) का स्वरूप तथा मानक;

26– लेखा परीक्षा का संचालन तथा सहकारी समितियों पर लेखा परीक्षा

शुल्क का उद्ग्रहण;

27– इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के समक्ष अथवा न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों के समक्ष अपील और पुनर्विलोकन ग्रहण करने तथा उसका निस्तारण करने की कार्यवाहियां है, अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया;

28– इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में लिये जाने वाले शुल्क तथा व्यय;

29– शर्तें जिनके अधीन रहते हुए सहकारी समिति की परिसम्पत्तियां परिसमापक में निहित होंगी तथा सहकारी समिति के समापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

30– सहकारी समिति को प्राप्य या देय धनराशि की वसूली प्रक्रिया;

31– निर्णय के पूर्व कुर्की करने की रीति और इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया;

32– न्यायाधिकरण के सदस्यों की अर्हताएं;

33– सहकारी समिति का पता, निबन्धित करने की रीति;

34– सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली लेखा बहियां तथा रजिस्टर और लेखा बहियों तथा रजिस्टरों में यथाविधि प्रविष्टियां किये जाने के लिए निर्देश देने का, निबन्धक का अधिकार;

35– कार्य के दौरान में सहकारी समिति द्वारा रखी गई बहियों में की गई प्रविष्टियों की और लेखों की प्रतिलिपियों के प्रमाणीकरण की रीति;

36– सहकारी समितियों द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण पत्र, प्रतिवेदन और विवरणियां;

37– इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में वकील के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्ति पर निर्बन्धन;

38– लेखों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिए शुल्क का उद्ग्रहण;

39– केन्द्रीय बैंक द्वारा सहकारी समितियों से लिये जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर;

40– सहकारी समितियों से वसूल किये जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्कों की अधिकतम दर;

41– अवैतनिक आयोजकों तथा अवैतनिक प्रबन्धकों के कर्तव्य तथा कृत्य और उनकी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को भत्ते तथा मानदेय का भुगतान;

42– अधिनियम तथा नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिए, अपेक्षित किसी आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने की रीति; और

43– कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय अथवा जो नियत किये जाने के लिए अपेक्षित हो ।

129– वर्तमान समितियों तथा उनकी उपविधियों के सम्बन्ध में उपबन्ध–

(1) प्रत्येक ऐसी सहकारी समिति के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को विद्यमान हो तथा जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा उत्तरांचल राज्य में प्रचलित सहकारी समिति विषयक किसी अन्य विधि के अधीन निबन्धित हो, यह समझा जायेगा कि यह इस अधिनियम के अधीन निबन्धित है तथा उसकी उपविधियां जहां तक वह इस अधिनियम (या इसके अधीन बनाये नियमों) के व्यक्त उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रचलित रहेंगी जब तक कि उन्हें (इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार) परिवर्तित या विखण्डित न कर दिया जाय।

(2) कोई सहकारी समिति जिस पर उपधारा (1) प्रवृत्त होती है और जो धारा 77 की अपेक्षाओं के अनुसार हो, अध्याय 11 के प्रयोजनों के लिए सहकारी कृषि समिति समझी जायगी।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उन उपविधियों को इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों में असंगत हो, निकाल देगी या संशोधित कर देगी और इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखकर ऐसी और उपविधियां बनायेगी जो आवश्यक हों।

(4) किसी सहकारी समिति की ओर से उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित कार्य न किये जाने पर निबन्धक समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, जिसके अन्तर्गत उसमें से उपविधियों का निकाला जाना और उसमें उपविधियों का बढ़ाया जाना भी है।

(5) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा निबन्धक, कारणों को अभिलिखित करके, किसी सहकारी समिति या, सहकारी समिति के किसी वर्ग को दे, अपनी सदस्यता का समायोजन इस अधिनियम के अधीन सदस्यों के वर्गीकरण के अनुसार करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान सदस्यों के सम्बन्ध में जिसका समायोजन किसी प्रकार की सदस्यता में नहीं किया जा सकता, एक वर्ष की अवधि या बढ़ायी गई अवधि, यदि कोई हो, के व्यतीत होने पर यह समझा जायेगा कि उसने समिति की सदस्यता छोड़ दी है और उसके वही अधिकार तथा दायित्व होंगे मानो उसने इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व सदस्यता छोड़ दी हो।

(6) यदि सहकारी समिति उपधारा (5) में निर्दिष्ट सदस्यता का समायोजन करने में चूक करे तो निबन्धक समायोजन कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि वर्तमान सदस्यों में से किन सदस्यों के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, यह समझा जायेगा कि उसने उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन अपनी सदस्यता छोड़ दी है।

(7) प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपनी प्रबन्ध कमेटी संघटित करेगी और उसके ऐसा न करने पर निबन्धक, नियत रीति से कमेटी संघटित करेगा।

(8) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या उसकी प्रबन्ध कमेटी का कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैध न होगी अथवा उस पर न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी कि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सदस्यता समायोजन या प्रबन्ध कमेटी के पुनः संघटन के समय तक समिति की सदस्यता या उसकी प्रबन्ध कमेटी का संघटन इस अधिनियम या नियमों के उपबन्धों से असंगत था।

130-वर्तमान समितियों के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध-

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी वाद, अन्य कार्यवाही, जांच या निरीक्षण के सम्बन्ध में, जहां तक सम्भव हो, यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन संस्थित या प्रारम्भ किया गया है और तदनुसार जारी रखा जा सकता है।

(2) जिसे ऐसे अधिकार, कृत्य या कर्तव्य का प्रयोग, संपादन या निर्वहन इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन उस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्राधिकारी से भिन्न हो, उस समय तक, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी का संघटन या उसकी नियुक्ति न हो जाय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा जो अब तक उक्त अधिकार, कृत्य या कर्तव्यों का प्रयोग सम्पादन अथवा निर्वहन करता रहा हो और निबन्धक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के शीघ्र संघटन या नियुक्ति के लिए नियत रीति से कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

131-कठिनाइयों के निवारण का अधिकार-

(1) राज्य सरकार समय-समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे अनुषांगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उपबन्धों के नियमों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

132-निरसन संशोधन तथा अधिनियमितियों का अन्वय लगाना-

(1) उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एतद्द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के प्रति अभिदेश जो किसी ऐसी अधिनियमिति में आये हों जिसे भारत के किसी प्राधिकारी ने बनाया हो और जो तत्समय उत्तरांचल राज्य में प्रचलित हो, उक्त राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के संगत उपबन्धों के अभिदेश समझे जायेंगे।

अध्याय–16

कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण

133–कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु अवधि ऋण का वितरण–

यह अध्याय ग्राम्य विकास उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु वितरित किये जाने वाले अवधि ऋणों के वितरण पर लागू होगा।

स्पष्टीकरण–

वाक्यांश 'कृषि एवं ग्राम्य विकास' का अर्थ कृषि एवं विकास सम्बन्धी किसी कार्य निर्माण अथवा क्रिया से है जिसके अन्तर्गत निम्न सम्मिलित होंगे:–

(1) कुओं और ट्यूब वेलों का निर्माण।

(2) आयल इंजन, पम्पसेट एवं इलेक्ट्रिक मोटर सहित मशीनरी की स्थापना।

(3) पावर टिलर्स एवं ट्रैक्टर्स की खरीद।

(4) पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग जैसे– दूध देने वाले जानवरों का क्रय, शंकर प्रजनित बछिया पालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर तथा कुक्कुट पालन एवं बैलों की खरीद, अंगोरा खरगोश, यातायात, पर्यटन, जड़ी–बूटी संकलन, कृषिकरण।

(5) उद्यानीकरण।

(6) वनीकरण।

(7) मछली पालन सहित मत्स्य पालन एवं उससे सम्बन्धित एवं सहायक सभी क्रियाओं समेत।

(8) रेशम विकास।

(9) बायोगैस प्लान्ट्स।

(10) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना।

(11) ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन–निर्माण।

(12) अन्य ऐसे प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कृषि एवं ग्राम्य विकास प्रयोजन घोषित करे।

(13) कृषि एवं ग्राम्य विकास की सभी नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट) द्वारा अनुज्ञात एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य क्रिया-कलाप।

134–कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की कार्यविधि, सीमा तथा प्रतिभूति–

कृषि एवं ग्राम्य विकास ऋण वितरण की सीमा, कार्यविधि, इस अध्याय के अन्तर्गत ऐसी होगी जैसा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा धारा–135 उल्लिखित न्यासधारी के परामर्श से समय–समय पर निर्दिष्ट की जाय। ऋणों का वितरण अचल सम्पत्ति के बंधक अथवा प्रभार या चल सम्पत्ति के दृष्टिबंधक अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर किया जाएगा।

135–न्यासधारी की नियुक्ति–

निबन्धक सहकारी समितियां या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधि[illegible]
ऋण–पत्र धारियों के प्रति उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी ऋण–प[illegible]

दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।

136—न्यासधारी के अधिकार एवं कृत्य—

न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अध्याय के उपबन्धों तथा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास संलेख द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबन्ध द्वारा और राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर परिष्कृत या प्रतिस्थापित हो, शासित होंगे।

137—न्यासधारी एक एकल निगम होगा—

धारा 135 के अधीन नियुक्त न्यासधारी के नाम से एक एकल निगम होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और एक सामान्य मुहर होगी। वह अपने निगमित नाम से उसके विरुद्ध वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा।

138—ऋण-पत्रों का जारी किया जाना—

(1) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक समय-समय पर, मूलधन का पूरा प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर अंशतः धृत और अंशतः अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या दृष्टिबन्धक की अन्य सम्पत्तियों की, प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिदानों के ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जिसे दृष्टिकर समझे, जारी कर सकता है।

(2) ऐसे ऋण-पत्रों में ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिसके जारी किए जाने के दिनांक से बीस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि निश्चित की जाए जिसमें बैंक के लिए यह अधिकार रक्षित रखा जाय कि वह सम्बन्धित ऋण-पत्र धारी को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी ऋण-पत्र को उनके विमोचन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहृत कर ले।

(3) उपधारा (1) के अधीन बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर देय धनराशि कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होगी:—

(क) बन्धक या प्रभार या दृष्टिबन्धक पर देय धनराशियों और उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्य,

(ख) ऋण-पत्र मोचन-निधि में संचयन,

(ग) हस्तस्थ रोकड़ और बैंकों में अतिशेष और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य बाजार मूल्य, जो भी कम हो; और

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय।

139—न्यासधारी में सम्पत्ति का निहीत किया जाना और परिसम्पत्तियों पर ऋण-पत्र धारियों का प्रभार—

धारा 138 के अधीन ऋण-पत्र जारी होने पर, राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अधीन फायदा और उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट और बैंक द्वारा धृत बंधक वस्त

सम्पत्तियां और अन्य परिसम्पत्तियां न्यासधारी में निहित होंगी और ऋण–पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे के हकदार होंगे और उनका ऐसे समस्त बन्धकों और परिसम्पत्तियों और ऐसी प्रत्याभूति या बंधकों के अधीन भुगतान की गई और उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक या न्यासधारी के पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा।

140– ऋण–पत्रों का मूलधन और उनका ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होना–

धारा 138 के अधीन जारी किये गये ऋण–पत्रों का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी अधिकतम धनराशि तक जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियत की जाय, तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा।

141– सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना–

राज्य सरकार के होते हुए भी, बैंक, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकती है।

142– कुछ दावों पर बन्धक की पूर्वता–

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भी बन्धक या सृजित किसी भी प्रभार को किसी ऐसे ऋण से, जो उक्त बन्धक के निष्पादन या प्रभार के सृजन के पश्चात दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर पूर्वता प्राप्त होगी।

143– उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए अधिनियम के अधीन बेची गयी किसी सम्पत्ति को क्रय करना विधि पूर्ण होगा, और ऐसा बैंक इस प्रकार क्रय की गयी सम्पत्ति का ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, विक्रय करके निस्तारण करेगा।

(2) तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गई कोई भी बात जिसमें कृषि जोत या अन्य अचल सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत की गई हो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी।

(2) क. यदि बैंक को उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विक्रय होने तक पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नहीं करेगा।

144– विक्रय के अधिकार का प्रयोग कब किया जायेगा–

(1) ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, 1882 (एक्ट संख्या 4, वर्ष 1882) में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित

बन्धक विलेख द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को स्पष्ट रूप में प्रदान किया गया हो तो ऐसे बैंक की प्रबन्ध समिति को अथवा ऐसी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक या प्रभार के अधीन बकाया धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में उक्त बैंक को उपलब्ध किसी अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त बन्धक ग्रस्त या प्रभारित सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि–

(क) एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसे बन्धक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गई हो, निम्नलिखित पर तामिल न कर दिया गया हो–

(i) बन्धककर्ता या बन्धककर्ताओं में से प्रत्येक;

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बैंक की जानकारी में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके उन्मोचन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हो;

(iii) बन्धक–ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिए कोई प्रतिभूति, तथा

(iv) बन्धककर्ता का कोई ऋणदाता जिसने अपनी सम्पदा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी वाद में बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली हो।

(ख) ऐसी तामील से तीन महीने के पश्चात् उक्त बन्धक धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चूक न की गयी हो, और

(ग) बैंक के खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धककर्ता या अन्य किन्हीं व्यक्तियों की आपत्तियों को यदि कोई हो, सुनने के पश्चात् ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो।

(3) इस धारा के अधीन विक्रय ऐसी रीति से किया जायेगा जो नियत की जाये।

(4) जहाँ इस अधिनियम के अधीन बेची गई कोई सम्पत्ति बन्धक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक के पक्ष में ऐसे बन्धक रखे जाने के या प्रभार सृजन के पश्चात् से हक या दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना–पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर कब्जा दिये जाने का आदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन कृषि जोत या अन्य अचल सम्पत्ति उसमें किसी हित का विक्रय उत्तरांचल में तत्समय प्रचलित भूमि अधिनियम के अधीन होगा।

145–बन्धकग्रस्त सम्पत्ति नष्ट होने अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त होने पर उत्तरांचल राज्य सरकारी बैंक के अधिकार–

यदि उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पास बन्धक रखी गई कोई सम्पत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट हो जाती है अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय और बन्धककर्ता को उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस बात का समुचित अवसर दिये जाने के बाद व इतनी और प्रतिभूति की व्यवस्था करें कि प्रतिभूति

पर्याप्त हो जाये या वह ऋण के उतने अंश का प्रतिदान करे जो बैंक अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिदान न करे तो सम्पूर्ण ऋण तुरन्त देय समझा जायेगा, और बैंक बन्धककर्ता के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार हो जायेगी।

स्पष्टीकरण –

इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायेगी जब तक बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बन्धक के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि से उस अनुपात में अधिक न हो जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय।

146–अनियमितता आदि के आधार पर क्रेता के आगम पर आपत्ति नहीं की जायेगी–

यदि धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके कोई सम्पत्ति बेची जाय तो क्रेता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि :–

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी, अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति को जिसे किसी ऐसे अधिकार के अनाधिकृत, अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पहुंची हो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के विरुद्ध क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा।

147–बन्धककर्ता के ऋण शोधाक्षम हो जाने के आधार निष्पादित बन्धक पर आपत्ति नहीं की जायेगी–

ऋण शोध क्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावना से निष्पादित नहीं किया गया था या कि वह बन्धककर्ता के अन्य ऋण दाताओं पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को अधिमान देने के लिए निष्पादित किया गया था।

148–प्रापक की नियुक्ति तथा उसके अधिकार–

(1) बैंक स्वतः उन परिस्थितियों में जिनमें धारा 144 के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता हो, बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के लिए लिखित रूप में एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करके और उसकी उपज तथा आय को संग्रहीत करके अपने द्वारा वसूल किये गये धन से अपना प्रबन्ध व्यय, जिसमें उसका बैंक द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सम्मिलित है–काट लेगे और अवशिष्ट धनराशि को ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 की धारा

69-ए की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार जहां तक वे लागू हों, उपयोग करने का हकदार होगा।

(2) बैंक स्वतः अथवा बन्धककर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रापक को हटा सकती है।

(3) प्रापक के पक्ष में हुई रिक्ति की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

(4) इस धारा के किसी बात से बैंक को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बन्धक ग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक के कब्जे में हो।

149-अन्तरणीय अधिकार वाले कृषकों को अन्तरणीय अधिकार निहित करना-

राज्य सरकार उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, समस्त भूमिधरों को, और सरकारी पट्टेदारों को उनके खातों के अधीन धृत भूमि में, या ऐसी भूमि में किसी हित में, अन्तरण के अधिकार जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार सम्मिलित है, निहित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर और सरकारी पट्टेदार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, ग्रांट या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के या रूढ़ी या परम्परा के होते हुए भी अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा।

149-(क) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन-

(1) कोई व्यक्ति जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से अपनी चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो सम्यक रूप से स्टाम्पित-पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक में ऐसी सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक रख सकता है।

(2) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मूल्य की सम्पत्ति न हो, तब ऐसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जैसी नियत की जाय बैंक के संतोषानुसार (जामिनदार) प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन लिए गये प्रभारों और रखे गये बन्धकों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन दृष्टि बन्धक रखे गये चल सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

150-बन्धकग्रस्त एवं प्रभारित सम्पत्ति को पट्टे पर देने या उस पर अन्य अधिकार सृजित करने के बन्धककारित अधिकार-

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में कोई प्रभार, दृष्टिबन्धक या बन्धक किया गया हो, प्रभार, दृष्टिबन्धक या

बन्धककर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक से लिए गये ऋण या अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो, और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गई धनराशि के किसी भाग का भुगतान कर दिया जाय, तो उस सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक सम्पत्ति या उसमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक प्रभार या दृष्टि बन्धक सदस्य द्वारा देय शेष धनराशि की सुरक्षा का सम्यक् ध्यान में रखते हुए निर्मुक्त कर सकता है।

151-बैंक के पक्ष में निष्पादित लेखों का रजिस्ट्रीकरण-

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी किसी उधारकर्ता द्वारा ऋण का प्रतिदान सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सृजित करने वाले विलेख को उसके निष्पादन दिनांक से उक्त अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा, बशर्ते, बैंक निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस लेख्य की जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धन सृजित किया गया हो, एक प्रति जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राप्ति स्वीकार की रसीद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के साथ उस उप-रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रभारित या बन्धक रखी गई, सम्पूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और सम्बद्ध उप-रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करेगा।

(2) जहां उप-रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न त्रुटि की गई है, वहां लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेजकर उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह तीस दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति उप-रजिस्ट्रार उस निमित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करे या त्रुटि को दूर करे। बैंक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।

(3) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रुटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (1) में निर्धारित रीति से उप-रजिस्ट्रार के पास पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप-रजिस्ट्रार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या-1 में उस प्रति को नत्थी करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा किसी ऐसे संलेख के जिसका निष्पादन उसके अधिकारिक रूप में किया हो, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध

किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हों या उक्त अधिनियम की धारा 58 में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करें।

152–प्रभार या बन्धक अंकित करने के लिए राजस्व रजिस्टर–

जहां प्रभार या बन्धक का सृजन करने वाले लेख्य की प्रति धारा 151 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दी गई हो वहां बैंक ऐसे लेख्य की एक प्रति तहसीलदार या ऐसे अन्य पदधारी को भी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, भेजेगा। तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी ऐसे प्रभार रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति और उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेंगे जो नियत किये जावें।

153–ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 की धारा 102, 103 और 104 का इस अध्याय के अधीन नोटिस पर लागू होना–

ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 की धारा 102 और 103 के तथा उक्त धाराओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त एक्ट की धारा 104 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध, इस अध्याय के अधीन तामील किये जाने वाले सभी नोटिसों पर यथाशक्य, प्रवृत्त होंगे।

154–संयुक्त हिन्दू परिवारों के प्रबन्धक द्वारा निष्पादित बन्धक–

(1) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बंधक पर नहीं वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में, कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया था जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यों पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गई बात के होते हुये भी, उस पक्ष पर होगा, जो उस बन्धक पर आपत्ति करें।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे।

(क) किसी धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे;

(ख) भूमि का क्रय;

(ग) परिवार के लिए ग्रामीण निवास गृहों का निर्माण।

155– परिष्कार जिसके अधीन रहते हुए माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 8 इस अध्याय के अधीन बंधकों पर लागू होगी–

हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 8 उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के पक्ष में किये गये बंधकों पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुए प्रवृत्त होगी कि उसमें न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसको किया गया अभिदेश समझा जायेगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जायेगी।

156– उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को किया गया अभिदेश समझा जायेगा–

किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा।

157– उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी का विनियम बनाने का अधिकार–

उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक की प्रबन्ध कमेटी न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक नियमों एवं उपविधियों के उपबन्धों से असंगत न हों और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गई हो–

(क) ऋण–पत्रों की अवधि तथा उन पर देय ब्याज की दर निश्चित करना;

(ख) ऋण–पत्रधारियों को नोटिस देने के पश्चात् ऋण–पत्रों का प्रत्याहरण;

(ग) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट ऋण–पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण–पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो;

(घ) एक वर्ग के ऋण–पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण–पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हो;

(ङ) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक के बही–खातों तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण;

(च) ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई संपत्तियों का मूल्यांकन;

(छ) बन्धककर्ताओं से वसूल की गई धनराशियों का विनियोजन; तथा

(ज) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में प्रबन्ध कमेटी समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, उपबन्ध बनाये जाने चाहिए :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 157 के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे।

158– नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार–

(1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात् सामान्यतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है जिसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने का कोई नियम भी है।

(2) विशेषतया तथा उपधारा (1) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है–

(क) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया,

(ख) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक को बन्धक रखी गई संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया,

(ग) बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों की सीमा अवधारित करने के लिए धारा 138 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना,

(घ) वे शर्तें, निर्धारित करना जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ायी, समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है,

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो अथवा जो नियत किया गया।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य, राज्य विधान सभा के समक्ष जब उसका सत्र हो, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

159—न्यासधारी व अन्य लोक सेवक होंगे—

न्यासधारी निबन्धक अथवा निबन्धक द्वारा सम्पत्ति के अभिग्रहण व विक्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति धारा 148 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

160—लोक सेवक विक्रय पर बोली नहीं लगायेगा—

धारा 159 के अन्तर्गत वर्णित लोक सेवक इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी विक्रीत चल या अचल संपत्ति की नीलामी में बोली अथवा क्रय नहीं करेगा।

161—कतिपय हानियों को पूर्ण करने हेतु प्रत्याभूति निधियां—

(1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर जिन्हें वह उचित समझे प्रत्याभूति निधि अथवा एक से अधिक प्रत्याभूति, निधियां उन हानियों को पूरा करने के लिए स्थापित कर सकती है जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक द्वारा अचल संपत्ति के आगम (T.D.) पर दिये ऋण, जो आगे दोषपूर्ण पाये जाते हैं, के फलस्वरूप हो जाती है, या इस अध्याय में किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक है कि एक अलग प्रत्याभूति निधि का प्राविधान किया जाय।

(2) उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक ऐसी निधियों में ऐसी दर पर अंशदान, देगी जो नियत की जावें तथा ऐसी निधियों का विधान, अनुरक्षण एवं उपयोग ऐसे नियमों से परिचालित होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाएं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-161 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003

पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, अभी कुछ समय पूर्व हमारे सम्मानित सदस्यों ने यह इच्छा जाहिर की कि जब एक एक्ट है तो दूसरा एक्ट बनाने का क्या औचित्य। यह सहकारिता आन्दोलन का स्वरूप विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। कुछ लोग सहकारिता आन्दोलन से जुड़ना चाहते हैं, अपनी समिति बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको कार्य के निष्पादन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे वे अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे सकते। चूंकि हमारा प्रदेश बहुत छोटा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से बेरोजगारी मिटाने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। जो लोग अपनी पूँजी लगाकर सहकारिता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनको इस स्वायत्त सहकारिता विधेयक के माध्यम से लाभ दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूरा विश्लेषण किया गया है। यह भी विचार किया गया कि स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 के माध्यम से कितने प्रकार के लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, आन्ध्र प्रदेश आदि के एक्ट का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि जो ये राज्य आज सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उसका मुख्य कारण स्वायत्त सहकारिता विधेयक का होना है। इसके लिए हमारी सरकार ने यह तय किया कि इस स्वायत्त एक्ट को अपने प्रदेश में भी लागू किया जाये। इस एक्ट के माध्यम से सहकारी समितियों में सरकारी हस्तक्षेप को नियंत्रित किया जायेगा। मान लीजिए कि 10 आदमी मिलकर अपना कोई इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, कोई स्कूल चलाना चाहते हैं, कोई फर्म बनाना चाहते हैं जिसमें कम्पनी एक्ट के द्वारा उन्हें लाभ न मिल पा रहा हो, उनको हम इस एक्ट के माध्यम से लाभान्वित करेंगे। यदि कोई अपना विद्यालय बनाना चाहे, संस्था चलाना चाहे जिससे समाज के उन वर्गों को लाभ मिले, जो दलित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं।

उस सेक्टर में काम करने के लिए इस स्वायत्त सहकारी विधेयक को लाने का प्रस्ताव किया गया है और उसके तहत जो अंशपूंजी थी उसके हिसाब से जो सहकारिता के क्षेत्र में जो रूकावट आती थी वह इसलिए आती थी क्योंकि उसमें रजिस्ट्रार का सीधा हस्तक्षेप था और इस विधेयक के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप नहीं रह जायेगा। और इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि यदि कोई सहकारी समिति कोई नियम आदि बनाना चाहती है तो इसमें भी रजिस्ट्रार की मर्जी नहीं चलेगी। वह खुद ही सक्षम होगा, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके लिए उसकी सूचना उन्हें देनी पड़ेगी और वह सूचना 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को देनी होगी।

यह विधेयक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जो आम आदमी द्वारा अनुभव की गई सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो और एक ऐसे आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी और परस्पर सहायता प्राप्त, स्वशासी स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक और व्यावसायिक उद्यमों के रूप में जो सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में हो, उनके द्वारा संचालित और नियंत्रित हो। यह उस आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण विधेयक है जो अपने लिए डेयरी या कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हो लेकिन उनको वह बैंक नहीं मिल पाता था जिससे वह

उसे सुचारू रूप से चला सके। परन्तु इस विधेयक के द्वारा उनको अधिकार दिये गये हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वह सरकार को अपना आवेदन-पत्र दे और उन्हें ऋण दिया जायेगा और यदि उनके पास पैसा है तो उसका अच्छा उपयोग उनके द्वारा किया जाये इसका भरसक प्रयास किया जायेगा, और वे अपने बनाये नियमों और कानूनों के तहत कार्य कर पायेंगे। हमने इस विधेयक में तमाम प्रावधान रखे हैं जिससे सहकारी क्षेत्र में स्वायत्ता बढ़ाकर उत्तरांचल राज्य में सहकारिता क्रान्ति लायी जा सकेगी। जैसे चुनाव का प्रकरण है उसमें है बोर्ड के निदेशकों का चुनाव कराना सहकारिता बोर्ड का दायित्व होगा तथा चुनाव, संगम अनुच्छेद में निर्दिष्ट रीति से कराये जायेंगे, चुनाव पद छोड़ने वाले निदेशकों का कार्यकाल समाप्त करने से पहले ही कराये जायेंगे।

जब मैं इस विधेयक पर विचार कर रहा था तो मेरे कई साथियों ने मुझसे कहा था कि इस विधेयक से कहीं अराजकता तो नहीं फैल जायेगी? लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें जो प्रावधान किये हैं उनके अनुसार कहीं पर भी कोई ऐसा बिन्दु नहीं है कि अराजकता फैले। यह विधेयक तो उन लोगों के लिए है जो देश का हित चाहते हैं प्रदेश का हित चाहते हैं, सहकारिता के माध्यम से बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं, स्वावलम्बी बनना चाहते हैं और समाज में एक नया आयाम बनाना चाहते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोक महत्व के विधेयक को पारित कराने में सरकार की मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि "उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, अभी सरकार ने जो पिछला विधेयक प्रस्तुत किया, उसको देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह सरकार सहकारिता के प्रति कितनी गंभीर है। मान्यवर, इससे अधिक दुःखद बात इस सदन के लिए और कोई नहीं होगी कि जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया, उसकी त्रुटियों की ओर जब बिन्दुवार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया तो माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि यह टंकण की त्रुटियां हैं। मान्यवर, अब वह विधेयक इस राज्य की सम्पत्ति बन गया है, अब माननीय मंत्री जी उसमें कैसे संशोधन कर पायेंगे। क्या इस विधेयक को पुनः संशोधित रूप में इस सदन में पुनःस्थापित करेंगे। मान्यवर, नियमावली के नियम 114, 123 और 128 के अनुरूप ऐसा करना पड़ेगा, जो इस सदन के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ होगा। इस प्रकार इसमें अतिरिक्त व्यय भी वहन करना पड़ेगा। हम तो कह रहे थे कि इसमें संशोधन कीजिए और इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिए। यदि सरकार प्रवर समिति के सुपुर्द करने में अपना अपमान समझती है, तो इसको किसी और समिति के सुपुर्द कर दीजिए, जो इस पर विचार करके इसमें संशोधन कर दे। इस विधेयक में जो त्रुटियां हुई हैं, वह सरकार के कारण हुई हैं, इसलिए सरकार को इस त्रुटि के लिए खेद प्रकट करते हुए इस विधेयक को तो वापस ले लेना चाहिए। मान्यवर, सरकार पहले विधेयक को तो वापस लेगी ही, हम इस दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में भी कहना चाहते हैं कि इसको भी सरकार वापस ले ले और संशोधित रूप में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह समय सहकारिता आन्दोलन को ठीक करने का है, यह विधेयकों के माध्यम से ठीक होने वाला नहीं है। यह इच्छा शक्ति से ही ठीक हो सकता है। मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश की नकल कर रहे हैं और नकल भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि लिपिकीय त्रुटि है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक सहकारी नियामक आयोग बनाया जाए, जो यह देख सके कि इसमें कहां पर कमियां रह गयी और किस तरह उनको सुधारा जा सकता है। मान्यवर, स्वायत्त सहकारिता विधेयक को यहां पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आप इस विधेयक को वापस ले लीजिए। पिछले विधेयक में तो आपको संशोधित विधेयक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान के उपबन्धों में इसका उल्लेख किया गया है। इस विधेयक को भी आपको वापस लेना चाहिए।

इस विधेयक के माध्यम से क्या आपने निबन्धक के अधिकारों को कम करने का काम किया है। आपने कहा कि सहकारी समितियों में नया संचालक मण्डल बनेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह अवश्य ही कोई गड़बड़ करेगा इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए पुनः यह आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को आप वापस ले लीजिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने जो अनुमोदन प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूँ तथा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होगी लेकिन रजिस्ट्रार पर क्या बाध्यता होगी कि वह समय पर चुनाव कराए?

मान्यवर, सरकार के द्वारा ऐसा पहला विधेयक पेश किया गया है, यह बड़े खेद का विषय है कि सरकारी पक्ष ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार ने ऐसी गलती की है जो गलती आने वाले समय में इस विधेयक के माध्यम से उत्तरांचल की जनता को भुगतनी पड़ेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में संशोधन के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ। मैं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि यह स्वायत्त सहकारिता समिति विधेयक जो है इसमें रजिस्ट्रार को दखल न देने के लिए व्यवस्था की है, साथ ही आपने कहा अगर समिति गलत काम करती है तो रजिस्ट्रार के माध्यम से नियंत्रण करेंगे, यह विरोधाभास की स्थिति आपने कही। आपने रजिस्ट्रार को पहले अलग कर दिया तो अच्छी बात है। दूसरा बिन्दु है सहकारी समितियों पर रजिस्ट्रार का नियंत्रण हटा दिया तो उन समितियों पर नियंत्रण कौन रखेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ चिट फण्ड के कई प्रकरण हमारे पास आये। लोगों ने समितियाँ बनायी और पैसा इकट्ठा किया फिर वह भाग गये, इस तरह से गरीब किसान का पैसा गलत हाथ में चला जाता है। इसे पवर समिति के पास सौंप दिया जाय। नहीं तो इसका गलत मैसेज लोगों में जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इसमें अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूँ "उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।" मान्यवर, स्वायत्त विधेयक की धारा 44 में यह उल्लेख किया गया है कि लेखा परीक्षा में कोई सहकारिता अपने लेखाओं को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में अभिप्रेत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षित करायेगी परन्तु जहाँ किसी सहकारिता का व्यापार दस लाख रुपये से कम है, सहकारिता अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से संगत अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट योग्यता वाले किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगी। जो हम भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं।

मान्यवर, इसमें सावधान किया जाना चाहिए कि जो लेखा परीक्षण हो वह किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से हो ताकि कोई संदेह न रहे और निष्पक्षता बनी रहे। मान्यवर, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की बात कही गयी है उसमें सहकारी समितियों के वर्गवार दर निर्धारण की बात इसमें नहीं है उसका भी इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि जो लाभांश वितरण होगा वह आयकर से मुक्त होगा या नहीं। मान्यवर, जो लाभांश हो वह आयकर से मुक्त हो। मान्यवर, मैं इस स्वायत्त सहकारिता विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की माँग करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे इस विधेयक के बारे में बहुत अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि माननीय प्रकाश पंत जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसी पर बल देता हूँ। मान्यवर, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अभी यह उत्तरांचल सहकारिता समिति विधेयक पारित हुआ है वह सदन की प्रापर्टी बन गया है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसमें जो मेजर कमियाँ रह गई हैं उनको कैसे ठीक किया जायेगा। कल को जब यह बाहर पब्लिश होगा और न्यायालय में जायेगा तो हम सब पर बात आयेगी कि आखिर क्यों सभी सदस्यों ने आँख बंद करके इसका अनुमोदन कर दिया। यहाँ पर बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हैं विपक्ष में 25–25 साल के अनुभवी लोग भी बैठे हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं कई चीजों के बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। अगर यह इसी तरह से पब्लिश हो गया तो हमारे विधायक रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस विधेयक में बहुत सी मेजर कमियाँ हैं उन पर विचार करना आवश्यक है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पंत जी, माननीय भण्डारी जी, माननीय पंवार जी और माननीय अजय भट्ट जी जैसा कि आपने कहा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। इस सन्दर्भ में जो बार–बार यह कहा जा रहा है कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश की नकल है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव एक्ट जो आज तक हमारे बीच में था वह हमारे प्रदेश की जनता की भावनाओं और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था इसलिए इसमें आवश्यक संशोधन किए गये और अब यह अपने प्रदेश का एक्ट बन गया।

मान्यवर, जैसा माननीय श्री अजय भट्ट जी द्वारा यह कहा गया कि कल को जब यह कोर्ट में जायेगा तो हमारे पास क्या जवाब होगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई धारा नहीं है।

मान्यवर, हमारा प्रारूप बन गया है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो इसके लिए भी इसमें व्यवस्था है। मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित सभी माननीय सदस्यों और को-ऑपरेटिव जगत से जुड़े अधिकारियों के सुझावों को लिया जायेगा। सहकारिता परिषद् के गठन का इसमें प्राविधान है, इसमें व्यवस्था है सहकारिता आन्दोलन किस प्रकार से चलाया जायेगा। मान्यवर, चिट-फण्ड का सहकारिता से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कोई चिट-फण्ड कम्पनी नहीं है, बल्कि यह स्वायत्ता एक्ट है। मान्यवर, जो 10 लाख तक की व्यवसाय की बात है, इसमें स्वायत्ता समिति अपना आडिट करायेगी। मान्यवर, आडिट बाहर से भी करायी जा सकती है। मान्यवर, जैसा कि श्री पवार जी ने पूछा कि किस संस्था पर कितना फिक्स किया जाता है। मान्यवर, मैं स्पष्ट करूं कि संस्था पर फिक्स करने का कार्य भारत सरकार का है। मान्यवर, हमने बोर्ड का भी गठन किया है, इस बोर्ड में एक ही तरह के सदस्य नहीं होंगे। यह बोर्ड भ्रष्टाचार मुक्त होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, सहकारी समितियों पर नियंत्रण अगर रजिस्ट्रार का नहीं होगा तो किसका होगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस पर रजिस्ट्रार का नियंत्रण एक निश्चित परिधि तक ही होगा।

मान्यवर, यह रजिस्ट्रार के कंट्रोल में है। मान्यवर, इस एक्ट के अन्तर्गत जहाँ अनियमितता होगी उन अनियमितताओं पर पूर्ण रूप से रजिस्ट्रार का अंकुश रहेगा। मान्यवर, इस एक्ट को प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, यह जो एक्ट बना है इस एक्ट में बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का सुझाव लिये गये हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि चुनाव की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होती है। लेकिन रजिस्ट्रार के ऊपर समिति से चुनाव कराने की क्या मान्यता है। मान्यवर, आपने कहा कि यह एक्ट कोर्ट में नहीं जायेगा। वह कोर्ट में तब जायेगा जब कोई समिति का मुखिया धांधली करके उससे लाभ उठायेगा। तो मेरा कहना है कि जब कोई समिति का मुखिया न्याय लेने के लिए कोर्ट जायेगा तो उस समय इस एक्ट की क्या भूमिका होगी यह मैं जानना चाहता हूँ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य की चिन्ता बिल्कुल जायज है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है वह सब इस एक्ट में समाहित है। मान्यवर, हरिद्वार जनपद में एक करोड़ 56 लाख का गबन पकड़ा गया है, उसमें 4 आदमियों को जेल भेजा है। इसमें और भी

मामले आ रहे हैं। मान्यवर, मैं सम्मानित सदन और आपकी आज्ञा से इस एक्ट को पारित होने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003

सहकारिता की विरचना करने तथा सहकारिताओं को उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए वित्तीय दृष्टि से अभ्यंतर सेवाओं में ऐसी लाभकारी व्यवस्था करके जो उनके द्वारा अनुभव की गई सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, एक ऐसे आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, परस्पर सहायता प्राप्त, स्वशासी, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, व्यवसायिक उद्यमों के रूप में जो सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में हो, उनके द्वारा संचालित और नियंत्रित हो, संपरिवर्तित करने के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक जो भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार उत्तरांचल सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तिथि नियत करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा के विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कोई भी उपबन्ध नियत तिथि से प्रवृत्त नहीं होंगे और उस स्थिति में वैसे उपबन्ध ऐसी तिथि अथवा तिथियों से प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार इसी प्रकार नियत करे।

2. परिभाषायें–

इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "माध्यस्थम् अधिकरण" (Arbitrator Tribunal) से अभिप्रेत है – उस सहकारिता के संगम अनुच्छेदों के अनुसार विवादों का निपटारा करने के लिए सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा गठित किसी व्यक्ति अथवा विषम संख्या में व्यक्तियों का एक समूह ;

(2) "संगम अनुच्छेद" (Bye-laws) से अभिप्रेत है–ऐसी सहकारिता के प्रवर्तकों द्वारा मूल रूप से तय की गई अथवा इस अधिनियम के अनुसार सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा सहकारिता के कार्यों के प्रबन्धन हेतु समय–समय पर संशोधित संगम अनुच्छेद;

(3) "निदेशक बोर्ड" अथवा "बोर्ड" से अभिप्रेत है– सहकारिता का शासी निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे संगम अनुच्छेदों के अधीन सहकारिता के कार्य करने के निदेश सौंपे गए हैं ;

(4) "मुख्य कार्य पालक" से अभिप्रेत है– वैतनिक या अवैतनिक हैसियत वाला वह व्यक्ति जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार बोर्ड द्वारा सदस्यों, निदेशकों या अन्य में से नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर समिति के नाम से वाद चलाया जा सकेगा तथा जो समिति की ओर से वाद चला सकेगा, जो ऐसे कार्यों का पालन करेगा तथा जिसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित की गई है ;

(5) "सामान्य आवश्यकता" से अभिप्रेत है – ऐसी आर्थिक आवश्यकता जो उन सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य है जो सहकारिता बनाने की वांछा करते हैं या जिन्होंने किसी सहकारिता में सदस्यता ग्रहण की है तथा सहकारिता जिन्हें अपनी अन्तर सेवाओं के उपबन्धों के माध्यम से पूरा करने की प्रत्याशा करती है ;

(6) "सहकारिता" (कोआपरेटिव) का जहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है वहां, उससे अभिप्रेत है–इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, परस्पर सहायता प्राप्त, स्वायत्त, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक व्यवसायिक उद्यम जो सदस्यों द्वारा महसूस की गई सामान्य आवश्यकता को पूरा करने वाली अभ्यंतर सेवाओं के वित्तीय रूप से लाभकर उपबन्ध के माध्यम से उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए इसके सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व प्रबन्धन और नियंत्रण में हो ;

(7) "सहकारी कारोबार" से अभिप्रेत है– कोई ऐसा कारोबार जो सहयोग के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करने का आशय रखता हो और इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सभी सहकारिताओं को सम्मिलित करता हो ;

(8) "सहकारी पहचान" से अभिप्रेत है– इस अधिनियम की अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट सहकारी पहचान का विवरण ;

(9) "सहकारी समिति" से अभिप्रेत है– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि से पूर्व अथवा पश्चात् उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति;

(10) "सहकारी समिति अधिनियम" से अभिप्रेत है– उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 ;

(11) "अभ्यंतर सेवा" (कोर सर्विस) से अभिप्रेत है– सदस्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सेवायें जिनके माध्यम से सहकारिता सभी सदस्यों की उन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आशय रखती है जिनकी पूर्ति के लिए सहकारिता का गठन किया गया था तथा जिनसे सदस्यों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की उम्मीद है ;

(12) "न्यायालय" से अभिप्रेत है– किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार वाला प्रधान सिविल न्यायालय और इसमें मूल सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय भी शामिल है ;

(13) "घाटा" से अभिप्रेत है– शेयर पूंजी पर लाभांश, यदि कोई हो, की अदायगी के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में आय पर व्यय का शुद्ध आधिक्य ;

(14) "घाटे का प्रभार" से अभिप्रेत है– घाटे की, राशि यदि कोई हो, पूर्णतः या अंशतः पूर्ति करने के लिए संगम अनुच्छेद और साधारण निकाय के संकल्प के अनुसार सहकारिता की सेवाओं के उपयोग या अनुपयोग के अनुपात में सदस्यों से एकत्र की गई या उनके लेखे में विकलित की गई राशि ;

(15) "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है– वह सदस्य जो किसी सहायक सहकारिता की प्रोन्नति के समय तथा ऐसी सहकारिता के जिससे वह सहकारिता संबद्ध है, सभा के समय उसके हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है ;

(16) "निदेशक" से अभिप्रेत है–वह सदस्य जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता के बोर्ड का निदेशक चुना गया है ;

(17) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है–संगम अनुच्छेद में अन्यथा व्यवस्था न होने की दशा में वह वर्ष जो अप्रैल के पहले दिन से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है ;

(18) "साधारण निकाय" से अभिप्रेत है – सहकारिता के संबंध में अभिप्रेत उसके सभी सदस्य ;

(19) "साधारण सभा" से अभिप्रेत है – इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार बुलायी गयी तथा संचालित की गयी साधारण निकाय की कोई सभा ;

(20) "सरकार" से अभिप्रेत है – उत्तरांचल सरकार. ;

(21) "सदस्य" से अभिप्रेत है – ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सहकारिता की अभ्यंतर सेवाओं की वांछा है और जो इसका उपयोग करने में सक्षम है तथा जो इस अधिनियम एवं संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार सहकारिता के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है और सदस्य बना हुआ है, इसमें सदस्य सहकारिता शामिल है ;

(22) "सदस्य सहकारिता" से अभिप्रेत है – ऐसी कोई प्राथमिक या सहायक सहकारिता जिसे किसी सहायक सहकारिता की अभ्यंतर सेवाओं की वांछनीयता है और जो इसका उपयोग करने में सक्षम है तथा जिसे इस अधिनियम तथा सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार उस सहायक सहकारिता के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है ;

(23) "संगम ज्ञापन" से अभिप्रेत है – वह दस्तावेज जो प्रवर्तकों के एक सहकारिता के रूप में गठन की इच्छा को व्यक्त करता है ;

(24) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है – संगम अनुच्छेद के अनुसार किसी सहकारिता के बोर्ड द्वारा ऐसी सहकारिता के किसी पद हेतु चुना गया निदेशक ;

(25) "सहकारिता अधिकारी" से अभिप्रेत है – किसी सहकारिता द्वारा उसका कारोबार संपन्न करने अथवा कार्यकलापों के पर्यवेक्षण हेतु पारिश्रमिक अथवा गैर पारिश्रमिक आधार पर नियोजित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सचिव, मुख्य कार्यपालक, प्रबन्धन समिति का सदस्य, कोषाध्यक्ष, लिक्विडेटर अथवा सहकारिता द्वारा नियोजित कोई अन्य व्यक्ति,

(26) "साधारण संकल्प" से अभिप्रेत है – साधारण निकाय का ऐसा कोई संकल्प जिसे साधारण सभा में मत देने का अधिकार रखने वाले, उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले बहुमत सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो ;

(27) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है–ऐसा कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो संविदा करने में सक्षम हो,

(28) "संभावित सदस्य" से अभिप्रेत है – ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सहकारिता द्वारा प्रदत्त की जा रही अभ्यंतर सेवाओं की वांछा रखता हो और उस सहकारिता का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो परन्तु अभी तक उसका सदस्य न हो ;

(29) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है–बोर्ड के चुने हुए सदस्यों द्वारा इसकी सभाओं एवं साधारण निकाय की सभाओं की अध्यक्षता करने, ऐसे अन्य कार्यों को संपन्न करने, ऐसी अन्य

शक्तियों एवं दायित्वों को धारण करने के लिए चुना गया हो जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट हो तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित किया गया हो ;

(30) "प्राथमिक सहकारिता" से अभिप्रेत है–ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य व्यक्ति हैं ;

(31) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है–वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन सहकारिताओं के रजिस्ट्रार के रूप में तत्समय नियुक्त किया गया हो ;

(32) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है–ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य प्राथमिक सहकारिताएं हों ;

(33) "विशेष संकल्प" से अभिप्रेत है– साधारण निकाय का ऐसा संकल्प जो कि कम से कम 15 दिन की सूचना पर बुलाई गई सभा में मत देने का अधिकार रखने वाले सहकारिता के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक अथवा साधारण सभा में उपस्थित एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले दो तिहाई सदस्यों या जो भी कम हो द्वारा पारित किया गया हो ;

(34) "अधिशेष" से अभिप्रेत है–वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के ऊपर आय का आधिक्य, जो अंश पूंजी पर लाभांश और बोनस, यदि कोई हो, का भुगतान के बाद प्राप्त होता है ;

(35) "अधिशेष प्रतिदाय" से अभिप्रेत है–संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार सहकारिता की सेवा के उपयोग के अनुपात में सदस्यों को दिये गए या उनके लेखा में जमा या विकलित किए गए अधिशेष का प्रतिदाय।

अध्याय–2

निगमन

3. सहकारिता का पंजीकरण–

(1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य सहकारिताओं का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों में रजिस्ट्रार की कोई एक अथवा अन्य कोई शक्ति, जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, प्रदत्त कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से अनुसूची 'क' में सम्मिलित सभी सहकारिता कारोबार, जिसके सदस्य उत्तरांचल राज्य से बनाए गए होंगे, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होंगे।

(4) प्राथमिक सहकारिता गठित करने के इच्छुक व्यक्तियों अथवा सहायक सहकारिता गठित करने के इच्छुक प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी संगम ज्ञापन अनुसूची 'ख' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रार को दस्ती अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत सात या अधिक व्यक्ति अथवा दो या अधिक सहकारिताएं एक सहकारिता का गठन कर सकेंगी।

(6) रजिस्ट्रार संगम ज्ञापन का पंजीकरण करेगा और उसके संगम अनुच्छेद को अभिलेख पर भी लेगा और अनुसूची 'ग' में यथा विनिर्दिष्ट, पंजीकरण का एक प्रमाण–पत्र, संगम ज्ञापन की एक प्रमाणित प्रति और स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित संगम अनुच्छेद को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जैसा कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(7) यदि इस धारा की उपधारा 4 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, रजिस्ट्रार ज्ञापन प्रस्तुत करने के 60 दिन के भीतर अस्वीकृति का आदेश, अस्वीकृति के विशिष्ट कारणों सहित पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति को संसूचित करेगा जैसा कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु शर्त यह होगी कि अस्वीकृति का कोई भी आदेश, ज्ञापन में विनिर्दिष्ट प्रवर्तकों की ओर से नियुक्त व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के अवसर दिए बगैर पारित नहीं किया जाएगा।

(8) रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें वर्णित सहकारिता इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत सहकारिता है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उस सहकारिता का पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया है।

(9) जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 75 दिन के भीतर ज्ञापन में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को न तो पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है और न ही अस्वीकार करने हेतु आदेश प्राप्त होता है, वहाँ ऐसी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझी जायेगी तथा रजिस्ट्रार आगामी 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण कर प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

4. इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारिता का संपरिवर्तन–

(1) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 में अन्यथा प्रावधान होने की स्थिति में भी, सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति अपने सामान्य निकाय के विशेष संकल्प द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण का विकल्प रख सकेगी :

परन्तु यह कि जहाँ सहकारी समिति ने अपनी अंश पूंजी सरकार से प्राप्त की है जो ऐसी दशा में उसे इस पूंजी को पंजीकरण की तिथि से पाँच वर्षों में, संपरिवर्तन की तिथि पर सरकार की कुल अंश पूंजी का, जो कि 15 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम न हो की दर से, वापस करने का लिखित आश्वासन देना होगा।

(2) ऐसी किसी भी समिति का पंजीकरण इस अधिनियम में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा एवं जहाँ अनुसूची 'घ' में यथा विनिर्दिष्ट पंजीकरण के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने के 75 दिनों के अन्दर ज्ञापन में विनिर्दिष्ट व्यक्ति न तो अनुसूची 'ड.' में विनिर्दिष्ट पंजीकरण का प्रमाण–पत्र ही प्राप्त करता है और न ही अस्वीकृति का आदेश प्राप्त करता है वहाँ ऐसी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन

पंजीकृत समझी जायेगी तथा रजिस्ट्रार आगामी 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

5. सहकारिता एक निगमित निकाय होगी–

(1) पंजीकरण होने पर प्रत्येक सहकारिता उस नाम से जिसके अधीन वह पंजीकृत की गई है एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करने तथा उनमें प्रतिरक्षा करने और ऐसी समस्त बातें जो कि उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों जिनके लिए इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन उसका गठन किया गया था, करने की शक्ति होगी।

6. संगम अनुच्छेद–

(1) किसी सहकारिता का गठन करने वाले सदस्यों का संगम अनुच्छेद का एक समुच्चय (सैट) होगा जिसका निरूपण एवं संशोधन समय–समय पर इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं होगा।

(2) ऐसे विशिष्ट मामलों के अतिरिक्त जिन्हें अधिनियम द्वारा उपबन्धित किया गया है और जिन्हें भविष्य में संगम अनुच्छेद द्वारा विनियमित किया जा सकता है किन्तु जो कि सहकारिता के कार्यकलापों के प्रतिकूल नहीं होंगे, को ऐसी सहकारिता के संगम अनुच्छेद द्वारा विनियमित किया जा सकेगा।

(3) संगम अनुच्छेद में इस अधिनियम की अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट विषयों में से जिनको सदस्यों द्वारा तय किया गया हो का समावेश किया जा सकेगा।

7. संगम अनुच्छेद का संशोधन–

(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपने संगम अनुच्छेद को संशोधित करने का विनिश्चय कर सकेगी :

परन्तु शर्त यह होगी कि उस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संशोधन के पाठ कारण सहित, प्रत्येक सदस्य को उस साधारण सभा की, जिसमें कि प्रस्तावित संशोधन पर विचार–विमर्श किया जाएगा, सूचना के साथ भेजे जाएंगे।

(2) संशोधन की एक प्रति सहकारिता द्वारा पंजीकृत डाक से रजिस्ट्रार को उस साधारण सभा की तिथि से 30 दिन की अल्पावधि के अन्दर अग्रेषित की जाएगी, जिसमें कि वह संकल्प पारित किया गया था।

(3) रजिस्ट्रार को अग्रेषित किए गए प्रत्येक संशोधन की एक प्रति अध्यक्ष तथा दो संचालकों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा उसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी:–

(क) उस संशोधन को अंगीकृत करने वाले संकल्प की एक प्रति,

(ख) साधारण सभा की वह तिथि जिसको वह संशोधन अंगीकृत किया गया था,

(ग) वह तिथि जिसको वह संशोधन प्रवृत्त होगा।

(4) रजिस्ट्रार सूचना प्राप्ति के तुरन्त बाद संशोधन को अभिलेख पर लेगा :

परन्तु शर्त यह होगी कि यदि रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा संशोधन इस अधिनियम एवं नियम के उपबन्धों के विपरीत है तो वह ऐसे संशोधन को अभिलेख पर लेने से इन्कार कर सकेगा;

परन्तु और यह कि संशोधन को अभिलेख पर लेने से अस्वीकृति का आदेश सम्बन्धित सहकारिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

8. सहकारिता का नाम–

(1) कोई भी सहकारिता उसी नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी, जिससे कि कोई दूसरी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन या सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पूर्व में ही पंजीकृत की गई है :

परन्तु जहाँ किसी सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद यह अपेक्षा करते हैं कि उसके समस्त सदस्य जो सहकारिताएं हैं, एक सामान्य नाम का प्रयोग करें, वहीं ऐसी सदस्य सहकारिता के नाम में उसका स्थान या अन्य प्रभेदकारी लक्षण सामान्य नाम के पूर्व या अन्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सहकारिता सुपाठ्य अक्षरों में अपना पूरा नाम सहज दृश्यस्थिति में प्रदर्शित करेगी–

(क) प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर जहाँ वह कारोबार करती है;

(ख) समस्त सूचनाओं और अन्य कार्यालयी प्रकाशनों में;

(ग) उसकी समस्त संविदाओं, कारोबार संबंधी पत्रों, माल हेतु आदेशों, बीजकों, लेखा–विवरणों, प्राप्तियों तथा प्रत्यय पत्रों (क्रेडिट पत्रों) पर ; और

(घ) उसकी ओर से हस्ताक्षरित समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चैकों तथा धनादेशों पर;

(3) प्रत्येक सहकारिता अपनी सामान्य मुद्रा पर अपना पूरा नाम सुपाठ्य अक्षरों में उत्कीर्ण करेगी।

(4) उपधारा (2) की कोई भी बात किसी सहकारिता को पूरे नाम से अधिक सहजदृश्य रूप से ऐसा कोई संक्षिप्त नाम, जिससे कि वह सामान्यतः ज्ञात हो और जिसे विशिष्ट रूप से संगम अनुच्छेद में शामिल किया गया हो, प्रदर्शित करने से प्रतिबन्धित नहीं करेगी।

(5) कोई भी सहकारिता अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन करके अपना नाम परिवर्तन कर सकेगी :

परन्तु नाम परिवर्तन करने से पूर्व वह सहकारिता अपना नाम परिवर्तन करने के अपने आशय की सूचना रजिस्ट्रार को प्रस्तावित नाम/नामों के साथ देगी और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सहकारिता को यह सूचित करेगा कि ऐसा नाम किसी दूसरी सहकारिता द्वारा पूर्व से ही उपयोग में है।

(6) जहाँ कोई सहकारिता अपना नाम परिवर्तन करती है, रजिस्ट्रार

(क) सहकारिताओं के रजिस्टर में पूर्व नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा,

(ख) संगम ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) और संगम अनुच्छेद में आवश्यक परिवर्तन करेगा,

(ग) आवश्यक परिवर्तनों सहित पंजीकरण का नया प्रमाण–पत्र जारी करेगा,

(घ) संशोधित ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रतियों के साथ पंजीकरण का नया प्रमाण–पत्र पंजीकृत डाक से सहकारिता को संसूचित करेगा।

(7) किसी सहकारिता के नाम में परिवर्तन उस सहकारिता या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के या भूतपूर्व सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या ऐसा परिवर्तन उस सहकारिता द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उस सहकारिता द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हो या प्रारम्भ की जा सकती हो, उसके नए नाम से उसी प्रकार जारी रखी जाएगी या प्रारम्भ की जाएगी।

(8) ऐसी कोई सहकारिता जो अपना नाम परिवर्तन करती है, नाम में उस परिवर्तन को उस जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करवायेगी जिसमें उस सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

9. पंजीकृत कार्यालय की स्थिति–

(1) प्रत्येक सहकारिता अपने पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता रजिस्ट्रार को सहकारिता के रूप में पंजीकरण के 30 दिन के अन्दर अधिसूचित करेगी।

(2) प्रत्येक सहकारिता अपने मुख्यालय का पूरा पता निम्नलिखित पर किसी सहजदृश्य स्थिति में सुपाठ्य अक्षरों में प्रदर्शित करेगी:

(क) ऐसे प्रत्येक कार्यालय या स्थान जहाँ वह कारोबार करती है;

(ख) समस्त सूचनाओं में तथा अन्य कार्यालयी प्रकाशनों में;

(ग) उसकी समस्त संविदाओं, कारोबार संबंधी पत्रों, माल हेतु आदेशों, बीजकों, लेखा विलेखों, प्राप्तियों तथा प्रत्यय पत्रों पर; और

(घ) उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से हस्ताक्षरित ऐसे समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों तथा धनादेशों पर ;

(3) कोई भी सहकारिता संचालक मंडल के संकल्प द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय का पता परिवर्तन कर सकेगी।

तथापि वह ऐसे परिवर्तन की सूचना अपने सदस्यों, लेनदारों, रजिस्ट्रार तथा ऐसी किसी सहायक सहकारिता को ऐसा संकल्प पारित होने के 15 दिन के अन्दर देगा जिससे कि वह संबद्ध हो और उसके सदस्यों एवं लेनदारों को नाम परिवर्तन करने के कम से कम 10 दिन पहले देगा।

(4) रजिस्ट्रार, किसी सहकारिता से पते के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर, सहकारिता के परिवर्तित पंजीकृत कार्यालय के पूरे पते को सहकारिताओं के रजिस्टर में अभिलेख पर लेगा।

10. आस्तियों तथा दायित्वों का अंतरण–

(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपनी संपूर्ण आस्तियाँ तथा दायित्व पूर्णतः या आंशिक रूप में, ऐसी किसी अन्य सहकारिता को, जो विशेष संकल्प द्वारा ऐसी आस्तियाँ तथा दायित्व प्राप्त करने हेतु सहमत होती है, अंतरित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहाँ इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किए जाते हैं वहाँ प्रत्येक सहकारिता उसके द्वारा पारित संकल्प की प्रति के साथ उसकी सूचना अगले 15 दिनों के अन्दर अपने समस्त लेनदारों को तथा उस सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने संगम अनुच्छेद अथवा संविदा के उपबन्धों में कोई विपरीत बात होते हुए भी आस्तियों तथा दायित्वों के प्रस्तावित अंतरण का ऐसी आस्तियों तथा दायित्वों को प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस सूचना पर तामीली से 15 दिन की कालावधि के दौरान इस सहकारिता पर उसके दायित्वों के समायोजन के अधीन रहते हुए अपने हित को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प के लिए अपनी सहमति दे दी है।

(4) इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि–

(क) प्रत्येक सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे सम्पूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो; और

(ख) सम्बन्धित सहकारिता द्वारा आस्तियों तथा दायित्वों के अंतरण सम्बन्धी सूचना रजिस्ट्रार को प्रेषित कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(5) जब इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रभावी होता है, संकल्प, आस्तियों एवं दायित्वों को हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए बिना किसी और हस्तांतर–पत्र के पर्याप्त सूचना होगा।

(6) जब कोई सहकारिता किसी अन्य सहकारिता को अपनी संपूर्ण आस्तियों तथा दायित्वों का इस धारा के अंतर्गत अंतरण करती है तब आस्तियों तथा दायित्वों का अंतरण करने वाली सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिताओं का नाम हटा देगा।

11. विभाजन–

(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहाँ इस धारा की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है, वहाँ सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबंधों या संविदा में कोई विपरीत बात के रहते हुए भी उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने प्रस्तावित विभाजन के पक्ष में मतदान किया है, अगले 15 दिन के भीतर देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस पर सूचना की तारीख से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।

(4) इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि:

(क) उस सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो,

(ख) आशयित विभाजन तथा सदस्यों एवं लेनदारों के, दावों के समझौते के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा जानकारी प्राप्त होने सम्बन्धी उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो, और

(ग) जब तक कि इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी परिणामी सहकारिता की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित पंजीकृत प्रमाण–पत्र, संगम ज्ञापन व संगम अनुच्छेद की प्रतियां जारी न कर दी गई हों।

(5) जब कोई सहकारिता इस धारा के अन्तर्गत स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करती है तब ऐसी सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह सहकारिता विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिता का नाम हटा देगा।

(6) जब कोई सहकारिता स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करती है तब ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने विभाजन की अनुमति दी हो या जिसके बारे में यह समझा गया है कि उसने विभाजन की अनुमति दी है, नवीन रूप से निर्मित उस सहकारिता का सदस्य बन जाएगा जिसको कि उसके हित, ऐसी सहकारिता की साधारण निकाय द्वारा विभाजन की योजना के अनुसार अंतरित किए गए थे।

(7) जब इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रवृत्त होता है, संकल्प आस्तियों तथा दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।

12. समामेलन–

(1) कोई भी दो या उससे अधिक सहकारिताएं विशेष संकल्पों द्वारा स्वयं को समामेलित कर नई सहकारिता बनाने का विनिश्चय कर सकेंगी।

(2) जहाँ इस धारा की उपधारा (1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है वहाँ प्रत्येक सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबन्धों या संविदा में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी, उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अगले 15 दिन के अन्दर अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को देगी जिसने प्रस्तावित समामेलन के पक्ष में मतदान किया है किसी भी लेनदार को उस पर सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस संबंधित सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने समामेलन की अनुमति दे दी है।

(4) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि–

(क) ऐसी प्रत्येक सहकारिता में उन सदस्यों तथा लेनदारों के जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, सम्पूर्ण दावे पूर्णतः पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;

(ख) आशयित समामेलन तथा सदस्यों और लेनदारों के दावों के समझौतों के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो; और

(ग) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र तथा रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित ऐसी सहकारिता की जो समामेलन के परिणामस्वरूप बनाई जाए, इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जारी न कर दी गई हो।

(5) जब इस धारा के अधीन दो या अधिक सहकारिताएं स्वयं का समामेलन कर किसी नई सहकारिता का गठन करती हैं तब इस प्रकार समामेलित की गई सहकारिताओं का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उनका विघटन हो गया है और वे निगमित निकायों के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेंगी और रजिस्ट्रार इस प्रकार समामेलित की गई सहकारिताओं के नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा।

(6) जब दो या अधिक सहकारिताएं इस धारा के अधीन स्वयं का किसी नई सहकारिता में समामेलन करती हैं, तब ऐसी सहकारिताओं के समस्त सदस्य, जिन्होंने समामेलन

की अनुमति दी है या जिनके बारे में यह समझा गया है कि उन्होंने समामेलन की अनुमति दे दी है, नई सहकारिता के सदस्य बन गए समझे जाएंगे।

(7) जब इस धारा की उपधारा(1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रदत्त होता है, संकल्प, आस्तियों एवं दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए, बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।

13. संविलयन–

(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा, किसी ऐसी अन्य सहकारिता से जो विशेष संकल्प द्वारा ऐसे संविलयन के लिए सहमत हो, स्वयं को संविलयित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहां इस धारा की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है, वहां प्रत्येक सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबंधों या संविदा में कोई विपरीत बात के रहते हुए भी उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने प्रस्तावित संविलयन के पक्ष में मतदान किया है, अगले 15 दिन के भीतर देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस पर सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संविलयन की अपनी सहमति दे दी है।

(4) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि–

(क) उस सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;

(ख) आशयित संविलयन तथा सदस्यों एवं लेनदारों के, दावों के समझौते के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा जानकारी प्राप्त होने बाबत उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(5) जब कोई सहकारिता स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में संविलयन करती है तब ऐसी सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह सहकारिता विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिता का नाम हटा देगा।

(6) जब कोई सहकारिता स्वयं को किसी अन्य सहकारिता में संविलयन करती है तब प्रथम सहकारिता के सदस्य स्वतः ही द्वितीय सहकारिता के सदस्य मान लिये जायेंगे।

(7) जब इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रदत्त होता है, संकल्प आस्तियों तथा दायित्वों के हस्तांतरण में न्यायगत होने के लिए बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।

14. सेवाओं के लिए शुल्क–

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सहकारिता के रूप में पंजीकरण हेतु प्रस्तावित सहकारिता के पंजीकरण ज्ञापन के साथ न्यूनतम पांच सौ रुपये तथा अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रस्तावित सहकारिता की प्राधिकृत साम्यपूंजी के एक प्रतिशत के बराबर पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु ऐसी सहकारिता के मामले में जो कोई साम्य पूंजी नहीं रखना चाहती, फीस पांच सौ रुपए होगी।

(2) सहकारिताओं और अन्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा की गई सेवाओं के लिए सरकार शुल्क निश्चित कर सकेगी और रजिस्ट्रार को अवगत करायेगी जो इसके बदले में ऐसी सूचना को इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा:

परन्तु किसी सेवा के लिए देय शुल्क में कोई परिवर्तन सरकार द्वारा प्रस्तावित सहकारिताओं की टिप्पणी आमंत्रित करते हुए ऐसे परिवर्तन को दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके अथवा स्थानीय इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित करवाकर ही किया जा सकेगा।

अध्याय–3

सदस्यता

15. किसी सहकारिता में सदस्यता के लिए पात्रता–

(1) कोई व्यक्ति जिसे सहकारिता की सेवाओं की आवश्यकता है जो सदस्यता के दायित्वों को स्वीकार करने की स्वीकृति व्यक्त करता है, सहकारिता के संगम अनुच्छेद में यथा निर्दिष्ट ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करता है तथा सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में है, सदस्यता के लिए आवेदन कर सकेगा और सदस्य बनाया जा सकेगा :

परन्तुक यह है कि सहकारिता आवेदक को सेवाएं देने की स्थिति में है।

(2) सदस्यता के लिए प्रत्येक आवेदक तथा सहकारिता का प्रत्येक सदस्य ऐसी प्रत्येक सहकारिता को, जिसका कि वह सदस्य है, अन्य सहकारिताओं में अपनी सदस्यता की सूचना देगा तथा अन्य के अलावा विरोधी अथवा दोहरी सदस्यता की दशा में सहकारिता ऐसे व्यक्ति की सदस्यता को वैधानिक रूप से अस्वीकार कर सकेगी या उसे सदस्यता से हटा सकेगी।

16. सदस्य का प्रवेश–

(1) केवल चुने गए बोर्ड द्वारा, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही सदस्यता प्रदान की जा सकेगी।

(2) जहां प्रवेश अस्वीकार किया जाए वहां ऐसे आवेदक को विनिश्चय के कारणों सहित ऐसी सूचना विनिश्चय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अन्दर जो भी पहले हो, पंजीकृत डाक द्वारा संसूचित की जाएगी।

(3) जहां बोर्ड द्वारा किसी आवेदक का प्रवेश अस्वीकार किया गया है या आवेदक को बोर्ड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहां आवेदक माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष आवेदन को पुनर्विलोकन करने हेतु बोर्ड से अनुरोध कर सकेगा। बोर्ड आवेदन को माध्यस्थम् अधिकरण की अगली बैठक में रखेगा और माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तुक यह है कि आवेदक को माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

17. सदस्यता वापस लेना–

(1) सहकारिता की संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कोई भी सदस्य किसी भी समय सहकारिता की सदस्यता वापस ले सकेगा।

(2) सदस्यता वापस लेने पर भी किसी व्यक्ति से उन बाध्यताओं की पूर्ति की अपेक्षा की जाएगी जिनका कि धार संगम अनुच्छेद या किसी करार के उपबन्धों के अधीन उसने सदस्य के रूप में अपने ऊपर लिया था अथवा ग्रहण किया था।

18. सदस्यता की समाप्ति–

(1) यदि सहकारिता के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो जाए तो वह सहकारिता का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(2) सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रत्येक सहकारिता, सदस्य के नामनिर्देशिती को इसकी सूचना देगी तथा प्रत्येक अन्य स्थिति में सदस्यता समाप्त होने के और उसकी परिणामी स्थितियों की सूचना सदस्यों को देगी।

19. सदस्यता का समाप्त करना–

(1) किसी भी सहकारिता का बोर्ड किसी भी ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकेगा जिसने सहकारिता के संगम अनुच्छेद, साधारण निकाय या बोर्ड की नीतियों अथवा सहकारिता के साथ की गई संविदाओं के उल्लंघन सहित सहकारिता के उद्देश्यों एवं हितों के प्रतिकूल रूप से कार्य किया हो :

परन्तुक यह है कि सदस्य को बोर्ड के समक्ष सदस्यता समाप्त न किए जाने के लिए अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर दिया गया हो।

(2) जहां बोर्ड द्वारा किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई हो वहां वह व्यक्ति बोर्ड से उसके विनिश्चय को माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष पुनर्विचार हेतु रखने का अनुरोध कर सकेगा। बोर्ड मामले को माध्यस्थम् अधिकरण की अगली बैठक में रखेगा और माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु शर्त यह होगी कि माध्यस्थम् अधिकरण के विनिश्चय के लंबित रहने तक वह व्यथित सहकारिता के साथ केवल ऐसे लेन देन, यदि कोई हो, कर सकेगा जिसकी कि अनुमति बोर्ड द्वारा दी जाए।

20. सदस्यों का रजिस्टर–

(1) प्रत्येक सहकारिता सदस्यों का एक रजिस्टर संकलित करेगी। ऐसी अन्य विशिष्टयों के साथ–साथ जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए, सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाम, प्रवेश की तारीख और सदस्य का पता रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई है या समाप्त कर दी गई थी या वापस ले ली गई थी, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

21. सहकारिता शिक्षा–

(1) प्रत्येक सहकारिता प्रतिवर्ष अपने बजट में सहकारिता के सिद्धान्तों और सहकारिता की पद्धतियों के अनुसार अपनी सहकारिता के विकास के लिए सदस्य और सम्भावी सदस्य की शिक्षा और कर्मचारीवृन्द और बोर्ड के प्रशिक्षण हेतु व्यय के उपबन्ध का समावेश कर सकेगी।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित बजट शीर्ष की कोई अतिशेष राशि वर्ष के अन्त में सहकारी शिक्षा निधि में ले जाई जाएगी और सहकारिता के सिद्धान्तों एवं सहकारिता की पद्धतियों के अनुसार, सदस्यों, संभावी सदस्यों, कर्मचारीवृन्द और निदेशकों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने के प्रयोजन के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा।

22. सेवाएँ मूल रूप से सदस्यों के लिए–

(1) किसी सहकारिता की सेवाएँ, सामान्यतया, केवल उसके सदस्यों को ही उपलब्ध होंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के दो वर्ष बाद यदि यह पाया जाता है कि कोई सहकारिता किसी वित्तीय वर्ष में इसके संगम अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट लेन देन के मूल्यों के संदर्भ में, अपनी एक चौथाई से अधिक अभ्यंतर सेवाएं गैर सदस्यों को प्रदान करती है तो उसे "अपगामी सहकारिता" माना जाएगा और वह उस वर्ष के लिए इस नियम अथवा अन्य नियमों के द्वारा एक सहकारिता होने के आधार पर प्रदान किए जाने वाली छूटों से वंचित हो सकेगी।

(3) यदि कोई सहकारिता लगातार 3 वर्षों तक 'अपगामी' पाई जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसका निगमन समाप्त कर दिया जाएगा अथवा उसे भंग कर दिया जाएगा :

परन्तुक यह है कि ऐसी सहकारिता को निगमन समाप्त करने अथवा उसे विघटित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

23. अधिकारों का प्रयोग–

(1) किसी सहकारिता का कोई सदस्य, सदस्य के अधिकारों का, जिसमें मत का अधिकार भी शामिल है, तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में

सहकारिता को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने सहकारिता में ऐसा हित निरंतर न रखा हो तथा अर्जित न कर लिया हो जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्य पालक पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बीस दिन के अन्दर एक सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार रखने वाले सदस्य होंगे, तथा एक ऐसी सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार न रखने वाले सदस्य होंगे, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। समस्त सदस्यों की जानकारी के लिए सहकारिता के सूचना पटल पर सूचियां चस्पा की जाएगी तथा ऐसा कोई सदस्य, जो सूचियों में सदस्यों के समावेश अथवा असमावेश के विशिष्ट उदाहरण से संतुष्ट नहीं है, सूचना पटल पर सूचियों के चस्पा किए जाने की तिथि से 10 दिन के अन्दर, बोर्ड को, अभिलेख का पुन: परीक्षण करने के लिए अपील कर सकेगा तथा बोर्ड, पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पैंतालिस दिन के अन्दर सूचियों का पुनरावलोकन करेगा, उन्हें अंतिम रूप देगा तथा सहकारिता के सूचना पटल पर चस्पा करेगा।

24. सदस्यों का मताधिकार–

(1) प्राथमिक सहकारिताओं में प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति मत देने के लिए पात्र बनने के पूर्व कम से कम एक पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य रह चुका हो :

परन्तु यह और कि एक वर्ष की सदस्यता की शर्त उस सदस्य पर लागू नहीं होगी जो सहकारिता के पंजीकरण /संपरिवर्तन के समय या पंजीकरण / संपरिवर्तन के पश्चात् किसी भी समय किन्तु प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सदस्य बनते हैं।

(2) माध्यक सहकारिताओं में उनके संगम अनुच्छेद द्वारा प्राथमिक सहकारिताओं को उनके सदस्यों के अनुपात में मत देने के अधिकार का प्राविधान किया जा सकेगा।

25. सदस्यों का दायित्व–

(1) कोई सहकारिता सीमित दायित्व सहित पंजीकृत की जायेगी जहां, "सीमित दायित्व वाली सहकारिता" से अभिप्रेत है ऐसी सहकारिता जिसमें उसके सदस्यों का दायित्व, सहकारिता के ऋणों हेतु इसके संगम अनुच्छेद द्वारा उस रूप में तथा ऐसी सीमा तक सीमित है जैसा कि उसका समापन हो जाने की दशा में, सहकारिता की आस्तियों में किसी घाटे के लिए अभिदाय करने हेतु वे वचन देते हैं।

(2) जहां कोई सहकारिता उसके सदस्यों के दायित्व के प्रकार और उसकी सीमा में परिवर्तन करने के लिए उसके संगम अनुच्छेद में संशोधन करती है वहां वह ऐसे संशोधन की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर संशोधन की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने सदस्यों, लेनदारों और संगम अनुच्छेद एवं संविदा के उपबंधों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी उन सदस्यों से भिन्न ऐसे सदस्य को देगी जिसने दायित्वों के प्रस्तावित परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है एवम् किसी लेनदार को उसे सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, सहकारिता

के प्रति अपने दायित्वों के उन्मोचन के अधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने दायित्वों के परिवर्तन की अनुमति दे दी है।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अधीन पारित कोई भी संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि–

(क) सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो,

(ख) इस अधिनियम के अधीन सहकारिता के संगम अनुच्छेद में संशोधन की सूचना रजिस्ट्रार को प्राप्त न हो गई हो।

(5) जहां किसी सहकारिता के विघटित किए जाने का आदेश दिया जाए, वहां किसी भूतपूर्व सदस्य का, जो कि विघटन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्षों के अन्दर सदस्य न रह गया हो या किसी मृत सदस्य की, जो कि परिसमापन के आदेश की तिथि के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष के अन्दर मर गया हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि सम्पूर्ण समापन की उक्त कार्यवाहियां पूर्ण न हो जाएं परन्तु ऐसा दायित्व सहकारिता के उन ऋणों तक ही सीमित रहेगा जो कि उस तिथि को हों, जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो।

(6) इस धारा की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य अथवा मृतक सदस्य की सम्पदा का सहकारिता के विद्यमान ऋणों के लिए दायित्व जो कि–

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में उस तिथि को जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो; और

(ख) किसी मृत सदस्य के मामले में उसकी मृत्यु की तिथि को हो, ऐसी तिथि से 2 वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

26. साधारण निकाय–

(1) प्रत्येक सहकारिता का एक साधारण निकाय होगा जिसमें इस सहकारिता के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) इस अधिनियम तथा संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी सहकारिता की अंतिम शक्ति उसके सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगी :

परन्तु शर्त यह होगी कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात सहकारिता के बोर्ड अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे बोर्ड अथवा सहकारिता को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) नियमित निकाय के रूप में किसी सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले किसी कृत्य या उत्तरदायित्व के संबंध में, जो इस अधिनियम या संगम अनुच्छेद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से किसी सहकारिता के किसी प्राधिकारी को विशेष रूप से न्यस्त नहीं की गई है, कर्मचारी बोर्ड के निर्देश पर साधारण निकाय द्वारा की जाएगी।

27. साधारण निकाय के कार्य और उत्तरदायित्व–

(1) साधारण निकाय द्वारा अपने वार्षिक साधारण निकाय सभा में ऐसे अन्य विषयों के साथ, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाए, निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा :–

(क) पिछले सभा के संकल्पों पर कार्यवाही;

(ख) दीर्घकालीन योजनाओं व बजट पर विचार, जब अपेक्षित हो;

(ग) वार्षिक कार्यकारी योजना और चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार ;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;

(ङ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार ;

(च) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार;

(छ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित अनुमोदित बजट से विचलन, यदि कोई हो, और की जाने वाली समुचित कार्यवाही;

(ज) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आधिक्य का निपटारा, यदि कोई हो;

(झ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के घाटे का प्रबंधन, यदि कोई हो;

(ञ) विशिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन;

(ट) आरक्षित एवं अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा;

(ठ) सभाओं में उपस्थिति पर निदेशकों द्वारा दी गई रिपोर्ट की समीक्षा;

(ड) सहकारिता सेवाओं के उपयोग की निदेशकों द्वारा समीक्षा;

(ढ) किसी निदेशक या किसी समिति के किसी सदस्य या आंतरिक लेखापरीक्षक को उस हैसियत में उसके कार्यों के संबंध में या संबंधित सभा में उसकी उपस्थिति के लिए दिए गए पारिश्रमिक की समीक्षा;

(ण) गैर सदस्यों के मुकाबले में सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की मात्रा और प्रतिशत की समीक्षा;

(त) ऐसा आवेदक जिसका सदस्यता आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, की अपील;

(थ) बोर्ड द्वारा सदस्यता से निकाले गए किसी व्यक्ति की अपील;

(द) सदस्य शिक्षा तथा बोर्ड और कर्मचारीवृन्द के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकलापों एवं लेखाओं की रिपोर्ट।

(2) बोर्ड द्वारा जब निम्नलिखित और अन्य मामले आवश्यक समझे जाएंगे तो साधारण निकाय की वार्षिक सभा या अन्य सभाओं में उन पर कार्यवाही की जाएगी :–

(क) निदेशकों का चुनाव;

(ख) संगम अनुच्छेद में संशोधन;

(ग) निदेशकों को हटाया जाना;

(घ) बोर्ड की असामयिक रिक्तियों पर चुनाव/नियुक्ति;

(ङ) लेखा परीक्षकों का हटाया जाना और परिणामी नियुक्ति;

(च) सहायक सहकारिताओं में सहकारिता की सदस्यता;

(छ) अन्य सहकारिताओं के साथ भागीदारी;

(ज) आस्तियों एवं दायित्वों का समामेलन, विभाजन, समविलयन और अंतरण;

(झ) सहकारिता का विघटन;

(ञ) रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार।

28. साधारण सभा–

(1) बोर्ड किसी भी समय सहकारिता के सदस्यों की साधारण सभा बुला सकेगा :

परन्तु वार्षिक साधारण सभा के रूप में ज्ञात एक ऐसी सभा, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर कार्यवाही हेतु सहकारिता के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ पचास दिन के अन्दर बुलायी जायेगी।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एक विशेष साधारण सभा बुलाएगा–

(क) मत देने का अधिकार रखने वाले कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों, अथवा 500 सदस्य, जो भी कम हो, अथवा

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में :

परन्तु ऐसी अपेक्षा में वे कारण निहित होंगे जिनके लिए सभा आवश्यक समझी गयी है तथा प्रस्तावित कार्यसूची में शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विशेष साधारण सभा में विचार नहीं किया जाएगा।

(3) ऐसी कालावधि की समाप्ति पर जिसके दौरान इस धारा की उपधारा(1) के अधीन वार्षिक साधारण सभा अथवा इस धारा की उपधारा(2) के अधीन विशेष साधारण सभा होनी आवश्यक है और यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट कालावधि में ऐसी सभा बुलाने में असफल रहता है तो समस्त निदेशक अपने पद पर नहीं रहेंगे।

(4) समस्त निदेशक वार्षिक साधारण सभा की तिथि को निदेशक के रूप में पद पर नहीं रहेंगे यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षा की टिप्पणियां, यदि कोई हों, पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य कलाप की रिपोर्ट के साथ सदस्यों को उस सभा में उपस्थित होने की सूचना के साथ उपलब्ध नहीं करा दी जाती जिसमें कि लेखा रिपोर्ट पर साधारण निकाय द्वारा विचार किया जाना हो और ऐसी साधारण सभा माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा, बोर्ड अथवा माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों को छोड़कर, नियुक्त अध्यक्ष द्वारा संचालित की जायेगी।

(5) साधारण सभा के लिए गणपूर्ति संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किये गए प्राविधानों के अनुसार होगी परन्तु सभा में मतदान के लिए पात्र सदस्यों के पांचवें हिस्से से कम नहीं होगी।

29. साधारण सभा का कार्यवृत्त–

(1) प्रत्येक सहकारिता संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट भाषा में, कार्यवृत्त पुस्तिका में, प्रत्येक साधारण सभा की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगी और मुख्य कार्यपालक ऐसे प्रत्येक सभा की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेजेगा।

(2) इस प्रकार से रिकार्ड किया गया कार्यवृत्त उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अपेक्षित समय में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने की असमर्थता की स्थिति में, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

अध्याय–4

प्रबन्धन

30. निदेशक बोर्ड–

संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार गठित और सहकारिता के कार्यों के निदेशन से न्यस्त प्रत्येक सहकारिता के लिए एक चुना गया निदेशक बोर्ड होगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारिता के मामले में, सहकारिता के पंजीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति सहकारिता के कार्यकलापों को निर्देशित करने तथा इसमें संदर्भित कालावधि में निदेशकों का चुनाव कराने के लिए पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए प्रवर्तक बोर्ड नियुक्त कर सकेंगे तथा इस परन्तुक के अधीन नियुक्त प्रवर्तक बोर्ड, संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन होते ही कार्यकाल समाप्त कर देगा :

परन्तु यह और कि मूलरूप से सहकारी समिति अधिनियम के अधीन तथा उसके बाद में इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत की गई किसी सहकारी समिति तथा उसके बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के मामले में, जिनकी इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के समय अवधि समाप्त नहीं हुई थी, पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए सहकारिता के कार्यों के निर्देशन एवं निदेशकों का चुनाव इसमें संदर्भित कालावधि के अन्दर कराने हेतु, उसे प्रवर्तक बोर्ड माना जाएगा और परन्तुक के अधीन यदि नामित बोर्ड संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन होते ही काम करना बन्द कर देगा।

31. बोर्ड के कृत्य एवं उत्तरदायित्व–

(1) बोर्ड संगम अनुच्छेद में यथानिर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा :

परन्तु बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य एवं दायित्व होंगे :–

(क) संगठनात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करना, ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और प्रकार्यों का नियतकालिक मूल्यांकन करना,

(ख) पदाधिकारियों का चुनाव करना एवं उन्हें पद से हटाना,

(ग) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करना एवं पद से हटाना;

(घ) सहकारिता के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमान, भत्ते और अनुशासनिक कार्यवाही सहित अन्य सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाना;

(ड.) दीर्घकालीन स्वरूप की योजना, वार्षिक योजना और बजट को अंतिम रूप देना तथा साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित योजना और बजट के अनुसार सहकारिता के कार्य कलापों को निदेशित करना;

(च) निधियों की व्यवस्था करना;

(छ) अचल संपत्ति के अर्जन तथा व्ययन के लिए प्राधिकृत करना; और

(ज) सेवाओं, निधियों, लेखाओं तथा लेखादेयता और सूचना तथा मूल्यांकन पद्धति से संबंधित विनियमों की विरचना करना, अनुमोदित करना तथा संशोधित करना।

(2) सहकारिता का प्रत्येक निदेशक कार्यों को करते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए और शक्तियों का प्रयोग करते हुए–

(क) ईमानदारी से, सद्‌विश्वास के साथ और सहकारिता के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा; और

(ख) ऐसी अपेक्षित सावधानी, कर्मठता एवं कुशलता का व्यवहार करेगा जैसी कि ऐसी ही परिस्थितियों में कोई पर्याप्त दूरदर्शी व्यक्ति करता।

(3) ऐसा कोई निदेशक जिसे ऐसे दुर्विनियोग, विश्वास भंग करने अथवा किसी अन्य चूक या कृत्य का दोषी पाया गया हो, जिसके फलस्वरूप सहकारिता को राजस्व की हानि हुई हो या उसमें कमी आई हो, ऐसी किसी अपराधिक कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले जो कानून के अधीन उस पर की जानी हो, राजस्व की उस हानि अथवा कमी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

32. सहकारिता में निदेशकों के लिए पात्रता–

ऐसी अन्य शर्तों के अतिरिक्त जैसी कि सगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकारिता का कोई सदस्य सहकारिता के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा यदि–

(1) ऐसे सदस्य को सहकारिता के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार है; और

(2) ऐसे सदस्य ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति में सहकारिता की सेवा को प्रोत्साहन दिया है; और

(3) ऐसे सदस्य का सहकारिता के साथ की गई किसी अस्तित्वशील संविदा में या उसके लिए किए जा रहे किसी कार्य में, संगम अनुच्छेद में अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय कोई हित नहीं है; और

(4) उस तिथि से जिससे ऐसा सदस्य निम्नलिखित कारणों से निदेशक नहीं रह गया हो, तीन वर्ष की कालावधि बीत गई हो–

(क) साधारण सभा का आयोजन न करना,

(ख) बोर्ड का चुनाव न करना;

(ग) साधारण निकाय को कार्य कलापों की रिपोर्ट, लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और/अथवा लेखापरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई हो; अथवा

(घ) बोर्ड की सभा से अनुपस्थिति।

33. चुनाव–

(1) बोर्ड के निदेशकों का चुनाव कराना सहकारिता के बोर्ड का दायित्व होगा।

(2) चुनाव, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से कराए जाएंगे, चुनाव पद छोड़ने वाले निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कराए जाएंगे।

(3) बोर्ड के सभी निदेशक ऐसे समय से निदेशक के पद पर नहीं रह जाएंगे जब से संगम अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित चुनाव कराने के लिए कोई कार्य शुरु नहीं किया गया हो या पूरा नहीं किया गया हो और बोर्ड ने संगम अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया जारी रखने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम न उठाए हों।

(4) सामान्यतया निदेशकों का चुनाव वार्षिक साधारण सभा के दौरान होगा।

(5) जहां बोर्ड निदेशकों की पदावधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराने में असफल रहता है या जहां चुनाव प्रक्रिया के किसी चरण में चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है और बोर्ड ने उपचारात्मक उपाय शुरू नहीं किए हैं या जहां बोर्ड में कोई निदेशक नहीं बचे हैं, वहां माध्यस्थम् अधिकरण संगम अनुच्छेद में यथानिर्धारित सीमा में एवं रीति से उन सदस्यों में से जो माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य नहीं हैं या निवर्तमान होने वाले बोर्ड के सदस्य नहीं हैं और जो शुरु किए गए चुनाव में प्रत्याशी होने का इरादा नहीं रखते, चुनाव कराने के विशिष्ट उद्देश्य हेतु तथा संगम अनुच्छेद में निर्धारित प्रकार्यों के अलावा अन्तरशासन के दौरान बोर्ड के समस्त प्रकार्यों को सम्पन्न कराने के लिए तीन सदस्यों का एक बोर्ड नियुक्त करायेंगे।

(6) इस प्रकार गठित किए गए ऐसे तदर्थ बोर्ड की पदावधि तीन मास से अधिक नहीं होगी और जैसे ही संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन हो जाता है, तदर्थ बोर्ड कार्य करना समाप्त कर देगा।

(7) निदेशक ऐसी पदावधि के लिए पदधारण करेंगे जिसके लिए वे चुने गए थे और नवनिर्वाचित निदेशक उक्त कालावधि समाप्त होने की तिथि को पदग्रहण करेंगे।

(8) यदि संगम अनुच्छेद में ऐसा विनिर्दिष्ट है तो निदेशक पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(9) जहां बोर्ड में निदेशकों के पद रिक्त हैं और जहां गणपूर्ति है शेष निदेशक बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे या संबंधित अवशेष पदावधि के लिए सहयोजन द्वारा रिक्त पदों को भर सकेंगे।

(10) जहां बोर्ड पद रिक्त है और जहां बोर्ड की सभा के लिए गणपूर्ति हेतु निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, माध्यस्थम् अधिकरण रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों का चुनाव करने हेतु साधारण सभा बुला सकेगा।

34. निदेशकों की पदावधि–

जहां संगम अनुच्छेद में सभी निदेशकों की एक साथ सेवानिवृत्ति का प्रावधान है और जहां सभी निदेशकों की चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति का प्रावधान है वहां निदेशकों की वैयक्तिक पदावधि ऐसी कालावधि के लिए होगी जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो संगम अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए होगा।

35. बोर्ड की सभा–

(1) किसी सहकारिता का अध्यक्ष निदेशक बोर्ड की सभा किसी भी समय बुला सकेगा :

परन्तु एक सहकारिता वर्ष में कम से कम बोर्ड की चार सभायें आयोजित होंगी और किन्हीं दो क्रमवर्ती सभाओं के बीच की कालावधि एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।

(2) निम्नलिखित द्वारा अधियाचन किए जाने पर अध्यक्ष अधियाचन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करेगा, या

(क) बोर्ड के कम से कम एक तिहाई निदेशकों से; या

(ख) लेखापरीक्षक से :

परन्तु ऐसे किसी भी अधियाचन में वे कारण विहित होंगे जिनसे सभा आवश्यक समझी गयी हो और प्रस्तावित कार्यसूची तथा उसमें शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर बोर्ड की विशेष सभा में विचार–विमर्श नहीं किया जाएगा।

(3) यदि अध्यक्ष उस कालावधि के समाप्त होने तक जिसके अन्दर संगम अनुच्छेद, अथवा इस धारा की उपधारा(1) अथवा (2) के अधीन बोर्ड की सभा आयोजित होनी हो, बोर्ड की ऐसी सभा अयोजित विनिर्दिष्ट कालावधि में कराने में असमर्थ रहता है तो वह उस कालावधि के समाप्त होने की तिथि पर अध्यक्ष नहीं रहेगा।

(4) कोई व्यक्ति जो इस धारा की उपधारा(3) के अधीन अध्यक्ष नहीं रह जाता है, अध्यक्ष नहीं रह जाने की ऐसी तिथि से छः वर्ष की कालावधि के लिए अध्यक्ष का पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

(5) बोर्ड की सभा के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट होगी परन्तु बोर्ड के निदेशकों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।

(6) बोर्ड की सभा आहूत करने तथा संचालित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाए।

(7) यदि कोई निदेशक जानबूझकर बोर्ड के लगातार तीन सभाओं में उपस्थित नहीं होता है तो वह तृतीय सभा की तिथि से निदेशक नहीं रहेगा।

36. बोर्ड की सभा का कार्यवृत्त–

(1) प्रत्येक सहकारिता, अपनी कार्यवृत्त पुस्तिका में, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट भाषा में बोर्ड की प्रत्येक सभा का कार्यवृत्त रखेगी और प्रमुख कार्य पालक ऐसी प्रत्येक सभा की समाप्ति के सात दिन के अन्दर कार्यवृत्त की प्रति सभी निदेशकों को भेजेगा।

(2) इस प्रकार से अभिलिखित कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति या उस अगामी सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करेगा जिसमें कि कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

अध्याय–5

वित्त

37. निधियों का जुटाया जाना–

(1) कोई सहकारिता, अपने सदस्यों से उस रूप में, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाए, साम्यपूंजी, निक्षेप, अनुदान और उधार सहित निधियां जुटा सकेगी।

(2) कोई सहकारिता आपसी सहमति की शर्तों पर उस सीमा तक तथा संगम अनुच्छेद में वर्णित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, व्यक्तियों, बैंकों, अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार सहित गैर सदस्यों से निधियों और गारंटी सहित अंश पूंजी को छोड़कर, अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता ले सकेगी।

38. निधियों का अभिनियोजन–

(1) किसी सहकारिता द्वारा जुटाई गई निधियां उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए होंगी।

(2) कोई सहकारिता अपनी ऐसी निधियों को जिनकी उसके कारोबार के लिए आवश्यकता न हो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से अपने कारोबार से बाहर निवेश कर सकेगी या जमा कर सकेगी।

39. अधिशेष का निपटारा–

(1) किसी सहकारिता के किसी वित्तीय वर्ष में कारोबार से उद्भूत होने वाला अधिशेष, यदि कोई हो, निम्नलिखित एक या अधिक रीति के उपयोग में लाया जा सकेगा :–

(क) घाटा सुरक्षित निधि के लिए;

(ख) उसके सदस्यों में अधिशेष वापसी के रूप में वितरित करने के लिए ;

(ग) उसके कारोबार का विकास करने के लिए ;

(घ) संगम अनुच्छेद के अनुसार गठित की गई आरक्षित राशि और निधियों के लिए ;

(ड.) अपने सदस्यों को सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए ;

(च) कर्मचारीवृन्द को पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन देने के लिए ;

(छ) एक अविभाज्य समूह निधि के लिए ;

परन्तु गैर सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं से उद्भूत अधिशेष को सदस्यों या कर्मचारीवृन्द में वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि समुदाय के लिए सामान्य सेवाओं का प्रावधान करने तथा सम्भावित सदस्यों को सदस्य बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकेगा।

(2) अधिशेष का ऐसी वार्षिक साधारण सभा में पूर्णतया आवंटन किया जाएगा जिसमें अधिशेष प्रोद्भूत हुए हों, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण साधारण निकाय के विचारण के लिए प्रस्तुत किए जाएं।

40. घाटे का प्रबन्धन–

(1) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सहकारिता के कारोबार से प्रोद्भूत घाटा, यदि कोई हो, घाटा सुरक्षित निधि, यदि कोई हो, या उसके सदस्यों में घाटा प्रभार के रुप में घाटे के एक भाग या संपूर्ण भाग का विकलन करके पूर्णतया समाधान किया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी भी सहकारिता को, जहां ऐसा घाटा अनुमोदित योजना या बजट से विभाजन का परिणाम है और जहां ऐसे विकलन को साधारण निकाय का अनुमोदन प्राप्त नहीं है या जो कुप्रबन्ध और घोर उपेक्षा का परिणाम है, घाटे में अभिदाय करने के लिए रकम की वसूली हेतु उसके निदेशकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने से नहीं रुकेगी।

परन्तु यह और कि जहां ऐसी रकमें वसूल की जाती हैं; वहां साधारण निकाय रकम का एक या संपूर्ण भाग घाटा सुरक्षित निधि में या प्रत्येक सदस्य के खाते में उस पर लगाए गए घाटा प्रभार के अनुपात में जमा करने का संकल्प ले सकेगी।

(2) किसी भी सदस्य में सहकारिता की सदस्यता वापस लेने की अनुमति, उसके अंश का घाटे में समायोजन किए बिना नहीं दी जाएगी।

41. विशेष निधियों की संक्रिया–

(1) कोई भी सहकारिता अपने सदस्यों के हित में और अपने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आरक्षित और ऐसी अन्य निधियों का सृजन कर सकेगी जैसी कि सगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है या साधारण निकाय द्वारा संकल्पित है।

(2) इस प्रकार से सृजित निधि का उपयोग सहकारिता के कारोबार में किया जाएगा, परन्तु प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के उस भाग पर जो कि उन उद्देश्यों पर नहीं लगाया गया जिनके लिए सृजित किया गया था, तो सहकारिता ऐसी निधि की शेष रकम पर अनुसूचित बैंकों तथा दीर्घकालिक सावधि निक्षेप की ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज ऐसी निधि के खाते में उसे कार्य व्यय के रुप में विकलित करते हुए जमा करेगी।

42. प्रथम प्रभार–

तत्समय प्रवृत्त कानून में किसी अन्य बात के होते हुए भी, लेकिन भू–राजस्व के बारे में सरकार के किसी दावे के अध्यधीन रहते हुए, किसी सहकारिता को किसी सदस्य द्वारा देय कोई भी ऋण या अन्य धनराशि, सदस्य की ऐसी सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार होगी जैसा कि सहकारिता द्वारा सहमति दी गई हो और जैसा कि सदस्यता ग्रहण करते समय अथवा उसके बाद में सदस्य, सगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से घोषणा करे।

अध्याय–6

लेखादेयता

43. लेखा, अभिलेख तथा दस्तावेज जिनका रख–रखाव किया जाना है–

(1) प्रत्येक सहकारिता अपने पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज रखेगी :–

(क) इस अधिनियम की, उसमें समय–समय पर किए गए संशोधनों सहित एक प्रति;

(ख) संगम अनुच्छेद एवं उसमें समय–समय पर किए गए संशोधन की एक प्रति;

(ग) कार्यवृत्त पुस्तिका;

(घ) सहकारिता द्वारा प्राप्त की गई तथा व्यय की गई समस्त धनराशि के लेखे और उनके संबंधित प्रयोजन;

(ङ) सहकारिता द्वारा माल के समस्त क्रयों एवं विक्रयों का लेखा;

(च) सहकारिता की आस्तियों एवं दायित्वों का लेखा;

(छ) सदस्यों की सूची पिछले वित्तीय वर्ष के बारे में उनके दायित्वों की पूर्ति, चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकारों की पात्रता जो सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिन के अन्दर अद्यतन की जाएगी; और

(ज) समस्त ऐसे अन्य लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज जैसे कि इस अधिनियम या अन्य विधियों तथा विनियमों द्वारा अपेक्षित किए जाए :

परन्तु जहां किसी सहकारिता का शाखा कार्यालय हो वहां ऐसी शाखा में संबंधित लेखे का संक्षिप्त विवरण, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए उस तिमाही की समाप्ति से पन्द्रह दिन के अन्दर पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

(2) बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सहकारिता अपनी लेखा तथा अभिलेख पुस्तिकाएं किसी भी निदेशक द्वारा कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखेगी।

(3) प्रत्येक सहकारिता, इस अधिनियम, संगम अनुच्छेद, साधारण निकाय सभा का कार्यवृत्त पुस्तिका, मतदाता सूची तथा सदस्यों से संबंधित लेखे एवं अभिलेख, अपने कार्यालय समय के दौरान, इसके लिए अनुरोध करने वाले किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराएगी।

(4) प्रत्येक सहकारिता चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व के कम से कम आठ वर्षों की कालावधि से संबंधित पुस्तिकाएँ तथा लेखे, उनके समर्थित अभिलेख, वाउचरों सहित सुरक्षित रखेगी।

44. लेखा परीक्षा–

(1) कोई सहकारिता अपने लेखाओं को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में अभिप्रेत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षित कराएगी :

परन्तु जहां किसी सहकारिता का व्यापार दस लाख रुपए से कम है, सहकारिता अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट योग्यता वाले किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(व्याख्या–इस धारा के प्रयोजन हेतु व्यवसाय का आशय बिक्री की कीमत, प्रदत्त सेवाओं और/अथवा वसूल किए गए ऋण से होगा)

(2) कोई सहकारिता अपनी वार्षिक साधारण सभा में लेखा परीक्षक को नियुक्त करेगी। यह नियुक्ति केवल आगामी वार्षिक साधारण सभा तक के लिए ही विधिमान्य होगी।

(3) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक साधारण निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा, ऐसा न होने की दशा में इसका निर्धारण माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(4) कोई भी लेखा परीक्षक–

(क) उसके त्याग–पत्र देने पर ;

(ख) इस धारा की उपधारा (6) के अधीन अपने पद से हटाए जाने पर, या

(ग) उसकी पदावधि के पूर्ण होने पर ;

अपने पद पर नहीं रहेगा।

(5) किसी लेखा–परीक्षक का त्याग–पत्र, सहकारिता द्वारा लिखित त्याग–पत्र प्राप्त किए जाने वाली या त्यागपत्र में विनिर्दिष्ट की गई या इनमें जो तिथि बाद में हो, को प्रभावी होगा।

(6) साधारण निकाय विशेष संकल्प द्वारा किसी लेखा–परीक्षक को उसके पद से हटा सकता है।

(7) कोई लेखा परीक्षक जो–

(क) त्याग–पत्र दे देता है, या

(ख) कोई नोटिस प्राप्त करता है या उसे पद से हटाए जाने के प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण सभा की जानकारी अन्यथा प्राप्त करता है;

यथास्थिति अपने त्याग–पत्र/मृत्यु के कारण देते हुए या प्रस्तावित हटाए जाने की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए लिखित कथन बोर्ड को प्रस्तुत करने का हकदार है।

(8) किसी लेखा परीक्षक के त्याग–पत्र के कारण हुई रिक्ति माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा भरी जाएगी।

(9) किसी लेखा परीक्षक को पद से हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति सामान्य निकाय द्वारा भरी जाएगी।

(10) किसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया कोई लेखा परीक्षक अपने पूर्ववर्ती के अवशेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

(11) लेखा परीक्षक को प्रत्येक साधारण सभा की सूचना दी जाएगी और उसे सहकारिता के खर्च पर सभा में उपस्थित होने और लेखा परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित मामलों और उनका लेखा परीक्षक के रूप में सुनवाई का हक होगा।

(12) यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा कि लेखाओं का वार्षिक/वित्तीय विवरण तैयार किया जाए और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पैंतालिस दिन के अन्दर लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाए।

(13) किसी सहकारिता के लेखा परीक्षक की युक्तियुक्त मांग पर मुख्य कार्यपालक–

(क) सहकारिता के अभिलेखों, दस्तावेजों, पुस्तिकाओं, लेखाओं और वाउचरों, को इस प्रकार उपलब्ध कराएंगे, तथा

(ख) ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे–

जो लेखा परीक्षक की राय में उसे परीक्षण करने और रिपोर्ट करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और जो वर्तमान या भूतपूर्व निदेशक, सदस्य, प्रबन्धक या कर्मचारी युक्तियुक्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए सशक्त हो।

(14) लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि लेखाओं का लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और उसके साथ उसकी रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा उसके लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के साठ दिनों के अन्दर सहकारिता को प्रस्तुत कर दी जाए।

(15) सहकारिता के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में:–

(क) यह कथन होगा कि क्या लेखा परीक्षक ने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ख) यह कथन होगा कि क्या सहकारिता के तुलना–पत्र और रिपोर्ट में अंकित आय तथा व्यय, लेखाबही के अनुरूप है ;

(ग) वह आधार दर्शाया जाएगा जिस पर प्रत्येक आस्ति तथा दायित्व का मूल्यांकन किया गया था और उसमें उस रीति की तब्दीली का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख होगा जिसमें ऐसा मूल्यांकन परीक्षणाधीन वर्ष में किया गया था और अधिशेष या घाटे पर उसके प्रभाव का भी उल्लेख होगा ;

(घ) सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं के कारण या कारोबार के सामान्य उपक्रम में उपार्जित अधिशेष या घाटे से सुभिन्न गैर सदस्यों को उपलब्ध सेवाओं से उपार्जित अधिशेष या घाटे की राशि दर्शायी जाएगी ;

(ङ) अनुमोदित बजट में अनुमानित व्यय तथा आय से वास्तविक व्यय और आय में हुआ प्रत्येक विचलन दर्शाया जाएगा ;

(च) यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि लेखा परीक्षाओं के अधीन वर्ष में मुख्य कार्यपालक, पदाधिकारियों में से किसी को या निदेशकों को कुल कितना पारिश्रमिक और/अथवा मानदेय और/अथवा भत्ते और/या लाभ, यदि कोई हो, प्रदान किया गया;

(छ) यह कथन होगा कि क्या इस अधिनियम के अधीन कोई भी पदाधिकारी या निदेशक, समीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, पदाधिकारी अथवा निदेशक के रूप में पद पर बने रहने के लिए अपात्र हो गए थे अथवा नहीं; और

(ज) यह कथन होगा कि साधारण निकाय द्वारा उसके पूर्व वार्षिक सभा में अधिशेष के निराकरण पर विनिश्चय या घाटे के निर्धारण का ठीक तरह से तथा पूर्णतया कार्यान्वयन हुआ है या नहीं।

45. रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ–

(1) प्रत्येक वर्ष, वार्षिक साधारण सभा आयोजित किए जाने के 30 दिन के अन्दर प्रत्येक सहकारिता, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां प्रस्तुत करेगी,

(क) कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं का लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण;

(ग) सांख्यिकीय विवरण जिसमें सहकारिता का नाम, सहकारिता द्वारा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को सदस्यों की कुल संख्या, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभिव्यक्त कुल दायित्व जैसे–

(i) सदस्यों से निधियां और अधिशेष

(ii) सरकार से प्राप्त निधियां, यदि कोई हो; और

(iii) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त निधियां;

उपलब्ध कराई गई सेवाओं की रुपयों में मात्रा (i) सदस्यों को; (ii) गैर सदस्यों को और वर्ष के अन्त में अधिशेष/घाटा दर्शाया जाएगा।

(2) प्रत्येक सहकारिता उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणियों के साथ निम्नलिखित सूचना रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी :–

(क) वार्षिक साधारण सभा की वह तिथि जिसको रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों पर विचार किया गया था या उसे अनुमोदित किया गया था;

(ख) सहकारिता की नामावली पर सदस्यों की कुल संख्या, जो कि ऐसी वार्षिक साधारण सभा की तिथि को मत देने के लिए पात्र थे;

(ग) ऐसी वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित पात्र सदस्यों की संख्या;

(घ) निदेशकों के नाम की सूची, उनके पते तथा उनका कार्यकाल;

(ङ) चालू वर्ष के परीक्षा हेतु नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक का नाम एवं पता।

(3) रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा(1) (ग) के अधीन, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त विवरणों से संकलित, राज्य में कुल सहकारिताओं की संख्या, उनकी सदस्यता, निधि, सेवाओं और अधिशेष/घाटे के संदर्भ में राज्य की सहकारिताओं से संबंधित सांख्यिकीय सूचना से युक्त वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 30 जून तक सरकार को प्रस्तुत करेगा; रिपोर्ट में सहकारिता विभाग में, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों की संख्या, विभाग के स्थापना व्यय, विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किए गए शुल्क से संबंधित सूचना और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई संवैधानिक शक्तियों (स्टेच्यूटरी पावर) का सांख्यिकीय सारांश भी शामिल होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, या किसी विवरणी की प्रति या सहकारिताओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रेषित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा और ऐसी सूचना रजिस्ट्रार द्वारा उचित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।

46. जाँच–

(1) रजिस्ट्रार सर्वप्रथम संबंधित सहकारिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसी किसी सहायक सहकारिता के जिससे कि सहकारिता संबद्ध है, या किसी लेनदार के, जिसकी कि सहकारिता ऋणी है या निदेशकों के कम से कम एक तिहाई निदेशकों के, या सदस्यों की संख्या के कम से कम एक दशमांश सदस्यों के आवेदन पर इस अधिनियम के या संगम अनुच्छेद के किन्हीं उपबन्धों के सहकारिता द्वारा उल्लंघन के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट विषय या किन्हीं विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, आवेदक या आवेदकों से ऐसी फीस जैसी कि जांच कराने के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाए, प्राप्त होने के बाद ही किसी जांच के आदेश करेगा।

(3) ऐसी जांच, जांच का आदेश होने की तिथि से एक सौ बीस दिनों के अन्दर पूरी की जाएगी। परन्तु आगे यह और कि जांच अधिकारी के अनुरोध पर रजिस्ट्रार जांच की इस कार्यवाही को और साठ दिनों के लिए बढ़ा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट, जांच पूरी होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि के अन्दर जांच की रिपोर्ट अथवा जांच पूरी न होने की स्थिति में उसके कारणों को–

(क) संबंधित सहकारिता को;

(ख) आवेदक सहायक सहकारिता को, यदि कोई हो;

(ग) आवेदक लेनदार को;

(घ) ऐसे व्यक्ति को जो निदेशक-आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि कोई हो;

(ङ) ऐसे व्यक्ति को जो सदस्य आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि कोई हो;

(च) किसी व्यक्ति को ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संसूचित करेगा।

अध्याय–7

अपराध

47. अपराध–

(1) कोई व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम में रजिस्ट्रार को भेजी जाने के लिए अपेक्षित कोई ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, सूचनायें अन्य दस्तावेज बनाता है या बनाने में सहयोग करता है जिसमें किसी तात्विक तथ्य के लिए मिथ्या कथन निहित है या

जिसके ऐसे तात्विक तथ्य का लोप किया गया है जिसकी रिपोर्ट में आवश्यकता है या ऐसे तात्विक तथ्य का लोप करता है जिसके बगैर रिपोर्ट का कथन, भ्रामक हो जाए, उसे दो वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।

(2) जहां पर इस धारा की उपधारा(1) के अधीन अपराधकर्ता कोई सहकारिता है और सहकारिता के ऊपर अभियोग चलाया गया है अथवा दोषसिद्धि हुई है या नहीं, सहकारिता का कोई भी निदेशक या अधिकारी जो जानबूझकर ऐसे अपराध को प्राधिकृत करता है, अनुमति देता है या मौन सहमति देता है, भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और संक्षिप्त दोषसिद्धि पर नब्बे दिनों तक के कारावास अथवा एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों साथ हो सकेंगी।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो–

(क) बिना समुचित कारणों से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है जिसके लिए किसी दण्ड का अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है; या

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों में अपेक्षित कोई सूचना देने में, कोई विवरणी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

अपराध का दोषी होगा और संक्षिप्त दोषसिद्धि होने पर दस हजार रुपए से अनाधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) किसी सहकारिता द्वारा किया गया कोई अपराध उस सहकारिता के प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा जो कि सहकारिता के संगम अनुच्छेद से ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने को आबद्ध है जिनका उल्लंघन अपराध है या यदि ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है तो उसे प्रत्येक निदेशक द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा जब तक कि यथास्थिति पदाधिकारी या निदेशक यह सिद्ध न कर दें कि उन्होंने अपराध होने को रोकने का प्रयास किया था।

(5) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, वहां न्यायालय, उस व्यक्ति पर अधिरोपित किए गए किसी दण्ड के अतिरिक्त, इस अधिनियम के उन उपबन्धों का, जिनके उल्लंघन के लिए वह दोषी ठहराया गया है, अनुपालन करने का उस व्यक्ति को आदेश दे सकेगा।

(6) इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए, उस तिथि से जबकि कार्यवाही का कारण या शिकायत का कारण उत्पन्न हुआ हो, से दो वर्ष के पश्चात् कोई अभियोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य या लोप के लिए कोई सिविल उपचार इस कारण निलम्बित या प्रभावित नहीं है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसा कार्य या लोप एक अपराध है।

अध्याय–8

विवाद

48. विवाद–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि (कानून) में किसी अन्य बात के रहते हुए भी यदि किसी सहकारिता के संविधान, प्रबन्धन एवं कारोबार से संबंधित कोई विवाद–

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य की ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के मध्य, या

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति तथा सहकारिता, उसके भूतपूर्व या वर्तमान बोर्ड, निदेशक, पदाधिकारी या समापक के बीच; या

(ग) किसी सहकारिता और उसके बोर्ड तथा उसके किसी निवर्तमान बोर्ड, किसी निदेशक, पदाधिकारी या किसी भूतपूर्व निदेशक, भूतपूर्व पदाधिकारी या किसी सहकारिता के किसी मृत निदेशक या मृत पदाधिकारी के नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच उत्पन्न होता है तो उसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा। (व्याख्या: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी विवाद के अन्तर्गत, किसी सहकारिता द्वारा किसी ऐसे ऋण या अन्य रकम के लिए, जो किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, किसी मृत व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि और/या जमानतदार द्वारा उस सहकारिता को देय कोई दावा कि ऐसे ऋण या अन्य रकम स्वीकार की जाए या नहीं, आएंगे)

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया गया (भेजा गया) कोई विवाद सहकारिता के संविधान, प्रबन्धन अथवा कारोबार से संबंधित है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे विवाद को इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार विनिश्चित करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा। विवाद पर विनिश्चय होने तक माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह न्यायहित में आवश्यक समझे।

(4) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश या प्रत्येक विनिश्चय का निष्पादन, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र पर, अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो कि ऐसा आदेश उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) इस धारा की उपधारा (4) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी (विधि) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा वसूली की किसी अन्य रीति पर जो की जा रही है या जो की जा सकेगी–प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, माध्यस्थम् अधिकरण सहकारिता द्वारा उसके किसी सदस्य के ऊपर बकाया की वसूली के लिए किए गए कि ऐसे किसी

आवेदन के प्राप्त होने पर, उसके द्वारा बकाया के बारे में लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने पर तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि ऐसा अधिकरण उचित समझे, उसमें वर्णित रकम की वसूली के लिए एक प्रमाण–पत्र जारी कर सकेगी जो कि बकाया के रूप में देय हो।

(7) इस धारा की उपधारा (6) के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र उसमें कथित देय बकाया के बारे में अंतिम तथा निश्चयात्मक सबूत होगा और मुख्य कार्यपालक द्वारा, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से प्रमाण–पत्र निष्पादित किया जा सकेगा।

49. माध्यस्थम् अधिकरण (Arbitrary Tribunal)–

(1) प्रत्येक सहकारिता के संगम अनुच्छेद में एक माध्यस्थम् अधिकरण के गठन का प्रावधान, जैसा कि धारा 2(1) में परिभाषित है, होगा।

(2) जिसकी पदावधि तीन वर्ष से अनधिक होगी :

परन्तु जब माध्यस्थम् अधिकरण में एक से अधिक सदस्य होंगे, जो यह लिखित रूप में दर्ज कारणों से कि निस्तारण के लिए इसे निर्देशित किसी विवाद या विवादों के किसी समुच्चय का समाधान इसके एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा किया जाएगा, का चुनाव कर सकेगी और ऐसे सदस्य या सदस्यों के विनिश्चय को माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय माना जाएगा : और

परन्तु यह और कि जब माध्यस्थम् अधिकरण में एक से अधिक सदस्य होंगे तो बहुमत द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का कोई सदस्य ऐसी योग्यताएं धारण करेगा जैसी कि–

संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट हों :

अध्याय–9

विघटन

50. सदस्यों द्वारा विघटन–

(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपना स्वयं का विघटन प्राधिकृत कर सकेगी,

बशर्ते कि साधारण सभा की सूचना की प्रति, उपस्थित होने के आमंत्रण सहित पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार को, सहकारिता के सभी लेनदारों को, ऐसी किसी सहायक सहकारिता को जिससे कि सहकारिता संबद्ध है, और ऐसी सहकारिता/ सहकारिताओं को जिसके साथ भागीदारी की कोई संविदा की गई है, भेजी जाएगी।

(2) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन आमंत्रिती को प्रस्तावित विघटन के प्रश्न पर साधारण निकाय में उपस्थापन (प्रजेन्टेशन) का अधिकार होगा, यदि वह ऐसी इच्छा रखता हो।

(3) सहकारिता, विघटन के लिए ऐसा प्राधिकार दिए जाने से पंद्रह दिन के अन्दर सहकारिता के विघटन के प्राधिकार की एक प्रति पंजीकृत डाक से रजिस्ट्रार को भेजेगी।

(4) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन अनुमोदित प्राधिकार में निम्नलिखित वर्णित किए जाएंगे–

(क) सहकारिता की आस्तियां और दायित्व;

(ख) लेनदारों के दावे;

(ग) सदस्यों की संख्या;

(घ) सहकारिता के सदस्यों के हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा;

(ङ) सहकारिता द्वारा नियुक्त किए गए समापक का नाम तथा पता।

(5) जब रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया विशेष संकल्प प्राप्त करता है तब,

(क) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां या दायित्व नहीं हैं, वहां रजिस्ट्रार सहकारिता का विघटन करेगा, सहकारिताओं के रजिस्टर से उसका नाम हटा देगा तथा ऐसी सहकारिता के विघटन का प्रमाण–पत्र जारी करेगा; या

(ख) वह ऐसा संकल्प प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर सहकारिता के खर्च पर ऐसे विशेष संकल्प की सूचना प्रकाशित करवाएगा तथा उस जिले में जहां कि सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रकाशित होने वाले किसी समाचार–पत्र में निरन्तर दो सप्ताह तक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित करवाएगा।

(6) विघटन की दशा में, रजिस्ट्रार जब तक कि उसके द्वारा विघटन का प्रमाण–पत्र जारी न कर दिया जाय, सहकारिता द्वारा नियुक्त किए गए समापक से या अन्य किसी व्यक्ति से, जिसके द्वारा जानकारी का दिया जाना अपेक्षित हो, ऐसी जानकारी, नियत कालिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाए जायेंगे–

(क) विघटन की प्रगति;

(ख) कोई अतिरिक्त अधिशेष या अतिरिक्त आरक्षित राशि; और

(ग) ऐसी अन्य कोई सुसंगत जानकारी जिसकी रजिस्ट्रार को आवश्यकता हो।

51. रजिस्ट्रार द्वारा विघटन–

(1) जहां रजिस्ट्रार को, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि किसी सहकारिता ने–

(क) अपने पंजीकरण प्रमाण–पत्र पर दर्शाई गई तिथि के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर कोई कारोबार प्रारम्भ नहीं किया है;

(ख) लगातार दो वर्षों तक कारोबार नहीं किया है;

वहां वह सहकारिता से यह जानकारी मांगते हुए पंजीकृत डाक द्वारा एक पत्र सहकारिता को भेजेगा कि क्या सहकारिता कारोबार कर रही है।

(2) जहां रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पत्र भेजे जाने की तिथि से तीस दिन के अन्दर पत्र का जवाब प्राप्त नहीं करता, वहां वह उक्त 30 दिन बीत जाने पर 15 दिन के अन्दर सहकारिता को एक पत्र यह उल्लेख करते हुए भेजेगा कि–

(क) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन एक पत्र सहकारिता को भेजा गया था;

(ख) उस पत्र का कोई उत्तर रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि इस पत्र को भेजे जाने की तिथि से तीस दिनों के अन्दर इस उपधारा के अधीन भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो सहकारिता को विघटित करने की सूचना 'गजट में' प्रकाशित कर दी जाएगी।

(3) जहां रजिस्ट्रार–

(क) सहकारिता से यह उत्तर प्राप्त करता है कि वह कारबार नहीं कर रही है; या

(ख) इस धारा की उपधारा (2) के अनुसरण में पत्र भेजे जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर उस पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त करता है,

वहां वह गजट में सूचना प्रकाशित करेगा और सहकारिता को एक सूचना भेजेगा कि सूचना की तिथि से 30 दिन का अवसान होने पर, जब तक कि प्रतिकूल हेतुक दर्शित न कर दिया जाय, सहकारिता विघटित कर दी जायेगी तथा सहकारिता के रजिस्टर से उस सहकारिता का नाम हटा दिया जायेगा।

(4) इस धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में सूचना जारी होने की तिथि से 30 दिन बीत जाने पर रजिस्ट्रार, जब तक कि सहकारिता द्वारा पूर्व में ही प्रतिकूल कारण न दर्शाया जाए–

(क) जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां और दायित्व नहीं है, वहां उस सहकारिता को विघटित कर देगा, उसका नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा और विघटन का एक प्रमाण–पत्र जारी कर देगा; या

(ख) सहकारिता को विघटित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन परिसमापक नियुक्त कर देगा।

(5) जहां कोई सहकारिता, सहकारिता के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो सौ चालीस दिन बीत जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 46 के अधीन अपेक्षित विवरणी फाइल करने व सूचना देने में असफल रहती है, वहां रजिस्ट्रार बोर्ड से यह अपेक्षा करेगा कि वह रजिस्ट्रार को भेजे जाने वाली वार्षिक विवरणी तथा दी जाने वाली जानकारी पर विचार करने के प्रयोजन हेतु एक विशेष साधारण सभा बुलाए।

(6) जहां बोर्ड द्वारा इस अधिनियम की धारा 28(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विशेष साधारण सभा बुलाने में असफल रहता है वहां रजिस्ट्रार यह पता लगाने के लिए कि साधारण निकाय सहकारिता को जारी रखना चाहता है या नहीं, विशेष साधारण सभा बुला सकेगा।

(7) जब कि–

(क) इस धारा की उपधारा(5) या (6) के अनुसरण में बुलाई गई विशेष साधारण सभा में सदस्यों की गणपूर्ति न हो; या

(ख) साधारण निकाय इस आशय का संकल्प पारित करने में असफल रहे कि–

(i) सहकारिता को कारोबार करना है;

(ii) बोर्ड विशेष साधारण सभा की तिथि से साठ दिन के अन्दर, रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली वार्षिक विवरणियां तथा दी जाने वाली जानकारी साधारण निकाय को प्रस्तुत करेगा; और

(iii) सहकारिता, विशेष साधारण सभा की तिथि से नब्बे दिन के अन्दर विवरणी रजिस्ट्रार को भेजेगी और जानकारी प्रस्तुत करेगी; अथवा

(ग) सहकारिता विशेष साधारण सभा की तिथि से नब्बे दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली विवरणी तथा जानकारी देने में असफल रहती है वहां रजिस्ट्रार–

(i) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां या दायित्व नहीं हैं, उस सहकारिता को विघटित कर देगा, उसका नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा और विघटन का प्रमाण–पत्र जारी कर देगा; या

(ii) सहकारिता के परिसमापन करने के लिए इस अधिनियम की धारा 53 के अनुसार एक परिसमापक नियुक्त करेगा।

52. न्यायालय द्वारा विघटन–

(1) रजिस्ट्रार अथवा कोई इच्छुक व्यक्ति, सहकारिता को 90 दिन की सूचना पर, प्रस्तावित आवेदन करने के पश्चात, न्यायालय में सहकारिता के विघटन के आदेश हेतु आवेदन कर सकेगा, जहां पर सहकारिता :

(क) अपना पंजीकरण धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त करती है;

(ख) किसी अवैध प्रयोजन हेतु बनी है;

(ग) रजिस्ट्रार की सूचना के बाद इस अधिनियम अथवा इसके संगम अनुच्छेद के किन्हीं उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन किया है; या

(घ) अब सहकारिता के आधार पर संचालित नहीं है।

(2) जहां कोई इच्छुक व्यक्ति इस धारा के अनुसरण में न्यायालय में आवेदन करता है तो वह रजिस्ट्रार को अपने आवेदन की सूचना देगा तथा रजिस्ट्रार न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई का हकदार होगा।

(3) जहां न्यायालय इस धारा के अनुसरण में प्रार्थना–पत्र प्राप्त करता है तो वह रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण में सहकारिता के विघटन अथवा समापन व विघटन का आदेश दे सकेगा।

(4) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में आदेश प्राप्त करता है, तो वह–

(क) यदि आदेश सहकारिता के विघटन हेतु है, तो विघटन करेगा, सहकारिताओं के रजिस्टर से इसका नाम हटा देगा तथा विघटन का प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा;

(ख) यदि आदेश सहकारिता के समापन एवं विघटन का है, तो वह किसी व्यक्ति को सहकारिता के कार्य कलापों का परिसमापन हेतु समापक नियुक्त करेगा।

53. समापक (लिक्वीडेटर) की नियुक्ति-

जहां कोई सहकारिता विघटित की जानी है और साधारण निकाय द्वारा कोई समापक नियुक्त नहीं किया गया है वहां रजिस्ट्रार-

सहकारिता के कार्यों का समापन करने हेतु किसी व्यक्ति को इस निर्देश के साथ समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा कि-परिसमापन की कार्यवाही, समापक के रूप में उसकी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर समाप्त हो जानी चाहिए।

54. समापक के कर्तव्य-

कोई समापक अपनी नियुक्ति पर-

(क) अपनी नियुक्ति की सूचना समापक द्वारा ज्ञात प्रत्येक दावेदार तथा लेनदार को तत्काल देगा;

(ख) समापक के रूप में अपनी नियुक्ति की सूचना तत्काल सहकारिता के पंजीकृत कार्यालय वाले क्षेत्र के स्थानीय समाचार पत्र में सप्ताह में एक बार दो सप्ताह तक प्रकाशित करवाएगा;

(ग) इस धारा की उपधारा (क) और (ख) में वर्णित सूचना में ऐसा प्रावधान शामिल करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से –

(i) जो सहकारिता का ऋणी है, हिसाब देने तथा उस पर बाकी रकम सूचना में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर समापक को भुगतान करने की अपेक्षा की जा सके;

(ii) जो सहकारिता की संपत्ति पर कब्जा रखता हो, सूचना में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर उसे समापक को परिदत्त करने की अपेक्षा रखी जा सके; और

(iii) जो सहकारिता के विरुद्ध कोई दावा रखता हो जिससे सूचना के प्रथम प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर, समापक को दावे की लिखित विशिष्टियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखी जा सके;

(घ) सहकारिता की संपत्ति को अभिरक्षा और नियंत्रण में लेगा;

(ङ) सहकारिता के धन के लिए एक न्यास खाता खोलेगा तथा उसे बनाए रखेगा;

(च) सहकारिता के उस धन का, जो कि उसके द्वारा प्राप्त किया गया हो या उसके द्वारा भुगतान किया गया हो, लेखाजोखा रखेगा;

(छ) सदस्यों की लेनदारी की तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूचियाँ बनाए रखेगा जो सहकारिता के विरुद्ध दावा रखते हों;

(ज) जहां किसी भी समय वह यह अभिनिश्चय करे कि–सहकारिता अपनी बाध्यताओं का भुगतान करने में तथा उन्हें उन्मोचित करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यवस्था करने में असमर्थ है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रार को या साधारण निकाय को निर्देश देने के लिए आवेदन करेगा; और

(झ) रजिस्ट्रार या साधारण निकाय को, ऐसे नियत काल पर जैसा कि रजिस्ट्रार या साधारण निकाय अपेक्षा करे, सहकारिता के वित्तीय विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार/साधारण निकाय अपेक्षा करे, प्रदान करेगा।

55. समापक के कार्य एवं दायित्व–

(1) समापक–

(क) वकील, लेखाकार, इंजीनियर, मूल्यांकनकर्ता तथा अन्य व्यवसायिक सलाहकारों को प्रतिधारित कर सकेगा;

(ख) सहकारिता की ओर से और उसके नाम से सिविल, अपराधिक, या प्रशासनिक कार्यवाहियां आदि को संस्थित कर सकेगा और उनकी प्रतिरक्षा कर सकेगा;

(ग) सहकारिता का कार्य उस सीमा तक चला सकेगा जहां तक कि वह उसके सुव्यवस्थित समापन के लिए आवश्यक हो;

(घ) सहकारिता की किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी या निजी विक्रय द्वारा बेच सकेगा;

(ङ) सहकारिता की ओर से तथा सहकारिता के नाम से समस्त कार्य कर सकेगा तथा किन्हीं भी दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा;

(च) सहकारिता की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकेगा;

(छ) सहकारिता के किन्हीं दावों या सहकारिता के विरुद्ध किन्हीं दावों का निपटारा या समझौता कर सकेगा; और

(ज) ऐसी समस्त अन्य कार्य कर सकेगा जो वह सहकारिता के समापन तथा उसकी संपत्ति के वितरण के लिए आवश्यक समझे।

(2) जहां समापक को यह विश्वास करने का कारण हो कि सहकारिता की कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है या उसके नियंत्रणाधीन है या उसने ऐसी संपत्ति को छुपाया है, विघटित किया है या उसका दुर्विनियोग किया है तो वह न्यायालय को ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि वह व्यक्ति आदेश में निर्धारित समय तथा स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और उसका परीक्षण किया जाए।

(3) जहां इस धारा की उपधारा (2) के अधीन परीक्षण में यह प्रकट होता है कि किसी व्यक्ति ने सहकारिता की संपत्ति छिपाई है, विघटित की है या उस संपत्ति का दुर्विनियोग किया है, तो वह न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वह व्यक्ति सहकारिता की ओर से समापक को संपत्ति प्रत्यावर्तित करे या उसके प्रतिकर का भुगतान करे।

(4) समापक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहकारिता के व्यापार स्टॉक का कोई भाग, ऋण या आस्तियों का क्रय नहीं करेगा।

(5) समापक, यथास्थिति रजिस्ट्रार अथवा साधारण निकाय को समय–समय पर परिसमापन कार्यवाही की प्रगति और हिसाब–किताब प्रस्तुत करेगा।

56. अन्तिम लेखा–

(1) समापक सहकारिता की संपत्ति में से परिसमापन के खर्चों का भुगतान करेगा तथा सहकारिता के विरुद्ध समस्त दावों का भुगतान करेगा या उसके लिए पर्याप्त उपबन्ध करेगा।

(2) सहकारिता के विरुद्ध समस्त दावों का भुगतान करने या उनके लिए पर्याप्त उपबन्ध करने के पश्चात् समापक, उसके अंतिम लेखाओं का अनुमोदन करने हेतु तथा संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता की शेष बच रही संपत्ति का नकद में या वस्तु रूप में वितरण करने के लिए अनुज्ञा हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।

(3) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा(2) के अधीन समापक द्वारा दिए गए अंतिम लेखाओं को अनुमोदित कर देता है, वहां वह–

(क) सहकारिता के दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखने या उसके निपटारे के संबंध में निर्देश जारी करेगा; और

(ख) समापक को उन्मोचित कर देगा।

(4) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा(3) के अधीन किसी समापक को उन्मोचित करता है, वहां वह सहकारिता को विघटित कर देगा, विघटन का प्रमाण–पत्र जारी करेगा और सहकारिता के रजिस्टर से उसका नाम हटा देगा।

(5) सहकारिता, विघटन के प्रमाण–पत्र में दर्शित उस तिथि से अस्तित्व में नहीं रहेगी।

अध्याय–10

विविध

57. कुछ करों, कर्तव्यों एवं शुल्कों से छूट–

सरकार सार्वजनिक हित में यदि उसकी राय से ऐसा करना आवश्यक हो तो गजट में अधिसूचना के द्वारा और ऐसी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिबंधों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सहकारिताओं के संबंध में–

(क) व्यवसाय, व्यापार, पेशे और रोजगार पर करों;

(ख) स्टाम्प शुल्क जिसके साथ, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी सहकारिता द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी पदाधिकारी, या निदेशक या सदस्य द्वारा ऐसी सहकारिता के कारबार से संबंधित निष्पादित किए गए दस्तावेज अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी भी वर्ग के ऐसे कागजात या क्रमशः रजिस्ट्रार या माध्यस्थम् अधिकरण या समापक के विनिश्चय या आदेश जो प्रभार्य है; अथवा

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकरण से संबंधित कोई भी भुगतान योग्य शुल्क या न्यायालय शुल्क,

कम कर सकेगी या उसमें छूट प्रदान कर सकेगी।

58. दस्तावेजों के अनिवार्य पंजीकरण से छूट--

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के खण्ड 17(1)(बी) और (सी) में कोई भी बात--

(क) सहकारिता की आस्तियों के अखण्ड अथवा अचल संपत्ति के एक हिस्से में होने के बावजूद किसी सहकारिता में अंशों से संबंधित कोई दस्तावेज;

(ख) ऐसी किसी भी सहकारिता द्वारा जारी किया गया कोई भी ऋणपत्र , अचल संपत्ति में कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, सीमित अथवा समाप्त न करते हुए, सिवाय जहां तक वह धारक को किसी ऐसी पंजीकृत दस्तावेज द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति के लिए पात्र बनाता है जिसके द्वारा सहकारिता ने ऐसे ऋणपत्रों के धारकों के लाभ के लिए अपनी अचल संपत्ति का संपूर्ण अथवा एक हिस्सा अथवा उसमें कोई भी हित न्यास के न्यासधारियों को गिरवी रख दिया है, अभिहस्तांतरित कर दिया है या अन्यथा हस्तांतरित कर दिया है;

(ग) ऐसी किसी सहकारिता द्वारा जारी किए गए किसी अन्य ऋणपत्र पर अथवा उसके अंतरण के लिए किसी पृष्ठांकन पर,

लागू नहीं होगी।

59. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे--

रजिस्ट्रार अथवा धारा 48 के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति या धारा 49 के अधीन अधिकरण का कोई सदस्य या धारा 53 के अधीन कोई समापक भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम की धारा 21) से अभिप्रेत लोक सेवक समझा जाएगा।

60. "सहकारी" अथवा "को–ऑपरेटिव" शब्द के प्रयोग के विरुद्ध निषेध--

किसी सहकारिता के अलावा कोई भी व्यक्ति 'सहकारी' अथवा अंग्रेजी में इसके समतुल्य "को–आपरेटिव" शब्द संयुक्त नाम अथवा शीर्षक के अधीन व्यापार या कारोबार नहीं कर सकेगा।

अनुसूची–क

धारा 2 (8) एवं 3(3)

सहकारिता की पहचान के विवरण

(जैसा कि – अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा सितम्बर(1995) में मानचेस्टर में स्वीकार किया गया)

1. परिभाषा–

कोई भी सहकारिता स्वेच्छा से एक हुए व्यक्तियों का ऐसा स्वशासी संगम है जो उन की सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं और महत्वकांक्षाओं को किसी संयुक्त स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से पूरा करता है।

2. मूल्य–

सहकारिताएं स्वावलंबन, स्व–उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित हैं। अपने संस्थापकों की परम्परा में सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा परोपकार के नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं।

3. सिद्धान्त–

सहकारिता के सिद्धान्त वे मार्ग दर्शक सिद्धान्त हैं, जिनके द्वारा वह अपने मूल्यों को व्यवहार में परिवर्तित करती है।

<u>पहला सिद्धान्त : स्वेच्छया तथा खुली सदस्यता</u>

सहकारिताएं ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मुक्त स्वैच्छिक संगठन हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हैं और सदस्यता के उत्तरदायित्व को किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना रजामन्दी से स्वीकार करते हैं।

<u>दूसरा सिद्धान्त : सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण</u>

सहकारिताएं अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं, जो उसकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चयों में सक्रियता से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरुष तथा स्त्रियां सदस्यता के प्रति जवाबदार हैं। प्राथमिक सहकारिताओं के सदस्यों को समान मताधिकार (एक सदस्य–एक मत) प्राप्त हैं तथा सहकारिताएं अन्य स्तरों पर भी लोकतांत्रिक रीति में संगठित होती हैं।

<u>तीसरा सिद्धान्त : सदस्यों की आर्थिक भागीदारी</u>

सदस्य अपनी सहकारिता की पूंजी में अभिदाय करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण करते हैं। उक्त पूंजी का कम से कम एक भाग सहकारिता की सार्वजनिक सम्पत्ति होती है। सदस्य प्रायः सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर सीमित प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्यगण निम्नलिखित में से किन्हीं प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं। सम्भवतः आरक्षित निधि स्थापित करके उनकी सहकारिता का विकास करने के लिए, जिसका कुछ भाग अविभाज्य हो, सदस्यों को सहकारिता में उनके लेन–देन के अनुपात में लाभ पहुंचाना तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

<u>चौथा सिद्धान्त : स्वायत्तता तथा स्वाधीनता</u>

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वशासी, आत्मनिर्भर संगठन हैं। यदि वे सरकार सहित दूसरे संगठनों से करार करते हैं या बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे ऐसा अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपनी सहकारिता की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए करती हैं।

<u>पांचवा सिद्धान्त : शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी</u>

सहकारिताएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सहकारिताओं के विकास में

प्रभावी योगदान कर सकें। वे जन सामान्य, विशिष्टतः युवावर्ग को जानकारी प्रदान करती हैं तथा सहकारिता की प्रकृति तथा लाभ के बारे में नेताओं को राय देती हैं।

छठा सिद्धान्त : सहकारिताओं में सहयोग

सहकारिताएं स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से कार्य करते हुए अपने सदस्यों की प्रभावी सेवा करती हैं और सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करती हैं।

सातवां सिद्धान्त : समुदाय के लिए सरोकार

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के धारणीय विकास (Sustainable development) के लिए कार्य करती हैं।

अनुसूची–ख

धारा 3(4) एवम् 3(5)

संगम ज्ञापन

(पंजीकृत की जाने वाली सहकारिताओं के लिए)

(प्रारूप जिसमें प्रस्तुत किया जाना है)

1. हम निम्नलिखित व्यक्ति–

क्र. सं.	पूरा नाम– साफ अक्षरों में	पूरा डाक पता– साफ अक्षरों में	यदि प्रवर्तक व्यक्ति है, तो उनका व्यवसाय

अपने को उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 के अधीन एक सहकारिता के रुप में पंजीकृत करना चाहते हैं।

(कृपया प्रवर्तकों की संख्यानुसार पंक्तियां बनायें)

2. पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त क्रम सं. ______________________ पर श्री/श्रीमती ______________________ हमारे प्रतिनिधि होंगे और सभी पत्र व्यवहार उनको उनके पते ______________________ पर किए जाएं।

3. हमारी सहकारिता का नाम ______________________

4. हमारी सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय ______________________ ______________________ में स्थित होगा।

(कृपया रिक्त स्थान में गांव/कस्बा/शहर का नाम लिखें)।

5. हमारी सहकारिता का लक्ष्य होगा ______________________

(यहां पर केवल उन्हीं आवश्यकताओं को बताया जाए जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य हो तथा जिन्हें सहकारिता को पूरा करना है तथा जिनके लिए इसकी स्थापना की जा रही है अर्थात– डेरी उद्योग/रेशम उत्पादन/धान की खेती आदि अथवा अच्छी गुणवत्ता वाली उपभोक्ता सामग्रियों तक पहुंच/आवास प्रबंध/युक्तियुक्त दामों पर उत्पादन निवेश, अथवा बचत एवं उधार/बीमा तक पहुंच आदि/कृपया यहां पर उन सेवाओं या कार्यकलापों की सूची न दें जिनके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा)।

6. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची 'क' में यथानिर्धारित सहयोग के सिद्धान्तों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन्हीं के अनुरूप अपनी सहकारिता का प्रबन्ध करने का इरादा रखते हैं।

7. हमने निम्नलिखित कागजात संलग्न किए हैं :–

(क) हम, प्रवर्तकों द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित सहकारिता का संगम अनुच्छेद;

(ख) सभा में संगम अनुच्छेद को अंगीकार करते हुए पारित किए गए संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि;

(ग) श्री/श्रीमती ______________________ वकील/चार्टर्ड एकाउन्टेंट से घोषणा पत्र कि पंजीकरण के संबंध में हमारे द्वारा इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन किया गया है।

8. दिनांक ______________________ को ______________________ (स्थान), में हम लोगों द्वारा हस्ताक्षरित :–

9.

क्र. सं.	पूरा नाम (जहाँ सहकारिता प्रवर्तक है, प्रतिनिधि के नाम और पदनाम सहित)	हस्ताक्षर

अनुसूची–ग

धारा 3(6)

पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

(पंजीकृत की जाने वाली सहकारिता के लिए)

रजिस्ट्रार, स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 की

धारा 3 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

....

....

....

इसके संगम ज्ञापन और उपविधि तथा अनुलग्नक सहित

.........................संख्या के साथ पंजीकृत है

मेरे हस्ताक्षर एवं मेरी मुद्रा के

अधीन.........................को जारी

रजिस्ट्रार स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

अनुसूची–घ

धारा 4(2) एवम् 6(3)

संगम ज्ञापन

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से परिवर्तित होने वाली सहकारिताओं के लिए)

(प्ररूप जिसमें प्रस्तुत किया जाना है)

1. हम ________________________ के बोर्ड के निदेशक एतद्द्वारा यह कथन करते हैं कि हमारी सहकारी समिति का साधारण निकाय यह चाहता है कि हमारी सहकारी समिति अब उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 के अधीन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत हो जाए।

   (कृपया सहकारी समिति का वर्तमान पूरा नाम यहां भरें)

2. पंजीयन के प्रयोजन के लिए सभी पत्राचार कृपया ________________ को ________________ पर भेजे जाएं।

   (कृपया पहली खाली जगह में सहकारी समिति के संपर्क व्यक्ति का नाम एवं पदनाम तथा दूसरी खाली जगह में सहकारी समिति का डाक का पूरा पता भरें)

3. उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 में परिवर्तन के बाद हमारी सहकारिता का नाम वही रहेगा/ ________________ ________________ हो जाएगा।

   (नाम में परिवर्तन होगा अथवा नहीं के आधार पर उपर्युक्त में से जो भी लागू न हो काट दिए जाएं)

4. हमारी सहकारी समिति का पंजीकृत कार्यालय ________________ में स्थित है और वहीं पर रहेगा/बदल कर ________________ ________________ हो जाएगा।

   (खाली जगह में गांव/कस्बे/शहर का नाम भरें और जो लागू न हो,उसे काट दें)

5. हमारी सहकारी समिति का लक्ष्य ________________ है और परिवर्तन हो जाने के बाद भी वही रहेगा / परिवर्तित होकर ________________ ________________ हो जाएगा।

   (पहली खाली जगह में केवल उन्हीं आवश्यकताओं को भरा जाए जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य हो और जिनके लिए सहकारी समिति स्थापित की गई थी और दूसरी खाली जगह में, यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसे भरें /कृपया यहां उन सेवाओं की सूची न दें जिनके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा)

6. हम लोगों ने इसके साथ निम्नलिखित संलग्न किया है :–

   (क) हमारे साधारण निकाय द्वारा पारित किए गए संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची–क में यथानिर्धारित सहयोग के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है,

(ख) हमारे साधारण निकाय द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित सहकारिता का संगम अनुच्छेद;

(ग) सभा में संगम अनुच्छेद को अंगीकृत करते हुए पारित किये गए संकल्प की एक प्रति;

(घ) साधारण निकाय की ऐसी घोषणा की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें यह कथन है कि हमारी सहकारी समिति को सरकार से या अन्य बाह्य स्रोतों से कोई अंशपूंजी नहीं प्राप्त हुई है और न ही सदस्यों के अलावा सरकार अथवा किन्हीं अन्य बाह्य स्रोतों से कभी भी अंशपूंजी प्राप्त करने का इरादा ही है;

(ङ) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण की एक सत्यापित प्रतिलिपि;

(च) विभिन्न आरक्षित निधियों से संचित हानियों को मिटाने के संबंध में विवरणों से युक्त साधारण निकाय के संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि और/अथवा सभा में यथा विनिश्चित सदस्यों के लेखाओं के नामे डालकर, (अथवा) साधारण निकाय के संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें यह कथन है कि हमारी सहकारी समिति में हानियां नहीं है चाहे वह संचित हो या वर्तमान;

(छ) किसी लेखापरीक्षक द्वारा सही प्रमाणित की गई संचित हानियों, यदि कोई हो, के समायोजन का कथन;

(ज) श्री /श्रीमती______________________________________

वकील/चार्टर्ड एकाउन्टेंट की घोषणा कि पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की सभी आवश्यकताएं हमारे द्वारा पूरी की गई हैं.

7. उस साधारण निकाय सभा की विशिष्टियाँ जिसमें परिवर्तन का विनिश्चय किया गया था–

साधारण निकाय की सभा की तिथि	साधारण निकाय सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या	साधारण निकाय सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या	सदस्यों की संख्या जिन्होंने परिवर्तन के पक्ष में मत दिया

5. हम लोगों द्वारा दिनांक ....को .... (स्थान) में हस्ताक्षरित किया गया :-

क्र.सं.	निदेशक का पूरा नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

(नोट–कृपया निदेशकों की संख्यानुसार पंक्तियां बनाएं एवं मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर भी लिए जायें)।

अनुसूची–ङ

धारा 4(2)

पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से परिवर्तित होने वाली सहकारिताओं के लिए)

रजिस्ट्रार स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 की

धारा 4 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

....

....

अपने संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद सहित संख्या.....................................के साथ पंजीकृत की गई है।

यह सहकारिता, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत ____ (पंजीकरण संख्या_____________ दिनांक________________) की उत्तराधिकारी है, जिसका पंजीकरण अब से निरस्त हो जाएगा और अब इसके द्वारा इसकी पूर्ववर्ती सहकारी समिति के सभी अधिकारों, बाध्यताओं और आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण कर लिया माना जाएगा। उस पूर्ववर्ती सहकारी समिति के सभी कृत्य और लेन-देन इस सहकारिता पर न्यागत हो जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर और मेरी मुद्रा के अधीन

आज दिनांक ____________________ को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार, स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

अनुसूची-च

धारा 8(3)

जब किसी सहकारिता के संगम अनुच्छेद की विरचना की जानी हो तो विनिर्दिष्ट विचार के लिए विषय वस्तु,

1. सहकारिता की पहचान

(क) सहकारिता का नाम और कोई संक्षिप्त नाम जिससे सहकारिता प्रचलित होनी हो,

(ख) ग्राम/कस्बा/शहर जहां सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाना है,

(ग) सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग।

2. लक्ष्य तथा सेवा

(क) सदस्यों की सामान्य केन्द्रीय आवश्यकता के रूप में स्पष्टतया कथित सहकारिता का लक्ष्य जिसे सहकारिता पूर्ति करने का लक्ष्य रखती है,

(ख) लक्ष्य में वर्णित सामान्य केन्द्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदस्यों की अभ्यंतर सेवा तथा समर्थित सेवा;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन गैर सदस्यों को सेवाएं दी जा सकेंगी।

3. सदस्यता

(क) सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्रपत्र,

(ख) ऐसे सदस्य द्वारा आस्तियों के लिए प्रपत्र जिसके ऊपर सहकारिता को देय बकाया राशि प्रथम प्रभार होगी,

(ग) सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्रता, अपात्रता;

(घ) सदस्य बनाये रखने के लिए पात्रता, अपात्रता;

(ङ) सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया;

(च) सदस्यता से हटने के लिए प्रक्रिया;

(छ) सदस्यता की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(ज) परिस्थितियां जिनके अधीन सदस्यता खत्म हो जायेगी;

(झ) सदस्यता के अस्तित्वहीन होने की प्रक्रिया।

4. सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं

(क) सदस्यों का अधिकार;

(ख) मताधिकार को सम्मिलित करते हुए सदस्यता के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए पात्रता क्रम में वित्तीय अभिदान, सभा में भाग लेना, तथा संगम अनुच्छेद की अनुसूचित के विरुद्ध सेवाओं का उपयोग तथा प्रत्येक सदस्य से वार्षिक रूप से प्रत्याशित न्यूनतम काम से नियतन की रीति;

(ग) नियत किए गए न्यूनतम स्तर से नीचे काम करने का परिणाम;

(घ) किसी सदस्य से शोध्य किसी राशि के भुगतान में व्यतिक्रम का परिणाम।

5. साधारण निकाय

(क) साधारण निकाय की तथा प्रत्यायुक्त साधारण निकाय यदि कोई हो, की भूमिका और वे विषय जिनके बारे में साधारण निकाय तथा प्रतिनिधिक साधारण निकाय द्वारा, यदि हो, विचार किया जाना आवश्यक समझा जाए;

(ख) साधारण सभा बुलाए जाने की रीति तथा उनकी आवृत्ति तथा अपेक्षित गणपूर्ति;

(ग) सभा को स्थगित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति;

(घ) वे शर्तें एवं रीतियां जिनके अनुरूप माध्यस्थम् अधिकरण साधारण सभा बुला सकेगा;

(ङ) साधारण सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त;

(च) असाधारण साधारण सभा बुलाने का उत्तरदायित्व लेने के लिए व्यक्ति और उसे बुलाने की रीति और वह कालावधि जिसमें ऐसी बैठक, तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए बुलायी जानी थी।

6. निदेशक बोर्ड

(क) निदेशक बोर्ड का आकार तथा संरचना;

(ख) निदेशक होने, के लिए पात्रता, अपात्रता;

(ग) निदेशक का पद धारण करने के लिए पात्रता, अपात्रता;

(घ) निदेशकों के निर्वाचन एवं उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया;

(ङ) निदेशकों की पदावधि;

(च) बोर्ड की सभा की आवृत्ति;

(छ) बोर्ड की सभा बुलाने की रीति तथा गणपूर्ति;

(ज) बोर्ड के कार्य, दायित्व एवं शक्तियां;

(झ) बोर्ड की सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त;

(ञ) निदेशकों के कृत्य, दायित्व एवं शक्तियां;

(ट) मध्यस्थम् अधिकरण द्वारा तदर्थ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता, अपात्रता।

7. अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी

(क) अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों, यदि कोई हों, का निर्वाचन एवं उन्हें पद से हटाना;

(ख) अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों, यदि कोई हों, के कार्य, दायित्व एवं शक्तियां।

8. मुख्य कार्यपालक एवं कर्मचारीवृन्द

(क) वह व्यक्ति जो सहकारिता की ओर से वाद ला सकता है या जिस पर वाद लाया जा सकेगा;

(ख) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति तथा उसे हटाए जाने की रीति;

(ग) मुख्य कार्यपालक के कार्य, दायित्व तथा शक्तियां।

9. वित्त

(क) वह वित्तीय वर्ष जिसे सहकारिता अंगीकरण करना चाहती है;

(ख) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ग) आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य;

(घ) सहकारिता की साम्य पूंजी की प्रकृति और धनराशि, यदि कोई हो;

(ङ) वह अधिकतम पूंजी जिसे एकल सदस्य रख सकता है;

(च) जुटाई जाने वाली निधियों का प्रकार तथा उसकी सीमा;

(छ) वे प्रयोजन जिनके लिए सहकारिता द्वारा जुटाई जाने वाली निधियां उपयोजित की जा सकेंगी;

(ज) ऋण समता का वह अनुपात जिसे वह सहकारिता सदैव बनाए रखना चाहती है तथा वह अधिकतम बाह्य ऋण जिसे कोई सहकारिता किसी भी समय स्वयं के लिए अनुपात करना चाहती है;

(झ) किसी सदस्य द्वारा शेयर या ब्याज के अंतरण की प्रक्रिया;

(ञ) सहकारिता द्वारा शेयर के मोचन की प्रक्रिया;

(ट) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ब्याज के अंतरण या संदाय की प्रक्रिया;

(ठ) सहकारिता द्वारा संविदाकृत ऋण के लिए सदस्यों के उत्तरदायित्व की प्रकृति तथा उसकी सीमा;

(ड) सहकारिता द्वारा संविदाकृत ऋण के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व की प्रकृति तथा उसकी सीमा;

(ढ) निधियों के निपटारे की रीति यदि परिसमापन के अधीन हो।

10. सहायक सहकारिताएं

(क) वे अधिकार, यदि कोई हों, जिन्हें कोई सहकारिता ऐसी किसी सहायक सहकारिता को प्रदत्त करना चाहती है जिसकी कि वह सदस्य है तथा वे परिस्थितियां जिनमें ऐसी सहायक सहकारिताओं द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकेगा;

(ख) सहायक सहकारिता के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें बदलने की प्रक्रिया।

11. माध्यस्थम् अधिकरण

(क) विवादों के निपटारे के लिए माध्यस्थम् अधिकरण के गठन एवं कार्य करने की रीति।

(ख) माध्यस्थम् रूप में चुने जाने के लिए पात्रता, अपात्रता;

(ग) माध्यस्थम् रूप में बने रहने के लिए पात्रता, अपात्रता;

(घ) वे रीतियाँ एवं शर्तें जिनके अधीन माध्यस्थम् अधिकरण सदर्भ बोर्ड नियुक्त कर सकेगा।

12. अन्य विवाद

(क) वह भाग जिसमें सहकारिता के कामकाज का संचालन किया गया है;

(ख) अस्थायी प्रकृति के कोई उपबन्ध;

(ग) सहकारिता के विघटन की रीति;

(घ) संगम अनुच्छेद में संशोधन की रीति।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-60 तक, खण्ड-1, अनुसूची-क, ख, ग, घ, ङ, च प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गंगी प्रसाद नैथानी-

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 02 अप्रैल, 2003 की बैठक में दिनांक 03 अप्रैल, 2003 से 05 अप्रैल, 2003 तक के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

अप्रैल, 2003

03 गुरूवार (1) अवकाश (बैठक नहीं होगी)।

04 शुक्रवार (1) श्री काजी निजामुद्दीन द्वारा अभिसूचित बधाई का प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण।

(2) विधायी कार्य–

(क) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण; (15 मिनट)

(ख) उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण; (15 मिनट)

(ग) उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) असरकारी कार्य–

(क) श्री कौल दास द्वारा प्रस्तुत लम्बित निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त विकासखण्ड मुख्यालयों पर बालिका इन्टर कालेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु आय-व्ययक में विशेष प्राविधान किया जाय।"

(ख) निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण –

(क) श्री बलवीर सिंह नेगी– यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त 62 नहरों के मरम्मत कार्य हेतु खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध तकनीकी आगणन के अनुसार सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर द्वितीय खण्ड को 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया।

(ख) श्रीमती विजया बड़थ्वाल– "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के स्थान सिमोली या जाखणीखाल में एक महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना की जाय।"

(ग) काजी निजामुद्दीन– "इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।"

(घ) श्री मातबर सिंह कण्डारी– "इस सदन का यह सुविचारित मत है कि प्रदेश की रेल मार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।"

(ङ) कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"– (माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया)।

05 शनिवार

(1) प्रश्नोत्तर (वर्ष 2003 के प्रथम सत्र का पहला गुरूवार) तथा अन्य सूचनाएं भी ली जाएंगी।

(2) उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

(3) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

संसदीय कार्य मंत्री [डा० (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश]–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि सदन की यह परम्परा रही है कि नेता प्रतिपक्ष के बाद अन्य दलीय नेताओं को बोलने का अवसर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, 5 बजे बाद गैलरी खाली करवा दी जाती है ऐसा न किया जाय। 5 बजे के बाद भी गैलरी को बैठने के लिए खुली रखी जाए।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

*श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया इसके लिए हम आपके आभारी हैं और मैं राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हम अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। मान्यवर, कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जो सबसे बड़ा कमिटमेन्ट किया था उसको पूरा किया। हमारी सरकार ने पंचायती चुनाव को करवाने की घोषणा की थी जिसको उसने पूरा किया। लोकतंत्र में पंचायती संस्था स्तम्भ होती है। हमारी सरकार ने पंचायती चुनाव समय से कराए हैं। इस संदर्भ में हम सरकार को और नेता सदन माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी को बधाई देता हूँ। जैसा कि कल माननीय नेता प्रतिपक्ष अनुसूचित जाति के अधिकारों के प्रति बहुत ही गम्भीर थे वैसे वे आज यहाँ नहीं हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में था उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष की सरकार थी जिसने अनुसूचित जाति के अधिकारों को हड़प लिया था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति पंचायती संस्थाओं को दिया गया था जिस हिसाब से 6783 पद ग्राम प्रधान के थे। उसमें से 446 पद आरक्षित थे। मान्यवर, 21 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से उत्तरांचल में 13 जिलों के लिए 6.5 प्रतिशत होता है। इस बात को हमने पुरानी सरकार के सामने रखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता सदन हैं मैं उनको बधाई देता हूँ।

मान्यवर, राजीव गाँधी द्वारा संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा जो अधिकार लोगों को दिया गया था, उससे भी पूर्ववर्ती सरकार ने लोगों को दूर रखा। हमारी सरकार बनने के बाद ही आप लोगों को ये अधिकार मिल सके। मान्यवर, उत्तरांचल में दो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को आरक्षित किया गया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बारे में काफी कुछ कह रहे थे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) पंचायत चुनावों में दलितों को आरक्षण दिलवाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ।

हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड करने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। प्रतिपक्ष के सदस्यों के दल की सरकार केन्द्र में मौजूद है, फिर भी वे उस पर दबाव बनाने से बचना चाहते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र से मांग करता हूँ कि हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड किया जाये, क्योंकि हमने उत्तराखण्ड के लिए लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था न कि उत्तरांचल के लिए। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की बात पिछले अभिभाषण में भी कही गई थी, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे राज्य में जो पद खाली पड़े हुए थे, उन पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। पी०सी०एस० के लिए परीक्षा की तैयारी हो रही है। अनेक पदों को अभी तक भरा भी जा चुका है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, काफी समय से यह मांग की जा रही थी कि 5500 रुपये तक के वेतनमान वाले पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया जाये। हमारी सरकार ने इस मांग को मानकर 5500 रुपये तक के वेतनमान वाले पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, बात चाहे पुलिस कान्स्टेबिलों की भर्ती की हो या डाक्टरों की भर्ती की हो। पिछली सरकार अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में ये भर्तियां कर सकती थी। अब हमारी सरकार ने ये भर्तियाँ की हैं। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। हमारी सरकार ने उत्तरांचल के सभी इण्टरमीडिएट कालेजों में कम्प्यूटर की शिक्षा देने की योजना बनाई है। केन्द्र ने राज्य की नौकरियों की संख्या काफी कम कर दी है। ऐसे में लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार तलाशना पड़ रहा है। गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। हमारी सरकार ने जो सभी इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर की शिक्षा देने की योजना बनाई है इससे हमारे प्रदेश के नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में बहुत सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ।

दो–तीन चीजें जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में महत्वपूर्ण थीं वे हैं पर्यटन तथा फल बागिकी आदि के क्षेत्र में इस सरकार के द्वारा जो राहत दी जा रही है वह इस नवोदित राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, आज जो राज्य में नीति बन रही है कि निजी क्षेत्र में रोजगार दिये जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है उसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उत्तरांचल राज्य की नीतियों के सम्बन्ध में दो भागों में बांटा जाये जो भी नीति या नियम बनाये जाते हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए अलग नीति बननी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये अलग नीति बननी चाहिए। क्योंकि पहाड़ की और मैदान की भौगोलिक परिस्थितियां, जनसंख्या और उसका स्वरूप अलग है, मैदानी क्षेत्र में जब फसल समाप्त हो जाती है तो पहाड़ में वह तैयार होती है जैसे प्राथमिक शिक्षा को ले लें इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को नये आयाम प्रदान किये हैं और कई योजनायें इस महत्वपूर्ण योजना के लिए दी है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा हर साक्षर व्यक्ति की नींव होती है और नींव को सुदृढ़ करना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। परन्तु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश वाली लिनायी को हटाकर अपनी अलग नीतियां अपने क्षेत्रों की विषमताओं को देखकर बनानी होंगी वहां का एक नियत नियम है कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 40 : 1 होगा परन्तु यह नीति हमारे यहां पर कारगर नहीं हो सकती मेरा सुझाव है कि इसे हटाकर हर प्राथमिक विद्यालय में 3 सहायक अध्यापक तथा एक प्रधानाध्यापक का होना अनिवार्य कर दिया जाय क्योंकि यह हमारी आवश्यकता है। इसके माध्यम से रोजगार भी सुलभ हो जायेगा।

मान्यवर, दो–तीन चीजें और मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की एक गाइड लाइन है कि एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के अन्तर्गत पैसा क्वान्टीफाई कर के एक बजटरी हैड में दिया जाता है और वह एस०सी० और एस०टी० के हितों की रक्षा करता है और उनका विकास करता है। इसमें अभी तक होता यह था कि यह पैसा विभागों को भी दे दिया जाता है और वे कहीं पर भी उसे खर्च कर देते हैं। इसके लिए भी भारत सरकार की गाइड लाइन है कि एस०सी० और एस०टी० की जनसंख्या के अनुरूप ही इस मद का पैसा उनके विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है और यह पैसा एक ही बजटरी हैड में दिया जाता है इसका ओवरऑल एक विभाग समाज कल्याण विभाग को बनाया गया था।

माननीया स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी के कार्यकाल में जब एस०सी० और एस०टी० के कल्याण की योजनायें चलाई जा रही थीं और अभी भी कांग्रेस शासित प्रदेशों में यह योजनायें आज भी सुचारू रूप से चल रही हैं। समाज कल्याण विभाग ही इस सम्बन्ध में नीति बनाता है और संचालित भी करता है, यह एस०सी० और एस०टी० के लोगों के विकास के लिए कार्य करता है। मैं इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद दूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सुझाव मान लिया है और यह व्यवस्था की है कि यह पैसा एक ही बजटरी हैड में दिया जायेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने यह तो कह दिया है कि इसके लिए एक ही बजटरी हैड होगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि वह नियोजन विभाग के अधीन होगा। मान्यवर, भारत सरकार में तथा अधिकांश राज्यों में यह समाज कल्याण विभाग के अधीन ही होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यहां पर भी इसको समाज कल्याण विभाग के अधीन ही रखा जाए। क्योंकि अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए ही अलग से मिनिस्ट्री बनायी गयी है। अगर यह बजटरी हैड समाज कल्याण विभाग के अधीन होगा तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को अधिक लाभ मिलेगा।

मान्यवर, सरकार ने रोजगार के नये अवसरों के सृजन की बात कही, यह स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, आज पूरे देश में निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का नेचर अलग है और पिछड़ा वर्ग का नेचर अलग है। अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्याएं अलग हैं और पिछड़ा वर्ग की समस्याएं अलग हैं। पिछली सरकार ने इनको एक साथ जोड़ दिया था। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग दोनों को अलग–अलग कर दिया है। मान्यवर, पिछली सरकार ने बहुउद्देशीय वित्त निगम बनाया था, हम लगातार उसका विरोध करते रहे क्योंकि वह अपने उद्देश्य से भटक जाता था। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुउद्देशीय वित्त निगम को भी बांट कर अनुसूचित जाति, जनजाति बहुउद्देशीय वित्त निगम तथा पिछड़ी जाति बहुउद्देशीय वित्त निगम अलग–अलग कर दिया जाय। इस प्रकार इन वर्गों को आर्थिक रूप से और सुदृढ़ किया जा सकता है। मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सड़कों के लिए सरकार ने जो मास्टर प्लान बनाने की बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपया सड़कों के लिए स्वीकृत कर दिया है। मान्यवर, सड़कें उत्तरांचल राज्य की जीवन रेखा हैं। यदि हमारे गांव सड़कों से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे गाँवों का विकास नहीं होगा। क्योंकि गाँवों में न तो सरकार जाती है, न प्रतिभा जाती है और न ही वहां पर अखबार समय पर पहुँचता है।

मान्यवर, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क बनायें तो इसमें दोनों में अन्तर आयेगा। मान्यवर, जो सड़क मास्टर प्लान में है उसके तहत दूरस्थ गांवों को जोड़ना चाहिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले गांव को पहले जोड़ा जाय। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में मायुदीन पुरमफाट में पहले यह कहा गया कि यह क्षेत्र कांग्रेस का है और कभी कहा गया यह क्षेत्र जनसंघ का है। आज भी वहां पर लोग पैदल चल रहे हैं। जैसे केन्द्र की प्रधानमंत्री सड़क योजना है वैसे ही हम यहाँ पर इसका नाम

मुख्यमंत्री सड़क रोजगार योजना रख सकते हैं। मान्यवर, दूरस्थ गाँव हैं वहाँ के लोग आज भी आशा लगाये हैं कि हमारे यहाँ सड़क आये और हमारा विकास हो, हमारे यहाँ अस्पताल भी आयेगा। मैं लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि सड़क मास्टर प्लान बन रहा है सबसे पहले दूरस्थ गाँवों को उससे जोड़ा जाये।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि यहां पर 10–12 साल से डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी उन्होंने इस प्रक्रिया को तेज किया। जहाँ पर डाक्टरों की नियुक्ति नहीं थी वहाँ पर तैनात किये। आज विकास की योजना में जिला इकाई और तहसील इकाई का महत्व नहीं रह गया है, यह विधान सभा के हिसाब से होना चाहिए, यह जो मानक है इसको बदलना चाहिए, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अगर हम कम्युनिटी सेन्टर को गाँव की ओर नहीं ले जायेंगे तो गाँवों का विकास कैसे हो सकेगा। मान्यवर, मैं राजधानी की बात करना चाहता हूँ वह एक अहम मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश में 30–35 साल के बाद राजधानी की बात की जा रही है कि वह सही जगह है या नहीं। उत्तरांचल राज्य के लिए भी उत्तरांचल के लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया इसकी राजधानी कहाँ पर हो, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, और जहाँ विकास नहीं हुआ है उन स्थानों का विकास हो सके।

मान्यवर, राजधानी के प्रश्न को भी हमें हल करना है। राज्य के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार को बधाई देता हूँ। यह अभिभाषण उत्तरांचल राज्य की नई दिशा तय करेगा तथा राज्य का बहुमुखी विकास होगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूं। परिस्थितियाँ ऐसी है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। मान्यवर, अगर श्री फूल सिंह जी ने यह प्रस्ताव एक अप्रैल को रखा होता तो मैं सोचता कि कहीं अप्रैल फूल तो नहीं मना रहे हैं। यह खानापूर्ति की बात नहीं है और न ही विरोध करना है, इसलिए विरोध करूँगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी ने 18 मार्च को अपना अभिभाषण दिया उस वक्त हम सभी लोगों ने सोचा था कि हमारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सारी बातें जो सरकार के द्वारा कही गई हैं वे पूरी होंगी। हमें उम्मीद भी थी कि एक नई दिशा राज्य को मिलेगी जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी। किन्तु जितने त्याग, बलिदान से यह राज्य हमें प्राप्त हुआ उसके अनुरूप विकास के कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं जनता को कोई राहत नहीं मिली बल्कि उसकी परेशानियों में बढ़ोत्तरी ही हुई है। मान्यवर, सरकार के विचार महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आने बहुत जरूरी हैं लेकिन उन विचारों का क्रियान्वयन कौन करेगा। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ सरकार की बात कर रहा हूँ। मात्र अच्छी योजनाएं कागज पर बना लेने से नहीं होगा। उन योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा। योजनाओं के पूरे होने की गारन्टी दिखाई नहीं देती। जनता के प्रति जवाबदेह प्रशासन हो, सरकार हो तभी योजनाएं पूरी होंगी। लेकिन ऐसा होता मुझे नहीं दिख रहा है।

प्रशासन पारदर्शी हो, प्रगतिशील हो, गतिशील हो ऐसा प्रशासन देने की कोई संकल्पशीलता का इस अभिभाषण में कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया है। मान्यवर, यह जिक्र होना अति आवश्यक था। मान्यवर, हम देख रहे हैं, जो हमारी सरकार है, जिसका कब्जा शासन–प्रशासन पर होना चाहिए था। सरकार के अंदरूनी झगड़े के कारण, आपसी मतभेदों के कारण जनता में गलत संदेश जा रहा है। मान्यवर, प्रशासनिक अधिकारी यह देखते रहते हैं कि हमारा राजनीतिक मालिक कैसा है? यदि कमजोर होता है तो वे इसका फायदा लेने लगते हैं, जिसके कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। मान्यवर, आज यही हो रहा है।

मान्यवर, आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। शासन के छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक इसमें लिप्त हैं, इनमें भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। मान्यवर, ग्राम विकास अधिकारी का कार्य, ग्रामीण विकास की योजना बनाना होता है। आज इनका हाल यह है कि ये गांव की जनता को बैठाकर यह बता देते हैं कि इतना पैसा इस मद में है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है गांव में जो भी कार्य किये जाय, उसमें ग्रामीण जनता की राय भी ले ली जाय। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं यदि सरकार में कोई गड़बड़ी है, सरकार सही प्रशासन देने में असमर्थ है तो बजट कितना ही अच्छा क्यों न हो, सरकार की घोषित नीतियां कितनी ही अच्छी क्यों न हो, सब धरी की धरी रह जायेगी। मान्यवर, मैं आशा करता हूं सरकार की जो नीतियां हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से होगा और सरकार इस पर विचार करके आगे ध्यान देगी।

मान्यवर, विकास की सही योजना बने और उसमें भ्रष्टाचार न हो। मान्यवर, जब हमने उत्तराखण्ड राज्य की मांग की थी तो लोगों के जहन में यह बात थी कि बड़ा प्रदेश होने की वजह से देखभाल नहीं होती है। छोटा प्रदेश होगा तो सरकार का अंकुश होगा, काम सही होगा, योजना सही बनेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। पर उसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं। मान्यवर, 20–22 सालों से उत्तराखण्ड राज्य के नौजवानों ने आन्दोलन किया और सोचते थे कि पलायन की स्थिति को देखते हुए यहाँ रोजगार मिलेगा। मान्यवर, माइक्रो लेवल तक जायेंगे और ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, सरकारी नौकरियाँ मिले। मगर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मान्यवर, पहले कहा था कि 2 साल में 2 लाख रोजगार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और इस बार जो बात कही गई है वह उस बात से बिल्कुल अलग है। मान्यवर, किसी भी राज्य ने रोजगार की कार्यकारी नीति, दीर्घकालिक नीति बनाने को किसी ने नहीं सोचा। लेकिन हम सोचते थे कि हम अपनी रोजगार नीति बनायेंगे।

मान्यवर, हमने अगर रोजगार के सवाल पर गम्भीरता से विचार नहीं किया, अगर रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार नहीं बना सकी तो आने वाले समय में यहाँ की बेरोजगारी का क्या परिणाम होगा। जो बेरोजगार होगा वह पढ़ा–लिखा बेरोजगार होगा और वह उग्रवाद में लिप्त हो जायेगा। मान्यवर, हम जम्मू–कश्मीर से बद्तर हालत में न चले जायें। इसलिए इस पर गम्भीरता से चिन्तन करने की जरूरत है, पर दुर्भाग्य से इस पर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, कम्प्यूटर एजूकेशन के बारे में एन0सी0ई0आर0टी0 ने कहा कि प्रदेश कम्प्यूटर के मामले में बिल्कुल फिसड्डी है, तो इस पर गम्भीरता से विचार

करने की जरूरत है। मान्यवर, हाई टेक अपनाना चाहिए लेकिन उसको अपनाते हुए यह भी देखना चाहिए कि हम सही तरीके से अपना रहे हैं या नहीं।

मान्यवर, उसका फायदा हम जनता को पहुँचा रहे हैं या नहीं इस पर गंभीरता से विचार करने की बात है। दूसरा जो सवाल है जो रोजगार से भी जुड़ा है, और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है वह है– औद्योगिक नीति। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हम पुराने दकियानूसी हिसाब से चलेंगे तो इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है, जैसा कि प्रश्नकाल के समय मैं, सिंचाई मंत्री जी से कह रहा था कि केन्द्र सरकार ने टास्क फोर्स गठित कर दिया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मान्यवर, केन्द्र ने जो औद्योगिक नीति में सहूलियतें दी हैं, वे अपनी जगह पर हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग रहा होगा, लेकिन यह औद्योगीकरण कैसे होगा यह तो हमारी सरकार को तय करना होगा। केन्द्र सरकार ने सहूलियतें दे दी तो उद्योग लग जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी बड़ी औद्योगिक नीति सरकार नहीं बना पायी है। हम से भी लोग पूछते हैं क्योंकि हम भी थोड़े सीनियर विधायकों में से आ गए हैं कि आपकी औद्योगिक नीति क्या है तो हम भी बगलें झांकते हैं। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई औद्योगिक नीति बन रही है तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि पुराने ढर्रे पर नहीं उद्योग खुलेंगे, उसी ढंग से प्रक्रिया होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए चल रही थी। तो औद्योगिक विकास नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि दो बातों पर जरूर गौर करना चाहिए, पहला तो जो सामान्य औद्योगीकरण हो वह मैदानी क्षेत्र में ही हो चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे ऊधमसिंह नगर हो, वहीं हमारे ग्रोथ सेन्टर बनेंगे। उद्योग का जाल वहीं बनेगा लेकिन साथ ही आपने देखा होगा केन्द्र सरकार ने स्पेसीफाई किया है इको–फ्रेन्डली उद्योगों को। तो आपको इको–फ्रेन्डली उद्योग लगाने पर विचार करना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग लगाने की सम्भावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। ऐसी योजनाएं बनायी जानी चाहिए जिसमें जो कच्चा–माल हो, कम से कम लगे और उसका जो आखिरी फिनिश प्रोडेक्ट हो वह ज्यादा से ज्यादा कीमती हो ताकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के झंझट से भी मुक्त रहें। मैंने शुरू में भी कहा है कि औद्योगीकरण के लिए दो चीजें आवश्यक हैं एक तो रोजगार और दूसरा ग्रोथ, आर्थिक विकास। इसलिए केवल सीमित दायरे में सोचते हुए यह होने वाला नहीं है। तीसरा यह है कि जो औद्योगिक विकास के वातावरण की जो बात कही जाती है उसमें यह देखा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता है कि नहीं है, हमारे यहाँ प्रशासनिक चुस्ती है या नहीं और तीसरा यह कि हमारे यहाँ सामान्य वातावरण है या नहीं, इसको तय करना, बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

मान्यवर, अंत में सरकार को देखना है कि उद्योगपतियों के लिए कौन सी सहूलियतें दें, जिससे वे आकर्षित होकर यहाँ उद्योग लगाएं। अगर यहाँ पर आकर भ्रष्टाचार में फंस जायेगा, अफसरशाही में फंस जायेगा तो वह दोबारा यहाँ नहीं आयेगा। वे सहूलियतें हम दे सकते या नहीं दे सकते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरा सबसे बड़ी चीज है परिवहन। हम इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 1–1 करोड़ रु० धन आवंटित किया है लेकिन मान्यवर, धन आवंटित करने से काम नहीं चलने वाला है। सड़कों के

निर्माण के लिए जो उत्तरदायी विभाग है उस विभाग की हालत क्या है। उसको ठीक करने की बात है ताकि वे सड़क के निर्माण में सही ढंग से कार्य कर सकें। उस विभाग को चुस्त–दुरूस्त करना होगा। जैसे सर्वे किया गया या नहीं किया गया। विभाग में कहीं–कहीं दो खण्ड में एक अधिशासी अभियंता नियुक्त है तो कहीं वो भी नहीं है। सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे 1 करोड़ रु0 भी बहुत कम है खासकर हमारे विधान सभा क्षेत्र के लिए जहाँ पूरा क्षेत्र ही ग्रामीण है। एक तो इसको बढ़ाने की बात है। आप नाबार्ड के पास जाइये। इससे आप ही का नाम होगा। दूसरा जो केन्द्र सरकार की योजना है पी0एम0जी0एस0वाई0 उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस योजना की सड़कें तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं दी हैं हमारे क्षेत्र में। हमारे जिले में केवल एक बार डी0आर0डी0ए0 की बैठक हुई है दोबारा कोई बैठक डी0आर0डी0ए0 की नहीं हुई। जो सड़कें उस वक्त चयन की गयी जैसा मुझे बताया गया। उन सड़कों का कहीं अता–पता ही नहीं है। हमारे जिले में इसकी जानकारी नहीं है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 18 महीने और मैदानी क्षेत्र में एक साल का समय होता है प्रोजेक्ट के लिए। उसमें क्या किया गया उसका पैसा कहाँ गया। हमें तो लगता नहीं कि उस पर सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गया होगा। उसकी मानिटरिंग क्या है। मान्यवर, हमारे संज्ञान में आया है कि कुम्भ मेले में कोई कार्य हो रहा है उसकी कार्यदायी संस्था है सिंचाई विभाग तो सिंचाई विभाग ने उसको जल निगम को दे दिया और जल निगम ने उसको एक बड़े ठेकेदार को सुपुर्द कर दिया। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना का है उसको भारत सरकार दे रही है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, जनता तो आपसे पूछेगी। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, छोटे ठेकेदारों की समस्या भी रोजगार से जुड़ी हुई है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि वे कार्य से विरत न रहने पाएं।

दूसरी चीज, जिसका बड़ा हल्ला हुआ–ऊर्जा प्रदेश। हमारे साथी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी कहा था और वर्तमान ऊर्जा मंत्री जी ने भी कहा कि हम उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। आज की तारीख में हालत यह है कि 100 मेगावाट की 8 परियोजनाओं के लिए एम0ओ0यू0 साइन कर लिया गया है और करीब–करीब 100–150 मेगावाट की 21 परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन परियोजनाओं का सौदा हमारे साथ किया है, जिसका उल्लेख अभिभाषण में भी किया गया है। इस समझौते में मेरी जानकारी के अनुसार इसमें टैरिफ वसूलने का जो फैसला किया गया, वह बड़ा विचित्र है। इसका पूरा विवरण मेरे पास नहीं है। यदि इस फैसले को इसी रूप में यहाँ लागू किया गया तो यह उत्तरांचल की जनता के साथ अन्याय होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 21 परियोजनाओं के लिए जो समझौता हुआ है, उस पर पुनर्विचार किया जाये। आप इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसकी झलक आपके बजट में भी आनी चाहिए। बजट आने पर यह झलक भी दिखाई दे जायेगी। आपने यह कहीं नहीं कहा कि हमारे यहाँ की विद्युत क्षमताओं का पूरा आंकलन कर लिया गया है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने एक बार बताया था कि लगभग–लगभग इतनी सम्भावनाएं हैं। लेकिन प्रदेश सरकार को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ इतना पोटेन्शियल है, बड़े के लिए इतना है, मिनी के लिए इतना है। इनको चिन्हित करना चाहिए। इसके लिए कोई ऐजेन्सी लगा दी जाये। आई0आई0टी0 रुड़की को लगा दें, वह चिन्हित कर लेंगे।

यह जो विष्णु प्रयाग परियोजना है 300 मेगावाट की, उसे जे0पी0 को दिया गया है और उन्होंने वहां की पूरी घाटी को घेर रखा है वहां पर इन्होंने यह कह दिया है कि सरकार के साथ हमारा एम0ओ0यू0 साइन हो गया है इसलिए पूरी घाटी पर हम काबिज रहेंगे और परियोजना को चलायेंगे। एन0एच0पी0सी0 द्वारा भी धौलीगंगा परियोजना बनाई जा रही है जो 280 मेगावाट की है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है उन्हें जितनी जगह चाहिए थी उतना ही उन लोगों ने लिया है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें उतनी ही जगह देनी चाहिए जितने में परियोजना चल सके अगर वे पूरी घाटी को पानी के बहाव पर कब्जा कर लेंगे तो हम दूसरी या तीसरी परियोजना कहां पर लगायेंगे? हम जब बिना प्लान के ही एक एटरहम योजना उन्हें दे देंगे तो फिर हमारी भविष्य की परियोजनाओं का क्या होगा?

अभी सदन में एक महत्वपूर्ण बात आयी थी विस्थापितों से सम्बन्धित, अगर हम टिहरी डैम के विस्थापितों को ले लेते हैं तो उनकी समस्या को देखें उनका पुनर्वास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। घर से बेघर हो जाना मानव के लिए बहुत कष्टदायी हो जाता है जब हम वहां पर परियोजना बना रहे हैं तो उनके पुनर्वास का भी हमें ही सोचना होगा। केन्द्र सरकार अपनी जगह है, राज्य सरकार अपनी जगह, केन्द्र सरकार से हम लड़ेंगे इस कार्य में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी सरकार का साथ देना चाहिए और राज्य सरकार वहां पर अपना पक्ष रखेगी। अभी साथी बलवीर सिंह जी ने धार मंडल की बात कही थी, मैं भी वहां गया था उसे मैंने भी देखा है, जो वहाँ पर प्रभावित हैं उनकी हालत प्रभावितों से भी बदतर है वे चारों तरफ से कटे हुए हैं तो ऐसे में सरकार को संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। यही स्थिति कमोबेश धौलीगंगा में भी है वहां पर भी विस्थापितों को कोई राहत अभी तक पूरी नहीं दी गई है।

मैं एक बार एक कान्फ्रेंस में गया था वहां पर श्री सुरेश प्रभु जी बोल रहे थे उस समय वे केन्द्रीय बिजली मंत्री थे तो उस समय मैंने उनसे एक बात कही थी जो मैंने फ्रांसीसी उपन्यासकार बालजाक के उपन्यास में पढ़ी थी शायद नव प्रभात जी ने भी वह उपन्यास पढ़ा होगा। उसमें से एक वाक्य का मैंने वहां पर उद्धरण किया था "देयर इज ए क्राइम बिहाइन्ड एवरी ऑपारच्युनिटी" अर्थात जहां पर हमारे लिए ऑपारच्युनिटी है वहां पर उन लोगों के साथ क्राइम हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने टिहरी बांध तो बनाया है अन्य परियोजनायें भी बनायी हैं वहां पर हमारे लिए ऑपारच्युनिटी है परन्तु वहां के लोगों के साथ यह क्राइम हो जाता है क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता न वहां पर राहत सही ढंग से मिल पाती है और न ही उनका पुनर्वास सही ढंग से हो पाता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पूर्ण दायित्व के साथ संवेदनशील होकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और यही मेरा सरकार से अनुरोध है।

मान्यवर, पेयजल के विषय में कहना चाहता हूँ, आपने पेयजल के बारे में बहुत कुछ करने की बात कही है। आपने कहा है कि हम जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करेंगे और नयी योजनाओं के लिए धन आवंटित होते ही उसको पैसा दे देंगे। यह सब करिये, लेकिन सबसे जरूरी काम यह कीजिए कि जनता को पानी पिलाइए। सिर्फ कहने से काम चलने वाला नहीं है, आप इच्छा शक्ति के साथ अपने वादों को पूरा करके दिखाइए। माननीय मंत्री जी का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध पेयजल को लेकर हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि आपके विरुद्ध ही युद्ध छिड़ जाए।

मान्यवर, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आपने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम यह नहीं कहते कि हर गांव-मजरे में अस्पताल खुलवा दीजिए लेकिन जो अस्पताल हैं, उनको तो सुधार दीजिए। मान्यवर, पहले जिलों में स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोली जाती थी लेकिन 89-90 में यह योजना इसलिए बन्द कर दी गयी कि जितनी स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोली जानी थी, वह खोली जा चुकी हैं। मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन सरकार को योजना आयोग से इस बात की सिफारिश करनी चाहिए कि हमारे यहां स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोली जाय। पिछली सरकार ने इनकी जगह पर आयुर्वैदिक अस्पताल खोल दिए। इसी कारण इनकी आज यह हालत हुई है। अगर इस सरकार ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस सरकार की हालत भी कुछ ऐसी ही होगी। मान्यवर, दवा खरीद के सम्बन्ध में बहुत सी बातें इस माननीय सदन में आयीं। माननीय अजय भट्ट जी, जो स्वयं भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यह बताया कि दवा खरीद में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दवा खरीद के लिए कोई पारदर्शी योजना बनायी जाए। मान्यवर, हमारे यहां आयुर्वेदिक दवाओं की बहुत सी कम्पनियां हैं लेकिन हम उनसे दवाएं न खरीद कर बाहर के देशों से दवाएं मंगा रहे हैं। अगर हम स्थानीय दवा विक्रेताओं से दवा खरीदेंगे तो इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और इस प्रकार हमारे यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में भी लगातार कहते रहे कि आई०डी०पी०एल० से दवाएं खरीदो लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज आई०डी०पी०एल० बन्द हो गयी है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो बेस अस्पताल हैं, उनको सुविधा सम्पन्न बनाया जाए। ताकि अभी लोगों को जो इलाज के लिए बरेली, लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता है, वहां न जाना पड़े, जिले में उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जायं।

मान्यवर, जिले में एक सुविधा सम्पन्न बेस अस्पताल होना चाहिए। मान्यवर, शिक्षा पर पुनः कहना चाहता हूँ, हमारे पास उन्नत किस्म का मानव संसाधन है। मैंने एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा उसने यह विश्लेषण किया था कि हिन्दुस्तान के पास एक पूँजी है, वह है बढ़िया मानव संसाधन। यही बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास उत्कृष्ट मानव संसाधन है, उसको विकसित करने के लिए हमें शिक्षा के ढाँचे को ठीक करना होगा। इन्होंने स्कूलों में शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धु लगा दिये। आज सारे विभागों की यही हालत है हमें कम से कम शिक्षा विभाग को इससे बचाना चाहिए, प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त होनी चाहिए। आपके पास प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनको स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं देते, इस व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूँ और इस सरकार से मेरा आग्रह है कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करायें और अध्यापकों की भर्ती करायें, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप प्रदेश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। मुझसे एक आदमी ने कहा कि इस प्रदेश में शिक्षित विधायक, मंत्री नहीं हैं इन्हें शिक्षा का ढाँचा बनाना चाहिए, मुझे यह बातें सुननी पड़ीं।

मान्यवर, चकबन्दी का सवाल आया, हिमाचल प्रदेश ने अपने यहाँ चकबन्दी लागू कर दी है। चकबन्दी से पहले हमें बन्दोबस्त की बात करनी चाहिए, 1962 से आज तक कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी हिमाचल प्रदेश की तरह यह व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, जिस प्रकार

से हिमाचल प्रदेश ने अपना लैण्ड एक्ट बनाकर उसको नियमित किया है। अंधा-धुंध खरीद-फरोख्त को रोका है। मान्यवर, सरकार को बाहर से आने वाले विदेशी लोगों की जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि माओवादी या आई०एस०आई० का एजेन्ट आकर राज्य में कोई घटना करके चला जाए और उसके बारे में सरकार को कोई जानकारी न हो। इसके लिए कोई कानून सरकार को बनाना चाहिए तभी हम अपनी संस्कृति को, सामाजिक ताने-बाने को बचा पायेंगे। उद्यानों के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े घरानों को उद्यानों का कार्य दे दिया गया है लेकिन छोटे उद्यान हैं उनको भी को-ऑपरेटिव के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को दिया जाए, केवल बाहर के लोगों को ही पुरस्कृत न किया जाए बल्कि यहाँ के बेरोजगारों को काम दिया जाए। दो-तीन बातें वन प्रबन्धन के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूँ। वन प्रबन्धन में सुधार की बहुत गुंजाइश है। वन पंचायत नियमावली ऐसी बननी चाहिए जो जन उपयोगी हो तभी जंगलों को बचाया जा सकता है। जंगलों को जनता ही बचाती है जिस दिन जनता ने जंगलों को बचाना बंद कर दिया उस दिन जंगल खत्म हो जायेंगे। जनता जब यह महसूस करेगी कि यह जंगल हमारे हैं तभी ये जंगल बच पायेंगे। अभी तक के नियमों से, कानूनों से ऐसा लग रहा है कि जंगल हमारे लिए बेकार हैं जंगलों से जनता का लगाव कम हो रहा है। इस सोच को बदलना होगा। आपको सम्पूर्ण वन नीति बदलनी होगी। जंगली जानवरों द्वारा कई बार दुर्घटना हो जाती है दुर्घटनाओं वाले परिवारों को मुआवजा की राशि और बढ़ाई जाए। मान्यवर, कस्तूरी मृग जो 12000 फिट की ऊँचाई पर रहते हैं जिनका निवास स्थान अस्कोट के वन क्षेत्रों में उसमें 3000 फिट की ऊँचाई वाले क्षेत्रों को भी ले लिया गया है जिसके कारण वहाँ पर भी विकास के कार्य रुके पड़े हैं उसको रिवाइज किया जाए, वहाँ पर जो 3000 फिट की ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें विकास के कार्य होने चाहिए।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)-

मान्यवर, हमने रिवाईज करके केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, मात्र चिट्ठी लिख देने से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए ठोस प्रयास करने होंगे। इसके अलावा मान्यवर, अभी राजधानी का सवाल भी माननीय श्री प्रदीप टम्टा जी द्वारा उठाया गया। वे चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, सवाल जन भावना से जुड़ा हुआ है लोग राजधानी कहाँ चाहते हैं। राजधानी का सवाल स्थान विशेष को लेकर रही है। राजधानी देहरादून में बने, गैरसैंण में बने या रामनगर बने सवाल इसका नहीं है। एक भावना है एक अस्मिता है पूरी उत्तरांचल की जनता का उसको ध्यान में रखना होगा। कौशिक समिति ने इस सम्बन्ध में अपना मत रखा था वह एक बहुत बड़ी कमेटी थी जिसने कहा था कि राजधानी को गैरसैंण ले जाया जाए। जब तक वहाँ राजधानी का निर्माण नहीं हो जाता तब तक राजधानी यहाँ रखी जाए जब वहाँ निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो राजधानी गैरसैंण ले जाएं।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो विकासप्यारी हैं, उनको जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश भेजने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं यह भी जानता हूँ यह कार्य अकेले प्रदेश सरकार से होने वाला नहीं है, इसमें सदन के नेता प्रतिपक्ष से सहायता ले सकते हैं। केन्द्र

में इनकी सरकार है। केन्द्र तथा प्रदेश दोनों के सहयोग से यह कार्य हो सकता है। मान्यवर, मैं भगत दा की तरह ही दुष्यन्त कुमार के शेर से ही समाप्त कर रहा हूँ, जो निम्न है:-

"ये कैसी मशालें लेके चले तीरगी में, हम
जो रोशनी थी, वो भी सलामत नहीं रही।

ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के तहत हमें भारत सरकार की गाईड लाइंस से ही कार्य करवाना होता है, हमें उन्हीं गाईड लाईन के मुताबिक कार्य करना होता है। मान्यवर, हर जनपद में डी0आर0डी0ए0 की बैठकें होती हैं। उन्हीं में मोटर मार्ग का चयन मा0 विधायकों की सहमति एवं सरकार की नीति पर किया जाता है। मान्यवर, इस योजनान्तर्गत जितने लगभग सभी सड़कों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। केवल दो को छोड़कर। मान्यवर, इनमें कुछ तकनीकी खराबी हैं। इस योजना की प्रगति को देखते हुए मैं रोमांचित हूँ। मान्यवर, दिनांक 27 एवं 28 जनवरी को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में समस्त प्रदेशों के मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें केन्द्रीय मंत्री माननीय शांता कुमार भी मौजूद थे। मैंने उस बैठक में यह बात रखी थी कि हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 65 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। इस योजनान्तर्गत सड़क जहाँ से भी गुजरेगी, वहां वन पड़ेगा। मान्यवर, मैंने उस बैठक में, ऐसे प्रदेशों को छूट दिये जाने का सुझाव दिया था, इससे केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार जी भी सहमत हुए थे।

(अधिष्ठाता श्री काशी सिंह ऐरी पीठासीन हुए, समय 6 बजकर 13 मिनट)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकारा कि कार्य की गुणवत्ता तथा गतिशीलता को किसी भी एजेंसी से करवायें लेकिन इसकी गुणवत्ता के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, इस तरह से माननीय मंत्री जी एक-एक बिन्दु पर बोलते रहे तो बहुत अधिक समय लग जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह माननीय मंत्रीगण का अधिकार है कि वे किसी भी बिन्दु पर बोल सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, मैदानी क्षेत्र में 9 महीने में कार्य होता है और हमारे यहाँ 18 महीने में होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बरसात अत्यधिक होने के कारण तथा अत्यधिक ठण्ड के कारण योजना की अवधि 2 साल होनी चाहिए ताकि इसकी गुणवत्ता को ठीक से किया जा सके। मान्यवर, जब 2 फरवरी, 19 फरवरी, 2002 को भारत सरकार की एक टीम आयी तो उन्होंने कहा कि आपके काम करने की क्षमता बहुत धीमी है। वर्तमान में मान्यवर, 71 पैकेजों पर काम चल रहा है। मान्यवर, एक हजार की आबादी वाले गाँवों पर काम किया जा रहा है, भारत सरकार की जो टीम आजकल आई है उन्होंने कहा है कि आपने बहुत बेहतर काम किया है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो रूझान है वह धीमे विकास का संकेत दे रहा है। मान्यवर, इस रूझान में कोई बदलाव आयेगा इसकी सम्भावना कम है। यह देखा जा सकता है कि गरीब दूर करने वाले रोजगार की गतिविधियों में लगातार। मान्यवर, 2 वर्ष पूर्व जनपद टिहरी गढ़वाल में हुई दैवीय आपदा और 7 माह पूर्व केदार क्षेत्र में हुई दैवीय आपदा से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो इस पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस पर चर्चा नहीं की गई है। मान्यवर, मेड, मरवाड़ी, अगुण्डा, कोट, कोटी, नियालगांव, पिरवाड़, आगर, पिलुर्णा, जखाणा, भैंयाली, खिरबेड़, धारगांव, नैलचामी घनसेरा, शांकरी, गिलंग में दैविक आपदा की त्रासदी को झेलते हुए लोगों के पुनर्वास या जीने की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है और न ही इस सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ही कोई जिक्र किया गया है। मान्यवर, शासन ने पहले तो बड़े 20 गाँव अन्यत्र बसाने की बात की और बाद में 4–5 गाँव बसाने की बात हुई, लेकिन आज तक उन गाँवों के पुनर्वास की भी व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हो पायी है। मेरा यह कहना है कि आज यह कहना मुश्किल है कि इन प्रयासों में सफलता मिलेगी, क्योंकि नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जैसी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति होना चाहिए, इस सरकार में घोर अभाव है। मान्यवर, आज आवश्यकता मुश्किल को आसान बनाने की है। इसके लिए यह जरूरी है कि इन योजनाओं के प्रारम्भिक लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने की कोई ठोस और कारगर रणनीति बने। ऐसी नीतियों का और ऐसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं जो समय पर पूरा होने का नाम न लें। निःसंदेह बात तब बनेगी जब सरकार अपनी नीतियों को लागू करके दिखाए। आज समस्याएं गम्भीर और जटिल रूप लेती जा रही हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान अथवा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे हम हर छः महीने में यह जान सकें कि किस क्षेत्र में कितने आगे बढ़ा जा सका और यदि नहीं बढ़ा जा सका तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनती तो भले ही आकर्षक योजनाएँ सामने आती रहें, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखण्ड की तस्वीर आकर्षक होने वाली नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट कहा गया है कि 1960 तक 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा दे दी जाएगी, किन्तु आज 50 वर्ष बाद भी उत्तरांचल के 50 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। आज उत्तरांचल सरकार के सरकारी स्कूल सरकार की उदासीनता के कारण बन्द पड़े हैं जो कि आने वाले समय के लिए बुरा संकेत है। दूसरे दर्जे के समानान्तर शिक्षा–तंत्र खड़ा करने पर संसाधनों को लगाने की जगह क्या औपचारिक शिक्षा–तंत्र में ही नई जान नहीं डाली जा सकती? वर्तमान में उत्तरांचल में शिशु मंदिर स्कूलों में अध्यापक के लिए एक शानदार शब्द "आचार्य" का प्रयोग होता है। शासकीय विद्यालयों में शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र का प्रयोग होता है और उस आचार्य जी का, उस शिक्षक बन्धु का, उस शिक्षा मित्र का जिस निर्लज्जता से शोषण होता है, इसको सभी लोग जानते हैं। अपर्याप्त आधारभूत ढाँचे के साथ शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डालने की व्यवस्था की जा रही है। आज उत्तरांचल में शिक्षा से सम्बन्धित दूरगामी नतीजों वाले कार्यक्रमों को हाथ में लेने की जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं, जबकि उत्तरांचल में प्राथमिक विद्यालय से लेकर इण्टर कालेजों तक आधे से अधिक स्कूलों में अध्यापकों के पद पिछले दस वर्षों से

रिक्त चले आ रहे हैं। आज तक कितने ही स्कूलों में सरकार द्वारा पदों का सृजन नहीं किया गया और स्कूलों के छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है।

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज कुमाल्डा में आज तक शिक्षकों के पद सृजन की कार्यवाही शासन में लम्बित पड़ी है, अशासकीय विद्यालयों में पद सृजन की कार्यवाही कितने ही सालों से ठप्प पड़ी है। जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमान्त गाँव मेड़, पिस्वाड़, गंगी, गेंवाली जैसे दर्जनों प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक की तैनाती या तो नहीं हुयी या बिना तैनाती के घर बैठे वेतन का आहरण हो रहा है, कई बार शिकायतें गयी, लेकिन लगातार वेतन का आहरण जारी है।

मान्यवर, आज औपचारिक शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होते हुए किसी तरह अपना दिन काट रही है। सरकार की इस प्रकार की उदासीनता उत्तरांचल के भविष्य को अपूर्णीय क्षति पहुँचाती रही है। 40 साल बाद प्रत्येक को शिक्षित करने का संवैधानिक वायदा तोड़ने के बाद किस पर विश्वास किया जा सके। राज्य प्राप्ति के इन दो वर्षों में सरकार जनता से दूर और नौकरशाही हावी रही। नये राज्य में सोचा था कि नई व्यवस्था होगी। शासन तंत्र पर लोकतंत्र का नियंत्रण होगा। लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल उल्टे हैं। नौकरशाही तंत्र न केवल शासन तंत्र पर हावी है परन्तु लोकतंत्र पर भी हावी है। सत्ता का आकार बदलने से उसका चरित्र नहीं बदल जाता उसको बदलने के लिए प्रकार भी बदलना पड़ता है। यही वह सब कुछ है जिसको उत्तराखण्ड में करना है।

अलग राज्य के लिए जड़ी–बूटी को यहाँ का प्रमुख संसाधन माना गया था। इसके लिए जड़ी बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर में स्थापित किया गया और अन्य जिलों में उसकी शाखायें खोलने की बात हुई, परन्तु सरकार और प्रशासन का काणा दृष्टिकोण इसकी स्थापना और विकास में बाधक बना है। एक युग से भी अधिक समय से चल रही यह योजना अलग राज्य बनने के बाद भी जस की तस है। हालत इतने खराब है कि काश्तकार अपने खेत में उगा कर भी जड़ी बूटी बेचने के लिए वन विभाग से निकासी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कोई भी क्यों उगायेगा जड़ी–बूटी। सरकार को काश्तकारों की इन परेशानियों से कोई लेना–देना नहीं है। उत्तरांचल की तुलना अक्सर हिमांचल से की जाती है। हिमाचल को जैसे ही अलग राज्य का दर्जा मिला तो उसके भाग्यविधाताओं ने तत्काल अपना टेनेन्सी एवं लैण्डरिफार्म कानून, 1972 बनाया और प्रदेश से बाहर के लोगों द्वारा प्रदेश में जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तरांचल में अर्से से यह बात कही जा रही है कि हिमाचल जैसी व्यवस्था यहाँ भी लागू की जायेगी लेकिन इस दिशा में सरकारी स्तर पर कोई शुरूआत आज तक नहीं की गयी। यहाँ की खेती, पानी, हवा, ऊर्जा और आवास भी वनों पर निर्भर है। इसलिए जिन्दगी के इस एक मात्र आधार से छेड़–छाड़ करना जनता को पहले भी स्वीकार नहीं था और आज भी नहीं है। जनपद टिहरी गढ़वाल जब उत्तरकाशी टिहरी में था राजशाही के समय 1930 में यहाँ के किसानों ने तिलाड़ी के मैदान में अपने हक हकूकों की प्राप्ति के लिए अपने प्राण देना अधिक ठीक समझा था। इतिहास गवाह है कि यदि वनों के मरने–बचने का सवाल न होता तो 1910 में ही वनों के लिए यहाँ स्वतन्त्रता संग्राम नहीं छिड़ता। जनपद टिहरी गढ़वाल के सामन्ती शासन के उच्च वनाधिकारी के माथे पर वीरांगना श्रीमती बेलमती चौहान ने तांबे के गरम सिक्के को दाग दिया था अपने हक हकूकों के लिए काले पानी की सजा को सहर्ष स्वीकारा था। पर्यटन–तीर्थाटन की बात उत्तराखण्ड में जोर शोर से की जाती है इसमें कुछ सच्चाई भी है क्योंकि देवभूमि गंगा यमुना का उद्गम होने की वजह से राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन पर्यटन का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सरकार नाकाम रही है।

गंगोत्री, भटवाड़ी, बूढ़ाकेदार छुदु, पंवालीकांठा त्रियुगी नारायण पर यात्रा पर जगह-जगह यात्रियों के रुकने के लिए जो 150 वर्ष पूर्व चट्टियाँ व बाबा काली कमली की धर्मशालाएँ बनी थी वह जीर्ण शीर्ण व खण्डहर बन चुके हैं उनका।

मान्यवर, सरकार ने उनके जीर्णोद्धार के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। पर्यटक स्थलों को चिन्हित करने के कोई प्रयास नहीं किये गये। चार धाम यात्रा जो पहले से ही विकसित स्थल है, उसकी तो चर्चा की गई है लेकिन, जो छोटे-छोटे आकर्षक पर्यटक स्थल हैं जैसे : जरायताल, सत्ताडूताल, मासरताल, सम्बताल, लिंगताल, बधाणी बुग्याल, खतलिंग ग्लेशियर, पंवाली कांठा, त्रिशोन पर्वत, जमदीशिला, रत्नकोट, भानरताल, माला सुन्दरी ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी के पर्यटक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा कहना है कि इन आकर्षक पर्यटक स्थलों को विकसित कर रोजगार की सम्भावनाओं को अर्जित किया जा सकता है। यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक विलक्षणता के सन्दर्भ में पर्यटन का स्वरूप भी विकसित करने की आवश्यकता है।

देहाती कठोर जीवन में रहने वाली महिलाओं की स्थिति बदलने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। विकास का क्षेत्रीय असंतुलन भी चिन्ता का विषय है। एक ही राज्य के अन्दर एक ओर आधुनिक सुविधाओं से लैस विकसित क्षेत्र हैं जैसे : देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, मसूरी, हरिद्वार। तो कुछ पिछड़े क्षेत्र भी हैं जैसे : गंगी, मैखाली, पिसवाड़, मेड, भैंसगांव, कोट बनोली, रणडीम्यार, पट्टुकगांव, सिरगुनुली, बनाडुरी, स्यूटी में विकास की एक छोटी किरण भी नहीं पहुंच पाई है। जीवन की बुनियादी सुविधाएं तक वहां उपलब्ध नहीं हैं। नियोजन का स्वरूप क्या हो कि विकास की क्षेत्रीय असमानता को पाटा जा सके। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जनता को उम्मीद थी कि छोटा राज्य होगा तो आम आदमी की सुनवाई होगी लेकिन, ऐसा नहीं हुआ है। एक बार बाजार से मैं गुजर रहा था। पल्टन बाजार में पटरी पर एक खिलौने वाला 2 काठ के पुर्जे डोरी लेकर लटका रहा था और कह रहा था कि "आईये-आईये, आठ आने में खरीदिये, लड़ती हुई सरकार को खरीदिये" एक साल के इस दिशाहीन प्रशासन में सरकार की इज्जत सड़कों पर आठ आने में बिकने लगी है। सचिवालय के अनुभवी अफसरों का कहना है कि मंत्रिमण्डल शायद ही कभी इतना दिशाहीन रहा हो। दो मंत्री अपने अधिकारों को लेकर आपस में उलझे हुए हैं और अधिकारी तय नहीं कर पाते कि वे किसकी बात मानें। जब कोई अधिकारी उनमें से किसी के यहां वार्ता करता है तो दूसरा मंत्री उसे डांटता है। स्पष्ट है कि यह स्थिति कमजोर नेतृत्व का नतीजा है। आज नीति की चिन्ता किसे है? लगता है कि कांग्रेस सरकार अपनी दिशा खो बैठी है। उत्तरांचल में विकास की नीति बनाने में उसकी भूमिका मंद पड़ गई है। मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहूँगा कि आप राष्ट्र के तपस्वी, यशस्वी एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के हैं लेकिन, हमको लगता है कि आपका सारा मंत्रिमण्डल आपके क्रेडिट पर चल रहा है।

मान्यवर, एक ख्याति प्राप्त कम्पनी है कारों की, फोर्ड कम्पनी। उसका एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी फोर्ड कम्पनी के मैनेजर के पास गया और उससे कहा कि हमें 20 कारें चाहिए हमें उनका ट्रायल दे दीजिए। तो फोर्ड कम्पनी के मैनेजर ने एक कार निकाली और उस आदमी को बिठाया और कार चलाने लगा वह कार 30-35 किलोमीटर चली फिर बंद हो गई तो वह आदमी बड़ा आश्चर्य चकित हो गया और उसने मैनेजर से पूछा कि कार बंद क्यों हो गई? मैनेजर को भी आश्चर्य हुआ

तो वह आदमी कार से उतरा और उसने कार का बोनट खोला तो उसने देखा कि कार में इन्जन ही नहीं लगा हुआ है। फिर उसने मैनेजर से पूछा कि जब कार में इन्जन ही नहीं लगा है तो 30-35 किलोमीटर कार कैसे चल गई। तो मैनेजर ने जवाब दिया कि इतना तो यह फोर्ड कम्पनी के क्रेडिट से ही चल गई। तो मान्यवर, यही हालत आज मन्त्रिमण्डल की हो गई है आपके मन्त्रिमण्डल की गाड़ी भी माननीय नेता सदन के क्रेडिट पर चल रही है और हमारे मन्त्रिमण्डल में इन्जन ही नहीं लगा है, बस मात्र नेता सदन के ही क्रेडिट पर सरकार चल रही है। यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है।

कल हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय कोश्यारी जी ने दवा घोटाले पर जब चर्चा की थी तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने टिप्पणी की थी, और बेहड़ जी ने कहा था कि यह घोटाला आज ही प्रकाश में क्यों आया आपके कार्यकाल में क्यों नहीं आया? तो मान्यवर, मैं कहूँगा कि वह घोटाला इसलिए नहीं प्रकाश में आया क्योंकि प्रकाश तब ऊपर बैठते थे और आज यहां बैठते हैं।

(हँसी)

मान्यवर, चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं सर्वश्री प्रीतम सिंह पंवार, मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, बलबीर सिंह नेगी, अजय भट्ट, प्रेमानन्द महाजन, विपिन चन्द्र त्रिपाठी, काशी सिंह ऐरी, कुँवर प्रणव "चैम्पियन", महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा श्री मदन कौशिक की प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना को नियम-51 के अन्तर्गत तथा श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम रौंसाल, तहसील घनसाली में नरभक्षी बाघ द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा देने के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, दिनांक 30-01-2003 को नरभक्षी बाघ द्वारा श्री पृथ्वी सिंह, पुत्र श्री भाग चन्द्र सिंह को मार दिये जाने पर विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए मृतक के परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में रु० 5000 (पाँच हजार मात्र) अग्रिम भुगतान किया गया। इस घटना के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने में कुछ समय

लगा, जिनकी पूर्ति होने पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल के आदेश संख्या 865, दिनांक 31–03–2003 द्वारा अनुमन्य रु० 50000 (पचास हजार मात्र) की मुआवजा धनराशि मृतक की पत्नी श्रीमती सरिता देवी को देने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

दिनांक 21–02–2003 को नरभक्षी बाघ द्वारा श्री बचन सिंह, पुत्र श्री छोटा सिंह को घायल करने की सूचना मिलने पर विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उपचार हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया तथा घायल व्यक्ति को मुआवजा के रूप में धनराशि देने हेतु अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल के आदेश संख्या–866, दिनांक 31–03–2003 द्वारा रु० 5000 (पांच हजार मात्र) की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में ही यह उल्लेखनीय है कि उक्त नरभक्षी बाघ को स्थानीय शिकारी द्वारा दिनांक 27–02–2003 को धनचाली रेंज कार्यालय के समीप मार दिया गया है।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में नागरिकों के लिए क्रीड़ा स्थल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर खेल मंत्री का केवल वक्तव्य

*खेल मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

[माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत निम्न सूचना उपलब्ध करायी गयी है :–

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छावनी परिषद, रानीखेत में सिविल नागरिकों के लिए आज तक कोई भी खेल का मैदान नहीं है, जिसके कारण यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। पूर्व में जब तक सेना का मैदान मिलता था तब तक यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर की हाकी एवं फुटबाल के खेलों का आयोजन किया गया, परन्तु अब सेना द्वारा अपने खेल के मैदान न देने के कारण यहाँ के खिलाड़ियों के लिए गम्भीर संकट पैदा हो गया है। पूर्व में रानीखेत नागरिक क्षेत्र के लिए क्रीड़ा स्थल स्वीकार किया गया था, परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने से इसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। रानीखेत के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर तक एवं कई ने एशियन खेलों तक पहुँच कर पूरे देश में नाम कमाया है। जहाँ सरकार आज लोगों के पास अपना खेल का मैदान भी नहीं है। स्वीकृत मैदान का निर्माण आज तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक–महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्रीड़ा स्थल के निर्माण आज तक न होने के कारणों पर वक्तव्य की मांग करता हूँ, ताकि शीघ्र क्रीड़ा स्थल का निर्माण हो सके।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि जनपद अल्मोड़ा में मुख्यालय पर खेल विभाग द्वारा एक स्टेडियम पूर्व से निर्मित है और संचालित है। रानीखेत, जनपद

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अल्मोड़ा में खेल स्टेडियम/मैदान की मांग को देखते हुए इस सम्बन्ध में रानीखेत छावनी परिषद् से अनुरोध किया गया था। छावनी परिषद्, रानीखेत द्वारा रानीखेत में 3.94 एकड़ भूमि खेल विभाग के पक्ष में 90 वर्ष के लीज पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव पारित कर डिफेन्स स्टेट ऑफिसर बरेली के कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। उपरोक्तानुसार भूमि के हस्तांतरण हो जाने के उपरान्त ही इस स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा सकती है।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम शुक्रवार दिनांक 04 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

महेश चन्द्र,

सचिव,

उत्तरांचल विधान सभा।

देहरादून :

दिनांक 02 अप्रैल, 2003

नत्थी "क"

[देखिए ता० प्र० सं० 10 (पीछे पृष्ठ 19 पर) का उत्तर]

संलग्न-"क"

उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद चमोली में विकास खण्डवार संवेदनशील स्थानों के नाम निम्नवत हैं :-

1-देवाल विकास क्षेत्र-लिण्डी, उनी बगड़ हरिजन बस्ती, बोरागाड़ लवाणी, बामनबीड़ा लोहरी, जैन बिष्ट, धारा तल्ला पूर्णा, कोटी मन्दोली आदि।

2-थराली विकास क्षेत्र-थराली, चेपड़ो, बैनोली, नोणा, मज्याड़ आदि।

3-गैरसैण विकास क्षेत्र-कुशरानी तल्ली, कुशरानी बिचली, बच्छू, आगाणतल्ला, दास मिया गांव, जौल कालनैल, कलबिष्ट सेरा, रिखाड़, धाम देव, नौगांव, लग बगड़, घोडलीण, सौल्ट, धमकोला इत्यादि।

4-कर्णप्रयाग विकास क्षेत्र-गांधी नगर, बस्ती एवं चिमली बाजार आदि।

5-जोशीमठ विकास क्षेत्र-श्री बद्रीनाथ पुरी, सुनई कोटा, टेणी, जुलागाड़, करछो, परसारी तथा जोशीमठ नगर इत्यादि।

6-घाट विकास क्षेत्र-चुफल्या गाड़, चुफल्यागाड़ गधेरे से घाट बाजार एवं उसके ऊपर के स्थान गुलाडी, घटई, सरपाल, नारंगी गोष लाली इत्यादि।

7-पोखरी विकास क्षेत्र-विमुला, पाडुली, हरिशंकर, उतरासों, पवनाला, नागनाथ पोखरी एवं निगोल नदी के किनारे की भूमि इत्यादि।

8-नारायण बगड़ विकास क्षेत्र-थराली बग्डू, सोल्टा, गलगांव, नारायणबगड़, भौंग, बैनाली, नेटुनी आदि।

संलग्न-"ख"

सिंचाई विभाग द्वारा जिन स्थानों की सुरक्षा हेतु योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं या प्रस्तावित हैं उनका विवरण विकास खण्डवार निम्न प्रकार है :-

1-देवाल विकास क्षेत्र-पदमोला बाढ़ सुरक्षा, मन्दोली बाढ़ सुरक्षा, कोटी गाड़, बंधवांग, लिण्डी उनी बगड़, हरिजन बस्ती एवं बोरागाड़।

2-थराली विकास क्षेत्र-रामपुरा, केवर पैनगढ़, बैनोली, देवराडा, परखाल, सुनाउ, चेपड़ो बाढ़ सुरक्षा कार्य।

3-कर्णप्रयाग विकास क्षेत्र-गांधीनगर, कर्णप्रयाग, पुजारी गांव, रौकना लगासू सेरा, हरिजन बस्ती बाढ़ सुरक्षा योजना।

4-जोशीमठ विकास क्षेत्र-श्री बद्रीनाथ बाढ़ सुरक्षा, श्री बद्रीनाथ एन्टीऐवैलांच, श्री बद्रीनाथ बाढ़ सुरक्षा, देवग्राम, पांचरिया, रैणी, सुनई कोटा, अणिमठ बाढ़ सुरक्षा योजना।

5–दशोली विकास क्षेत्र–मण्डल हरिजन बस्ती, रामपुर कुराली, चमोली एन्टी हरिजन कार्य, चमोली ड्रेन निर्माण, अलकापुरी बाढ़ सुरक्षा, गोपना बाढ़ सुरक्षा, पैठाणा, लासीबाढ़, सैकोट, कुवारगांव, नरनारायण, बसन्त बिहार, गडोरा, चिपराण, छिनकापुरसाटी, मंगोलगांव, हरमनी बाढ़ सुरक्षा।

6–घाट विकास क्षेत्र–नन्द प्रयाग, नन्द प्रयाग एन्टी हरिजन कार्य, घाट बाढ़ सुरक्षा दांया तट एवं बांया तट, घाट मन्दाकिनी, चुफलागाड़, पुनविला बाढ़ सुरक्षा कार्य।

7–गैरसैण विकास क्षेत्र–गैरसैण बाढ़ सुरक्षा, खेती बाढ़ सुरक्षा, कुन्हार घाट, पुनीगाड़, गैरसैण एन्टी हरिजन योजना, सोरीगाड़ कुशरानी, काली माटी, मालूपार बाढ़ सुरक्षा योजनाएं।

8–नारायण बगड़ विकास क्षेत्र–कुलसारी, नलगाड़, थुनेटा, नारायण बगड़ बाढ़ सुरक्षा, पोखरी विकास क्षेत्र में उखमाला बाढ़ सुरक्षा योजना।

उक्त के अतिरिक्त निम्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है :–

सिमली, खनीबगड़ हरिजन बस्ती एवं बौरागाड़ बाढ़ सुरक्षा योजना, गांधीनगर कर्णप्रयाग बाढ़ सुरक्षा योजना, श्री बद्रीनाथ में अलकनन्दा बांया तट बाढ़ सुरक्षा योजना, गोपेश्वर में बसन्त बिहार बाढ़ सुरक्षा योजना, सैकोट बाढ़ सुरक्षा योजना।

1.	2	3	4	5	6
2.	द्वितीय	2.00	डोमना	26–पिरवही	0.18
		9.00	फलोरा	27–तीर	0.20
		0.50	पकड़ीपुड/मूला	28–बाघा	0.12
		1.00	बरोडी	29–धनिसाल	0.18
				30–सन्दिलासन्दर	0.09
				31–बरोडी	0.23
				32–सोनडाक	0.14
				33–गिरिगिदल	0.35
				34–मटटगोड़	0.03
				35–फलोरा	0.10
				36–पटहारा	0.21
				37–डोमना	0.07
	योग :–	15.20			6.37
	कुल योग जिलावार	25.80			10.47

पी०एस०यू० (झा०ई०) 18 विधान सभा/242–20–9–2003–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

नत्थी "ख"

[देखिए अता0 प्र0 सं0 49 (पीछे पृष्ठ 41 पर) का उत्तर]

संलग्नक–1

विकास खण्ड भिलंगना की नहरों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2002–2003 के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय विवरण

क्र0 सं0	सहायक अभि0/ उपखण्ड का नाम	वर्ष 2002–03 में खण्ड द्वारा आवंटित राशि (लाख रु0 में)		सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया व्यय (अब तक)	
		धनराशि	नाम नहर	नहर का नाम	धनराशि (लाख में)
1.	2	3	4	5	6
1.	प्रथम	2.70	सामान्य	1–बासर नहर	3.03
		1.50	बासर नहर	2–सिमाडी	0.09
		1.40	सामान्य	3–पदोखा	0.09
		2.00	दुवनी	4–दानी	0.16
		2.00	भौफल	5–भौफल	1.83
		1.00	सामान्य	6–कन्डारस्यू	0.19
				7–जखोलगाँव	0.43
				8–जखाणा	0.13
				9–थानी	0.08
				10–दुवनी	2.02
				11–पुन्डाल	0.09
				12–डांगोली	0.12
				13–बुरेगा	0.05
				14–मजकोट	0.18
				15–बगवान	0.04
				16–अगुण्डा	1.03
				17–भाटगाँव	0.66
				18–प्रथाणा	0.12
				19–पोखार	0.38
	योग :–	10.60		–	10.10
2.	द्वितीय	2.60	सामान्य	20–डोभर नहर	2.03
		1.30	सामान्य	21–डोभरा कौड़ गूल	0.19
		2.50	डोभर	22–श्रीकोट नहर	0.13
		2.00	अन्द्रिया	23–चमियाला	0.81
		0.40	चमियाला	24–तीरथ	0.10
		2.60	सिलियारा	25–चकडांग/भूडागी	0.47